बहारे शरीअत

1 से 10

मुसन्निफ

[illegible] अमजद अ़ली आज़[illegible] [illegible]लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

[illegible] [illegible]हम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त
दो मीनार मस्जिद
एजाज़ नगर, पुराना शहर बरेली



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336

बहारे शरीअ़त

नवाँ हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरुश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (नवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ़	स़दरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
त़ादाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1. मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2. फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ;दिल्ली।
3. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4. अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5. चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6. क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7. मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

आज़ाद करने का बयान

इत्क (यानी गुलाम आज़ाद करने) के मसाइल की हिन्दुस्तान में ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ न लोन्डी गुलाम हैं न उनके आज़ाद करने का मौक़ा यूहीं फ़िक़्ह के और भी बाज़ ऐसे अबवाब हैं जिन की ज़माना–ए–हाल में यहाँ के मुसलमानों को हाजत नहीं इस वजह से ख़्याल होता था कि ऐसे मसाइल इस किताब में ज़िक्र न किये जायें मगर इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना भी ठीक नहीं कि किताब नाक़िस रह जायेगी नीज़ हमारी इस किताब के अकसर बयानात में बाँदी गुलाम के इम्तियाज़ी मसाइल का थोड़ा थोड़ा ज़िक्र है तो कोई वजह नहीं इस जगह बिल्कुल पहलू तही की (छोड़ दिया) जाये लिहाज़ा मुख़्तसरन चन्द बातें गुज़ारिश करूँगा कि उस के अक़साम व अहकाम पर क़दरे इत्तिलअ़ हो जाये गुलाम आज़ाद करने की फ़ज़ीलत क़ुर्आन व हदीस से साबित है अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ अहादीस इस बारे में बकसरत हैं बाज़ अहादीस ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस न .1 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स मुसलमान गुलाम को आज़ाद करेगा उस के हर अ़ज़ू के बदले में अल्लाह तआ़ला उस के हर अ़ज़्व को जहन्नम से आज़ाद फ़रमायेगा सईद इब्ने मरजाना कहते हैं मैंने यह हदीस अ़ली इब्ने हुसैन (इमाम ज़ैनुल आ़बिदीन)रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा को सुनाई उन्होंने अपना एक ऐसा गुलाम आज़ाद किया जिस की क़ीमत अ़ब्दुल्लाह बिन जअ़फ़र दस हज़ार देते थे।

हदीस न. 2 :– नीज़ सहीहैन में अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने हुज़ूर से अ़र्ज़ की किस गर्दन को आज़ाद करना ज़्यादा बेहतर है फ़रमाया जिस की क़ीमत ज़्यादा हो और ज़्यादा नफ़ीस हो मैंने कहा अगर यह न कर सकूँ फ़रमाया कि काम करने वाले की मदद करो या जो काम करना न जानता हो उस का काम कर दो मैंने कहा अगर यह करूँ फ़रमाया लोगों को ज़रर पहुँचाने से बचो कि इस से भी तुम को सदक़ा का सवाब मिलेगा।

हदीस न.3 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु रावी एक अअ़राबी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अ़र्ज़ की मुझे ऐसा अ़मल तअ़लीम फ़रमाईये जो मुझे जन्नत में दाख़िल करे इरशाद फ़रमाया अगर्चे तुम्हारे अल्फ़ाज़ कम हैं मगर जिस बात का सवाल किया है वह बहुत बड़ी है(वह अ़मल यह है)कि जान को आज़ाद करो और गर्दन को छुड़ाओ अ़र्ज़ की यह दोनों एक ही हैं फ़रमाया एक नहीं जान को आज़ाद करना यह है कि उसे तन्हा आज़ाद कर दे और गर्दन छुड़ाना यह कि उस की क़ीमत में मदद करे।

हदीस न .4 :– अबू दाऊद व नसाई वासिला इब्ने असक़अ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं हम हुज़ूर की ख़िदमत में, एक शख़्स के मुतअ़ल्लिक़ दरयाफ़्त करने हाज़िर हुए जिस ने क़त्ल की वजह से अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर लिया था इरशाद फ़रमाया उस की तरफ़ से आज़ाद करो उस के हर अ़ज़्व के बदले में अल्लाह तआ़ला उस के हर अ़ज़्व को जहन्नम से आज़ाद करेगा।

हदीस न. 5 :– बैहक़ी शोअ़्बुल ईमान में सुमरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूर ने फ़रमाया अफ़ज़ल सदक़ा यह है कि गर्दन छुड़ाने में सिफ़ारिश की जाये।

मसाइले फ़िक़्हिया

गुलाम आज़ाद होने की चन्द सूरतें हैं एक यह कि उस के मालिक ने कह दिया कि तू आज़ाद है या उस के मिस्ल और कोई लफ़्ज़ जिस से आज़ादी साबित होती है दूसरी यह कि ज़ी रहम महरम उस का मालिक हो जाये तो मिल्क में आते ही आज़ाद हो जायेगा सोम यह कि ह़र्बी काफ़िर मुसलमान गुलाम को दारुलइस्लाम से ख़रीद कर दारुल ह़र्ब में ले गया तो वहाँ पहुँचते ही आज़ाद हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– आज़ाद करने की चार क़िस्में हैं **वाजिब, मन्दूब, मुबाह, कुफ़्र,** क़त्ल व ज़िहार व क़सम और रोज़ा तोड़ने के कफ़्फ़ारा में आज़ाद करना **वाजिब है मगर** क़सम में इख़्तियार है कि गुलाम आज़ाद करे या दस मसाकीन को खाना खिलाये या कपड़े पहनाये यह न कर सके तो तीन रोज़े रख ले यह बाक़ी तीन में अगर गुलाम आज़ाद करने पर कुदरत हो तो यही मुतअ़य्यन है **मन्दूब** वह है कि अल्लाह के लिए आज़ाद करे उस वक़्त कि जानिबे शरअ़ से उस पर यह ज़रूरी न हो **मुबाह** यह कि बग़ैर नियत आज़ाद किया **कुफ़्र वह** कि बुतों या शैतान के नाम पर आज़ाद किया कि गुलाम अब भी आज़ाद हो जायेगा मगर उस का यह फ़ेअ़्ल कुफ़्र हुआ कि उस के नाम पर आज़ाद करना दलीले तअ़्ज़ीम है और उन की तअ़्ज़ीम कुफ़्र (आलमगीरी जौहरा)

मसअ्ला :– आज़ाद करने के लिए मालिक का हुर आ़क़िल(आज़ाद)बालिग़ होना शर्त है यानी गुलाम अगर्चे माज़ून या मकातिब हो आज़ाद नहीं कर सकता और मजनून या बच्चा ने अपने गुलाम को आज़ाद किया तो आज़ाद न हुआ बल्कि जवानी में भी अगर कहे कि मैंने बचपन में उसे आज़ाद कर दिया था या होश में कहे कि जुनून की ह़ालत में मैंने आज़ाद कर दिया था और उस का मजनून होना मालूम हो तो आज़ाद न हुआ बल्कि अगर बच्चा यह कहे कि जब मैं बालिग़ हो जाऊँ तो तू आज़ाद है तो इस कहने से भी बालिग़ होने पर आज़ाद न होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला : – अगर नशा में या मस्ख़रा पन से आज़ाद किया या ग़लती से ज़बान से निकल गया कि तू आज़ाद है तो आज़ाद हो गया या यह नहीं जानता था कि यह मेरा गुलाम है और आज़ाद कर दिया जब भी आज़ाद हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – आज़ाद करने को अगर मिल्क या सबबे मिल्क पर मुअ़ल्लक़ किया मसलन जो गुलाम कि फ़िलह़ाल उस की मिल्क में नहीं उस से कहा कि अगर मैं तेरा मालिक हो जाऊँ या तुझे ख़रीदूँ तो तू आज़ाद है उस सूरत में जब उस की मिल्क में आयेगा आज़ाद हो जायेगा और अगर मूरिस़ की मौत की त़रफ़ इज़ाफ़त की यानी जो गुलाम मूरिस़ की मिल्क में है उस से कहा कि अगर मेरा मूरिस़ मरजाये तो तू आज़ाद है तो आज़ाद न होगा कि मौते मूरिस़ सबबे मिल्क नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – ज़बान से कहना शर्त नहीं बल्कि लिखने से और गूँगा हो तो इशारा करने से भी आज़ाद हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – तलाक़ की तरह इस में भी बाज़ अल्फ़ाज़ स़रीह़ हैं बाज़ किनाया, स़रीह़ में नियत की ज़रूरत नहीं बल्कि अगर किसी और नियत से कहे जब भी आज़ाद हो जायेगा स़रीह़ के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तू आज़ाद है, हुर है, ऐ आज़ाद, ऐ हुर, मैंने तुझ को आज़ाद किया, हाँ अगर उस

का नाम ही आज़ाद है और ऐ आज़ाद कहा या नाम हुर है और ऐ हुर कह कर पुकारा तो आज़ाद न हुआ और अगर नाम आज़ाद है और ऐ हुर कह कर पुकारा या नाम हुर है और ऐ आज़ाद कह कर पुकारा तो आज़ाद हो जायेगा यह अल्फ़ाज़ भी सरीह के हुक्म में हैं नियत की ज़रूरत नहीं मैंने तुझे तुझ पर सदका किया या तुझे तेरे नफ़्स को हिबा किया, मैंने तुझे तेरे हाथ बेचा, उन में इस की भी ज़रूरत नहीं कि गुलाम कबूल करे और अगर यूँ कहा कि मैंने तुझे तेरे हाथ इतने को बेचा, तो अब कबूल की ज़रूरत होगी अगर कबूल करेगा तो आज़ाद होगा और इतने देने पड़ेंगे, आज़ादी को ऐसे जुज़ की तरफ़ मन्सूब किया जो पूरे से तअ्बीर है मसलन तेरा सर, तेरी गर्दन, तेरी ज़बान, आज़ाद है तो आज़ाद हो गया और अगर हाथ या पाँव को आज़ाद कहा तो आज़ाद न हुआ और अगर तिहाई चौथाई निस्फ़ वग़ैरा को आज़ाद किया तो उतना आज़ाद हो गया अगर गुलाम को कहा यह मेरा बेटा है या लोन्डी को कहा यह मेरी बेटी है अगर्चे उम्र में ज़्यादा हों या गुलाम को कहा यह मेरा बाप या दादा है या लोन्डी को कहा कि यह मेरी माँ है अगर्चे उन की उम्र इतनी न हो कि बाप या दादा या माँ होने के क़ाबिल हों तो इन सब सूरतों में आज़ाद हैं अगर्चे इस नियत से न कहा हो और अगर कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन ऐ मेरे बाप, तो बग़ैर नियत आज़ाद नहीं। किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तू मेरी मिल्क नहीं, तुझ पर मुझे राह नहीं, तू मेरी मिल्क से निकल गया, इन में बग़ैर नियत आज़ाद न होगा अगर कहा तो आज़ाद की मिस्ल है तो इस में भी नियत की ज़रूरत है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– अल्फ़ाज़े तलाक़ से आज़ाद न होगा अगर्चे नियत हो यानी यह आज़ाद के लिए किनाया भी नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़ी रहम महरम यानी ऐसा क़रीब का रिश्ता वाला कि अगर उन में से एक मर्द हो और एक औरत हो तो निकाह हमेशा के लिए हराम हो जैसे बाप माँ, बेटा, बेटी, भाई बहन, चचा फूफी मामूँ ख़ाला, भान्जी, उन में किसी का मालिक हो तो फ़ौरन ही आज़ाद हो जायेगा और अगर उन के किसी हिस्से का मालिक हो तो उतना आज़ाद हो गया इस में मालिक के आक़िल बालिग़ होने की भी शर्त नहीं बल्कि बच्चा या मजनून भी ज़ी रहम महरम का मालिक हो तो आज़ाद होजायेगा(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर आज़ादी को किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया मसलन अगर तू फ़ुलाँ काम करे तो आज़ाद है और वह शर्त पाई गई तो गुलाम आज़ाद है जब कि शर्त पाई जाने के वक़्त उस की मिल्क में हो और अगर ऐसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया जो फ़िलहाल मौजूद है मसलन अगर मैं तेरा मालिक हो जाऊँ तो आज़ाद है तो फ़ोरन आज़ाद हो जायेगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– लौन्डी हामिला थी उसे आज़ाद किया तो उस के शिकम में जो बच्चा है वह भी आज़ाद है और अगर सिर्फ़ पेट के बच्चे को आज़ाद किया तो वही आज़ाद होगा लौन्डी आज़ाद न होगी मगर जब तक बच्चा पैदा न हो ले लौन्डी को बेच नहीं सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– लौन्डी की औलाद जो शौहर से होगी वह उस लौन्डी के मालिक की मिल्क होगी और जो औलाद मौला से होगी वह आज़ाद होगी (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– यह ऊपर मालूम हो चुका है कि अगर किसी हिस्सा को आज़ाद किया तो उतना ही आज़ाद होगा यह उस सूरत में है कि जब वह हिस्से मुअ़य्यन हों मसलन आधा, तिहाई, चौथाई, और अगर ग़ैर मुअ़य्यन हो मसलन तेरा एक हिस्सा आज़ाद है तो इस सूरत में भी आज़ाद होगा मगर चूँकि हिस्सा ग़ैर मुअ़य्यन है लिहाज़ा मालिक से तअ़य्युन कराई जायेगी कि तेरी मुराद क्या है

जो वह बताये उतना आज़ाद क़रार पायेगा और दोनों सूरतों में यानी बाज़ मुअय्यन या ग़ैर मुअय्यन में जितना बाक़ी है उस में सआयत करायेंगे यानी उस ग़ुलाम की उस रोज़ जो क़ीमत बाज़ार के नर्ख़ से हो उस क़ीमत का जितना हिस्सा ग़ैर आज़ाद शुदा के मुक़ाबिल हो और उतना मज़दूरी वग़ैरा करा कर वुसूल करें जब क़ीमत का वह हिस्सा वुसूल हो जाये उस वक़्त पूरा आज़ाद हो जायेगा (अम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– यह ग़ुलाम जिस का कोई हिस्सा आज़ाद हो चुका है उस के अहकाम यह हैं कि 1.उस को न बेच सकते हैं 2.न यह दूसरे का वारिस होगा 3.न उस का कोई वारिस होगा 4.न दो से ज़्यादा निकाह कर सके 5. न मौला की बग़ैर इजाज़त निकाह कर सके 6.न उन मुआमलात में गवाही दे सके जिन में ग़ुलाम की गवाही नहीं ली जाती 7.न हिबा कर सके 8.न सदक़ा दे सके मगर थोड़ी मिक़दार की इजाज़त है 9.और न किसी को क़र्ज़ दे सके 10.न किसी की किफ़ालत कर सके और 11.न मौला उस से ख़िदमत ले सकता है 12. न उस को अपने क़ब्ज़ा में रख सकता है (रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो ग़ुलाम दो शख़्सों की शिरकत में है उन में से एक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो दूसरे को इख़्तियार है कि अगर आज़ाद करने वाला मालदार है (यानी मकान व ख़ादिम व सामाने ख़ाना दारी और बदन के कपड़ों के अ़लावा उस के पास इतना माल हो कि अपने शरीक के हिस्से की क़ीमत अदा कर सके) तो उस से अपने हिस्से का तावान ले या यह भी अपने हिस्सा को आज़ाद कर दे या यह अपने हिस्से की क़द्र सआयत कराये और यह भी हो सकता है कि उस को मुदब्बर कर दे मगर इस सूरत में भी फ़िलहाल सआयत कराई जाये और मौला के मरने के पहले अगर सआयत से क़ीमत अदा कर चुका तो अदा करते ही आज़ाद हो गया वरना उस के मरने के बाद अगर तिहाई माल के अन्दर हो तो आज़ाद है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला : – जब एक शरीक ने आज़ाद कर दिया तो दूसरे को उस के बेचने या हिबा करने या महर में देने का हक़ नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला : – शरीक के आज़ाद करने के बाद उस ने सआयत शुरूअ् करा दी तो अब तावान नहीं ले सकता हाँ अगर ग़ुलाम इसनाए सआयत से क़ीमत अदा कर चुका तो अदा करते ही आज़ाद हो गया वरना उस के मरने के बाद अगर तिहाई माल के अन्दर हो तो आज़ाद है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – तावान लेने का हक़ उस वक़्त है कि उस ने बग़ैर इजाज़ते शरीक आज़ाद कर दिया और आज़ाद के बाद आज़ाद किया तो नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला : – किसी ने अपने दो ग़ुलामों को मुख़ातब कर के कहा तुम में का एक आज़ाद है तो उसे बयान करना होगा जिस को बताये कि मैंने उसे मुराद लिया वह आज़ाद हो जायेगा और बयान से क़ब्ल एक को बैअ् किया या रहन रखाया मुकातिब या मुदब्बर किया तो दूसरा आज़ाद होने के लिए मुअय्यन हो गया और न बयान किया न उस क़िस्म का कोई तसर्रुफ़ किया और एक मर गया तो जो बाक़ी है वह आज़ाद हो गया और अगर मौला ख़ुद मर गया तो वारिस को बयान करने का हक़ नहीं बल्कि हर एक में से आधा आधा आज़ाद और आधे से बाक़ी में दोनों सआयत (कोशिश)करें (आलमगीरी)

मसअ्ला : – ग़ुलाम से कहा तू इतने माल पर आज़ाद है और उसने उसी मज्लिस में या जिस मज्लिस में उस को इल्म हुआ क़बूल कर लिया तो उसी वक़्त आज़ाद हो गया यह नहीं कि जब अदा करेगा उस वक़्त आज़ाद होगा और अगर यूँ कहा कि तू इतना अदा करे तो आज़ाद है तो

गुलाम माज़ून हो गया यानी उसे तिजारत की इजाज़त हो गई और इस सूरत में क़बूल करने की हाजत नहीं बल्कि अगर इन्कार कर दे जब भी माज़ून रहेगा और जबतक उतने अदा न कर दे मौला उसे बेच सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मुदब्बर व मकातिब व उम्मे वलद का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۝ وَ اٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیْٓ اٰتٰكُمْ

तर्जमा :– "जिन लोगों के तुम मालिक हो (तुम्हारे लौन्डी ग़ुलाम)वह किताबत चाहें तो उन्हें मकातिब कर दो अगर उन में भलाई देखो और उस माल में से जो ख़ुदा ने तुम्हें दिया है कुछ उन्हें दे दो "

हदीस न.1 :– अबूदाऊद बरिवायत अ़म्र इब्ने शोऐब अ़न् अबीहि अ़न जद्देही रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मकातिब पर जब तक एक दिरहम भी बाक़ी है ग़ुलाम ही है।

हदीस न.2 :– अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि हुज़ूर इरशाद फ़रमाते हैं जब तुम में किसी के मकातिब के पास पूरा बदले किताबत जमअ़ हो जाये तो उस से पर्दा करे।

हदीस न. 3 :– इब्ने माजा व हाकिम इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं जिस कनीज़ के बच्चा उस के मौला से पैदा हो वह मौला के मरने के बाद आज़ाद है।

हदीस न.4 :– दारे क़ुतनी व बैहक़ी इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं मुदब्बर न बेचा जाये न हिबा किया जाये वह तिहाई माल से आज़ाद है।

मसाइले फ़िक़्हिया

मुदब्बर उस को कहते हैं जिस की निस्बत मौला ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है या यूँ कहा कि अगर मैं मरजाऊँ या जब मैं मरूँ तो तू आज़ाद है ग़र्ज़ उसी क़िस्म के वह अल्फ़ाज़ जिन से मरने के बाद उस का आज़ाद होना साबित होता है।

मसअला : – **मुदब्बर की दो क़िस्में हैं 1. मुदब्बरे मुतलक़ 2. मुदब्बरे मुक़य्यद** मुदब्बिरे मुतलक़ वह जिस में किसी ऐसे अम्र का इज़ाफ़ा न किया हो जिस का होना ज़रूरी न हो यानी मुतलक़न मौत पर आज़ाद होना क़रार दिया मसलन अगर मैं मरूँ तो तू आज़ाद है और अगर किसी वक़्ते मुअ़य्यन पर या वस्फ़ के साथ मौत पर आज़ाद होना कहा तो मुक़य्यद है मसलन इस साल मरूँ या उस मर्ज़ में मरूँ कि उस साल या इस मर्ज़ से मरना ज़रूरी नहीं और अगर कोई ऐसा वक़्त मुक़र्रर किया कि ग़ालिब गुमान उस से पहले मरजाना है मसलन बूढ़ा शख़्स कहे कि आज से सौ बरस पर मरूँ तो तू आज़ाद है तो यह मुतलक़ ही है कि यह वक़्त की क़ैद बेकार है क्योंकि ग़ालिब गुमान यही है कि अब वह सौ बरस तक ज़िन्दा न रहेगा (आलमगीरी वग़ैरह)

मसअला : – अगर यह कहा कि जिस दिन मरूँ तू आज़ाद है तो अगर्चे रात में मरे वह आज़ाद होगा कि दिन से मुराद यहाँ मुतलक़ वक़्त है हाँ अगर कहे कि दिन से मेरी मुराद सुब्ह से ग़ुरूब आफ़ताब तक का वक़्त है यानी रात के अ़लावा तो यह नियत उस की मानी जायेगी मगर अब यह मुदब्बर मुक़य्यद होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – मुदब्बर करने के बाद अब अपने उस क़ौल को वापस नहीं ले सकता मुदब्बर को न

बेच सकते हैं, न हिबा कर सकते, न रहन रख सकते, न सदका कर सकते हैं (आलमगीरी)
मसअ्ला : – मुदब्बर गुलाम ही है यानी अपने मौला की मिल्क है उस को आज़ाद कर सकता ह मकातिब बना सकता है उस से ख़िदमत ले सकता है मज़दूरी पर दे सकता है अपनी विलायत से उस का निकाह कर सकता है और अगर लौन्डी मुदब्बरा है तो उस से वती कर सकता है उस का दूसरे से निकाह कर सकता है और मुदब्बरा से अगर मौला की औलाद हुई तो वह उम्मे वलद होगी (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला : – जब मौला मरेगा तो उस के तिहाई माल से मुदब्बर आज़ाद हो जायेगा यानी अगर यह तिहाई माल है या उस से कम तो बिलकुल आज़ाद हो गया और अगर तिहाई से ज़ाइद कीमत का है तो तिहाई की कद्र आज़ाद हो गया बाकी के लिए सआयत करे और अगर उस के अलावा मौला के पास और कुछ न हो तो उस की तिहाई आज़ाद बाकी दो तिहाईयों में सआयत करे यह उस वक़्त है कि वुरसा इजाज़त न दें और अगर इजाज़त देदें या उस का कोई वारिस ही नहीं तो कुल आज़ाद है और अगर मौला पर दैन है कि यह गुलाम उस दैन में मुस्तग़रक है तो कुल कीमत में सआयत कर के कर्ज़ ख़्वाहों को अदा करे (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)
मसअ्ला : – मुदब्बर मुक़य्यद का मौला मरा और उसी वस्फ़ पर मौत वाक़ेअ् हुई मसलन जिस मर्ज़ या वक़्त में मरने पर उस का आज़ाद होना कहा था वही हुआ तो तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा वरना नहीं और ऐसे मुदब्बर को बैअ् व हिबा व सदका वग़ैरहा कर सकते हैं (आलमगीरी)
मसअ्ला :– मौला ने कहा तू मेरे मरने से एक महीना पहले आज़ाद है और उस कहने के बाद एक महीना के अन्दर मौला मर गया तो आज़ाद न हुआ और अगर एक महीना या ज़ाइद पर मरा तो गुलाम पूरा आज़ाद हो गया अगर्चे मौला के पास उस के अलावा कुछ माल न हो (आलमगीरी)
मसअ्ला : – मौला ने कहा तू मेरे मरने के एक दिन बाद आज़ाद है तो मुदब्बर न हुआ लिहाज़ा आज़ाद भी न होगा (आलमगीरी)
मसअ्ला : – मुदब्बरा के बच्चा पैदा हुआ तो यह भी मुदब्बर है जब कि वह मुदब्बरा मुतल्लका हो और अगर मुक़य्यदा हो तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला : – मुदब्बरा लौन्डी के बच्चा पैदा हुआ और वह बच्चा मौला का हो तो वह अब मुदब्बरा न रही बल्कि उम्मे वलद हो गई कि मौला के मरने के बाद बिलकुल आज़ाद हो जायेगी अगर्चे उस के पास उस के सिवा कुछ माल न हो (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला : – गुलाम अगर नेक चलन हो और बज़ाहिर मालूम होता हो कि आज़ाद होने के बाद मुसलमानों को ज़रर(नुकसान) न पहुँचायेगा तो ऐसा गुलाम अगर मौला से अक़्दे किताबत की दरख़्वास्त करे तो उस की दरख़्वास्त कबूल कर लेना बेहतर है अक़्दे किताबत के यह मअ्ना हैं कि आका अपने गुलाम से माल की एक मिकदार मुकर्रर कर के यह कह दे कि इतना अदा कर दे तू आज़ाद है और गुलाम उसे कबूल भी करे अब यह मकातिब हो गया जब कुल अदा कर देगा आज़ाद हो जायेगा और जब तक उस में से कुछ भी बाकी है गुलाम ही है(जौहरा वग़ैरहा)
मसअ्ला : – मकातिब ने जो कुछ कमाया उस में तसर्रुफ़ कर सकता है जहाँ चाहे तिजारत के लिए जा सकता है मौला उसे परदेस जाने से नहीं रोक सकता अगर्चे अक़्दे किताबत में यह शर्त लगादी हो कि परदेस नहीं जायेगा कि यह शर्त बातिल है (मबसूत)
मसअ्ला : – अक़्दे किताबत में मौला को इख़्तियार है कि मुआविज़ा फ़िलहाल अदा करना शर्त कर दे या उस की किस्तें मुकर्रर कर दे और पहली सूरत में अगर इसी वक़्त अदा न किया और दूसरी

सूरत में पहली किस्त अदा न की तो मकातिब न रहा (मबसूत)

मसअला :– नाबालिग़ गुलाम अगर इतना छोटा है कि ख़रीदना बेचना नहीं जानता तो उस से अक़्दे किताबत नहीं हो सकता और अगर इतनी तमीज़ है कि ख़रीद व फ़रोख़्त कर सके तो हो सकता है (जौहरा)

मसअला : – मकातिब को ख़रीदने बेचने सफ़र करने का इख़्तियार है और मौला की बग़ैर इजाज़त अपना या अपने गुलाम का निकाह नहीं कर सकता और मकातिब लौंडी भी बग़ैर मौला की इजाज़त के अपना निकाह नहीं कर सकती और उन को हिबा और सदक़ा करने का भी इख़्तियार नहीं हाँ थोड़ी सी चीज़ सदक़ा कर सकते हैं जैसे एक रोटी या थोड़ा सा नमक और किफ़ालत और क़र्ज़ का भी इख़्तियार नहीं (जौहरा)

मसअला : – मौला ने अपने गुलाम का निकाह अपनी लौन्डी से कर दिया फिर दोनों से अक़्द किताबत किया अब उन के बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा भी मकातिब है और यह बच्चा जो कुछ कमायेगा उस की माँ को मिलेगा और बच्चे का नफ़्क़ा उस की माँ पर है और इस की माँ का नफ़्क़ा उस के बाप पर (जौहरा)

मसअला : – मकातिबा लौन्डी से मौला वती नहीं कर सकता अगर वती करेगा तो अक़्द लाज़िम आयेगा और अगर लौन्डी के मौला से बच्चा पैदा हुआ तो उसे इख़्तियार है कि अक़्दे किताबत बाक़ी रखे और मौला से अक़्द ले या अक़्दे किताबत से इनकार कर के उम्मे वलद हो जाये (जौहरा)

मसअला :– मौला नें मकातिब का माल ज़ाइअ़ कर दिया तो तावान लाज़िम होगा (जौहरा)

मसअला :– उम्मे वलद को भी मकातिबा कर सकता है और मकातिब को आज़ाद कर दिया तो बदले किताबत साकित हो गया (जौहरा)

मसअला :– उम्मे वलद उस लौन्डी को कहते हैं जिस के बच्चा पैदा हुआ और मौला ने इक़रार किया कि यह मेरा बच्चा है ख़्वाह बच्चा पैदा होने के बाद उस ने इक़रार किया ज़माना–ए–हमल में इक़रार किया हो कि यह हमल मुझ से है और इस सूरत में यह ज़रूरी है कि इक़रार के वक़्त से छः महीना के अन्दर बच्चा पैदा हो (दुर्रे मुख़्तार जौहरा)

मसअला : – बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ या मुर्दा बल्कि कच्चा बच्चा पैदा हुआ जिस के कुछ अअ़्ज़ा बन चुके हैं सब का एक हुक्म है यानी अगर मौला इक़रार कर ले तो लौन्डी उम्मे वलद है (जौहरा)

मसअला : – उम्मे वलद के जब दूसरा बच्चा पैदा हो तो यह मौला ही का क़रार दिया जायेगा जब कि उस के तसर्रुफ़ में हो अब उस के लिए इक़रार की हाजत न होगी अलबत्ता अगर मौला इन्कार कर दे और कह दे कि यह मेरा नहीं तो अब उस का नसब मौला से न होगा और उस का बेटा नहीं कहलायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – उम्मे वलद से सोहबत कर सकता है ख़िदमत ले सकता है उस को इजारा पर दे सकता है यानी औरों के काम काज मज़दूरी पर करे और जो मज़दूरी मिले अपने मालिक को ला कर दे उम्मे वलद का किसी शख़्स के साथ निकाह कर सकता है मगर उस के लिए इस्तिबरा ज़रूर है और उम्मे वलद को न बेच सकता है न हिबा कर सकता है न गिरवीं रख सकता है न उसे ख़ैरात कर सकता है बल्कि किसी तरह दूसरे की मिल्क में नहीं दे सकता (जौहरा आलमगीरी)

मसअला : – मौला की मौत के बाद उम्मे वलद बिलकुल आज़ाद हो जायेगी उस के पास और माल हो या न हो (ओम्मए कुतुब)

क़सम का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

तर्जमा :– "अल्लाह को अपनी क़स्मों का निशाना न बनालो कि नेकी और परहेज़ गारी और लोगों में सुलह कराने की खालो" (यानी उन उमूर के न करने की क़सम न खालो)और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है,।

और फ़रमाता है।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ
وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

तर्जमा :– " जो लोग अल्लाह के अ़हद और अपनी क़समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं उन का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं और अल्लाह न उन से बात करे न उन की तरफ़ नज़र फ़रमाये क़ियामत के दिन और न उन्हें पाक करे और उन के लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है "

और फ़रमाता है

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

तर्जमा :– "अल्लाह का अ़हद पूरा करो जब आपस में मुआ़हिदा और क़समों को मज़बूत करने के बाद न तोड़ो हालाँकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर ज़ामिन कर चुके हो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह जानता है"

और फ़रमाता है

وَ لَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا

तर्जमा :– अपनी कसमें आपस में बे अस़ बहाना न बनाओ कि कहीं जमने के बाद पाँव फिसल न जायें"

और फ़रमाता है

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

तर्जमा :– "तुम में से फ़ज़ीलत वाले और वुस्अ़त वाले इस बात की क़सम न खायें कि क़राबत वालों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को न देंगे क्या तुम उसे दोस्त नहीं रखाते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है''।

हदीस न.1 :– सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआ़ला तुम को बाप की क़सम खाने से मनअ़ करता है जो शख़्स क़सम खाये तो अल्लाह की क़सम खाये या चुप रहे।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अ़ब्दुर्रहमान इब्ने सुमरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि बुतों की और अपने बाप दादा की क़सम न खाओ।

हदीस न.3 :– सहीहैन में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाह तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स लात व उ़ज़्ज़ा की क़सम खाये (यानी जाहिलीयत की आ़दत की वजह से यह लफ़्ज़ उस की ज़बान पर जारी हो जाये) वह ला इलाह इल्लल्लाह कह ले और जो अपने साथी से कहे आओ जुआ खेलें वह सदक़ा करे।

हदीस न.4 :– सहीहैन में साबित इब्ने ज़िहाक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स ग़ैर मिल्लते इस्लाम पर झूटी क़सम खाये (यानी यह कहे कि अगर यह काम करे तो यहूदी या नसरानी हो जाये या यूँ कहे कि अगर यह काम किया हो तो यहूदी या नसरानी है)तो वह वैसा ही जैसा उस ने कहा (यानी काफ़िर है)और इब्ने आदम पर उस चीज़ की नज़्र नहीं जिस का वह मालिक नहीं और जो शख़्स अपने को जिस चीज़ से क़त्ल करेगा उसी के साथ क़यामत के दिन अज़ाब दिया जायेगा और मुसलमान पर लअ़नत करना ऐसा है जैसा उसे क़त्ल कर देना और जो शख़्स झूटा दअ़वा इस लिए करता है कि अपने माल को ज़्यादा करे अल्लाह तआला उस के लिए क़िल्लत में इज़ाफ़ा करेगा।

हदीस न.5 :– अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा बरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसुलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स यह कहे (कि अगर मैं ने यह काम किया है या करूँ) तो इस्लाम से बरी हूँ वह अगर झूटा है तो जैसा कहा वैसा ही है और अगर सच्चा है जब भी इस्लाम की तरफ़ सलामत न लोटैगा।

हदीस न.6 :– इब्ने जरीर अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया झूटी क़सम से सौदा फ़रोख़्त हो जाता है और बरकत मिट जाती है।

हदीस न.7 :– वैलमी उन्हीं से रावी कि फ़रमाया यमीने ग़मूस माल को ज़ाइल कर देती है और आबादी को वीराना कर देती है।

हदीस न.8 :– तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व नसाई व इब्ने माजा व दारमी अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स क़सम खाये और उस के साथ इन्शाअल्लाह कह ले तो हानिस न होगा।

हदीस न.9 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ख़ुदा की क़सम इन्शाअल्लाह तआला मैं कोई क़सम खाऊँ और उस के ग़ैर में भलाई देखूँ तो वह काम करूँगा जो बेहतर है और क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूँगा।

हदीस न.10 :– इमाम मुस्लिम व इमाम अहमद व तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स क़समें खाये और दूसरी चीज़ उस से बेहतर पाये तो क़सम का कफ़्फ़ारा देदे और वह काम करे।

हदीस न.11 :– सहीहैन में उन्हीं से मरवी हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया ख़ुदा की क़सम जो शख़्स अपने अहल के बारे में क़सम खाये और उस पर क़ाइम रहे तो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा गुनहगार है ब निस्बत उस के कि क़सम तोड़कर कफ़्फ़ारा देदे।

हदीस न.12 :– क़सम उस पर महमूल होगी जो क़सम खिलाने वाले की नियत में हो।

मसाइले फ़िक़्हिया

क़सम खाना जाइज़ है मगर जहाँ तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर क़सम खानी न चाहिए और बाज़ लोगों ने क़सम को तकिया–ए–कलाम बना रखा है कि इरादा व बे इरादा ज़बान से जारी होती है और उस का भी ख़्याल नहीं रखते कि बात सच्ची है या झूटी यह सख़्त मअ़यूब है और ग़ैर ख़ुदा की क़सम मकरूह है और यह शरअ़न क़सम भी नहीं यानी उस के तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (तबईन वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम की तीन क़िस्म है 1. **ग़मूस 2. लग़्व 3.मुन्अ़क़िदा** अगर किसी ऐसी चीज़ के
मुतअ़ल्लिक़ क़सम खाई जो हो चुकी है या अब है या नहीं हुई है या अब नहीं है मगर वह क़सम
झूटी है मसलन क़सम खाई कि फ़ुलाँ शख़्स आया और वह अब तक नहीं आया है या क़सम खाई
कि नहीं आया वह आ गया है या क़सम खाई कि यह पत्थर है और वाक़ेअ़ में वह पत्थर नहीं ग़र्ज़
यह कि उस तरह झूटी क़सम की दो सूरतें हैं जान बूझकर झूटी क़सम खाई यानी मसलन जिस के
आने की निस्बत झूटी क़सम खाई थी यह ख़ुद भी जानता है कि नहीं आया है तो ऐसी क़सम को
ग़मूस कहते हैं और अगर अपने ख़्याल से तो उस ने सच्ची क़सम खाई थी मगर हक़ीक़त में वह
झूटी है मसलन जानता था कि नहीं आया और क़सम खाई कि नहीं आया और हक़ीक़त में वह आ
गया है तो ऐसी क़सम को लग़्व कहते हैं और अगर आइन्दा के लिए क़सम खाई मसलन ख़ुदा की
क़सम मैं यह काम करूँगा या न करूँगा तो उस को मुन्अ़क़िदा कहते हैं जब हर एक को ख़ूब जान
लिया तो हर एक के अब अहकाम सुनिये।

मसअ्ला :– ग़मूस में सख़्त गुनहगार हुआ इस्तिग़फ़ार व तोबा फ़र्ज़ है मगर कफ़्फ़ारा लाज़िम नही
और लग़्व में गुनाह भी नहीं और मुन्अ़क़िदा में अगर क़सम तोड़ेगा कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा और बाज़
सूरतों में गुनाहगार भी होगा। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– बाज़ क़समें ऐसी हैं कि उन का पूरा करना ज़रूरी है मसलन किसी ऐसे काम के करने
की क़सम खाई जिस का बग़ैर क़सम करना ज़रूरी था या गुनाह से बचने की क़मस खाई तो उस
सूरत में क़सम सच्ची करना ज़रूरी है मसलन ख़ुदा की क़सम ज़ुहर पढ़ूँगा या चोरी या ज़िना न करूँगा
दूसरी वह कि उस का तोड़ना ज़रूरी है मसलन गुनाह करने या फ़राइज़ व वाजिबात न करने की
क़सम खाई जैसे क़सम खाई कि नमाज़ न पढ़ूँगा या चोरी करूँगा या माँ बाप से कलाम न करूँगा
तो क़सम तोड़ दे तीसरी वह कि उस का तोड़ना मुस्तहब है मसलन ऐसे अम्र की क़सम खाई कि
उस के ग़ैर में बेहतरी है तो ऐसे को तोड़कर वह करे जो बेहतर है चौथी वह कि मुबाह की क़सम
खाई यानी करना और न करना दोनों यकसाँ हैं उस में क़सम बाक़ी रखना अफ़ज़ल है (मबसूत)

मसअ्ला :– मुन्अ़क़िदा जब तोड़ेगा कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा अगर्चे उस का तोड़ना शरअ़ ने ज़रूरी
क़रार दिया हो।

मसअ्ला :– मुन्अ़क़िदा तीन क़िस्में है 1.**यमीन फ़ौर 2. मुरसल 3.मोक़ित** अगर किसी ख़ास वजह से
या किसी बात के जवाब में क़सम खाई जिस से उस काम का फ़ौरन करना या न करना समझा
जाता है उस को यमीने फ़ौर कहते हैं ऐसी क़सम में अगर फ़ौरन वह बात होगई तो क़सम टूट गई
और कुछ देर के बाद हो तो उस का कुछ असर नहीं मसलन औरत घर से बाहर जाने का तहय्या
कर रही है उस ने कहा अगर तू घर से बाहर निकली तो तुझे तलाक़ है उस वक़्त औरत ठहर गई
फिर दूसरे वक़्त गई तो तलाक़ नहीं हुई या एक शख़्स किसी को मारना चाहता था उस ने कहा
अगर तूने उसे मारा तो मेरी औरत को तलाक़ है उस वक़्त उस ने नहीं मारा तो तलाक़ नहीं हुई
अगर्चे किसी और वक़्त में मारे या किसी ने उस को नाश्ता के लिए कहा कि मेरे साथ नाश्ता कर
लो उस ने कहा ख़ुदा की क़सम नाश्ता नहीं करूँगा और उस के साथ नाश्ता न किया तो क़सम
नहीं टूटी अगर्चे घर जाकर उसी रोज़ नाश्ता किया हो और **मुक़ित** वह है जिस के लिए कोई वक़्त
एक दिन दो दिन या कम व बेश मुक़र्रर कर दिया उस में अगर वक़्ते मुअ़य्यन के अन्दर क़सम के
ख़िलाफ़ किया तो टूट गई वरना नहीं मसलन क़सम खाई कि उस घड़े में जो पानी है उसे आज

पियूँगा और आज न पिया तो क़सम टूट गई और कफ़्फ़ारा देना होगा और पी लिया तो क़सम पूरी होगई और उस वक़्त के पूरे होने से पहले वह शख़्स मर गया या उस का पानी गिरा दिया गया तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाने के वक़्त उस घड़े में पानी था ही नहीं मगर क़सम खाने वाले को यह मालूम न था कि उस में पानी नहीं है जब भी क़सम नहीं टूटी और अगर उसे मालूम था कि पानी उस में नहीं है और क़सम खाई तो क़सम टूट गई और अगर क़सम में कोई वक़्त मुक़र्रर न किया और क़रीना से फ़ौरन करना या न करना समझा जाता हो तो उसे **मुरसल** कहते हैं किसी काम के करने की क़सम खाई और न किया मसलन क़सम खाई कि फ़लाँ को मारूँगा और न मारा यहाँ तक कि दोनों में से एक मर गया तो क़सम टूट गई और जब तक दोनों ज़िन्दा हों तो अगर्चे न मारा क़सम नहीं टूटी और न करने की क़सम खाई तो जब तक करेगा नहीं क़सम नहीं टूटेगी मसलन क़सम खाई कि मैं फ़ुलाँ को न मारूँगा और मारा तो टूट गई वरना नहीं (जौहरा नय्यरा)

मसअ्ला :– ग़लती से क़सम खा बैठा मसलन कहना चाहता था कि पानी लाओ या पानी पियूँगा और ज़बान से निकल गया कि ख़ुदा की क़सम पानी नहीं पियूँगा या यह क़सम खाना न चाहता था दूसरे ने क़सम खाने पर मजबूर किया तो वही हुक्म है जो क़स्दन और बिला मजबूर किए क़सम खाने का है यानी तोड़ेगा तो कफ़्फ़ारा देना होगा क़सम तोड़ना इख़्तियार से हो या दूसरे के मजबूर करने से क़स्दन हो या भूल चूक से हर सूरत में कफ़्फ़ारा है बल्कि अगर बेहोशी या जनून में क़सम तोड़ना हुआ जब भी कफ़्फ़ारा वाजिब है जब कि होश में क़सम खाई हो और अगर बेहोशी या जुनून में क़सम खाई तो क़सम नहीं कि आ़क़िल होना शर्त है और यह आ़क़िल नहीं (तबईन)

मसअ्ला :– क़सम के लिए चन्द शर्तें हैं कि अगर वह न हों तो कफ़्फ़ारा नहीं, क़सम खाने वाला 1. **मुसलमान** 2. **आ़क़िल** 3. **बालिग़** हो काफ़िर की क़सम क़सम नहीं यानी अगर ज़माना–ए–कुफ़्र में क़सम खाई फिर मुसलमान हुआ तो उस क़सम के तोड़ने पर कफ़्फ़ारा वाजिब न होगा और मआज़ल्लाह क़सम खाने के बाद मुरतद हो गया तो क़सम बातिल हो गई यानी अगर फिर मुसलमान हुआ और क़सम तोड़दी तो कफ़्फ़ारा नहीं आज़ाद होना शर्त नहीं यानी गुलाम की क़सम क़सम है तोड़ने से कफ़्फ़ारा वाजिब होगा मगर कफ़्फ़ारा माली नहीं दे सकता कि किसी चीज़ का मालिक है नहीं हाँ रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा कर सकता है मगर मौला इस रोज़े से उसे रोक सकता है लिहाज़ा अगर रोज़ा के साथ कफ़्फ़ारा अदा न किया हो तो आज़ाद होने के बाद कफ़्फ़ारा दे। 4. **और क़सम** में यह भी शर्त है कि वह चीज़ जिस की क़सम खाई अक़्लन मुमकिन हो यानी हो सकती हो अगर्चे मुहाल आ़दी हो 5. **और यह** भी शर्त है कि क़सम और जिस चीज़ की क़सम खाई दोनों को एक साथ कहा हो दरमियान में फ़ासिला होगा तो क़सम न होगी मसलन किसी ने उस से कहलाया कि कह ख़ुदा की क़सम इस ने कहा ख़ुदा की क़सम उस ने कहा कि कह फ़ुलाँ काम करूँगा इस ने कहा तो यह क़सम न हुई । (आ़लमगीरी रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जितने नाम हैं उन में से जिस नाम के साथ क़सम खायेगा तो क़सम हो जायेगी ख़्वाह बोल चाल में उस नाम के साथ क़सम खाते हों या नहीं मसलन अल्लाह की क़सम, ख़ुदा की क़सम, रहमान की क़सम, रहीम की क़सम, परवरदिगार की क़सम, यूँहीं ख़ुदा की जिस सिफ़त की क़सम खाई जाती हो उस की क़सम खाई हो गई मसलन ख़ुदा की इज़्ज़त व जलाल की क़सम, उस की किबरियाई की क़सम, उस की बुज़ुर्गी या बड़ाई की क़सम, उस की अ़ज़मत की क़सम, उस की क़ुदरत व क़ुव्वत की क़सम, क़ुर्आन की क़सम, कलामुल्लाह की क़सम,

तो यहूदी हो गया यूँहीं अगर कहा ख़ुदा जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है और यह बात उस ने झूट कही है तो अइन अल्फ़ाज़ से भी क़सम हो जाती है हल्फ़ करता हूँ, क़सम खाता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, ख़ुदा गवाह है, ख़ुदा को गवाह कर के कहता हूँ, मुझ पर क़सम है, ला–इलाह इल्लल्लाह मैं यह काम न करूँगा, अगर यह काम करे या किया हो तो यहूदी है या नसरानी या काफ़िर या काफ़िरोंका शरीक, मरते वक़्त ईमान नसीब न हो। बे ईमान मरे काफ़िर हो कर मरे और यह अल्फ़ाज़ बहुत सख़्त हैं कि अगर झूटी क़सम खाई या क़सम तोड़ दी तो बाज़ सूरत में काफ़िर होजायेगा जो शख़्स इस क़िस्म की झुटी क़सम खाये उस की निस्बत हदीस में फ़रमाया वह वैसा ही है जैसा उस ने कहा यानी यहूदी होने की क़सम खाई कसर उलमा के नज़दीक काफ़िर है

मसअ्ला :– यह अल्फ़ाज़े क़सम नहीं अगर्चे उनके बोलने से गुनाहगार होगा जब कि अपनी बात में झूटा है अगर ऐसा करूँ तो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब हो। उस की लअ्नत हो, उस का अज़ाब हो, ख़ुदा का क़हर टूटे मुझ पर आसमान फद पड़े, मुझे ज़मीन निगल जाये, मुझ पर ख़ुदा की मार हो, ख़ुदा की फटकार हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की शफ़ाअ़त न मिले मुझे ख़ुदा का दीदार न नसीब हो, मरते वक़्त कलिमा न नसीब हो।

मसअ्ला :– जो शख़्स किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम करे मसलन कहे कि फ़ुलाँ चीज़ मुझ पर हराम है तो उस कें कह देने से वह शय हराम नहीं होगी कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया उसे कौन हराम कर सकेगा मगर उस के बरतने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा यानी यह भी क़सम है । (तबईन)

मसअ्ला :– तुझ से बात करना हराम है यह यमीन है बात करेगा तो कफ़्फ़ारा लज़िम होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर उस को खाऊँ तो सुअर खाऊँ या मुर्दार खाऊँ यह क़सम नहीं यानी कफ़्फ़ारा लाज़िम न होगा । (मबसूत)

मसअ्ला :– ग़ैर ख़ुदा की क़सम क़सम नहीं मसलन तुम्हारी क़सम अपनी क़सम, तुम्हारी जान की क़सम, अपनी जान की क़सम, तुम्हारे सर की क़सम, अपने सर की क़सम, आँखों की क़सम, जवानी की क़सम, माँ बाप की क़सम, औलाद की क़सम, मज़हब की क़सम, दीन की क़सम, इल्म की क़सम, कअ्बा की क़सम, अर्श इलाही की क़सम, रसूलुल्लाह की क़सम।

मसअ्ला :– ख़ुदा और रसूल की क़सम यह काम न करूँगा, यह क़सम नहीं अगर कहा मैंने क़सम खाई है कि यह काम न करूँगा और वाक़ेअ् में क़सम खाई है तो क़सम है और झूट कहा तो क़सम नहीं झूट बोलने का गुनाह हुआ और अगर कहा ख़ुदा की क़सम कि इस से बड़ कर कोई क़सम नहीं या उस के नाम से बुज़ुर्ग कोई नाम नहीं या उस से बड़ कर कोई नहीं मैं उस काम को न करूँगा तो यह क़सम् होगई और दरमियान का लफ़्ज़ फ़ाज़िल क़रार न दिया जायेगा । (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह काम करूँ तो ख़ुदा से मुझे जितनी उमीद हों सब से ना उमीद हूँ यह क़सम है और तोड़ने पर कफ़्फ़ारा लाज़िम । (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह काम करूँ तो काफ़िरों से बद तर हो जाऊँ तो क़सम है और अगर कहा कि यह काम करे तो काफ़िर को उस पर शरफ़ हो तो क़सम नही । (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर किसी काम की चन्द क़समें खाईं और उस के ख़िलाफ़ किया तो जितनी क़समें हैं उतने ही कफ़्फ़ारे लाज़िम होंगे मसलन कहा कि वल्लाह बिल्लाह मैं यह नहीं करूँगा या कहा ख़ुदा की क़सम, परवरदिगार की क़सम, तो यह दो क़समें हैं। किसी काम की निस्बत क़सम, खाई

कि मैं उसे कभी न करूँगा फिर दो बारा उसी मज्लिस में क़सम खाकर कहा कि मैं उस काम को कभी न करूँगा फिर उस काम को किया तो दो कफ़्फ़ारे लाज़िम(आलमगीरी)

मसअला :– वल्लाह उस से एक दिन कलाम न करूँगा, ख़ुदा की क़सम उस से महीना भर कलाम न करूँगा, ख़ुदा की क़सम उस से साल भर बात न करूँगा फिर थोड़ी देर बाद कलाम किया तो तीन कफ़्फ़ारे दे और एक दिन के बाद बात की तो दो कफ़्फ़ारे और महीना भर के बाद कलाम किया तो एक कफ़्फ़ारा और साल भर के बाद किया तो कुछ नहीं क़सम खाई कि फ़ुलाँ बात मैं न कहूँगा न एक दिन न दो दिन तो यह एक ही क़सम है जिस की मीआद दो दिन तक है(आलमगीरी)

मसअला :– दूसरे के क़सम दिलाने से क़सम नहीं होती मसलन कहा तुम्हें ख़ुदा की क़सम यह काम कर दो तो उस के कहने से उस पर क़सम न हुई यानी न करने से कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं एक शख़्स किसी के पास गया उस ने उठना चाहा उस ने कहा ख़ुदा की क़सम न उठना और वह खड़ा हो गया तो उस क़सम खाने वाले पर कफ़्फ़ारा नहीं (आलमगीरी)

मसअला : – एक ने दूसरे से कहा तुम फ़ुलाँ के घर कल गये थे उस ने कहा हाँ फिर उस पूछने वाले ने कहा ख़ुदा की क़सम तुम गये थे उस ने कहा हाँ उस का हाँ कहना क़सम है एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुम ने फ़ुलाँ शख़्स से बात चीत की तो तुम्हारी औरत को तलाक़ है उस ने जवाब में कहा मगर तुम्हारी इजाज़त से तो उस के कहने का मक़सद यह हुआ कि अगर बग़ैर उस की इजाज़त के कलाम करेगा तो औरत को तलाक़ है लिहाज़ा बग़ैर इजाज़त कलाम करने से औरत को तलाक़ हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– एक ने दूसरे से कहा ख़ुदा की क़सम तुम यह काम करोगे अगर उस से ख़ुद क़सम खाना मुराद है तो क़सम हो गई और अगर क़सम खिलाना मक़सूद है या न ख़ुद खाना मक़सूद है न खिलाना तो क़सम नहीं यानी अगर दूसरे ने उस काम को न किया तो किसी पर कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– एक ने दूसरे से कहा ख़ुदा की क़सम तुम्हें यह काम करना होगा ख़ुदा की क़सम तम्हें यह काम करना होगा दूसरे ने कहा हाँ अगर पहले का मक़सूद क़सम खाना है और दूसरे का भी हाँ कहने से क़सम खाना मक़सूद है तो दोनों की क़सम होगई और अगर पहले का मक़सूद क़सम खिलाना है और दूसरे का क़सम खाना तो दूसरे की क़सम होगई और अगर पहले का मक़सूद क़सम खिलाना है और दूसरे का मक़सूद हाँ कहने से क़सम खाना नहीं बल्कि वअ्दा करना है तो किसी की क़सम न हुई (आलमगीरी)

मसअला : – एक ने दूसरे से कहा ख़ुदा की क़सम मैं तुम्हारे यहाँ दअ्वत में नहीं आऊँगा तीसरे ने कहा क्या मेरे यहाँ भी न आओगे उस ने कहा हाँ तो यह हाँ कहना भी क़सम है यानी उस तीसरे के यहाँ जाने से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

कफ़्फ़ारा का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰

तर्जमा :– "अल्लाह ऐसी क़समों में तुझ से मुआख़िज़ा नहीं करता जो गलत फ़हमी से हो जायें हाँ उन पर गिरफ़्त करता है जो तुम्हारे दिलों ने काम किये और अल्लाह बख़्शने वाला हिल्म वाला हैं।

और फ़रमाता है। قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ج وَ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ۔ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ۰

बेशक अल्लाह ने तुम्हारी क़समों का कफ़्फ़ारा मुक़र्रर किया है और अल्लाह तुम्हारा मौला है और वह इल्म वाला और हिकमत वाला है"

और फ़रमाता है

لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللّٰہُ بِاللَّغْوِ فِیْۤ اَیْمَانِکُمْ وَلٰکِنْ یُّؤَاخِذُکُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَیْمَانَ ۚ فَکَفَّارَتُہٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَۃِ مَسٰکِیْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَھْلِیْکُمْ اَوْ کِسْوَتُھُمْ اَوْ تَحْرِیْرُ رَقَبَۃٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلٰثَۃِ اَیَّامٍ ؕ ذٰلِکَ کَفَّارَۃُ اَیْمَانِکُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْۤا اَیْمَانَکُمْ ؕ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمْ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ۝

तर्जमा :– "अल्लाह तुम्हारी ग़लत फ़हमी की क़समों पर तुम से मुआख़िज़ा (पकड़) नहीं करता हाँ उन क़समों पर गिरफ़्त फ़रमाता है जिन्हें तुम ने मज़बूत किया तो ऐसी क़समों का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीन को खाना देना है अपने घर वालों को जो खिलाते हो उस के औसत(दर्मियानी दर्जे का)में से या उन्हें कपड़ा देना या एक ग़ुलाम आज़ाद करना और जो इन में से किसी बात पर क़ुदरत न रखता हो वह तीन दिन के रोज़े रखे यह तुम्हारी क़समों का कफ़्फ़ारा है जब क़सम खाओ और अपनी क़समों की हिफ़ाज़त करो इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ तुम्हारे लिए बयान फ़रमाता है ताकि तुम शुक्र करो"।

यह तो मालूम हो चुका कि क़सम तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है अब यह मालूम करने की ज़रूरत है कि क़सम तोड़ने का क्या कफ़्फ़ारा है और उस की क्या–क्या सूरतें हैं लिहाज़ा अब उस के अहकाम की तफ़सील सुनिये।

मसअला :– क़सम का कफ़्फ़ारा ग़ुलाम आज़ाद करना या दस मिस्कीनों को खाना खिलाना या उन को कपड़े पहनाना है यानी यह इख़्तियार है कि उन तीन बातों में से जो चाहे करे।

मसअला :– ग़ुलाम आज़ाद करने या मसाकीन को खाना खिलाने में उन तमाम बातों की जो कफ़्फ़ारा–ए–ज़िहार में मज़कूर हुईं यहाँ भी रिआयत करे मसलन किस क़िस्म का ग़ुलाम आज़ाद किया जाये कि कफ़्फ़ारा अदा हो और कैसे ग़ुलाम के आज़ाद करने से अदा न होगा और मसाकीन को दोनों वक़्त पेट भर कर खिलाना होगा और जिन मसाकीन को सुबह के वक़्त खिलाया उन ही को शाम के वक़्त भी खिलाये दूसरे दस मसाकीन को खिलाने से अदा न होगा और यह हो सकता है दसों को एक ही दिन खिलादे या हर रोज़ एक एक को या एक ही को दस दिन तक दोनों वक़्त खिलाये और मसाकीन जिन को खिलाया उन में कोई बच्चा न हो और खिलाने में इबाहत व तमलीक दोनों सूरतें हो सकती हैं और यह भी हो सकता है कि खिलाने के एवज़ हर मिस्कीन को निस्फ़ साअ् गेहूँ या एक साअ् जौ या उन की क़ीमत का मालिक कर दे या दस रोज़ तक एक ही मिस्कीन को हर रोज़ बक़द्र सदक़–ए–फ़ित्र दे दिया करे या बाज़ को खिलाये और बाज़ को दे दे ग़र्ज़ यह कि उस की तमाम सूरतें वहीं से मालूम करें फ़र्क़ इतना है कि वहाँ साठ (60)मिस्कीन थे यहाँ दस हैं।

मसअला :– कपड़े से वह कपड़ा मुराद है जो अकसर बदन को छुपा सके और वह कपड़ा ऐसा हो जिस को मुतवस्सित दर्जे के लोग पहनतें हों और तीन महीने से ज़्यादा तक पहना जा सके लिहाज़ा अगर इतना कपड़ा है जो अकसर बदन को छुपाने के लिए काफ़ी नहीं मसलन सिर्फ़ पाजामा या

टोपी या छोटा कुर्ता यूँहीं ऐसा घटिया कपड़ा देना जिसे मुतवस्सित लोग न पहनते हों नाकाफ़ी यूंहीं ऐसा कमज़ोर कपड़ा देना जो तीन माह तक इस्तिअ्माल न किया जा सकता हो जाइज़ नहीं है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कपड़ा की जो मिक्दार होनी चाहिए उसका निस्फ़ दिया और उस की क़ीमत निस्फ़ साअ् गेहूँ और एक साअ् जौ के बराबर है तो जाइज़ है यूंहीं एक कपड़ा दस मिस्कीनों को दिया जो तक़्सीम हो कर हर एक को इतना मिलता है जिसकी क़ीमत सदक़ा–ए–फ़ितर के बराबर है तो जाइज़ है यूंहीं अगर मिस्कीन को पगड़ी दी और वह कपड़ा इतना है कि जिसकी मिक्दार मज़कूर हुई या उस की क़ीमत सदक़ा–ए–फ़ित्र के बराबर है तो जाइज़ है वरना नहीं (मबसूत,वग़ैरा)

मसअ्ला :– नया कपड़ा होना ज़रूरी नहीं पुराना भी दिया जा सकता है जब कि तीन महीने से ज़्यादा तक इस्तिमाल कर सकते हों और नया हो मगर कमज़ोर हो तो जाइज़ नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत को अगर कपड़ा दिया तो सर पर बाँधने का रूमाल या दोपट्टा देना होगा क्योंकि उसे सर का छुपाना भी फ़र्ज़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – पाँच मिस्कीनों को खाना खिलाया या पाँच को कपड़े देदिये अगर खाना कपड़े से सस्ता है यानी हर मिस्कीन का कपड़ा एक खाने से ज़्यादा या बराबर क़ीमत का है तो जाइज़ है यानी यह कपड़े पाँच खाने के क़ाइम मकाम कुल खाना देना क़रार पायेगा और अगर कपड़ा खाने से अरज़ाँ (सस्ता)हो तो जाइज़ नहीं मगर जब कि खाने का मसाकीन को मालिक कर दिया हो तो यह भी जाइज़ है यानी यह खाने पाँच मिस्कीन के कपड़े के बराबर हुए तो गोया दसों को कपड़े दे(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर एक मिस्कीन को दसों कपड़े एक दिन में एक साथ या मुतफ़र्रिक़ तौर पर देदे तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ और दस दिन में दे यानी हर रोज़ एक कपड़ा तो होगया(मबसूत)

मसअ्ला :– मिस्कीन को कपड़ा या ग़ल्ला या क़ीमत दी फिर वह मिस्कीन मर गया और उस के पास वह चीज़ वुरासतन पहुँची या उस ने उसे हिबा कर दिया या उस ने उस से वह शय (चीज़) ख़रीदली तो इन सब सूरतों में कफ़्फ़ारा सही हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– पाँच साअ् गेहूँ दस मिस्कीनों के सामने रख दिये उन्हों ने लूट लिए तो सिर्फ़ एक मिस्कीन को देना क़रार पायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला : – कफ़्फ़ारा अदा होने के लिए नियत शर्त है बग़ैर नियत अदा न होगा अगर वह शय जो मिस्कीन को दी और देते वक़्त नियत न की मगर वह चीज़ अभी मिस्कीन के पास मौजूद है और अब नियत कर ली तो अदा हो गया जैसा कि ज़कात में फ़कीर को देने के बाद नियत करने में यही शर्त है उस वक़्त वह चीज़ फ़कीर के पास बाक़ी हो नियत काम करेगी वरना नहीं (तहतावी)

मसअ्ला : – अगर किसी, ने कफ़्फ़ारा में ग़ुलाम भी आज़ाद किया और मसाकीन को खाना भी खिलाया और कपड़े भी दिये तो एक ही वक़्त में यह सब काम हुए या आगे पीछे तो जिसकी क़ीमत ज़्यादा है वह कफ़्फ़ारा क़रार पायेगा और अगर कफ़्फ़ारा दिया ही नहीं तो सिर्फ़ उसका मुआख़िज़ा होगा जो क़ीमत है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – गेहूँ, जौ, मुनक़्क़े के के अलावा अगर कोई दूसरा ग़ल्ला देना चाहे तो आधे साअ् गेहूँ या एक साअ् जौ की क़ीमत का होना ज़रूर है उस ने आधा साअ् या एक साअ् होने का एअ्तिबार नहीं (जौहरा)

मसअ्ला :– रमज़ान में अगर कफ़्फ़ारे का खाना खिलाना चाहता है तो शाम और सहरी दोनों वक़्त खाना खिलाये या एक मिस्कीन को बीस दिन शाम का खाना खिलाये (जौहरा)

मसअ्ला :– अगर गुलाम आज़ाद करने या दस मिस्कीन को खाना या कपड़े देने पर क़ादिर न हो तो पै दर पै तीन रोज़े रखे (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला : – आजिज़ होना उस वक़्त का मोअ्तबर है जब कफ़्फ़ारा अदा करना चाहता है मसलन जिस वक़्त क़सम तोड़ी थी उस वक़्त मालदार था मगर कफ़्फ़ारा अदा करने के वक़्त मोहताज है तो रोज़ा से कफ़्फ़ारा अदा कर सकता है और अगर तोड़ने के वक़्त मुफ़लिस था और अब मालदार तो रोज़े से नहीं अदा कर सकता (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला : – अपना तमाम् माल हिबा कर दिया और क़ब्ज़ा भी देदिया उस के बाद कफ़्फ़ारे के रोज़े रखे फिर हिबा से रुजूअ् किया तो कफ़्फ़ारा अदा हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जब गुलाम अपनी मिल्क में है या इतना माल रखता है कि मिस्कीन को खाना या कपड़े दे सके अगर्चे खुद मक़रूज़ या मदयून (क़र्ज़ मन्द) हो तो आजिज़ (मजबूर)नहीं यानी ऐसी हालत में रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा न होगा हाँ अगर क़र्ज़ और दैन अदा करने के बाद कफ़्फ़ारे के रोज़े रखे तो हो जायेगा और मबसूत में इमाम सुर्ख़सी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फ़रमाया कि अगर कुल माल दैन में मुस्तग़रक़ हो तो दैन अदा करने से पहले भी रोज़ा से कफ़्फ़ारा अदा कर सकता है और अगर गुलाम मिल्क में है मगर उस की एहतियाज(ज़रूरत)है तो रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा न होगा(जौहरा)

मसअ्ला :– एक साथ तीन रोज़े न रखे यानी दरमियान में फ़ासिला कर दिया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ अगर्चे किसी मजबूरी के सबब नागा हुआ हो यहाँ तक कि औरत को अगर हैज़ आ गया तो पहले के रोज़े का एअ्तिबार न होगा यानी अब पाक होने के बाद लगातार तीन रोज़े रखे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा होने के लिए यह भी शर्त है कि ख़त्म तक माल पर क़ुदरत न हो यानी मसलन अगर दो रोज़े रखने के बाद इतना माल मिल गया कि कफ़्फ़ारा अदा करे तो अब रोज़ों से नहीं हो सकता बल्कि अगर तीसरा रोज़ा भी रख लिया है और गुरूब आफ़ताब से पहले माल पर क़ादिर हो गया तो रोज़े नाकाफ़ी हैं अगर्चे माल पर क़ादिर होना यूँ हुआ कि उस के मोरिस का इन्तिक़ाल हो गया और उस को तरका इतना मिलेगा जो कफ़्फ़ारा के लिए काफ़ी है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कफ़्फ़ारे का रोज़ा रखा था और इफ़्तार से पहले माल पर क़ादिर होगया तो उस का रोज़ा पूरा करना ज़रूरी नहीं हाँ बेहतर पूरा करना है और तोड़दे तो क़ज़ा ज़रूरी नहीं(जौहरा)

मसअ्ला :– अपनी मिल्क में माल था मगर उसे मालूम नहीं या भूल गया है और कफ़्फ़ारे में रोज़े रखने के बाद में याद आया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ यूँही अगर मूरिस मर गया और उसे उस के मरने की ख़बर नहीं और कफ़्फ़ारा में रोज़े रखे बाद को उस का मरना मालूम हुआ तो कफ़्फ़ारा माल से अदा करे (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उस के पास खुद उस वक़्त माल नहीं है मगर उसका औरों पर दैन है तो अगर वुसूल कर सकता है वुसूल कर के अदा करे रोज़े नाकाफ़ी हैं यूँही अगर औरत के पास माल नहीं है मगर शौहर पर दैन महर बाक़ी है और शौहर दैन महर देने पर क़ादिर है यानी अगर औरत लेना चाहे तो ले सकती है तो रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा न होगा और अगर उस की मिल्क में माल है मगर ग़ाइब है यहाँ मौजूद नहीं है तो रोज़ों से कफ़्फ़ारा हो सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत माल से कफ़्फ़ारा अदा करने से आजिज़ हो और रोज़ा रखना चाहती हो तो शौहर उसे रोज़ा रखने से रोक सकता है (जौहरा)

मसअला :– उन रोज़ों में रात से नियत शर्त है और यह भी ज़रूरी है कि कफ़्फ़ारा की नियत से हो मुतलक रोज़ा की नियत नहीं। (मबसूत)

मसअला :– क़सम के दो कफ़्फ़ारे उस के ज़िम्मा थे उस ने छः रोज़े रख लिए और यह मुअय्यन न किया कि यह तीन फ़ुलाँ के हैं और यह तीन फ़ुलाँ के तो दोनों कफ़्फ़ारे अदा हो गये और अगर दोनों कफ़्फ़ारों में हर मिस्कीन को दो फ़ितरे के बराबर दिया या दो कपड़े दिये तो एक ही कफ़्फ़ारा अदा हुआ (मबसूत)

मसअला :– उस के ज़िम्मे दो कफ़्फ़ारे थे और फ़कत एक कफ़्फ़ारा में खाना खिला सकता है उस ने पहले तीन रोज़े रख लिए फिर दूसरे कफ़्फ़ारे के लिए खाना खिलाया तो रोज़े फिर से रखे कि खिलाने पर क़ादिर था उस वक़्त रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा करना जाइज़ न था (मबसूत)

मसअला :– दो कफ़्फ़ारे थे एक के लिए खाना खिलाया और एक के लिये कपड़े दिये और मुअय्यन (ख़ास) न किया तो दोनों अदा हो गये (आलमगीरी)

मसअला :– पाँच मिस्कीन को खाना खिलाया अब ख़ुद फ़कीर हो गया कि बाक़ी पाँच को नही खिला सकता तो वही तीन रोज़े रख ले (आलमगीरी)

मसअला : –उस के ज़िम्मे क़सम का कफ़्फ़ारा है और मोहताज है कि न खाना दे सकता है न कपड़ा और यह शख़्स इतना बूढ़ा है कि न अब रोज़ा रख सकता है न आइन्दा रोज़े रखने की उमीद है तो अगर कोई चाहे उस की तरफ़ से दस मिस्कीन को खाना खिलादे यानी उस की इजाज़त से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा यह नहीं हो सकता कि उस के ज़िम्मे चूँकि तीन रोज़े थे तो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाये (आलमगीरी)

मसअला :– मरजाने से क़सम का कफ़्फ़ारा साक़ित न होगा यानी उस पर लाज़िम है कि वसियत कर जाये और तिहाई माल से कफ़्फ़ारा अदा करना वारिसों पर लाज़िम होगा और उस ने ख़ुद वसियत न की और वारिस देना चाहता है तो दे सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा नहीं और दिया तो अदा न हुआ यानी अगर कफ़्फ़ारा देने के बाद क़सम तोड़ी तो अब फिर दे किं जो पहले दिया है वह कफ़्फ़ारा नहीं मगर फ़कीर से दिये हुए वापस नहीं ले सकता (आलमगीरी)

मसअला :– कफ़्फ़ारा उन्हीं मसाकीन को दे सकता है जिन को ज़कात दे सकता है यानी अपने बाप माँ औलाद वग़ैराहुम को जिन को ज़कात नहीं दे सकता कफ़्फ़ारा भी नहीं दे सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कफ़्फ़ारा–ए–क़सम की क़ीमत मस्जिद में सर्फ़ नहीं कर सकता न मुर्दे के कफ़न में लगा सकता है यानी जहाँ जहाँ ज़कात नहीं ख़र्च कर सकता वहाँ कफ़्फ़ारा की क़ीमत नहीं दी जा सकती(आलमगीरी)

मन्नत का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۭ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

तर्जमा :– " जो कुछ तुम ख़र्च करो या मन्नत मानों अल्लाह उस को जानता है ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं।

और फ़रमाता है।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝

तर्जमा :– "नेक लोग वह हैं जो अपनी मन्नत पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस की बुराई फैली हुई है"।

हदीस न.1 :– इमाम बुख़ारी व इमाम अहमद व हाकिम उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो यह मन्नत माने कि अल्लाह की इताअत करेगा तो उस की इताअत करे यानी मन्नत पूरी करे और जो उस की नाफ़रमानी करने की मन्नत माने तो उस की नाफ़रमानी न करे यानी इस मन्नत को पूरा न करे।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में इमरान इब्ने हसीन रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुजूर ने फ़रमाया उस मन्नत को पूरा न करे जो अल्लाह की नाफ़रमानी के मुतअल्लिक़ हो और न उस को जिस का बन्दा मालिक नहीं।

हदीस न.3 :– अबू दाऊद साबित इब्ने ज़िहाक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माना में मन्नत मानी थी कि बव्वाना में एक ऊँट की क़ुर्बानी करेगा हुजूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर उस ने दरयाफ़्त किया इरशाद फ़रमाया क्या वहाँ जाहिलियत के बुतों में से कोई बुत है जिस की परस्तिश की जाती है लोगों ने अर्ज़ की नहीं इरशाद फ़रमाया क्या वहाँ जाहिलियत की ईदों में से कोई ईद है लोगों ने अर्ज़ की नहीं। इरशाद फ़रमाया अपनी मन्नत पूरी कर इस लिए कि मअ़सीयत(यानी गुनाह का काम)के मुतअल्लिक़ जो मन्नत है उस को पूरा न किया जाये और न वह मन्नत जिस का इन्सान मालिक नहीं।

हदीस न.4 :– नसाई ने इमरान इब्ने हसीन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि मन्नत की दो क़िस्म है जिस ने ताअत की मन्नत मानी वह अल्लाह के लिए है और उसे पूरा किया जाये और जिस ने गुनाह करने की मन्नत मानी वह शैतान के सबब से है और उसे पूरा न किया जाये।

हदीस न.5 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुतबा फ़रमा रहे थे कि एक शख़्स को खड़ा हुआ देखा उस के मुतअल्लिक़ दरयाफ़्त किया लोगों ने अर्ज़ की यह अबू इसराईल है उस ने मन्नत मानी है कि खड़ा रहेगा बैठेगा नहीं और अपने ऊपर साया न करेगा और कलाम न करेगा और रोज़ा रखेगा इरशाद फ़रमाया कि उसे हुक्म कर दो कि कलाम करे और साया में जाये और बैठे और अपने रोज़ा को पूरा करे।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि गुनाह की मन्नत नहीं(यानी उस का पूरा करना नहीं)और उस का कफ़्फ़ारा वही है जो क़सम का कफ़्फ़ारा है।

हदीस न.7 :– अबूदाऊद व इब्ने माजा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस ने कोई मन्नत मानी और उसे ज़िक्र न किया (यानी फ़क़त इतना कहा कि मुझ पर नज़र है और किसी चीज़ को मुअय्यन न किया मसलन यह न कहा कि इतने रोज़े रखूँगा या इतनी नमाज़ पढ़ूँगा या इतने फ़क़ीरों को खिलाऊँगा वग़ैरा वग़ैरा) तो इस का कफ़्फ़ारा क़सम का कफ़्फ़ारा है और जिस ने गुनाह की मन्नत मानी तो उस का कफ़्फ़ारा है और जिस ने ऐसी मन्नत मानी जिस की ताक़त नहीं रखता तो उस का कफ़्फ़ारा क़सम का कफ़्फ़ारा है और जिस ने ऐसी मन्नत मानी जिस की ताक़त रखता

है तो उसे पूरा करे।

हदीस न.8 :– सिहाह सित्ता में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि सईद इब्ने इबादा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फ़तवा पूछा कि उन की माँ के ज़िम्मे मन्नत थी और पूरी करने से पहले उन का इन्तिकाल हो गया हुज़ूर ने फ़तवा दिया कि यह उसे पूरा करें।

हदीस न.9 :– अबू दाऊद व दारमी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने फ़तह मक्का के दिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तआला आप के लिए मक्का को फ़तह करेगा तो मैं बैतुल मुक़द्दस में दो रकअत नमाज़ पढ़ूँगा उन्होंने इरशाद फ़रमाया कि यहीं पढ़ लो दोबारा फिर उस ने वही सवाल किया फ़रमाया कि यहीं पढ़ लो फिर सवाल को दोहराया हुज़ूर ने जवाब दिया अब तुम जो चाहो करो।

हदीस न.10 :– अबू दाऊद इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु की बहन ने मन्नत मानी थी कि पैदल हज करेगी और उस में उस की ताक़त न थी हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि तेरी बहन की तकलीफ़ से अल्लाह को क्या फ़ायदा है वह सवारी पर हज करे और क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे।

हदीस न.11 :– रज़ीन ने मुहम्मद इब्ने मुन्तशर से रिवायत की कि एक शख़्स ने यह मन्नत मानी थी कि अगर ख़ुदा ने दुश्मन से नजात दी तो मैं अपने को क़ुर्बानी कर दूँगा यह सवाल हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास पेश हुआ उन्होंने फ़रमाया कि मसरूक़ से पूछो मसरूक़ से दरयाफ़्त किया तो यह जवाब दिया कि अपने को ज़िबह न कर इस लिए कि अगर तू मोमिन है तो मोमिन का क़त्ल करना लाज़िम आयेगा और अगर तू काफ़िर है तो जहन्नम को जाने में जल्दी क्यों करता है एक मेंढा ख़रीद कर ज़िबह कर के मसाकीन को दे दे।

मसाइले फ़िक़्हिया

चूँकि मन्नत की बाज़ सूरतों में भी कफ़्फ़ारा होता है इस लिए उस को यहाँ ज़िक्र किया जाता है उस के बाद क़सम की बाक़ी सूरतें बयान की जायेंगी और उस बयान में जहाँ कफ़्फ़ारा कहा जायेगा उस से वही कफ़्फ़ारा मुराद है जो क़सम तोड़ने में होता है रोज़ा के बयान में हम ने मन्नत की शर्तें लिख दी हैं उन शर्तों को वहाँ से मालूम कर लें।

मसअला :– मन्नत की दो सूरतें हैं एक यह कि उस के करने को किसी चीज़ के होने पर मौक़ूफ़ रखे मसलन मेरा फुलाँ काम हो जाये तो मैं रोज़ा रखूँगा या ख़ैरात करूँगा दोम यह कि ऐसा न हो मसलन मुझ पर अल्लाह के लिए इतने रोज़े रखने हैं या मैंने इतने रोज़ों की मन्नत मानी पहली सूरत यानी जिस में किसी शय के होने पर उस काम को मुअल्लक़ किया हो उस की दो सूरतें हैं अगर ऐसी चीज़ पर मुअल्लक़ किया कि उस के होने की ख़्वाहिश है मसलन अगर मेरा लड़का तन्दुरुस्त हो जाये या परदेश से आजाये या मैं रोज़गार से लग जाऊँ तो इतने रोज़े रखूँगा या इतना ख़ैरात करूँगा ऐसी सूरत में जब शर्त पाई गई यानी बीमार अच्छा हो गया या लड़का परदेश से आ गया या रोज़गार लग गया तो उतने रोज़े रखना या ख़ैरात करना ज़रूर है यह नहीं हो सकता कि यह काम न करे और उस के एवज़ में कफ़्फ़ारा दे दे और अगर ऐसी शर्त पर मुअल्लक़

किया जिस का होना नहीं चाहता मसलन अगर मैं तुम से बात करूँ या घर आऊँ तो उस पर इतने रोज़े हैं कि उसका मक़सद यह है कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, तुम से बात न करूँगा ऐसी सूरत में अगर शर्त पाई गई यानी उस के यहाँ गया या उस से बात की तो इख़्तियार है कि जितने रोज़े कहे थे वह रख ले या कफ़्फ़ारा दे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मन्नत में ऐसी शर्त ज़िक्र की जिस का करना गुनाह है और वह शख़्स बदकार है जिस से मालूम होता है कि उस का क़स्द उस गुनाह के करने का है और फिर उस गुनाह को कर लिया तो मन्नत को पूरा करना ज़रूर है और वह शख़्स नेक बख़्त है जिस से मालूम होता है कि यह मन्नत उस गुनाह से बचने के लिए है मगर वह गुनाह उस से हो गया तो इख़्तियार है कि मन्नत पूरी करे या कफ़्फ़ारा दे (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस मन्नत में शर्त हो उस का हुक्म तो मालूम हो चुका कि एक सूरत में मन्नत पूरी करना है और एक सूरत में इख़्तियार है कि मन्नत पूरी करे या कफ़्फ़ारा दे और अगर शर्त का ज़िक्र न हो तो मन्नत का पूरा करना ज़रूरी है हज या उमरा या रोज़ा, नमाज़ या ख़ैरात या एअ्तिकाफ़ जिस की मन्नत मानी हो वह करे (आलमगीरी)

मसअ्ला : – मन्नत में अगर किसी चीज़ को मुअ़य्यन न किया मसलन कहा अगर मेरा यह काम हो जाये तो मुझ पर मन्नत है यह नहीं कहा कि नमाज़ या रोज़ा या हज वग़ैरहा तो अगर दिल में किसी चीज़ को मुअ़य्यन किया हो तो जो नियत की वह करे और अगर दिल में भी कुछ मुक़र्रर न किया तो कफ़्फ़ारा दे। (बहर)

मसअ्ला : – मन्नत मानी और ज़बान से मन्नत को मुअ़य्यन न किया मगर दिल में रोज़ा का इरादा है तो जितने रोज़ों का इरादा है उतने रख ले और अगर रोज़ा का इरादा है मगर यह मुक़र्रर नहीं किया कि कितने रोज़े तो तीन रोज़े रखे और अगर सदक़ा की नियत की और मुक़र्रर न किया तो दस मिसकीन को बक़द्र सदक़ा फ़ित्र के दे यूँही अगर फ़क़ीरों के खिलाने की मन्नत मानी तो जितने फ़क़ीर खिलाने की नियत की उतनों को खिलाये और तअ्दाद उस वक़्त दिल में भी न हो तो दस फ़क़ीर खिलाये और दोनों वक़्त खिलाने की नियत थी तो दोनों वक़्त खिलाये और एक वक़्त का इरादा है तो एक वक़्त और कुछ इरादा न हो तो दोनों वक़्त खिलाये या सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार उन को दे और फ़क़ीर खिलाने की मन्नत मानी तो एक फ़क़ीर को खिलाये या सदक़ा–ए–फ़ित्र की मिक़दार देदे (बहर आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ्ला : – यह मन्नत मानी कि अगर बीमार अच्छा हो जाये तो मैं उन लोगों को खाना खिलाऊँगा और वह लोग मालदार हों तो मन्नत सहीह यानी उस का पूरा करना उस पर ज़रूर नहीं (बहर)

मसअ्ला : – नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी और रकअ्तों को मुअ़य्यन न किया तो दो रकअ्त पढ़नी ज़रूरी है और एक या आधी रकअ्त की मन्नत मानी जब भी दो पढ़नी ज़रूर है और तीन रकअ्त की मन्नत है तो चार पढ़े और पाँच की तो छः पढ़े (आलमगीरी)

मसअ्ला : – आठ रकअ्त ज़ोहर की मन्नत मानी तो आठ वाजिब न होंगी बल्कि चार ही पढ़नी पड़ेंगी और अगर यह कहा कि मुझे अल्लाह तआ़ला दो सौ रूपये दे दे तो मुझपर उन के दस रूपये ज़कात है तो दस रूपये ज़कात के फ़र्ज़ न होंगे बल्कि वही पाँच ही फ़र्ज़ रहेंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सौ रूपये ख़ैरात करने की मन्नत मानी और उस के पास उस वक़्त इतने नहीं हैं तो

जितने हैं उतने ही की ख़ैरात वाजिब है हाँ अगर उस के पास असबाब हैं कि बेचे तो सौ रूपये होजायेंगे तो सौ की ख़ैरात ज़रूर है और असबाब बेचने पर भी सौ रुपये न होंगें तो जो कुछ नक़द है वह और तमाम सामान की जो कुछ क़ीमत हो वह सब ख़ैरात कर दे मन्नत पूरी होगई और अगर उसके पास कुछ न हो तो कुछ वाजिब नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला : – यह मन्नत मानी कि जुमआ के दिन उतने रुपये फ़ुलाँ फ़क़ीर को ख़ैरात दूँगा और जुमेरात ही को ख़ैरात कर दिये या उसके सिवा किसी दूसरे फ़क़ीर को दे दिये मन्नत पूरी हो गई यानी ख़ास उसी फ़क़ीर को देना ज़रूरी नहीं न जुमआ के दिन देना ज़रूर यूँहीं अगर मक्का मुअ़ज़्ज़मा या मदीना तय्यबा के फ़ुक़रा पर ख़ैरात करने की मन्नत मानी तो वहीं के फ़ुक़रा को देना ज़रूरी नहीं बल्कि यहाँ ख़ैरात कर देने से भी मन्नत पूरी हो जायेगी यूँहीं अगर मन्नत कहा कि यह रुपये फ़क़ीरों पर ख़ैरात करूँगा तो ख़ास उन्ही रुपयों का ख़ैरात करना ज़रूर नहीं उतने ही दूसरे रुपये देदे मन्नत पूरी हो गई (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– जुमआ के दिन नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी और जुमेरात को पढ़ ली मन्नत पूरी हो गई यानी जिस मन्नत में शर्त न हो उस वक़्त के तअ़य्युन का एअ़तिबार नहीं यानी जो वक़्त मुक़र्रर किया है उस से पहले भी अदा कर सकता है और जिसमें शर्त है उस में ज़रूर है कि शर्त पाई जाये। बग़ैर शर्त पाई जाने के अदा किया तो मन्नत पूरी न हुई शर्त पाई जाने पर फिर करना पड़ेगा मसलन कहा अगर बीमार अच्छा हो जाये तो दस रुपये ख़ैरात करूँगा और अच्छा होने से पहले ही ख़ैरात कर दिये तो मन्नत पूरी न हुई अच्छे होने के बाद फिर करना पड़ेगा बाक़ी जगह और रुपये और फ़क़ीरों की तख़सीस दोनों में बेकार है ख़्वाह शर्त हो या न हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मेरा यह काम हो जाये तो दस रुपये की रोटी ख़ैरात करूँगा तो रोटयों का ख़ैरात करना लाज़िम नहीं यानी कोई दूसरी चीज़ ग़ल्ला वग़ैरा दस रुपये का ख़ैरात कर सकता है और यह भी हो सकता है कि दस रुपये नक़द देदे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – दस रुपये दस मिस्कीन पर ख़ैरात करने की मन्नत मानी और एक ही फ़क़ीर को दसों रुपये दे दिये मन्नत पूरी हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि मुझ पर अल्लाह के लिए दस मिस्कीन का खाना है तो अगर दस मिस्कीन को देने की नियत न हो तो इतना खाना जो दस के लिए काफ़ी हो एक मिस्कीन को देने से मन्नत पूरी हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ऊँट या गाय ज़िबह कर के उस के गोश्त को ख़ैरात करने की मन्नत मानी और उसकी जगह सात बकरियाँ ज़बह कर के गोश्त ख़ैरात कर दिया मन्नत पूरी हो गई और यह गोश्त मालदार को नहीं दे सकता देगा तो इतना ख़ैरात करना पड़ेगा वरना मन्नत पूरी न होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औलाद को ज़िबह करने की मन्नत मानी तो एक बकरी ज़िबह कर दे मन्नत पूरी हो जायेगी और अगर बेटे को मार डालने की मन्नत मानी तो मन्नत सहीह न हुई और अगर खुद अपने को या अपने बाप, माँ, दादा दादी या ग़ुलाम को ज़िबह करने की मन्नत मानी तो यह मन्नत न हुई और उसके ज़िम्मे कुछ लाज़िम नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला : – मस्जिद में चिराग़ जलाने या ताक़ भरने या फ़ुलाँ बुज़ुर्ग के मज़ार पर चादर चढ़ाने या ग्यारहवीं की नियाज़ दिलाने या ग़ौसे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु का तोशा या शाह अ़ब्दुल हक़ रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु का तोशा करने या हज़रत जलाल बुख़ारी का कूँडा करने या मुहर्रम

की नियाज़ या शरबत या सबील लगाने या मीलाद शरीफ़ करने की मन्नत मानी तो यह शरई मन्नत नहीं मगर यह काम मना नहीं हैं करे तो अच्छा है हाँ अलबत्ता इसका ख़्याल रहे कि कोई बात ख़िलाफ़े शरअ़ उस के साथ न मिलाये मसलन ताक़ भरने में रत जगा होता है जिस में कुंबा और रिश्ते की औ़रतें इकठ्ठा हो कर गाती बजाती हैं कि यह काम ह़राम हैं या चादर चढ़ाने के लिए बाज़ लोग ताशे बाजे के साथ जाते हैं यह नाजाइज़ है या मस्जिद में चिराग़ जलाने में बाज़ लोग आटे का चिराग़ जलाते हैं यह ख़्वामख़्वाह माल ज़ाइअ़ करना है और नाजाइज़ है मिट्टी का चिराग़ काफ़ी है और घी की भी ज़रूरत नहीं मक़सूद रौशनी है वह तेल से ह़ासिल है रहा यह कि मीलाद शरीफ़ में फ़र्श व रौशनी का अच्छा इन्तिज़ाम करना और मिठाई तक़सीम करना या लोगों को बुलावा देना और इस के लिए तारीख़ मुक़र्रर करना और पढ़ने वालों का खुश इल्ह़ानी(अच्छीआवाज़) से पढ़ना यह सब बातें जाइज़ हैं अल्बत्ता ग़लत़ और झूटी रिवायतों का पढ़ना मनअ़ है पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों गुनाहगार होंगे।

मसअ्ला :– अ़लम और तअ़ज़िया बनाने और पैक बनने और मुहर्रम में बच्चों को फ़क़ीर बनाने और बधी पहनाने और मरसिया की मज्लिस करने और तअ़ज़ियों पर नियाज़ दिलवाने वग़ैरा ख़ुराफ़ात जो रवाफ़िज़ और तअ़ज़िया दार लोग करते हैं उन की मन्नत सख़्त जिहालत है ऐसी मन्नत माननी न चाहिए और मानी हो तो पूरी न करे और उन सब से बद तर शैख़ सद्दू का मुर्ग़ा और कड़ाही है।

मसअ्ला :– बाज़ जाहिल औ़रतें लड़कों के कान, नाक, छिदवाने और बच्चों की चोटियाँ रखने की मन्नत मानती हैं या और त़रह त़रह की ऐसी मन्नतें मानती हैं जिन का जवाज़ किसी त़रह साबित नहीं अव्वलन ऐसी वाहियात मन्नतों से बचें और मानी हों तो पूरी न करें और शरीअ़त के मुआ़मला में अपने लग्व ख़्यालात को दख़ल न दें न यह कि हमारे बड़े बूढ़े यूँहीं करते चले आये हैं और यह कि पूरी न करेंगे तो बच्चा मरजायेगा बच्चा मरने वाला होगा तो यह नाजाइज़ मन्नतें बचा न लेंगी मन्नत माना करो तो नेक काम नमाज़, रोज़ा, ख़ैरात, दुरूद शरीफ़, कलिमा शरीफ़, क़ुर्आन मजीद, पढ़ने, फ़क़ीरों को खाना देने, कपड़ा पहनाने वग़ैरा की मन्नत मानो और अपने यहाँ के किसी सुन्नी आ़लिम से दरयाफ़्त भी कर लो कि यह मन्नत ठीक है या नहीं वहाबी से न पूछना कि वह गुमराह बे दीन हैं वह स़ह़ीह़ मसअ्ला न बतायेगा बल्कि एच पेच से जाइज़ अम्र को नाजाइज़ कह देगा।

मसअ्ला :– मन्नत या क़सम में इन्शाअल्लाह कहा तो उस का पूरा करना वाजिब नहीं बशर्ते कि इन्शाअल्लाह का लफ़्ज़ उस कलाम से मुत्तसिल (मिला हुआ) हो और अगर फ़ासिला हो गया मसलन क़सम खाकर चुप हो गया या दरमियान में कुछ और बात की फिर इन्शाअल्लाह कहा तो क़सम बात़िल न हुई यूँही हर वह काम जो कलाम करने से होता है मसलन त़लाक़, इक़रार, वग़ैरहुमा यह सब इन्शाअल्लाह कह देने से बात़िल हो जाते हैं हाँ अगर यूँहीं कहा कि फ़ुलाँ चीज़ अगर ख़ुदा चाहे तो बेच दो तो यहाँ उस को बेचने का इख़्तियार रहेगा और वकालत स़ह़ीह़ है या यूँ कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा इतना माल इन्शाअल्लाह ख़ैरात कर देना तो वसीयत स़ह़ीह़ है और जो काम दिल से मुतअ़ल्लिक़ हैं वह बात़िल नहीं होते मसलन नियत की कि कल इन्शाअल्लाह रोज़ा रखूँगा तो यह नियत दुरुस्त है (दुर्रे मुख़्तार)

मकान में जाने और रहने वग़ैरा के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

यहाँ एक क़ायदा याद रखना चाहिए जिस का क़सम में हर जगह लिहाज़ ज़रूरी है वह यह कि क़सम के तमाम अल्फ़ाज़ से वह मअ़ना लिए जायेंगे जिन में अहले उ़र्फ़ इस्तेमाल करते हों

मसलन किसी ने क़सम खाई कि किसी मकान में नहीं जायेगा और मस्जिद में या कअ्बा मुअ़ज़्ज़मा में गया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे यह भी मकान हैं यूहीं हम्माम में जाने से भी क़सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)
मसअ्ला :– क़सम में अल्फ़ाज़ का लिहाज़ होगा इस का लिहाज़ न होगा कि उस क़सम से ग़र्ज़ क्या है यानी उन लफ़्ज़ों के बोल चाल में जो मअ्ना हैं वह मुराद लिए जायेंगे क़सम खाने वाले की नियत और मक़सूद का एअ्तिबार न होगा मसलन क़सम खाई कि फुलाँ के लिए एक पैसा की कोई चीज़ नहीं ख़रीदूँगा और एक रुपया की ख़रीदी तो क़सम नहीं टूटी हालाँकि उस कलाम से मक़सद यह हुआ करता है कि न पैसे की खरीदूँगा न रुपया की मगर चूँकि लफ़्ज़ से यह नहीं समझा जाता लिहाज़ा उस का एअ्तिबार नहीं या क़सम खाई कि दरवाज़ा से बाहर न जाऊँगा और दीवार कूद कर या सीढ़ी लगा कर बाहर चला गया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे उस से मुराद यह है कि घर से बाहर न जाऊँगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस घर में न जाऊँगा फिर वह मकान बिलकुल गिर गया अब उस में गया तो नहीं टूटी यूंहीं अगर गिरने के बाद फिर इमारत बनाई गई और अब गया जब भी क़सम नहीं टूटी और अगर सिर्फ़ छत गिरी है दीवारें बदस्तूर बाक़ी हैं तो क़सम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मस्जिद में न जाऊँगा फिर वह मस्जिद शहीद हो गई और गया तो क़सम टूट गई यूँहीं अगर गिरने के बाद फिर से बनी तो जाने से क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)
मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मस्जिद में न जाऊँगा और उस मस्जिद में कुछ इज़ाफ़ा किया गया और यह शख़्स उस हिस्सा में गया जो अब बढ़ाया गया है तो क़सम नहीं टूटी और अगर यह कहा कि फुलाँ महल्ला की मस्जिद में न जाऊँगा या वह मस्जिद जिन लोगों के नाम से मशहूर है उस नाम को ज़िक्र किया तो उस हिस्सा में जो बढ़ाया गया है जाने से भी क़सम टूट जायेगी(आलमगीरी)
मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में नहीं जायेगा और वह मकान बढ़ा दिया गया तो उस हिस्सा में जाने से क़सम नहीं टूटी और अगर यह कहा कि फुलाँ के मकान में नहीं जायेगा तो टूट जायेगी (आलमगीरी)
मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में न जाऊँगा फिर उस मकान की छत या दीवार पर किसी दूसरे मकान पर से या सीढ़ी लगा कर चढ़ गया तो क़सम नहीं टूटी कि बोल चाल में उसे मकान में जाना न कहेंगे यूँहीं अगर मकान के बाहर दरख़्त है उस पर चढ़ा और जिस शाख़ पर है वह उस मकान की सीध में है कि अगर गिरे तो उस मकान में गिरेगा तो इस शाख़ पर चढ़ने से भी क़सम नहीं टूटी यूँही किसी मस्जिद में न जाने की क़सम खाई और उस की दीवार या छत पर चढ़ा तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में नहीं जाऊँगा और उस के नीचे तह ख़ाना है जिस से घर वाले नफ़अ् उठाते हैं तो तह ख़ाना में जाने से क़सम नहीं टूटेगी (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– दो मकान हैं और उन दोनों पर एक बाला ख़ाना है अगर बाला ख़ाना का रास्ता इस मकान से हो तो इस में शुमार होगा और अगर रास्ता दूसरे मकान से है तो उस में शुमार किया जायेगा(आलमगीरी)
मसअ्ला :– मकान में न जाने की क़सम खाई तो जिस तरह भी उस मकान में जाये क़सम टूट जायेगी ख़्वाह दरवाज़ा से दाख़िल हो या सीढ़ी लगा कर दीवार से उतरे और अगर क़सम खाई कि दरवाज़ा से नहीं जायेगा तो सीढ़ी लगाकर दीवार से उतरने में क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर किसी

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

https://t.me/Ahlesunnat_HindiBooks

जानिब की दीवार टूट गई है वहाँ से मकान के अन्दर गया जब भी क़सम नहीं टूटी हाँ अगर
दरवाज़ा बनाने के लिए दीवार तोड़ी गई है। उस में से गया तो टूट गई अगर यूँ क़सम खाई कि
उस दरवाज़ा से न जायेगा तो जो दरवाज़ा बाद में बनाया या पहले ही से कोई दूसरा दरवाज़ा था
उस से गया तो क़सम नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार, तहतावी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मकान में न जायेगा और उस की चौखट पर खड़ा हुआ अगर वह
चौखट इस तरह है कि दरवाज़ा बन्द करने पर मकान से बाहर हो जैसा उमूमन मकान के बैरूनी
दरवाज़े होते हैं तो क़सम नहीं टूटी और अगर दरवाज़ा बन्द करने से चौखट अन्दर है तो क़सम
टूट गई ग़र्ज़ यह कि मकान में जाने के यह मअ्ना हैं कि ऐसी जगह पहुँच जाये कि दरवाज़ा बन्द
करने के बाद वह जगह अन्दर हो (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक क़दम मकान के अन्दर रखा और दूसरा बाहर है या चौखट पर है तो क़सम नही
टूटी अगर्चे अन्दर नीचा हो यूँहीं अगर क़दम बाहर हों और सर अन्दर या हाथ बढ़ा कर कोई चीज़
मकान में से उठा ली तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सूरते मज़कूरा में अगर चित या पट या करवट से लेट कर मकान में गया अगर अकसर
हिस्सा बदन का अन्दर है तो क़सम टूट गई वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई थी कि मकान में न जायेगा और दौड़ता हुआ आ रहा था दरवाज़ा पर
पहुँचकर फ़िसला और मकान के अन्दर जा रहा या आन्धी के धक्के से बे इख़्तियार मकान में जा
रहा या कोई शख़्स ज़बरदस्ती पकड़ कर मकान के अन्दर ले गया तो इस सब सूरतों में क़सम नहीं
टूटी और अगर उस के हुक्म से कोई शख़्स उसे उठा कर मकान में लाया या सवारी पर आया तो
टूट गई (जौहरा)(आलमगीरी)मगर पहली सूरत में कि बग़ैर इख़्तियार जाना हुआ है उस से क़सम अभी
उस के ज़िम्मे बाक़ी है यानी अगर मकान से निकल कर फिर खुद जाये तो क़सम टूट जायेगी(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में दाख़िल न होगा और क़सम के वक़्त वह उस मकान
अन्दर है तो जब तक मकान के अन्दर है क़सम नहीं टूटी मकान से बाहर आने के बाद फिर
जायेगा तो टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर क़सम खाई कि इस घर से बाहर न निकलेगा और चौखट पर खड़ा हुआ अगर
चौखट दरवाज़ा से बाहर है तो क़सम गई और अन्दर है तो नहीं यूँही अगर एक पाँव बाहर है दूसरा
अन्दर तो नहीं टूटी या मकान के अन्दर दरख़्त है उस पर चढ़ा और जिस शाख़ पर है वह शाख़
मकान से बाहर है जब भी क़सम नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे से कहा खुदा की क़सम तेरे घर आज कोई नहीं आयेगा तो घर
वालों के सिवा अगर दूसरा कोई आया यह क़सम खाने वाला खुद उस के यहाँ गया तो क़सम टूट
गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि तेरे घर में क़दम न रखूँगा उस से मुराद घर में दाख़िल होना है न कि
सिर्फ़ क़दम रखना लिहाज़ा अगर सवारी पर मकान के अन्दर गया या जूते पहने हुए जब भी
क़सम टूट गई और अगर दरवाज़ा के बाहर लेट कर सिर्फ़ पाँव मकान के अन्दर कर दिये तो
क़सम नहीं टूटी (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मस्जिद से न निकलेगा अगर खुद निकला या उस ने किसी को हुक्म

दिया वह उसे उठा कर मस्जिद से बाहर लाया तो क़सम टूट गई और अगर ज़बरदस्ती किसी ने मस्जिद से खींचकर बाहर कर दिया तो नहीं टूटी अगर्चे दिल में निकालने पर खुश हो **ज़बरदस्ती** के मअ़ना यहाँ सिर्फ़ इतने हैं कि निकलना अपने इख़्तियार से न हो यानी कोई हाथ पकड़ कर या उठा कर बाहर कर दे अगर्चे यह न जाना चाहता तो वह बाहर न कर सकता हो और अगर उस ने धमकी दी और डर कर यह खुद निकल गया तो क़सम टूट गई और अगर ज़बर दस्ती निकालने के बाद फिर मस्जिद में गया और अपने आप बाहर हुआ तो क़सम टूट गई और मकान से न निकलने की क़सम खाई जब भी यही अहकाम हैं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मेरी औ़रत फ़ुलाँ शख़्स की शादी में नहीं जायेगी और औ़रत उस के यहाँ शादी से क़ब्ल गई थी और शादी में भी रही तो क़सम न टूटी कि शादी में जाना न हुआ (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि तुम्हारे पास आऊँगा तो उस के मकान या उस की दुकान पर जाना ज़रूर है ख़्वाह मुलाक़ात हो या न हो उस की मस्जिद में जाना काफ़ी नहीं और अगर उस के मकान या दुकान पर न गया यहाँ तक कि उन में का एक मर गया तो उस की ज़िन्दगी के आख़िर वक़्त में क़सम टूटेगी कि अब उसके पास आना नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा अगर आने पर क़ादिर हो तो उस से मुराद यह है कि बीमार न हुआ या कोई मानेअ़ मसलन जुनून या निस्यान या बादशाह की मुमानअ़त वग़ैरहा पेश न आये तो आऊँगा लिहाज़ा बिला वजह न आया तो क़सम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औ़रत से कहा अगर मेरी इजाज़त के बग़ैर घर से निकली तो तुझे तलाक़ है तो हर बार निकलने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है और इजाज़त यूँही होगी कि औ़रत उसे सुने और समझे अगर उस ने इजाज़त दी मगर औ़रत ने नहीं सुना और चली गई तो तलाक़ हो गई यूँही अगर उस ने ऐसी ज़बान में इजाज़त दी कि औ़रत उस को समझती नहीं मसलन अ़रबी या फ़ारिसी में कहा और औ़रत अ़रबी या फ़ारिसी नहीं जानती तो तलाक़ होगई यूही अगर इजाज़त दी मगर किसी क़रीना से मालूम होता है कि इजाज़त मुराद नहीं है तो इजाज़त नहीं मसलन गुस्सा में झिड़कने के लिए कहा जा, इजाज़त नहीं या कहा जा मगर गई तो खुदा तेरा भला न करेगा तो यह इजाज़त नहीं या जाने के लिए खड़ी हुई उस ने लोगों से कहा छोड़ो उसे जाने दो, तो इजाज़त न हुई और दरवाज़ा पर फ़क़ीर बोला उस ने कहा फ़क़ीर को टुकड़ा देदे अगर दरवाज़ा से निकले बग़ैर नहीं देसकती तो निकलने की इजाज़त है वरना नहीं और किसी रिश्तादार के यहाँ जाने की इजाज़त दी मगर उस वक़्त न गई दूसरे वक़्त गई तो तलाक़ हो गई और अगर माँ के यहाँ जाने के लिए इजाज़त ली और भाई के यहाँ चली गई तो तलाक़ न हुई और अगर औ़रत से कहा अगर मेरी खुशी के बग़ैर निकली तो तुझ को तलाक़ है तो इस में सुनने और समझने की ज़रूरत नहीं और अगर कहा बग़ैर मेरे जाने हुए गई तो तलाक़ है फिर औ़रत निकली और शौहर ने निकलते देखा या इजाज़त दी मगर उस वक़्त न गई बाद में गई तो तलाक़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उस के मकान में कोई रहता है उस से कहा खुदा की क़सम तू बग़ैर मेरी इजाज़त के घर से नहीं निकलेगा तो हर बार निकलने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं पहली बार इजाज़त ले ली क़सम पूरी होगई हर बार इजाज़त ज़ौजा के लिए दरकार है और ज़ौजा को भी अगर एक बार इजाज़ते आम देदी कि मैं तुझे इजाज़त देता हूँ जब कभी तू चाहे जाये तो यह इजाज़त हर बार के के लिए काफ़ी है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि बग़ैर इजाज़ते ज़ैद मैं नहीं निकलूँगा और ज़ैद मर गया तो क़सम जाती रही (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत से कहा ख़ुदा की क़सम तू बग़ैर मेरी इजाज़त के नहीं निकलेगी तो हर बार इजाज़त की ज़रूरत उसी वक़्त तक है कि औरत उस के निकाह में है निकाह जाते रहने के बाद अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मेरी इजाज़त के बग़ैर निकली तो तुझ को तलाक़ है और औरत बग़ैर इजाज़त निकली तो एक तलाक़ हो गई फिर अब इजाज़त लेने की ज़रूरत न रही कि क़सम पूरी हो गई लिहाज़ा दोबारा निकली तो अब फिर तलाक़ न पड़ेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – क़सम खाई कि जनाज़ा के सिवा किसी काम के लिए घर से न निकलूँगा और जनाज़ा के लिए निकला चाहे जनाज़ा के साथ गया या न गया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे घर से निकलने के बाद और काम भी किए (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ मुहल्ला में न जायेगा और ऐसे मकान में गया जिस में दो दरवाज़े हैं एक दरवाज़ा उस महल्ला में है जिस की निस्बत क़सम खाई और दूसरा दूसरा मुहल्ला में तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि लखनऊ नहीं जाऊँगा तो लखनऊ के ज़िलअ् में जो क़सबात या गाँव हैं उन में जाने से क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ गाँव में न जाऊँगा तो आबादी में जाने से क़सम टूटेगी उस गाँव के मुतअ़ल्लिक़ जो आराज़ी(ज़मीन)बस्ती से बाहर है वहाँ जाने से क़सम नहीं टूटी और अगर किसी मुल्क की निस्बत क़सम खाई मसलन पंजाब, बंगाल, अवध, रोहेल खंड, वग़ैरहा तो गाँवों में जाने से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि देहली नहीं जाऊँगा और पंजाब के इरादे से घर से निकला और देहली रास्ता में पड़ती है अगर अपने शहर से निकलते वक़्त नियत थी कि देहली होता हुआ पंजाब जाऊँगा तो क़सम टूट गई और अगर यह नियत थी कि देहली न जाऊँगा मगर ऐसी जगह पहुँचकर देहली हो कर जाने का इरादा हुआ कि वहाँ से नमाज़ में क़स्र शुरूअ् हो गया तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम में यह नियत थी कि ख़ास देहली न जाऊँगा और पंजाब जाने के लिए निकला और देहली हो कर जाने का इरादा किया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के घर नहीं जाऊँगा तो जिस घर में वह रहता है उस में जाने से क़सम टूट गई अगर्चे वह मकान उसका न हो बल्कि किराये पर या आ़रियतन उस में रहता हो यूंही जो मकान उस की मिल्क में है अगर्चे उस में रहता न हो उस में जाने से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ की दुकान में नहीं जाऊँगा तो अगर उस शख़्स की दो दुकानें है एक में ख़ुद बैठता है और एक किराये पर देदी है तो किराये वाली में जाने से क़सम नहीं टूटी और अगर एक ही दुकान है जिस में वह बैठता भी नहीं है बल्कि किराये पर देदी है तो अब उस में जाने से क़सम टूट जायेगी कि उस सूरत में दुकान से मुराद सुकूनत की जगह नहीं बल्कि वह जो उस की मिल्क में है (आलमगीरी)

मसअ्ला : – क़सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ऐसे मकान में गया जो ज़ैद और दूसरे की शिरकत में है अगर ज़ैद उस मकान में रहता है तो क़सम टूट गई और रहता न हो तो नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स किसी मकान में बैठा हुआ है और क़सम खाई कि उस मकान में अब नही आऊँगा तो उस मकान के किसी हिस्सा में दाख़िल होने से क़सम टूट जायेगी ख़ास वही दालान जिस में बैठा हुआ है मुराद नहीं अगर्चे वह कहे कि मेरी मुराद यह दालान थी हाँ अगर दालान या कमरा कहा तो ख़ास वही कमरा मुराद होगा जिस में वह बैठा हुआ है (बहर,आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद के दो मकान हैं एक में रहता है और दूसरा गोदाम है यानी उस में तिजारत के सामान रखता है खुद ज़ैद की उस में सुकूनत नहीं तो उस दूसरे मकान में जाने से क़सम न टूटेगी हाँ अगर किसी क़रीना से यह बात मालूम हो कि यह दूसरा मकान भी मुराद है तो उस में दाख़िल होने से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद के ख़रीदे हुए मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद ने एक मकान ख़रीदा फिर उस से इस कसम खाने वाले ने ख़रीद लिया तो उस में जाने से क़सम नहीं टूटेगी और अगर ज़ैद ने ख़रीद कर उस को हिबा कर दिया तो जाने से क़सम टूट जायेगी(ख़ानिया बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद ने आधा मकान बेचडाला तो अगर अब तक ज़ैद उस मकान में रहता है तो जाने से क़सम टूट जायेगी और नहीं तो नहीं और अगर क़सम खाई कि अपनी ज़ौजा के मकान में नहीं जाऊँगा और औरत ने मकान बेचडाला और ख़रीदार से शौहर ने वह मकान किराये पर लिया अगर क़सम खाना औरत की वजह से था तो अब जाने से कसम नहीं टूटी और अगर उस मकान की ना पसन्दी की वजह से था तो टूट गई(आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद ने लोगों को खाना खिलाने के लिए किसी से मकान आरियतन लिया तो उस में जाने से क़सम नहीं टुटेगी हाँ अगर मालिक मकान ने अपना कुल सामान वहाँ से निकाल लिया और ज़ैद अस्बाबे सुकूनत (सामान)उस मकान में ले गया और ज़ैद का ख़ुद कोई मकान नहीं बल्कि अपनी ज़ौजा के मकान में रहता है तो उस मकान में जाने से क़सम टूट जायेगी और अगर ज़ैद का ख़ुद भी कोई मकान है तो औरत के मकान में जाने से क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ औरत के मकान में नहीं जायेगा और औरत का ख़ुद कोई मकान नहीं है बल्कि शौहर के मकान में रहती है तो इस मकान में जाने से क़सम टूट जायेगी और ख़ुद औरत के भी मकान है तो शौहर वाले मकान में जाने से क़सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि हम्माम में नहाने के लिए नहीं जायेगा तो अगर मालिके हम्माम से मुलाक़ात करने के लिए गया फिर नहा भी लिया तो क़सम नहीं टूटी (ख़ानिया)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं फ़ुलाँ शख़्स को इस मकान में आने से रोकूँगा वह शख़्स उस मकान में जाना चाहता था उस ने रोक दिया क़सम पूरी होगई अब अगर फिर कभी उस को जाते हुए देखा और मनअ् न किया तो उस पर कफ़्फ़ारा वग़ैरा कुछ नहीं (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ को इस घर में नहीं आने दूँगा अगर वह मकान क़सम खाने वाले की मिल्क में नहीं है तो ज़बान से मनअ् करना काफ़ी है और मिल्क है तो ज़बान से और हाथ पाँव से मनअ् करना ज़रूर है वरना क़सम टूट जायेगी (बहर)

मसअ्ला : – ज़ैद व अम्र सफ़र में हैं ज़ैद ने क़सम खाई कि अम्र के मकान में नहीं जाऊँगा अम्र के डेरे और ख़ेमे या जिस मकान में उतरा है अगर ज़ैद गया तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस ख़ेमा में न जायेगा और वह ख़ेमा किसी जगह नसब किया हुआ

है अब वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह खड़ा किया गया और उस के अन्दर गया तो क़सम टूट गई यूहीं लकड़ी का ज़ीना या मिम्बर एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह क़ाइम किया गया तो अब भी वही क़रार पायेगा यानी जिस ने उन पर न चढ़ने की क़सम खाई है अब चढ़ा क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़ैद ने क़सम खाई कि मैं अम्र के पास न जाऊँगा और अम्र ने भी क़सम खाई कि मैं ज़ैद के पास न जाऊँगा और दोनों मकान में एक साथ गये तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाई कि मैं उस के पास न जाऊँगा और उस के मरने के बाद गया तो क़सम नहीं टूटी(आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि जब तक ज़ैद उस मकान में है मैं उस मकान में न जाऊँगा और ज़ैद अपने बाल बच्चों को लेकर उस मकान से चला गया फिर उस मकान में आ गया तो अब उस में जाने से क़सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के मकान में नहीं जायेगा और उस के अस्तबल में गया तो क़सम नहीं टूटी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस गली में न आयेगा और उस गली के किसी मकान में गया मगर उस गली से नहीं बल्कि छत पर चढ़कर या किसी और रास्ते से तो क़सम नहीं टूटी बशर्ते कि उस मकान से निकलने में भी गली में न आये (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के मकान में नहीं जायेगा और मालिके मकान के मरने के बाद गया तो क़सम नहीं टूटी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ मकान में या फ़ुलाँ मुहल्ला या कूचा में नहीं रहेगा और उस मकान या मुहल्ला में फ़िलहाल रहता है और अब खुद उस मकान या मुहल्ला से चला गया बाल बच्चों और सामान को वहीं छोड़ा तो क़सम टूट गई यानी क़सम उस वक़्त पूरी होगी कि खुद भी चला जाये और बाल बच्चों को भी ले जाये और ख़ानादारी के सामान उस क़द्र ले जाये जो सुकूनत के लिए ज़रूरी हैं और अगर क़सम के वक़्त उस में सुकूनत न हो तो जब ख़ुद बाल बच्चे और ख़ानादारी के ज़रूरी सामान को लेकर उस मकान में जायेगा क़सम टूट जायेगी मगर यह उस वक़्त है कि क़सम अ़रबी ज़बान में हो क्योंकि अ़रबी ज़बान में अगर खुद उस मकान से चला गया और बाल बच्चे या सामान ख़ानादारी अभी वहीं हैं तो वह मकान उसकी सुकूनत का क़रार पायेगा अगर्चे उस में रहना छोड़दिया हो और जिस मकान में तन्हा जाकर रहता है वह सुकूनत का मकान नहीं और फ़ारिसी या उर्दू में अगर ख़ुद उस मकान को छोड़ दिया तो यह नहीं कहा जायेगा कि उस मकान में रहता है अगर्चे बाल बच्चे वहाँ हों या ख़ानादारी का कुल सामान उस मकान में मौजूद हो और जिस मकान में चला गया उस मकान में उसका रहना क़रार दिया जाता है अगर्चे यहाँ न बाल बच्चे हों न सामान और क़सम में एअ्तिबार वहाँ की बोल चाल का है लिहाज़ा अ़रबी का वह हुक्म है और फ़ारिसी, उर्दू का यह (आलमगीरी, बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में नहीं रहेगा और क़सम के वक़्त उसी मकान में सुकूनत है तो अगर सुकूनत में दूसरे का ताबेअ् है मसलन बालिग़ लड़का कि बाप के मकान में रहता है या औ़रत कि शौहर के मकान में रहती है और क़सम खाने के बाद फ़ौरन खुद उस मकान से चला गया और बाल बच्चों को और सामान को वहीं छोड़ा तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इस मकान में नहीं रहेगा और निकलना चाहता था मगर दरवाज़ा बन्द

है किसी तरह खोल नहीं सकता या किसी ने उसे मुक़य्यद कर लिया कि निकल नहीं सकता तो क़सम नहीं टूटी पहली सूरत में उस की ज़रूरत नहीं कि दीवार तोड़ कर बाहर निकले यानी अगर दरवाज़ा बन्द है और दीवार तोड़कर निकल सकता है और तोड़कर न निकला तो क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर क़सम खाने वाली औरत है और रात का वक़्त है तो रात में रह जाने से क़सम न टूटेगी और मर्द ने क़सम खाई और रात का वक़्त है तो जब तक चोर वग़ैरा का डर न हो उज़्र नहीं।

मसअ्ला :– क़सम ख़ाई कि उस मकान में न रहेगा अगर दूसरे मकान की तलाश में है तो मकान न छोड़ने की वजह से क़सम नहीं टूटी अगर्चे कई दिन गुज़र जायें बशर्ते कि मकान की तलाश में पूरी कोशिश करता हो यूँहीं अगर उसी वक़्त से सामान के लिए मज़दूर तलाश किया और न मिला या सामान खुद ढोकर ले गया उस में देर हुई और मज़दूर करता तो जल्द ढुल जाता और मज़दूर करने पर कुदरत भी रखता है तो इन सब सूरतों में देर हो जाने से क़सम नहीं टूटी और उर्दू में क़सम है तो उस का मकान से निकल जाना उस नियत से कि अब उस में रहने को न आऊँगा क़सम सच्ची होने के लिए काफ़ी है अगर्चे सामान वग़ैरा ले जाने में कितनी ही देर हो और किसी वजह से देर हो (दुर्रे मुख़्तार, ख़ानिया)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस शहर या गाँव में नहीं रहेगा और ख़ुद वहाँ से फ़ौरन चला गया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे बाल बच्चे और कुल सामान वहीं छोड़ गया हो फिर जब कभी वहाँ रहने के इरादा से आयेगा क़सम टूट जायेगी और अगर किसी से मिलने को या बाल बच्चों और सामान लेने को वहाँ आयेगा, तो अगर्चे कई दिन ठहर जाये क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं पूरे साल उस गाँव में न रहूँगा या इस मकान में इस महीने भर सुकूनत न करूँगा और साल में या महीने में एक दिन बाक़ी था कि यहाँ ये चला गया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ शहर में नहीं रहेगा और सफ़र करके वहाँ पहुँचा अगर पन्द्रह दिन ठहरने की नियत कर ली तो क़सम टूट गई और उस से कम में नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के साथ उस मकान में नहीं रहेगा और उस मकान के एक हिस्सा में वह रहा और दूसरे में यह तो क़सम टूट गई अगर्चे दीवार उठवाकर उस मकान के दो हिस्से जुदा जुदा कर दिए गये और हर एक ने अपनी अपनी आमद व रफ़्त का दरवाज़ा अलाहिदा अलाहिदा खोल लिया और अगर क़सम खाने वाला उस मकान में रहता था वह शख़्स ज़बरदस्ती उस मकान में आकर रहने लगा अगर यह फ़ौरन उस मकान से निकल गया तो क़सम नहीं टूटी वरना टूट गई अगर्चे उस का इस मकान में रहना उसे मालूम न हो और अगर मकान को मुअय्यन न किया मसलन कहा फ़ुलाँ के साथ किसी मकान में या एक मकान में न रहेगा और एक ही मकान की तक़सीम कर के दोनों दो मुख़्तलिफ़ हिस्सों में हों तो क़सम नहीं टूटी जब कि बीच में दीवार क़ाइम कर दी गई या वह मकान बहुत बड़ा हो कि एक मुहल्ला के बराबर हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के साथ न रहेगा फिर यह क़सम खाने वाला सफ़र कर के उस के मकान पर जाकर उतरा अगर पन्द्रह दिन ठहरेगा तो क़सम टूट जायेगी और कम में नहीं(ख़ानिया)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस के साथ फ़ुलाँ शहर में न रहेगा तो उस का यह मतलब है कि उस शहर के एक मकान में दोनों न रहेंगे लिहाज़ा दोनों अगर उस शहर के दो मकान में रहें तो

क़सम नहीं टूटी हाँ अगर उस क़सम से उस की यह नियत हो कि दोनों उस शहर में मुतलक़न न रहेंगे तो अगर्चे दोनों दो मकान में हों क़सम टूट गई यही हुक्म गाँव में एक साथ न रहने की क़सम का है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के साथ एक मकान में न रहेगा और दोनों बाज़ार में एक दुकान में बैठकर काम करते या तिजारत करते हैं तो क़सम नहीं टूटी हाँ अगर उस की नियत में यह भी हो कि दोनों एक दुकान में काम न करेंगे या क़सम के पहले कोई ऐसा कलाम हुआ है जिस से यह समझा जाता हो या दुकान ही में रात को भी रहते हैं तो क़सम टूट जायेगी(आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के मकान में न रहेगा और मकान को मुअ़य्यन न किया कि यह मकान और उस शख़्स ने उस के क़सम खाने के बाद अपना मकान बेच डाला तो अब उस में रहने से क़सम न टूटेगी और अगर उस की क़सम के बाद उस ने कोई मकान ख़रीदा और उस जदीद मकान में क़सम खाने वाला रहा तो टूट गई और अगर वह मकान उस शख़्स का तन्हा नहीं है बल्कि दूसरे का भी उस में हिस्सा है तो उस में रहने से नहीं टूटेगी और अगर क़सम में मकान को मुअ़य्यन कर दिया था कि फ़ुलाँ के उस मकान में न रहूँगा और नियत यह है कि इस मकान में न रहूँगा अगर्चे किसी का हो तो अगर्चे बेचडाला उस में रहने से क़सम टूट जायेगी और अगर यह नियत हो कि चुँकि यह फ़ुलाँ का है उस वजह से न रहूँगा या कुछ नियत न हो तो बेचने के बाद रहने से न टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद जो मकान ख़रीदेगा उस में मैं न रहूँगा और ज़ैद ने एक मकान अम्र के लिए ख़रीदा क़सम खाने वाला उस मकान में रहेगा तो क़सम टूट जायेगी हाँ अगर वह कहे कि मेरा मक़सद यह था कि ज़ैद जो मकान अपने लिए ख़रीदे मैं उस में न रहूँगा और यह मकान तो अम्र के लिए ख़रीदा है तो उस का क़ौल मान लिया जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि सवार न होगा तो जिस जानवर पर वहाँ के लोग सवार होते हैं उस पर सवार होने से क़सम टूटेगी लिहाज़ा अगर आदमी की पीठ पर सवार हुआ तो क़सम नहीं टूटी यूँहीं गाय, बैल, भैंस की पीठ पर सवार होने से क़सम न टूटेगी यूँहीं गधे और ऊँट पर सवार होने से भी क़सम न टूटेगी कि हिन्दुस्तान में उन पर लोग सवार नहीं हुआ करते हाँ अगर क़सम खाने वाला उन लोगों में से हो जो इन पर सवार होते हैं जैसे गधे वाले या ऊँट वाले कि यह सवार हुआ करते हैं तो क़सम टूट जायेगी और घोड़े हाथी पर सवार होने से क़सम टूट जायेगी कि यह जानवर यहाँ लोगों की सवारी के हैं यूँही अगर क़सम खाने वाला उन लोगो में तो नहीं है जो गधे या ऊँट पर सवार होते हैं मगर क़सम वहाँ खाई जहाँ लोग उन पर सवार होते हैं मसलन मुल्के अ़रब शरीफ़ के सफ़र में है तो गधे और ऊँट पर सवार होने से भी क़सम टूट जायेगी(मुस्तफ़ाद मिनदुर वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि किसी सवारी पर सवार न होगा तो घोड़ा, ख़च्चर, हाथी, डोली, बहली, रेल यक्का, तांगा, शक्रम वग़ैरहा हर क़िस्म की सवारी गाड़ियाँ और कश्ती पर सवार होने से क़सम टूट जायेगी।

मसअ्ला :– क़सम खाई कि घोड़े पर सवार न होगा तो ज़ीन या चार जामा रखकर सवार हुआ या नंगी पीठ पर बहर हाल क़सम टूट गई (आलमग़ीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस ज़ीन पर सवार न होगा फिर उस में कुछ कमी बेशी की जब भी उस पर सवार होने से क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि किसी जानवर पर सवार न होगा तो आदमी पर सवार होने से क़सम न टूटेगी कि उर्फ़ में आदमी को जानवर नहीं कहते (फ़त्ह)

मसअला :– क़सम खाई कि अरबी घोड़े पर सवार न होगा तो और घोड़े पर सवार होने से क़सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि घोड़े पर सवार न होगा फिर ज़बरदस्ती किसी ने सवार कर दिया तो क़सम नहीं टूटी और अगर उस ने ज़बरदस्ती की और उस के मजबूर करने से यह ख़ुद सवार हुआ तो क़सम टूट गई (आलमगीरी दुर्रे. मुख़्तार)

मसअला :– जानवर पर सवार है और क़सम खाई कि सवार न होगा तो फ़ौरन उतर जाये वरना क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि, ज़ैद के इस घोड़े पर सवार न होगा फिर ज़ैद ने उस घोड़े को बेच डाला तो अब उस पर सवार होने से क़सम न टूटेगी यूँहीं अगर क़सम खाई कि ज़ैद के घोड़े पर सवार न होगा और उस घोड़े पर सवार हुआ जो ज़ैद व अम्र में मुश्तरक है तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के घोड़े पर सवार न होगा और उस के ग़ुलाम के घोड़े पर सवार हुआ अगर क़सम के वक़्त यह नियत थी कि ग़ुलाम के घोड़े पर भी सवार न होगा और ग़ुलाम पर इतना दैन नहीं जो मुस्तग़रक़ हो तो क़सम टूट गई ख़्वाह ग़ुलाम पर बिल्कुल दैन न हो या है मगर मुसतग़रक़ नहीं और नियत न हो तो क़सम नहीं टूटी और दैन मुस्तग़रक़ हो तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे नियत हो (दुर्रे मुख़्तार)

खाने पीने की क़सम का बयान

जो चीज़ ऐसी हो कि चबाकर हल्क़ से उतारी जाती हो उस के हल्क़ से उतारने को खाना कहते हैं अगर्चे उस ने बग़ैर चबाये उतारली और पतली चीज़ बहती हुई को हल्क़ से उतारने को पीना कहते हैं मगर सिर्फ़ इतनी ही बात पर इक़तिसार न करना चाहिए बल्कि मुहावरात का ज़रूर ख़्याल करना होगा कि कहाँ खाने का लफ़्ज़ बोलते हैं और कहाँ पीने का कि क़सम का दार व मदार बोल चाल पर है।

मसअला :– उर्दू में दूध पीने को भी दूध खाना कहते हैं लिहाज़ा अगर क़सम खाई कि दूध नहीं खाऊँगा तो पीने से भी क़सम टूट जायेगी और अगर कोई ऐसी चीज़ खाई जिस में दूध मिला हुआ है मगर उस का मज़ा महसूस नहीं होता तो उस के खाने से क़सम नहीं टूटी।

मसअला :– क़सम खाई कि दूध या सिरका या शोरबा नहीं खायेगा और रोटी से लगा कर खाया तो क़सम टूट गई और ख़ाली सिरका पी गया तो क़सम नहीं टूटी कि उस को खाना न कहेंगे बल्कि यह पीना है (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि यह रोटी न खायेगा और उसे सुखा कर कूट कर पानी में घोलकर पी गया तो क़सम नहीं टूटी कि यह खाना नहीं है पीना है (बहर)

मसअला :– अगर किसी चीज़ को मुँह में रख कर उगल दिया तो यह न खाना है न पीना मसलन क़सम खाई कि यह रोटी नहीं खायेगा और मुँह में रख कर उगल दी या यह पानी नहीं पियेगा और उस से कुल्ली की तो क़सम नहीं टूटी (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि यह अन्डा या यह अख़रोट नहीं खायेगा और उसे बग़ैर चबाये

हुए निगल गया तो कसम टूट गई और अगर कसम खाई कि यह अंगूर या आनार नहीं खायेगा और चूस कर अर्क़ पी गया और फुज़ला फेंक दिया तो क़सम टूट गई कि उस को उर्फ़ में खाना कहते हैं यूँही अगर शकर न खाने की कसम खाई थी और उसे मुँह में रख कर जो घुलती गई हल्क से उतारता गया कसम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चखने के मअ्ना हैं किसी चीज़ को मुँह में रख कर उस का मज़ा मालूम करना और उर्दू मुहावरा में अकसर मज़ा दरयाफ़्त करने के लिए थोड़ा सा खा लेने या पी लेने को चखना कहते हैं अगर क़रीना से यह बात मालूम हो कि उस कलाम में चखने से मुराद थोड़ा सा खा कर मज़ा मालूम करना है तो यह मुराद लेंगे मसलन कोई शख़्स कुछ खा रहा है उस ने दूसरों को बुलाया उस ने इन्कार किया उस ने कहा ज़रा चख कर तो देखो कैसी है तो यहाँ चखने से मुराद थोड़ी सी खालेना है और अगर क़रीना न हो तो मुतलक़न मज़ा मालूम करने के लिए मुँह में रखना मुराद होगा कि उस मअ्ना में भी यह लफ़्ज़ बोला जाता है मगर अगर पानी की निस्बत क़सम खाई कि उसे नहीं चखूँगा फिर नमाज़ के लिए उस से कुल्ली की तो क़सम नहीं टूटी कि कुल्ली करना नमाज़ के लिए है मज़ा मालूम करने के लिए नहीं अगर्चे मज़ा भी मालूम हो जाये।

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह सत्तू नहीं खायेगा और उसे घोल कर पिया या क़सम खाई कि यह सत्तू नहीं पियेगा और गूँध कर खाया या वैसे ही फाँक लिया तो क़सम नहीं टूटी।

मसअ्ला :– आम वग़ैरा किसी दरख़्त की निस्बत कहा कि उस में से कुछ न खाऊँगा तो उस के फल खाने से क़सम टूट जायेगी कि खुद दरख़्त खाने की चीज़ नहीं लिहाज़ा उस से मुराद उस का फल खाना है यूँहीं फल को निचोड़ा जो निकला वह खाया जब भी क़सम टूट गई और अगर फल को निचोड़ कर उस की कोई चीज़ बनाली गई हो जैसे अंगूर से सिरका बनाते हैं तो उस के खाने से क़सम नहीं टूटी और अगर सूरते मज़कूरा में तकल्लुफ़ कर के किसी ने उस दरख़्त का कुछ हिस्सा छाल वग़ैरा खा लिया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे यह नियत भी हो कि दरख़्त का कोई जुज़ न खाऊँगा और अगर वह दरख़्त ऐसा हो जिस में फल होता ही न हो या होता है मगर खाया न जाता हो तो उस की क़ीमत से कोई चीज़ ख़रीद कर खाने से क़सम टूट जायेगी कि उसके खाने से मुराद उस की क़ीमत से कोई चीज़ ख़रीद कर खाना है (दुर्रे मुख़्तार बहर वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस आम के दरख़्त की कीरी न खाऊँगा और पक्के हुए खाये या क़सम खाई कि उस दरख़्त के अंगूर न खाऊँगा और मुनक़्क़े खाये या दूध न खाऊँगा और दही खाया तो क़सम नहीं टूटी (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस गाये या बकरी से कुछ न खायेगा तो उस का दूध, दही, या मख्खन खाने से क़सम नहीं टूटेगी और गोश्त खाने से टूट जायेगी (बहर वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह आटा नहीं खायेगा और उस की रोटी या और कोई बनी हुई चीज़ खाई तो क़सम टूट गई और खुद आटा ही फाँक लिया तो नहीं (बहर, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि रोटी नहीं खायेगा तो उस जगह जिस चीज़ की रोटी लोग खाते हैं उस की रोटी से क़सम टूटेगी मसलन हिन्दुस्तान में गेहू, जौ जुवार बाजरा मक्का की रोटी पकाई जाती है तो चावल की रोटी से क़सम नहीं टूटेगी और जहाँ चावल की रोटी लोग खाते हों वहाँ के किसी शख़्स ने क़सम खाई, तो चावल की रोटी खाने से क़सम टूट जायेगी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह सिरका नहीं खायेगा और चटनी या सिकन्जबीन खाई जिस में वह

सिरका पड़ा हुआ था तो क़सम नहीं टूटी या क़सम खाई कि इस अन्डे से नहीं खायेगा और उस में से बच्चा निकला और उसे खाया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी, बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इस दरख़्त से कुछ न खायेगा और उस की क़लम लगाई तो उस क़लम के फल खाने से क़सम नहीं टूटी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस बछिया का गोश्त नहीं खायेगा फिर जब वह जवान हो गई उस वक़्त उस का गोश्त खाया तो क़सम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि गोश्त नहीं खायेगा तो मछली खाने से क़सम नहीं टूटेगी और ऊँट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और परिन्द वग़ैरा जिन का गोश्त खाया जाता है अगर उन का गोश्त खाया तो टूट जायेगी ख़्वाह शोरबे दार हो या भुना हुआ या कोफ़्ता और कच्चा गोश्त या सिर्फ़ शोरबा खाया तो नहीं टूटी यूँहीं कलेजी, तिल्ली, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, ओझड़ी, दुम्बा की चक्की के खाने से भी नहीं टूटेगी कि उन चीज़ों को उर्फ़ में गोश्त नहीं कहते और अगर किसी जगह उन चीज़ों का भी गोश्त में शुमार हो तो वहाँ उन के खाने से भी टूट जायेगी दुर्रे मुख़्तार (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि बैल का गोश्त नहीं खायेगा तो गाय के गोश्त से क़सम नहीं टूटेगी और गाय के गोश्त न खाने की क़सम खाई तो बैल का गोश्त खाने से टूट जायेगी कि बैल के गोश्त को भी लोग गाय का गोश्त कहते हैं और भैंस के गोश्त से नहीं टूटेगी और भैंस के गोश्त की क़सम खाई तो गाय बैल के गोश्त से नहीं टूटेगी और बड़ा गोश्त कहा तो उन सब को शामिल है और बकरी का गोश्त कहा तो बकरे के गोश्त से भी क़सम टूट जायेगी कि दोनों को बकरी का गोश्त कहते हैं यूँही भेड़ का गोश्त कहा तो मेंढे को भी शामिल है और दुम्बा उन में दाख़िल नहीं अगर्चे दुम्बा उसी की एक क़िस्म है और छोटा गोश्त उन सब को शामिल है।

मसअ्ला :– क़सम खाई कि चर्बी नहीं खायेगा तो पेट में और आँतों पर जो चरबी लिपटी रहती है उस के खाने से क़सम टूटेगी पीठ की चरबी जो गोश्त के साथ मिली हुई होती है उस के खाने से या दुम्बा की चक्की खाने से नहीं टूटेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि गोश्त नहीं खायेगा और किसी ख़ास गोश्त की नियत है तो उस के सिवा दूसरे गोश्त खाने से क़सम नहीं टूटेगी यूँहीं क़सम खाई कि खाना नहीं खायेगा और ख़ास खाना मुराद लिया तो दूसरा खाना खाने से क़सम न टूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि तिल नहीं खायेगा तो तिल का तेल खाने से क़सम नहीं टूटी और गेहूँ न खाने की क़सम खाई तो भुने हुए गेहूँ खाने से क़सम टूट जायेगी और गेहूँ की रोटी या आटा या सत्तू या कच्चे गेहूँ खाने से क़सम न टूटेगी मगर जब कि उस की यह नियत हो कि गेहूँ की रोटी नहीं खायेगा तो रोटी खाने से भी टूट जायेगी (बहर आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह गेहूँ नहीं खायेगा फिर उन्हें बोया अब जो पैदा हुए उन के खाने से क़सम नहीं टूटेगी कि यह वह गेहूँ नहीं हैं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि रोटी नहीं खायेगा तो पराँठे, पूरियाँ, समोसे, बिस्किट, शीरमाल, कुलचे, गुलगुले, नान पाव, खाने से क़सम नहीं टूटेगी कि उन को रोटी नहीं कहते और तन्नूरी रोटी या चपाती या मोटी रोटी या बेलन से बनाई हुई रोटी खाने से क़सम टूट जायेगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ का खाना नहीं खायेगा और उस के यहाँ का सिरका या नमक खाया तो क़सम नहीं टूटी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ शख़्स का खाना नहीं खायेगा और वह शख़्स खाना बेचा करता है उस ने ख़रीद कर खा लिया तो क़सम टूट गई कि उस के खाने से मुराद उस से ख़रीद कर खाना खाना है और अगर खाना बेचना उस का काम नहीं तो मुराद वह खाना है जो उस की मिल्क में है लिहाज़ा ख़रीद कर खाने से क़सम नहीं टूटेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला : – फ़ुलाँ औरत की पकाई हुई रोटी नहीं खायेगा और उस औरत ने ख़ुद रोटी पकाई है यानी उस ने तवे पर डाली और सेंकी है तो उस के खाने से क़सम टूट जायेगी और अगर उस ने फ़क़त आटा गूँधा है या रोटी बनाई है और किसी दूसरे ने तवे पर डाली और सेंकी उस के खाने से नहीं टूटेगी कि आटा गूँधने या रोटी बनाने को पकाना नहीं कहेंगे और अगर कहा फ़ुलाँ औरत की रोटी नहीं खायेगा तो उस में दो सूरतें हैं अगर यह मुराद है कि उस की पकाई हुई रोटी नहीं खाऊँगा तो वही हुक्म है जो बयान किया गया और अगर यह मतलब है कि उस की मिल्क में जो रोटी है वह नहीं खाऊँगा तो अगर्चे किसी और ने आटा गूँधा या रोटी पकाई हो मगर जब उस की मिल्क है तो खाने से टूट जायेगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़सम खाई कि यह खाना खायेगा तो उस में दो सूरतें हैं कोई वक़्त मुक़र्रर कर दिया है या नहीं अगर वक़्त नहीं मुक़र्रर किया है फिर वह खाना किसी और ने खा लिया या हलाक हो गया या क़सम खाने वाला मर गया तो क़सम टूट गई और अगर वक़्त मुक़र्रर कर दिया है मसलन आज उस को खायेगा और दिन गुज़रने से क़सम खाने वाला मर गया या खाना बर्बाद हो गया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि खाना नहीं खायेगा तो वह खाना मुराद है जिस को आदतन खाते हैं लिहाज़ा अगर मुर्दार का गोश्त खाया तो क़सम नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़सम खाई कि सिरी नहीं खायेगा और उस की यह नियत हो कि बकरी, गाय, मुर्ग़, मछली वग़ैरहा किसी जानवर का सर नहीं खायेगा तो जिस चीज़ का सर खायेगा क़सम टूट जायेगी और अगर नियत कुछ न हो तो गाय और बकरी के सर खाने से क़सम टूटेगी और चिड़िया टिड्डी, मछली वग़ैरहा जानवरों के सर खाने से नहीं टूटेगी (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला : – क़सम खाई कि अन्डा नहीं खायेगा और नियत कुछ न हो तो मछली के अन्डे खाने से नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअला : – मेवा न खाने की क़सम खाई तो मुराद सेब, नाशपाती, आड़ू, अँगूर, अनार,आम, अमरूद, वग़ैरहा हैं जिन को उर्फ़ में मेवा कहते हैं खीरा, ककड़ी, गाजर, वग़ैरहा को मेवा नहीं कहते।

मसअला :– मिठाई से मुराद इमरती, जलेबी, पेड़ा, बालूशाही, गुलाब जामन, क़लाक़ंद, बर्फ़ी लड्डू वग़ैरहा जिन को उर्फ़ में मिठाई कहते हैं हाँ इस तरफ़ बाज़ गाँव में गुड़ को मिठाई कहते हैं लिहाज़ा अगर उस गाँव वाले ने मिठाई न खाने की क़सम खाई तो गुड़ खाने से क़सम टूट जायेगी और जहाँ का यह मुहावरा नहीं है वहाँ वाले की नहीं टूटेगी अरबी में हल्वा हर मीठी चीज़ को कहते हैं यहाँ तक कि इन्ज़ीर और खजूर को भी मगर हिन्दुस्तान में एक ख़ास तरह से बनाई हुई चीज़ को हल्वा कहते हैं सूजी, मेवा चावल के आटे वग़ैरा से बनाते हैं और यहाँ बरेली में उस को मिठाई भी बोलते हैं ग़र्ज़ जिस जगह का जो उर्फ़ हो वहाँ उसी का एअ्तिबार है सालन उमूमन हिन्दुस्तान में गोश्त को कहते हैं जिस से रोटी खाई जाये और बाज़ जगह मैंने दाल को भी सालन सुना और अरबी ज़बान में तो सिरका को भी इदाम (सालन) कहते हैं आलू, रतालू, अरवी, तुरई, भिन्डी, साग,

कद्दू, शलजम,गोभी, और दीगर सब्ज़ियों को तरकारी कहते हैं जिनको गोश्त में डालते हैं या तन्हा पकाते हैं और बाज़ गाँवों में जहाँ हिन्दू कसरत से रहते हैं गोश्त को भी लोग तरकारी बोलते हैं।
मसअला :– क़सम खाई कि खाना नहीं खायेगा और कोई ऐसी चीज़ खाली जिसे उर्फ़ में खाना नहीं कहते हैं मसलन दूध पी लिया या मिठाई खाली तो क़सम नहीं टूटी।
मसअला :– क़सम खाई कि नमक नहीं खायेगा और ऐसी चीज़ खाई जिसमें नमक पड़ा हुआ है तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे नमक का मज़ा महसूस होता हो और रोटी वग़ैरा को नमक लगा कर खाया तो क़सम टूट जायेगी (रद्दुल मुहतार)
मसअला : – क़सम खाई कि मिर्च नहीं खायेगा और गोश्त वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ खाई जिस में मिर्च है और मिर्च का मज़ा महसूस होता है तो क़सम टूट गई उस की ज़रूरत नहीं कि मिर्च खाये तो क़सम टूटे (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला : – क़सम खाई कि प्याज़ नहीं खायेगा और कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें प्याज़ पड़ी है तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे प्याज़ का मज़ा मालूम होता हो (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– जिस खाने की निस्बत क़सम खाई कि उस को नहीं खायेगा या पानी की निस्बत कि उस को नहीं पियेगा अगर वह इतना है कि एक मज्लिस में खा सकता है और एक प्यास में पी सकता है तो जब तक कुल न खाये पिये क़सम नहीं टूटेगी मसलन क़सम खाई कि यह रोटी नहीं खायेगा और रोटी ऐसी है कि एक मज्लिस में पूरी खा सकता है तो उस रोटी का टुकड़ा खाने से क़सम नहीं टूटेगी यूँहीं क़सम खाई कि उस गिलास का पानी नहीं पियेगा तो एक घूँट पीने से नहीं टूटी और अगर खाना इतना है कि एक मज्लिस में नहीं खा सकता तो उस में से ज़रा सा खाने से भी क़सम टूट जायेगी मसलन क़सम खाई कि उस गाय का गोश्त नहीं खायेगा और एक बोटी खाई क़सम टूट गई यूँहीं क़सम खाई कि उस मटके का पानी नहीं पियूँगा और मटका पानी से भरा है तो एक घूँट से भी टूट जायेगी और अगर यूँ कहा कि यह रोटी मुझ पर हराम है तो अगर्चे एक मज्लिस में वह रोटी खा सकता हो मगर उस का टुकड़ा खाने से भी कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा यूँहीं यह पानी मुझपर हराम है और एक घूँट पी लिया तो कफ़्फ़ारा वाजिब हो गया अगर्चे वह एक प्यास का भी न हो (आलमगीरी)
मसअला :– क़सम खाई कि यह रोटी नहीं खायेगा और कुल खा गया एक ज़रा सी छोड़दी तो क़सम टूट गई कि रोटी का ज़रा हिस्सा छोड़ देने से भी उर्फ़ में यही कहा जायेगा कि रोटी खाली हाँ अगर उन की यह नियत थी कि कुल नहीं खायेगा तो ज़रा सी छोड़ देने से क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)
मसअला :– क़सम खाई कि उस अनार को नहीं खाऊँगा और सब खा लिया एक दो दाने छोड़दिये तो क़सम गई और अगर इतने ज़्यादा छोड़े कि आदतन उतने नहीं छोड़े जाते तो नहीं टूटी(आलमगीरी)
मसअला :– क़सम खाली कि हराम नहीं खायेगा और ग़सब किए हुए रुपये से कोई चीज़ ख़रीद कर खाई तो क़सम नहीं टूटी मगर गुनाहगार हुआ और अगर जो चीज़ खाई अगर वह ख़ुद ग़सब की हुई है तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)
मसअला :– क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई नहीं खायेगा और ज़ैद को कोई चीज़ विरासत में मिली तो उस के खाने से क़सम नहीं टूटेगी और अगर ज़ैद ने कोई चीज़ ख़रीदी या हिबा या सदक़ा में कोई चीज़ मिली और ज़ैद ने उसे कबूल कर लिया तो उसके खाने से क़सम टूट जायेगी और

अगर ज़ैद से मैं ने कोई चीज़ ख़रीद कर खाई तो नहीं टूटी और अगर ज़ैद मर गया और उस की कमाई का माल ज़ैद के वारिस के यहाँ खाया या यह क़सम खाने वाला ख़ुद ही वारिस है और खालिया तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअला :– किसी के पास रुपये हैं क़सम खाई कि उन को नहीं खायेगा फिर रुपये के पैसे भुना लिए या अशरफ़ियाँ कर लीं फिर उन पैसों या अशरफ़ियों से कोई चीज़ ख़रीद कर खाई तो क़सम टूट गई और अगर उन पैसों या अशरफ़ियों से ज़मीन ख़रीदी फिर उसे बेचकर खालिया तो नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम उस वक़्त सहीह होगी कि जिस चीज़ की क़सम खाई हो वह ज़माना–ए–आइन्दा में पाई जा सके यानी अक़्लन मुमकिन हो अगर्चे आदतन मुहाल हो मसलन यह क़सम खाई कि मैं आसमान पर चढूँगा या उस मिट्टी को सोना कर दूँगा तो क़सम हो गई और उसी वक़्त टूट भी गई यूँहीं क़सम के बाक़ी रहने की भी यह शर्त है कि वह काम अब भी मुमकिन हो लिहाज़ा अगर अब मुमकिन न रहा तो क़सम जाती रही मसलन क़सम खाई कि मैं तुम्हारा रुपया कल अदा कर दूँगा और कल के आने से पहले ही मरगया तो अगर्चे क़सम सहीह हो गई थी मगर अब क़सम न रही कि वह रहा ही नहीं उस क़ाइदा के जानने के बाद अब यह देखिए कि अगर क़सम खाई कि मैं उस कूज़ा का पानी आज पियूँगा और कूज़ा में पानी नहीं है या था मगर रात के आने से पहले उस में का पानी गिर गया या उस ने गिरादिया तो क़सम नहीं टूटी कि पहली सूरत में क़सम सहीह न हुई और दूसरी में सहीह तो हुई मगर बाक़ी न रही यूँही अगर कहा मैं उस कूज़ा का पानी पियूँगा और उस में पानी उस वक़्त नहीं है तो नहीं टूटी मगर जबकि यह मालूम है कि पानी नहीं है और फिर क़सम खाई तो गुनाहगार हुआ अगर्चे कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं और अगर पानी था और गिर गया या गिरादिया तो क़सम टूट गई और कफ़्फ़ारा लाज़िम (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार बहर)

मसअला :– औरत से कहा अगर तूने कल नमाज़ न पढ़ी तो तुझ को तलाक़ है और सुब्ह को औरत को हैज़ आ गया तो तलाक़ न हुई यूँही औरत से कहा कि जो रुपये तूने मेरी जेब से लिया है अगर उस में न रखेगी तो तलाक़ है और देखा तो रुपया जेब में मौजूद है तलाक़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

कलाम (बातें करने) के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

मसअला :– यह कहा कि तुम से या फ़ुलाँ से कलाम करना मुझ पर हराम है और कुछ भी बात की तो कफ़्फ़ारा लाज़िम होगया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़सम खाई कि उस बच्चे से कलाम न करेगा और उस के जवान या बूढ़े होने के बाद कलाम किया तो क़सम टूट गई कहा कि बच्चा से कलाम न करूँगा और जो जवान बूढ़े से कलाम किया तो नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि ज़ैद से कलाम न करेगा और ज़ैद सोरहा था उस ने पुकारा अगर पुकार ने से जाग गया तो क़सम टूट गई और बेदार न हुआ तो नहीं और अगर जाग रहा था और उस ने पुकारा अगर इतनी आवाज़ थी कि सुन सके अगर्चे बहरे होने या काम में मशग़ूल होने या शोर की वजह से न सुना तो क़सम टूट गई और अगर दूर था और इतनी आवाज़ से पुकारा कि सुन नहीं सकता तो नहीं टूटी और अगर ज़ैद किसी मजमअ़ में था उस ने मजमअ़ को सलाम किया तो क़सम टूट गई हाँ अगर नियत यह हो कि ज़ैद के सिवा औरों को सलाम करता है तो नहीं टूटी और नमाज़ का सलाम कलाम नहीं है लिहाज़ा उस से क़सम नहीं टूटेगी ख़्वाह ज़ैद दहनी तरफ़ हो

या बायें तरफ़ यूँहीं अगर ज़ैद इमाम था और यह मुक़तदी उस ने उस की ग़लती पर सुबहानल्लाह कहा या लुक़मा दिया तो क़सम नहीं टूटी और अगर नमाज़ में न था और लुक़मा दिया या उसकी ग़लती पर सुबहानल्लाह कहा तो क़सम टूट गई। (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद से बात न करूँगा और किसी काम को उस से कहना है उस ने किसी दूसरे को मुख़ातब कर के कहा और मक़सूद ज़ैद को सुनाना है तो क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर औरत से कहा कि तूने अगर मेरी शिकायत अपने भाई से की तो तुझ को तलाक़ है औरत का भाई आया उस के सामने औरत ने बच्चे से अपने शौहर की शिकायत की और मक़सूद भाई को सुनाना है तो तलाक़ न हुई (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं तुझ से इबतिदाअन कलाम न करूँगा और रास्ते में दोनों की मुलाक़ात हुई दोनों ने एक साथ सलाम किया तो क़सम नहीं टूटी बल्कि जाती रही कि अब इबतिदअन कलाम करने में हर्ज नहीं **यूँही अगर** औरत से कहा अगर मैं तुझ से इबतिदाअन कलाम करूँ तो तुझ को तलाक़ है और औरत ने भी क़सम खाई कि मैं तुझ से कलाम की पहल न करूँगी तो मर्द को चाहिए कि औरत से कलाम करे कि उस की क़सम के बाद जब औरत ने क़सम खाई तो अब मर्द का कलाम करना इबतिदाअन न होगा (बहर)

मसअ्ला :– कलाम न करने की क़सम खाई तो ख़त भेजने या किसी के हाथ कुछ कहला कर भेजने या इशारा करने से नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इक़रार व बशारत और ख़बर देना यह सब लिखने से हो सकते हैं और इशारे से नहीं मसलन क़सम खाई कि तुम को फ़लाँ बात की ख़बर न दूँगा और लिखकर भेजदिया तो क़सम टूट गई और इशारात से बताया तो नहीं और अगर क़सम खाई कि तुम्हारा यह राज़ किसी पर ज़ाहिर न करूँगा और इशारे से बताया तो क़सम टूट गई कि ज़ाहिर करना इशारे से भी हो सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद से कलाम न करेगा और ज़ैद ने दरवाज़ा पर आकर कुन्डी खटखटाई उस ने कहा कौन है या कौन तो क़सम नहीं टूटी और अगर कहा आप कौन साहब हैं या तुम कौन हो तो टूट गई यूँहीं अगर ज़ैद ने पुकारा और उस ने कहा हाँ या कहा हाज़िर हुआ या उस ने कुछ पुछा उस ने जवाब में हाँ कहा तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि बीवी से कलाम न करेगा और घर में औरत के सिवा दूसरा कोई नहीं है यह घर में आया और कहा यह चीज़ किस ने रखी है या कहा यह चीज़ कहाँ है तो क़सम टूट गई और अगर घर में कोई और भी है तो नहीं टूटी यानी जब कि उस की नियत औरत से पूछने की हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कलाम न करने की क़सम खाई और ऐसी ज़बान मे कलाम किया जिसे मुख़ातब नहीं समझता जब भी क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम ख़ाई कि ज़ैद से बात न करूँगा जब तक फ़ुलाँ शख़्स इजाज़त न दे और उस ने इजाज़त दी मगर उसे ख़बर नहीं और कलाम कर लिया तो क़सम टूट गई और अगर इजाज़त देने से पहले वह शख़्स मर गया तो क़सम बातिल हो गई यानी अब कलाम करने से नहीं टूटेगी कि क़सम ही न रही और अगर यूँहीं कहा था कि बग़ैर फ़ुलाँ की मर्ज़ी के कलाम न करूँगा और उस की मरज़ी थी मगर उसे मालूम न था और कलाम कर लिया तो नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – यह क़सम खाई कि फ़ुलाँ को ख़त न लिखूँगा और किसी को लिखने के लिए इशारा

किया तो अगर यह क़सम खाने वाला अमीरों में से है तो क़सम टूट गई कि ऐसे लोग खुद नहीं लिखा करते बल्कि दूसरों से लिखवाया करते हैं और उन लोगों की आदत होती है कि इशारे से हुक्म किया करते हैं (दुर्रे मुख़्तार, बहर)

मसअ्ला : – क़सम खाई कि फ़ुलाँ का ख़त न पढ़ेगा और ख़त को देखा और जो कुछ लिखा है उसे समझा तो क़सम टूट गई कि ख़त पढ़ने से यही मक़सूद है जबान से पढ़ना मक़सूद नहीं यह इमाम मुहम्मद रदियल्लाहु तआला अन्हु का क़ौल है और इमाम अबू यूसुफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जब तक ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ न करेगा क़सम नहीं टूटेगी और उसी क़ौले सानी पर फ़तवा है (बहर)मगर यहाँ का आम मुहावरा यही है कि ख़त देखा और लिखे हुए को समझा तो यह कहते हैं मैंने पढ़ा लिहाज़ा यहाँ के मुहावरा में क़सम टूटने पर फ़तवा होना चाहिए वल्लाहु तआला अअ्लमु यहाँ के मुहावरा में यह लफ़्ज़ कि ज़ैद का ख़त न पढूँगा एक दूसरे मअ्ना के लिए भी बोला जाता है वह यह कि ज़ैद बे पढ़ा शख़्स है उस के पास जब कहीं से ख़त आता है तो किसी से पढ़वाता है तो अगर यह पढ़ना मक़सूद है तो उस में देखना और समझना क़सम टूटने के लिए काफ़ी नहीं बल्कि पढ़कर सुनाने से टूटेगी।

मसअ्ला :– क़सम खाई कि किसी औरत से कलाम न करेगा और बच्ची से कलाम किया तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाई कि किसी औरत से निकाह न करेगा और छोटी लड़की से निकाह किया तो टूट गयी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़क़ीरों और मिस्कीनों से कलाम न करेगा और एक से कलाम कर लिया तो क़सम टूट गई **और अगर** यह नियत है कि तमाम फ़क़ीरों और मिस्कीनों से कलाम न करेगा तो नहीं टूटी **यूँहीं अगर** क़सम खाई कि बनी आदम से कलाम न करेगा तो एक से कलाम करने में क़सम टूट जायेगी और नियत में तमाम औलादे आदम हैं तो नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ से एक साल कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से एक साल यानी बारह महीने तक कलाम करने से क़सम टूट जायेगी और अगर कहा कि एक महीना कलाम न करेगा तो जिस वक़्त से क़सम खाई है उस वक़्त से एक महीना यानी तीस दिन मुराद हैं और अगर दिन में क़सम खाई कि एक दिन कलाम न करूँगा तो जिस वक़्त से क़सम खाई है उस वक़्त से दूसरे दिन के उसी वक़्त तक कलाम से क़सम टूटेगी और अगर रात में क़सम खाई कि एक रात कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से दूसरे दिन के बाद वाली रात के उसी वक़्त तक मुराद है लिहाज़ा दरमियान का दिन भी शामिल है और अगर रात में कहा कि क़सम खुदा की फ़ुलाँ से एक दिन कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से गुरूब आफ़ताब तक कलाम करने से क़सम टूट जायेगी और अगर दिन में कहा कि फ़ुलाँ शख़्स से एक रात कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से तुलूअ़े फ़ज्र तक कलाम करने से क़सम टूट जायेगी और एक महीना या एक दिन के रोज़े या एअ्तिकाफ़ की क़सम खाई तो उसे इख़्तेयार है जब चाहे एक महीना या एक दिन का रोज़ा कर ले और अगर कहा इस साल कलाम न करूँगा तो साल पूरा होने में जितने दिन बाक़ी हैं वह लिए जायेंगे यानी उस वक़्त से ख़त्म ज़िलहिज्जा तक यूँही अगर कहा कि इस महीना में कलाम न करूँगा तो जितने दिन उस महीना में बाक़ी हैं वह लिए जायेंगे और अगर यूँ कहा कि आज दिन में कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से गुरूब आफ़ताब तक और अगर रात में कहा कि आज रात में कलाम न करूँगा तो रात का जितना हिस्सा बाक़ी है वह मुराद लिया जाये और अगर कहा आज और कल और परसों

कलाम न करूँगा तो दरमियान की रातें भी दाख़िल हैं यानी रात में कलाम करने से भी क़सम टूट जायेगी और अगर कहा कि न आज कलाम करूँगा न कल और न परसों तो रातों में कलाम कर सकता है कि यह एक क़सम नहीं है बल्कि तीन क़समें हैं कि तीन दिनों के लिए अलाहिदा अलाहिदा हैं (बहरुर्राइक़)

मसअला :– क़सम खाई कि कलाम न करूँगा तो क़ुर्आन मजीद पढ़ने या सुबहानल्लाह कहने या और कोई वज़ीफ़ा पढ़ने या किताब पढ़ने से क़सम नहीं टूटेगी और अगर क़सम खाई कि क़ुर्आन मजीद न पढ़ेगा तो नमाज़ में या बैरूने नमाज़ पढ़ने से क़सम टूट जायेगी और अगर उस सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ी और नियत में वह बिस्मिल्लाह है जो सूरए नमल की जुज़ है तो टूट गई वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : –क़सम खाई कि क़ुर्आन की फ़ुलाँ सूरत न पढ़ेगा और उसे अव्वल से आख़िर तक देखता गया और जो कुछ लिखा है उसे समझा तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ किताब न पढ़ेगा और यूँही किया तो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़दीक टूट जायेगी और हमारे यहाँ के उर्फ़ से यही मुनासिब (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़सम खाई कि ज़ैद से कलाम न करूँगा जब तक फ़ुलाँ जगह पर है तो वहाँ से चले जाने के बाद क़सम ख़त्म होगई लिहाज़ा अगर फिर वापस आया और कलाम किया तो कुछ हर्ज नहीं कि क़सम अब बाक़ी न रही (रद्दुल मुहतार)

मसअला :–क़सम खाई कि उसे कचहरी में लेजाकर हल्फ़ दूँगा मुद्दआ अलैहि ने जाकर उसके हक़ का इक़रार कर लिया हल्फ़ की नोबत ही न आई तो क़सम नहीं टूटी यूंहीं अगर क़सम खाई कि तेरी शिकायत फ़ुलाँ से करूँगा फिर दोनों में सुलह हो गई और शिकायत न की तो क़सम नहीं टूटी या क़सम खाई कि उस का क़र्ज़ आज अदा कर देगा और उस ने मुआफ़ कर दिया तो क़सम जाती रही (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के ग़ुलाम या उसके दोस्त या उस की औरत से कलाम न करूँगा और उस ने ग़ुलाम को बेचडाला या और किसी तरह उस की मिल्क से निकल गया और दोस्त से अदावत हो गई और औरत को तलाक़ देदी तो अब कलाम करने से क़सम नहीं टूटेगी ग़ुलाम में चाहें यूँ कहा कि फ़ुलाँ के उस ग़ुलाम से या फ़ुलाँ के ग़ुलाम से दोनों का एक हुक्म है और अगर क़सम के वक़्त वह उसका ग़ुलाम था और कलाम करने के वक़्त भी है या क़सम के वक़्त यह उसका ग़ुलाम न था और अब है दोनों सूरतों में टूट जायेगी (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कहा फ़ुला की उस औरत से या फ़ुलाँ की फ़ुलाँ औरत से या फ़ुलाँ के उस दोस्त से या फ़ुलाँ के फ़ुलाँ दोस्त से कलाम न करूँगा और तलाक़ या अदावत के बाद कलाम किया तो क़सम टूट गई और अगर न इशारा हो न मुअय्यन किया हो और उस ने अब किसी औरत से निकाह किया या किसी से दोस्ती की तो कलाम करने से क़सम टूट जायेगी (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला : – क़सम खाई कि फ़ुलाँ के भाईयों से कलाम न करूँगा और उस का एक ही भाई है तो अगर उसे मालूम था कि एक ही है तो कलाम से क़सम टूट गई वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअला : – क़सम खाई कि उस कपड़े वाले से कलाम न करेगा उस ने कपड़े बेचडाले फिर उस ने कलाम किया तो क़सम टूट गई और जिस ने कपड़े ख़रीदे उस से कलाम किया तो नहीं(आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि मैं उस के पास नहीं फटकूँगा तो यह वही हुक्म रखता है जिसे यह कहा कि मैं उस से कलाम न करूँगा (आलमगीरी)

मसअला : – किसी ने अपनी औरत को अजनबी शख़्स से कलाम करते देखा उस ने कहा अगर तू अब किसी अजनबी से कलाम करेगी तो तुझ को तलाक़ है फिर औरत ने किसी ऐसे शख़्स से कलाम किया जो उस घर में रहता है मगर मुहारिम में से नहीं या किसी रिश्तेदार ग़ैर महरम से कलाम किया तो तलाक़ हो गई (आलमगीरी)

मसअला : – कुछ लोग किसी जगह बैठे हुए बात कर रहे थे उन में से एक ने कहा जो शख़्स अब बोले उस की औरत को तलाक़ है फिर ख़ुद ही बोला तो उस की औरत को तलाक़ हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि जब तक शबे क़द्र न गुज़र ले कलाम न करूँगा अगर यह शख़्स आम लोगों में है तो रमज़ान की सत्ताईसवीं रात गुज़रने पर कलाम कर सकता है और अगर जानता हो कि शबे कद्र में अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है तो जब तक क़सम के बाद पूरा रमज़ान न गुज़र ले कलाम नहीं कर सकता यानी अगर रमज़ान से पहले क़सम खाई तो उस रमज़ान के गुज़रने के बाद कलाम कर सकता है और रमज़ान की एक रात गुज़रने के बाद क़सम खाई तो जब तक दूसरा रमज़ान पूरा न गुज़र जाये कलाम नहीं कर सकता (आलमगीरी)

तलाक़ देने और आज़ाद करने की यमीन(क़सम)

मसअला :– अगर कहा कि पहला गुलाम कि ख़रीदूँ आज़ाद है तो उस के कहने के बाद जिस को पहले ख़रीदेगा आज़ाद हो जायेगा और दो गुलाम एक साथ ख़रीदे तो कोई आज़ाद न होगा कि उन में से कोई पहला नहीं और अगर कहा कि पहला गुलाम जिस का मैं मालिक होंगा आज़ाद है और डेढ़ गुलाम का मालिक हुआ तो जो पूरा है आज़ाद है और आधा कुछ नहीं यूँहीं अगर कपड़े की निस्बत कहा कि पहला थान जो ख़रीदूँ सदक़ा है और डेढ़ थान एक साथ ख़रीदा तो एक पूरे को तसद्दुक़ करे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कहा कि पिछला गुलाम जिस को मैं ख़रीदूँ आज़ाद है और उसके बाद चन्द गुलाम ख़रीदे तो सब में पिछला आज़ाद है और उस का पिछला होना उस वक़्त मालूम होगा जब यह शख़्स मरे उस वास्ते कि जब तक ज़िन्दा है किसी को पिछला नहीं कह सकते और यह अब से आज़ाद न होगा बल्कि जिस वक़्त उसे ख़रीदा है उसी वक़्त से आज़ाद क़रार दिया जायेगा लिहाज़ा अगर सेहत में ख़रीदा जब तो बिलकुल आज़ाद है और मर्ज़ुलमौत में ख़रीदा तो तिहाई माल से आज़ाद होगा और अगर उस कहने के बाद सिर्फ़ एक ही गुलाम ख़रीदा है तो आज़ाद न होगा कि यह पिछला तो जब होगा उस से पहले और भी ख़रीदा होता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कहा पहली औरत जो मेरे निकाह में आये उसे तलाक़ है तो इस कहने के बाद जिस औरत से पहले निकाह होगा उसे तलाक़ पड़जायेगी और आधा महर वाजिब होगा।

मसअला :– अगर कहा कि पिछली औरत जो मेरे निकाह में आये उसे तलाक़ है और दो या ज़्यादा निकाह किये तो जिस से आख़िर में निकाह हुआ निकाह होते ही उसे तलाक़ पड़जायेगी मगर उस का इल्म उस वक़्त होगा जब वह शख़्स मरे क्योंकि जब तक ज़िन्दा है यह नहीं कहा जा सकता कि यह पिछली है क्योंकि हो सकता है कि उस के बाद और निकाह कर ले लिहाज़ा उस के मरने के बाद जब मालूम हुआ कि यह पिछली है तो निस्फ़ महर तलाक़ की वजह से पायेगी और अगर वती हुई है तो पूरा महर भी लेगी और उस की इद्दत हैज़ से शुमार होगी और इद्दत में सोग न करेगी और शौहर की मीरास न पायेगी और अगर उस सूरते मज़कूरा में उस ने एक औरत से निकाह किया फिर दूसरी से किया फिर पहली को तलाक़ देदी फिर उस से निकाह किया तो अगर्चे

उस से एक बार निकाह आख़िर में किया है मगर उस को तलाक़ न होगी बल्कि दूसरी को होगी कि जब उस से पहले एक बार निकाह किया तो यह पहली हो चुकी उसे पिछली नहीं कह सकते अगर्चे दो बारा निकाह उस से आख़िर में हुआ है। (बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह कहा कि अगर मैं घर में जाऊँ तो मेरी औरत को तलाक़ है फिर क़सम खाई कि औरत को तलाक़ नहीं देगा उसके बाद घर में गया तो औरत को तलाक़ हो गई मगर क़सम नहीं टूटी और अगर पहले तलाक़ न देने की क़सम खाई फिर यह कहा कि अगर घर में जाऊँ तो औरत को तलाक़ है और घर में गया तो क़सम भी टूटी और तलाक़ भी हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी शख़्स को अपनी औरत को तलाक़ देने का वकील बनाया फिर यह क़सम खाई कि औरत को तलाक़ नहीं देगा अब उस क़सम के बाद वकील ने उस की औरत को तलाक़ दी तो क़सम टूट गई यूँहीं अगर औरत से कहा तू अगर चाहे तो तुझे तलाक़ है उस के बाद क़सम खाई कि तलाक़ न देगा क़सम खाने के बाद औरत ने कहा मैंने तलाक़ चाही तो तलाक़ भी होगई और क़सम भी टूटी।

मसअ्ला :– क़सम ख़ाई कि निकाह न करेगा और दुसरे को अपने निकाह का वकील किया तो क़सम टूट जायेगी अगर्चे यह कहे कि मेरा मक़सद यह था कि अपनी ज़बान से ईजाब व क़बूल न करूँगा।

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू जने तो तुझे तलाक़ है और मुर्दा या कच्चा बच्चा पैदा हुआ तो तलाक़ होगई हाँ अगर ऐसा कच्चा बच्चा पैदा हुआ जिस के अअ्ज़ा न बने हों तो तलाक़ न हुई (बहर)

मसअ्ला :– जो मेरा ग़ुलाम फ़ुलाँ बात की ख़ुशख़बरी सुनाये वह आज़ाद है और मुतफ़र्रिक़ तौर पर कई ग़ुलामों ने आकर ख़बर दी तो पहले जिस ने ख़बर दी है वह आज़ाद होगा कि ख़ुशख़बरी सुनाने के यह मअ्ना हैं कि ख़ुशी की ख़बर देना जिस को वह न जानता हो तो दूसरे और तीसरे ने जो ख़बर दी यह जानने के बाद है लिहाज़ा आज़ाद न होंगे और झूटी ख़बर दी तो कोई आज़ाद न होगा कि झूटी ख़बर को ख़ुशख़बरी नहीं कहते और अगर सब ने एक साथ ख़बर दी तो सब आज़ाद हो जायेंगे (तन्वीरुलअबसार)

ख़रीद व फ़रोख़्त व निकाह वग़ैरा की क़सम

मसअ्ला :– बाज़ अक़्द उस क़िस्म के हैं कि उनके हुक़ूक़ उसकी तरफ़ रुजूअ् करते हैं जिस से वह अक़्द सादिर हो उसमें, वकील को उसकी हाजत नहीं कि यह कहे मैं फ़ुलाँ की तरफ़ से यह अक़्द करता हूँ जैसे ख़रीदना, बेचना, किराया पर देना, किराया पर लेना और बाज़ फ़ेअ्ल ऐसे हैं जिन में वकील को मुअक्किल की तरफ़ निस्बत करने की हाजत होती है जैसे मुक़द्दमा लड़ाना कि वकील को कहना पड़ेगा कि यह दअ्वा मैं अपने फ़ुलाँ मुअक्किल की तरफ़ से करता हूँ और बाज़ फ़ेअ्ल ऐसे होते हैं जिन में अस्ल फ़ायदा उसी को होता है जो उस फ़ेअ्ल का महल है यानी जिस पर वह फ़ेअ्ल वाक़ेअ् है जैसे औलाद को मारना उन तीनों क़िस्मों में अगर ख़ुद करे तो क़सम टूटेगी और उस के हुक्म से दूसरे ने किया तो नहीं मसलन क़सम खाई कि यह चीज़ मैं नहीं ख़रीदूँगा और दूसरे से ख़रीदवाई या क़सम खाई कि घोड़ा किराया पर नहीं दूँगा और दूसरे से यह काम लिया या दअ्वा न करूँगा और वकील से दअ्वा कराया या अपने लड़के को नहीं मारूँगा और दूसरे से मारने को कहा तो इन सब सूरतों में क़सम नहीं टूटी और जो अक़्द इस क़िस्म के हैं कि उनके हुक़ूक़ उस के लिए नहीं जिस से वह अक़्द सादिर हों कि यह शख़्स महज़ मुतवस्सित

(बिचौलिया) होता है बल्कि हुकूक़ उस के लिए हों जिस ने हुक्म दिया है और जो मुअक्किल है जैसे निकाह, गुलाम आज़ाद करना, हिबा, सदक़ा, वसियत, क़र्ज़ लेना, अमानत रखना, आ़रियत देना, आ़रियत लेना या जो फ़ेअ़्ल ऐसे हों कि उन का नफ़अ़् और मसलिहत हुक्म करने वाले के लिए है जैसे गुलाम को मारना, ज़िबह करना, दैन का तक़ाज़ा, दैन का क़ब्ज़ा करना, कपड़ा पहनना, कपड़ा सिलवाना, मकान बनवाना, तो इस सब में ख़्वाह खुद कर ले या दूसरे से कराये बहर ह़ाल क़सम टूट जायेगी मसलन क़सम खाई कि निकाह नहीं करेगा और किसी को अपने निकाह का वकील कर दिया उस वकील ने निकाह कर दिया या हिबा व सदक़ा व वसियत और क़र्ज़ लेने के लिए दूसरे को वकील किया और वकील ने यह काम अन्जाम दिये या क़सम खाई कि कपड़ा नहीं पहनेगा और दूसरे से कहा उस ने पहना दिया या क़सम खाई कि कपड़े नहीं सिलवायेगा उस के हुक्म से दूसरे ने सिलवाये या मकान नहीं बनायेगा और उस के हुक्म से दूसरे ने बनाया तो क़सम टूट गई (फ़त्हुलक़दीर वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ चीज़ नहीं ख़रीदेगा या नहीं बेचेगा और नियत यह है कि न खुद अपने हाथ से ख़रीदे बेचेगा न दूसरे से यह काम लेगा और दूसरे से ख़रीदवाई या बेचवाई तो क़सम टूट गई कि ऐसी नियत कर के उस ने खुद अपने ऊपर और सख़्ती कर ली यूँहीं अगर ऐसी नियत तो नहीं है मगर यह क़सम खाने वाला उन लोगों में है कि ऐसी चीज़ अपने हाथ से ख़रीदते बेचते नहीं हैं तो अब भी दूसरे से ख़रीदवाने बेचवाने से क़सम टूट जायेगी और अगर वह शख़्स कभी खुद ख़रीदता और कभी दूसरे से ख़रीदवाता है तो अगर अकसर खुद ख़रीदता है तो वकील के ख़रीदने से नहीं टूटेगी और अगर अकसर ख़रीदवाता है तो टूट जायेगी (बहर आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ चीज़ नहीं ख़रीदेगा या नहीं बेचेगा और दूसरे की त़रफ़ से ख़रीदी या बेची तो क़सम टूट गई (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि नहीं ख़रीदेगा या नहीं बेचेगा और बैअ़् फ़ासिद के साथ ख़रीदी या बेची तो क़सम टूट गई अगर्चे क़ब्ज़ा न हो यूँहीं अगर बाइअ़् (बेचने वाला) या मुश्तरी (ख़रीदार)ने इख़्तियार वापसी का अपने लिए रखा हो जब भी क़सम टूट गई हिबा, व इजारा का भी यही हुक्म है कि फ़ासिद से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह चीज़ नहीं बेचेगा और उस को किसी मुआ़विज़ा की शर्त़ पर हिबा कर दिया और दोनों जानिब से क़ब्ज़ा भी हो गया तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सूरते मज़कूरा में अगर बैअ़् बात़िल के ज़रिअ़ा से ख़रीदी या बेची या ख़रीदने के बाद क़सम खाई कि उसे नहीं बेचेगा और वह चीज़ बाइअ़् (बेचने वाले) को फ़ेर दी या अ़ैब ज़ाहिर हुआ और फ़ेर दी तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि नहीं बेचेगा और किसी शख़्स ने बे उस के हुक्म के बेचदी और उस ने उस को जाइज़ कर दिया तो क़सम नहीं टूटी हाँ अगर वह क़सम खाने वाला ऐसा है कि खुद अपने हाथ से ऐसी चीज़ नहीं बेचता है तो टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि बेचने के लिए ग़ल्ला न ख़रीदेगा और घर के ख़र्च के लिए ख़रीदा फिर किसी वजह से बेचडाला तो क़सम नहीं टूटी (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि मकान नहीं बेचेगा और उसे औरत के महर में दिया उस में दो सूरतें हैं एक यह कि यह मकान ही महर हो कि निकाह में यह कहा हो कि ब एवज़ उस मकान के तेरे निकाह में दी जब तो नहीं टूटी और अगर रुपये का महर बन्धा था मसलन इतने सौ या इतने हज़ार रुपये दैन महर के एवज़ तेरे निकाह में दी और रुपये के एवज उस ने मकान देदिया तो क़सम टूट गई (बहर रदुल मुहतार)

मसअला : – क़सम खाई कि फुलाँ से नहीं ख़रीदेगा और उस से बैअ् सलम के ज़रिआ से कोई चीज़ ख़रीदी तो क़सम टूट गई (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि यह जानवर बेचडालेगा और वह चोरी हो गया तो जबतक उसके मरने का यक़ीन न हो क़सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअला :– किसी चीज़ का भाव किया बाइअ् (बेचने वाला) ने कहा मैं बारह रुपये से कम में नहीं दूँगा उस ने कहा अगर मैं बारह रुपया में लूँ तो मेरी औरत को तलाक़ है फिर वही चीज़ तेरह में या बारह रुपये और कोई कपड़ा वग़ैरा रुपये पर इज़ाफ़ा कर के ख़रीदी यानी बाराह से ज़्यादा दिये तो तलाक़ हो गई और अगर ग्यारा रुपये और उन के साथ कुछ कपड़ा वग़ैरा दिया तो नहीं(आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि कपड़ा नहीं ख़रीदेगा और कमली या टाट या बिछौना या टोपी या क़ालीन ख़रीदा तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाई कि नया कपड़ा नहीं ख़रीदेगा तो इस्तिमाली कपड़ा धुला हुआ भी ख़रीदने से क़सम टूट जायेगी (बहर)मगर बाज़ कपड़े इस ज़माने में ऐसे हैं कि उन के धुलने की नोबत नहीं आती वह अगर इतने इस्तिमाली हैं कि उन्हें पुराना कहते हों तो पुराने हैं।

मसअला :– क़सम खाई कि सोना चाँदी नहीं ख़रीदूँगा और उन के बर्तन या ज़ेवर ख़रीदे तो क़सम टूट गई और रुपया या अशरफ़ी ख़रीदी तो नहीं कि उन के ख़रीदने को उ़र्फ़ में सोना चाँदी ख़रीदना नहीं कहते यूँहीं क़सम खाई कि ताँबा नहीं ख़रीदेगा और पैसे मोल लिए तो नहीं टूटी(बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि जौ न ख़रीदेगा और गेहूँ ख़रीदे उन में कुछ दाने जौ के भी हैं तो क़सम नहीं टूटी यूंहीं अगर ईंट, तख़्ता, कड़ी वग़ैरा के न ख़रीदने की क़सम खाई और मकान ख़रीदा जिस में यह सब चीज़ें हैं तो नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि गोश्त नहीं ख़रीदेगा और ज़िन्दा बकरी ख़रीदी या क़सम खाई कि दूध नहीं ख़रीदेगा और बकरी वग़ैरा कोई जानवर ख़रीदा जिस के थन में दूध है तो क़सम नहीं टूटी(बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि पीतल या ताँबा नहीं ख़रीदेगा और उन के बर्तन तश्त वग़ैरा ख़रीदे तो क़सम टूट गई (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि तेल नहीं ख़रीदेगा और नियत कुछ न हो तो वह तेल मुराद लिया जायेगा जिस के इस्तिमाल की वहाँ आदत हो ख़्वाह खाने में या सर के डालने में (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि फुलाँ औरत से निकाह न करेगा और निकाहे फ़ासिद किया मसलन बग़ैर गवाहों के या इद्दत के अन्दर तो क़सम नहीं टूटी कि निकाहे फ़ासिद,निकाह नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़सम खाई कि लड़के या लड़की का निकाह न करेगा और नाबालिग़ हों तो ख़ुद करे या दूसरे को वकील कर दे दोनों सूरतों में क़सम टूट गई और बालिग़ हों तो ख़ुद पढ़ाने से टूटेगी दूसरे को वकील करने से नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि निकाह न करेगा फिर यह पागल या बोहरा हो गया और उस के बाप ने निकाह कर दिया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि निकाह न करेगा और क़सम से पहले फ़ुज़ूली ने निकाह किया था और बाद क़सम उस ने निकाह को जाइज़ कर दिया तो नहीं टूटी और क़सम के बाद फ़ज़ूली ने निकाह कर दिया है तो अगर क़ौल से जाइज़ करेगा टूट जायेगी और फ़ेअ्ल से जाइज़ किया मसलन औरत के पास महर भेजदिया तो नहीं टूटी और अगर फ़ुज़ूली या वकील ने निकाहे फ़ासिद किया है तो नहीं टूटेगी (आलमीगरी)

मसअ्ला :– निकाह न करने की क़सम खाई और किसी ने मजबूर कर के निकाह कराया तो क़सम टूट गई (ख़ानिया)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इतने से ज़्यादा महर पर निकाह न करेगा और उतने ही पर निकाह किया बाद को महर में इज़ाफ़ा कर दिया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई पोशीदा निकाह करेगा और दो गवाहों के सामने निकाह किया तो नही टूटी और तीन के सामने किया तो टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ को क़र्ज़ न देगा और बग़ैर माँगे उस ने क़र्ज़ दिया उस ने लेने से इन्कार कर दिया जब भी क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ से कोई चीज़ आ़रियत न लेगा उस ने अपने घोड़े पर उसे बिठा लिया तो नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इस क़लम से नहीं लिखेगा और उसे तोड़ कर दोबारा बनाया और लिखा क़सम टूट गई कि उ़र्फ़ में उस टूटे हुए को भी क़लम कहते हैं (रद्दुल मुहतार)

नमाज़ रोज़ा हज की क़सम का बयान

मसअ्ला : – नमाज़ न पढ़ने या रोज़े न रखने या हज न करने की क़सम खाई और फ़ासिद अदा किया तो क़सम नहीं टूटी जब कि शुरूअ् ही से फ़ासिद हो मसलन बग़ैर त़हारत नमाज़ पढ़ी या तुलूअ् फ़ज्र के बाद खाना खाया और रोज़ा की नियत की **और अगर** शुरूअ् सेहत के साथ किया बाद को फ़ासिद कर दिया मसलन एक रकअ्त नमाज़ पढ़कर तोड़दी या रोज़ा रख कर तोड़ दिया अगर्चे नियत करने के थोड़े ही बाद तोड़ दिया तो क़सम टूट गई (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़ न पढ़ने की क़सम खाई और क़याम व क़िरात व रुकूअ् कर के तोड़दी तो क़सम नहीं टूटी और सजदे कर के तोड़ी तो टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ुहर की नमाज़ न पढ़ेगा तो जबतक क़अ्दा–ए–आख़िरा में अत्तहियात न पढ़ ले क़सम न टूटेगी यानी उस से क़ब्ल फ़ासिद करने में क़सम नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि किसी की इमामत न करेगा और तन्हा शुरूअ् कर दी फिर लोगों ने उस की इक़तिदा कर ली मगर उसने इमामत की नियत न की तो मुक़तदीयों की नमाज़ हो जायेगी अगर्चे जुमअ़ा की नमाज़ हो और उस की क़सम न टूटी यूँहीं अगर जनाज़ा या सजदा–ए–तिलावत में लोगों ने उसकी इक़्तिदा,की जब भी क़सम न टूटी और अगर क़सम के यह लफ़्ज़ हों कि नमाज़ में इमामत न करूँगा तो नमाज़े जनाज़ा में इमामत की नियत से भी नहीं टूटेगी(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेगा और उस की इक़्तिदा की मगर पीछे खड़ा न हुआ बल्कि बराबर दाहिने या बायें खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी या क़सम खाई कि फ़ुलाँ के साथ नमाज़ न पढ़ेगा और उस की इक़्तिदा की अगर्चे साथ न खड़ा हुआ बल्कि पीछे खड़ा हुआ क़सम टूट गई (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि नमाज़ वक़्त गुज़ार कर न पढ़ेगा और सो गया यहाँ तक कि वक़्त ख़त्म हो गया अगर वक़्त आने से पहले सोया और वक़्त जाने के बाद आँख खुली तो क़सम नहीं टूटी और वक़्त हो जाने के बाद सोया तो टूट गई (रद्दुल मुहतार)

मसअला : – क़सम खाई कि फ़ुलाँ नमाज़ जमाअत से पढ़ेगा और आधी से कम जमाअत से मिली यानी चार, तीन या तीन रकअ़त वाली में एक रकअ़त जमाअत से पाई क़अ़दा में शरीक हुआ तो क़सम टूट गई अगर्चे जमाअ़त का सवाब पायेगा (शरह वक़ाया)

मसअला :– औरत से कहा अगर तू नमाज़ छोड़ेगी तो तुझ को तलाक़ और नमाज़ क़ज़ा हो गई मगर पढ़ ली तो तलाक़ न हुई कि उ़र्फ़ में नमाज़ छोड़ना उसे कहते हैं कि बिल्कुल न पढ़े अगर्चे शरअ़न क़स्दन क़ज़ा कर देने को भी छोड़ना कहते हैं (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़सम खाई कि इस मस्जिद में नमाज़ न पढ़ेगा और अगर मस्जिद बढ़ाई गई उस ने उस हिस्से में नमाज़ पढ़ी जो अब ज़्यादा किया गया है तो क़सम नहीं टूटी अगर क़सम में यह कहा फ़ुलाँ महल्ला या फ़ुलाँ शख़्स की मस्जिद में नमाज़ न पढ़ेगा और मस्जिद में कुछ इज़ाफ़ा हुआ उस ने उस जगह पढ़ी जब भी टूट गई (बहर)

लिबास के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

मसअला :– क़सम खाई कि अपनी औ़रत के काते हुए सूत का कपड़ा न पहनेगा और औ़रत ने सूत काता और वह बुनकर कपड़ा तैय्यार हुआ **और अगर** वह रूई जिस का सूत बना है क़सम खाते वक़्त शौहर की थी तो पहनने से क़सम टूट गई वरना नहीं अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ के काते हुए सूत का कपड़ा न पहनेगा और कुछ उसका काता है और कुछ दूसरे का दोनों को मिला कर कपड़ा बुनवाया तो क़सम न टूटी और अगर कुल सूत उसी का काता हुआ है दूसरे के काते हुए डोरे से कपड़ा सिया गया है तो क़सम टूट गई (बहर, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अंगरखा, अचकन, शेरवानी तीनों में फ़र्क़ है लिहाज़ा अगर क़सम खाई कि शेरवानी न पहनेगा तो अंगरखा पहनने से क़सम न टूटी यूँहीं क़मीस़ और कुर्ते में भी फ़र्क़ है लिहाज़ा एक की क़सम खाई और दूसरा पहना तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे अ़रबी में क़मीस़ कुर्ते को कहते हैं यूँहीं पतलून और पाजामा में भी फ़र्क़ है अगर्चे अंग्रेज़ी में पतलून पाजामा ही को कहते हैं यूँहीं बूट न पहनने की क़सम खाई और हिन्दुस्तानी जूता पहना क़सम न टूटी कि उस को बूट नहीं कहते।

मसअला :– क़सम खाई कि कपड़ा नहीं पहनेगा या नहीं ख़रीदेगा तो मुराद इतना कपड़ा है जिस से सतर छुपा सकें और उस को पहनकर नमाज़ जाइज़ हो सके तो टूट गई वरना नहीं यूँहीं टाट या दरी या क़ालीन पहन लेने या ख़रीदने से क़सम न टुटेगी और पोस्तीन से टूट जायेगी और अगर क़सम खाई कि कुर्ता न पहनेगा और उस सूरत में कुर्ते को तहबन्द की त़रह बाँध लिया या चादर की त़रह ओढ़ लिया तो नहीं टूटी और अगर कहा कि यह कुर्ता नहीं पहनेगा तो किसी त़रह पहने क़सम टूट जायेगी (बहर, रद्दुल, मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ेवर नहीं पहनेगा तो चाँदी सोने के हर क़िस्म के गहने और मोतियों या जवाहिर के हार और सोने की अँगूठी पहनने से क़सम टूट जायेगी और चाँदी की अँगूठी से नहीं जब कि एक नग की हो और कई नग की हो तो उस से भी टूट जायेगी यूँहीं अगर उस पर सोने का मुलम्मा (सोने का पानी चढ़ा हुआ) हो तो टूट जायेगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़मीन पर नहीं बैठेगा और ज़मीन पर कोई चीज़ बिछाकर बैठा मसलन तख़्ता या चमड़ा या बिछौना या चटाई तो क़सम नहीं टूटी और अगर्चे बग़ैर बिछाये हुए बैठ गया अगर्चे कपड़ा पहने हुए है जिस की वजह से उसका बदन ज़मीन से न लगा तो क़सम टूट गई और अगर कपड़े उतार कर ख़ुद उस कपड़े पर बैठा तो नहीं टूटी कि उसे ज़मीन पर बैठना न कहेंगे और अगर घास पर बैठा तो नहीं टूटी जब कि ज़्यादा हो (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इस बिछौने पर नहीं सोयेगा और उस पर दूसरा बिछौना और बिछा दिया और उस पर सोया तो क़सम नहीं टूटी और अगर सिर्फ़ चादर बिछाई तो टूट गई उस चटाई पर न सोने की क़सम खाई थी उस पर दूसरी चटाई बिछा कर सोया तो नहीं टूटी और अगर यूँ कहा था कि बिछौने पर नहीं सोयेगा तो अगर्चे उस पर दूसरा बिछौना बिछा दिया हो टूट जायेगी

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस तख़्त पर नहीं बैठेगा और उस पर दूसरा तख़्त बिछा लिया तो नहीं टूटी और बिछौना या बोरिया बिछा कर बैठा तो टूट गई हाँ अगर यूँ कहा कि उस तख़्त के तख़्तों पर न बैठेगा तो उस पर बिछा कर बैठने से नहीं टूटेगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़मीन पर नहीं चलेगा तो जूते या मौज़े पहनकर या पत्थर पर चलने से टूट जायेगी और बिछौने पर चलने से नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के कपड़े या बिछौने पर नहीं सोयेगा और बदन का ज़्यादा हिस्सा उस पर कर के सो गया टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मारने के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

मसअ्ला :– जो फ़ेअ्ल ऐसा है कि उस में मुर्दा व ज़िन्दा दोनों शरीक हैं यानी दोनों के साथ मुतअल्लिक़ हो सकता है तो उस में ज़िन्दगी व मौत दोनों हालतों में क़सम का एअ्तिबार है जैसे नहलाना कि ज़िन्दा को भी नहला सकते हैं और मुर्दा को भी और जो फ़ेअ्ल ऐसा है कि ज़िन्दगी के साथ ख़ास है उस में ख़ास ज़िन्दगी की हालत का एअ्तिबार होगा मरने के बाद करने से क़सम टूट जायेगी यानी जब कि उस फ़ेअ्ल के करने की क़सम खाई और अगर न करने की क़सम खाई और मरने के बाद वह फ़ेअ्ल किया तो नहीं टूटेगी जैसे वह फ़ेअ्ल जिस से लज़्ज़त या रन्ज या ख़ुशी होती है कि ज़ाहिर में यह ज़िन्दगी के साथ ख़ास हैं अगर्चे शरअ़न मुर्दा भी बाज़ चीज़ों से लज़्ज़त पाता है और उसे भी रन्ज व ख़ुशी होती है मगर ज़ाहिर में निगाहें उस के इदराक (जान लेने) से क़ासिर हैं और क़सम का मदार हक़ीक़ते शरईया पर नहीं बल्कि उर्फ़ पर है लिहाज़ा ऐसे अफ़आल में ख़ास ज़िन्दगी की हालत मोअ्तबर है उस कायदा के मुतअ़ल्लिक़ बाज़ मिसालें सुनो मसलन क़सम खाई कि फ़ुलाँ को नहीं नहलायेगा या नहीं उठायेगा या कपड़ा नहीं पहनायेगा और मरने के बाद उसे ग़ुस्ल दिया या उस का जनाज़ा उठाया या उसे कफ़न पहनाया तो क़सम टूट गई कि यह फ़ेअ्ल उस की ज़िन्दगी के साथ ख़ास न थे और अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ को मारूँगा या उस से कलाम करूँगा या उस की मुलाक़ात को जाऊँगा या उसे प्यार करूँगा और यह

अफ़आल उस के मरने के बाद किए यानी उसे मारा या उस से कलाम किया या उस के जनाज़ा या क़ब्र पर गया या उसे प्यार किया तो क़सम टूट गई कि अब वह अफ़आल का महल न रहा

मसअला :– क़सम खाई कि अपनी औरत को नहीं मारेगा और उसके बाल पकड़ कर खींचे या उस का गला घोंट दिया या दाँत से काट लिया या चुटकी ली अगर यह अफ़आल गुस्सा में हुए तो क़सम टूटगई और अगर हँसी हँसी में ऐसा हुआ तो नहीं यूँहीं अगर दिल लगी में मर्द का सर औरत के सर से लगा और औरत का सर टूट गया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि तुझे इतना मारूँगा कि मरजाये हज़ारों घूँसे मारूँगा तो इस से मुराद मुबालग़ा है न कि मार डालना या हज़ारों घूँसे मारना अगर कहा कि मारते मारते बेहोश कर दूँगा या इतना मारूँगा कि रोने लगे या चिल्लाने लगे या पेशाब कर दे तो क़सम उस वक़्त सच्ची होगी कि जितना कहा उतना ही मारे और अगर कहा कि तलवार से मारूँगा यहाँ तक कि मरजाये तो यह मुबालग़ा नहीं बल्कि मारडालने से क़सम पूरी होगी। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़सम खाई कि उसे तलवार से मारूँगा और नियत कुछ न हो और तलवार पट करके उसे मारी तो क़सम पूरी होगई और तलवार म्यान में थी वैसे ही म्यान समीत उसे मारदी तो क़सम पूरी न हुई हाँ अगर तलवार ने म्यान को काट कर उस शख़्स को ज़ख़्मी कर दिया तो क़सम पूरी हो गई और और अगर नियत यह है कि तलवार की धारकी तरफ़ से मारेगा तो पट कर के मारने से क़सम पूरी न हुई और अगर क़सम खाई कि उसे कुल्हाड़ी या तीर से मारूँगा और उसके बेंट से मारा तो क़सम पूरी न हुई (आलमगीरी, बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि सौ कोड़े मारूँगा और सौ कोड़े जमअ़ (इकठ्ठा) कर के एक मरतबा में मारा कि सब उस के बदन पर पड़े तो क़सम सच्ची हो गई जब कि उसे चोट भी लगे और अगर सिर्फ़ छुआ दिया कि चोट न लगी तो क़सम पूरी न हुई (बहर)

मसअला :– किसी से कहा अगर तुम मुझे मिले और मैंने तुम्हें न मारा तो मेरी औरत को तलाक़ है और वह शख़्स एक मील के फ़ासिला से उसे दिखाई दिया या वह छत पर है और यह उस पर चढ़ नहीं सकता तो तलाक़ वाक़ेअ़ न हुई (आलमगीरी)

अदाऐ दैन वग़ैरा के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

मसअला :– क़सम खाई कि उस का कर्ज़ फ़लाँ रोज़ अदा कर दूँगा और खोंटे रुपये या बड़ी गोली का रुपया जो दुकान्दार नहीं लेते उस ने कर्ज़ में दिया तो क़सम नहीं टूटी और अगर उस रोज़ रुपया लेकर उस के मकान पर आया मगर वह मिला नहीं तो क़ाज़ी के पास इतने करीब रख दिये कि लेना चाहे तो हाथ बढ़ा कर ले सकता है तो क़सम पूरी होगई (दुर्रे मुख़्तार, बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ रोज़ उस के रुपये अदा करूँगा और वक़्त पूरा होने से पहले उस ने मुआफ़ कर दिया या उस दिन के आने से पहले ही उस ने अदा कर दिया तो क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर क़सम खाई कि यह रोटी कल खायेगा और आज ही खाली तो क़सम नहीं टूटी अगर कर्ज़ ख़्वाह ने क़सम खाई कि फ़ुलाँ रोज़ रुपया वुसूल करलूँगा और उस दिन के पहले मुआफ़ कर दिया या हिबा कर दिया तो नहीं टूटी और अगर दिन मुक़र्रर न किया तो टूट गई (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– क़र्ज़ ख़्वाह ने क़सम खाई कि बग़ैर अपना हक़ लिए तुझे न छोडूँगा फिर कर्ज़दार से अपने रुपये के बदले में कोई चीज़ ख़रीदली और चला गया तो क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर किसी

औरत पर रुपये थे और क़सम खाई कि बग़ैर हक़ लिए न हटूँगा और वहीं रहा यहाँ तक कि उस रुपये को महर क़रार देकर औरत से निकाह कर लिया तो क़सम नहीं टूटी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि बग़ैर अपना लिए तुझ से जुदा न होंगा तो अगर वह ऐसी जगह है कि यह उसे देख रहा है और उस की हिफ़ाज़त में है तो अगर्चे कुछ फ़ासिला हो मगर जुदा होना न पाया गया यूँहीं अगर मस्जिद का सुतून दरमियान में हाइल हो या एक मस्जिद के अन्दर हो दूसरा बाहर और मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है कि उसे देखता है तो जुदा न हुआ और अगर मस्जिद की दीवार दरमियान में हाइल है कि उसे नहीं देखता और एक मस्जिद में है और दूसरा बाहर तो जुदा हो गया और क़सम टूट गई और अगर क़र्ज़दार को मकान में कर के बाहर से ताला बन्द कर दिया और दरवाज़ा पर बैठा है और कुंजी उस के पास है तो जुदा न हुआ और अगर क़र्ज़दार ने उसे पकड़ कर मकान में बन्द कर दिया और कुंजी कर्ज़दार के पास है तो क़सम टूटगई (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि अपना रुपया उस से वुसूल करूँगा तो इख़्तियार है कि ख़ुद वुसूल करे या उस का वकील और ख़्वाह ख़ुद उसी से ले या उस के वकील या ज़ामिन से या उस से जिस पर उस ने हवाला कर दिया बहर हाल क़सम पूरी हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़र्ज़ख़्वाह क़र्ज़दार के दरवाज़े पर आया और क़सम खाई कि बग़ैर लिए न हटूँगा और क़र्ज़दार ने आकर उसे धक्का देकर हटा दिया मगर उस के ढकेलने से हटा ख़ुद अपने क़दम से न चला और जब उस जगह से हटा दिया गया अब उस के बाद बग़ैर लिए चला गया तो क़सम नहीं टूटी कि वहाँ से ख़ुद न हटा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं अपना कुल रुपया एक दफ़अ् लूँगा थोड़ा थोड़ा नहीं लूँगा और एक ही मज्लिस में दस दस या पच्चीस पच्चीस गिन गिन कर उसे देता गया और यह लेता गया तो क़सम नहीं टूटी यानी गिनने में जो वक़्फ़ा हुआ उस का क़सम में एअ्तिबार नहीं और उस को थोड़ा थोड़ा लेना न कहेंगे और अगर थोड़े थोड़े रुपये लिए तो क़सम टूट जायेगी मगर जबतक कि कुल रुपया पर कब्ज़ा न कर ले नहीं टूटेगी यानी जिस वक़्त सब रुपये पर क़ब्ज़ा हो जायेगा उस वक़्त टूटेगी उस से पहले अगर्चे कई मर्तबा थोड़े थोड़े लिए हैं मगर क़सम नहीं टूटी थी(आलमगीरी दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ने कहा अगर मेरे पास माल हो तो औरत को तलाक़ है और उसके पास मकान और असबाब हैं जो तिजारत के लिए नहीं तो तलाक़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम ख़ाई कि यह चीज़ फ़लाँ को हिबा करूँगा और उस ने हिबा किया मगर उस ने क़बूल न किया तो क़सम सच्ची हो गई और अगर क़सम खाई कि उस के हाथ बेचूँगा और उस ने कहा कि मैंने यह चीज़ तेरे हाथ बेची मगर उस ने कबूल न की तो क़सम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ख़ुश्बू न सूँघेगा और बिला क़स्द नाक में गई तो क़सम नहीं टूटी और क़स्दन सूँघी तो टूट गई (बहर वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ शख़्स जो हुक्म देगा बजा लाऊँगा और जिस चीज़ से मनअ् करेगा बाज़ रहूँगा और उस ने बीवी के पास जाने से मनअ् कर दिया और यह नहीं माना वहाँ कोई क़रीना ऐसा था जिस से यह समझा जाता हो कि उस से मनअ् करेगा तो उस से भी बाज़ आऊँगा जब तो क़सम टूट गई वरना नहीं। (आलमगीरी)

हुदूद का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۙ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

तर्जमा :– "और अल्लाह के बन्दे वह कि खुदा के साथ दूसरे मअ्बूद को शरीक नहीं करते और उस जान को क़त्ल नहीं करते जिसे खुदा ने हराम किया और ज़िना नहीं करते और जो यह काम करे वह सज़ा पायेगा क़ियामत के दिन उस पर अज़ाब बढ़ाया जायेगा और हमेशा ज़िल्लत के साथ उस में रहेगा मगर जो तौबा करे और ईमान लाये और अच्छा काम करे तो अल्लाह उन की बुराईयों को नेकियों के साथ बदल देगा और अल्लाह बख़्शने वाला महरबान है"।

"और फ़रमाता है।"

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ.

तर्जमा :– "जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं मगर अपनी बीवियों या बांदियों से उन पर मलामत नहीं और जो इस के सिवा कुछ और चाहे तो वह हद से गुज़रने वाले हैं"।

और फ़रमाता है।

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَآءَ سَبِيْلًا

तर्जमा :– "ज़िना के क़रीब न जाओ कि वह बेहायाई है और बुरी राह है"।

"और फ़रमाता है।"

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

तर्जमा :– "औरत ज़ानिया और मर्द ज़ानी उन में हर एक को सौ कोड़े मारो और तुम्हें उन पर तर्स न आये अल्लाह के दीन में अगर तुम अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान रखते हो और चाहिए कि उन की सज़ा के वक़्त मुसलमानों का एक गिरोह हाज़िर हो"।

और फ़रमाता है। وَ لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

तर्जमा :– "अपनी बान्दियों को ज़िना पर मजबूर न करो अगर वह पारसाई चाहें (इस लिए मजबूर करते हो) कि दुनिया की ज़िन्दगी का कुछ सामान हासिल करो और जो उन को मजबूर करे तो बाद इस के कि मजबूर की गई अल्लाह उन को बख़्शने वाला और मेहरबान है"।

हदीस न.1 :– इब्ने माजा अब्दुल्ला बिन उमर और नसाई अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हुदूद में से किसी हद का क़ाइम करना चालीस रात की बारिश से बेहतर है।

हदीस न.2 :– इब्ने माजा, इबादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह की हुदूद को क़रीब व बईद सब में क़ाइम करो और अल्लाह के हुक्म बजालाने में मलामत करने वाले की मलामत तुम्हें न रोके।

हदीस न.3 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि एक मख़्ज़ूमिया औरत ने चोरी की थी जिसकी वजह से कुरैश को फ़िक्र पैदा हो गई (कि उसे किस तरह हद से बचाया जाये)आपस में लोगों ने कहा कि इस के बारे में कौन शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सिफ़ारिश करेगा फिर लोगों ने कहा सिवाए उसामा इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महबूब हैं कोई शख़्स सिफ़ारिश करने की जुरअत नहीं कर सकता ग़र्ज़ उसामा ने सिफ़ारिश की इस पर हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि तू हद के बारे में सिफ़ारिश करता है फिर हुज़ूर ख़ुत्बा के लिए खड़े हुए और उस ख़ुतबा में यह फ़रमाया कि अगले लोगों को इस बात ने हलाक किया कि अगर उन में कोई शरीफ़ चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हद क़ाइम करते क़सम है ख़ुदा की अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम (वलअयाज़ु बिल्लाहि तआला)चोरी करती तो उस का भी हाथ काट देता।

हदीस न.4 :– इमाम अहमद व अबूदाऊद व अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि को फ़रमाते सुना कि जिस की सिफ़ारिश हद क़ाइम करने में हाइल हो जाये उस ने अल्लाह की मुख़ालिफ़त की और जो जानकर बातिल के बारे में झगड़े वह हमेशा अल्लाह तआला की नाराज़ी में है जब तक उस से जुदा न हो जाये और जो शख़्स मोमिन के मुतअल्लिक़ ऐसी चीज़ कहे जो उस में न हो अल्लाह तआला उसे रोग़तुल ख़बाल में उस वक़्त तक रखेगा जब तक उस के गुनाह की सज़ा पूरी न होले रोग़तुल ख़बाल जहन्नम में एक जगह है जहाँ जहन्नमियों का ख़ून और पीप जमअ् होगा।

हदीस न.5 :– अबू दाऊद व नसाई बरिवायत अम्र इब्ने शोऐब अन अबीहे अन ज़द्देही रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हद को आपस में तुम मुआफ़ कर सकते हो यानी जब तक उस का मुक़द्दमा मेरे पास पेश न हो तुम्हें दर गुज़र करने का इख़्तियार है और मेरी ख़िदमत में पहुँचने के बाद वाजिब हो जायेगी (यानी अब ज़रूर क़ाइम होगी)

हदीस न.6 :– अबूदाऊद व उम्मुलमोमिनीन आइशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया(ऐ अइम्मा)इज़्ज़त दारों की लग़ज़िशें दफ़अ् कर दो मगर हुदूद कि उन को दफ़अ् नहीं कर सकते।

हदीस न.7 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबूहुरैरा व ज़ैद इब्ने ख़ालिद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि दो शख़्सों ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में मुक़द्दमा पेश किया एक ने कहा हमारे दरमियान किताबुल्लाह के मुवाफ़िक़ फ़ैसला फ़रमायें दूसरे ने भी कहा या रसूलल्लाह किताबुल्लाह के मुवाफ़िक़ फ़ैसला कीजिए और मुझे अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिए इरशाद फ़रमाया अर्ज़ करो उस ने कहा मेरा लड़का इस के यहाँ मज़दूर था उस ने इस की औरत से ज़िना किया लोगों ने मुझे ख़बर दी कि मेरे लड़के पर रजम है मैंने सौ बकरियाँ और एक कनीज़ अपने लड़के के फ़िदया में दी फिर जब मैंने अहले इल्म से सवाल किया तो उन्होंने ख़बरदी

कि मेरे लड़के पर सौ कोड़े मारे जायेंगे और एक साल के लिए जिलावतन किया जायेगा और इसकी औरत पर रजज्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़सम है उस की जिस के क़ब्ज़ा–ए–क़ुदरत में मेरी जान है मैं तुम दोनों में किताबुल्लाह से फ़ैसला करूँगा बकरियाँ और कनीज़ वापस की जायें और तेरे लड़के को सौ कोड़े मारे जायेंगे और एक साल को शहर बदर किया जाये उसके बाद अनीस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मुख़ातब हो कर फ़रमाया)ऐ अनीस सुबह को तुम उस की औरत के पास जाओ वह इक़रार करे तो रज्म करो औरत ने इक़रार किया और उस को रज्म किया।

हदीस न.8 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में ज़ैद इब्ने ख़ालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म फ़रमाते सुना कि जो शख़्स ज़िना करे और मुहस्सिन न हो उसे सौ कोड़े मारे जायें और एक बरस के लिए शहर बदर कर दिया जाये।

हदीस न.9 :– बुख़ारी व मुस्लिम रावी कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया अल्ला तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया और उन पर किताब नाज़िल फ़रमाई और अल्लाह तआला ने जो किताब नाज़िल फ़रमाई उस में आयते रज्म भी है ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रज्म किया और हुज़ूर के बाद हम ने रज्म किया और रज्म किताबुल्लाह में है और यह हक़ है रज्म उस पर है जो ज़िना करे और मुहसिन हो ख़्वाह वह मर्द हो या औरत बशर्ते कि गवाहों से ज़िना साबित हो या हमल हो या इक़रार हो।

हदीस न.10 :– बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरहुमा रावी कि यहूदियों में से एक मर्द व औरत ने ज़िना किया था यह लोग हुज़ूर की ख़िदमत में मुक़दमा लाये शायद इस ख़्याल से कि मुमकिन है कोई मअमूली और हल्की सज़ा हुज़ूर तजवीज़ फ़रमायें(तो क़ियामत के दिन कहने को हो जायेगा कि यह फ़ैसला तेरे एक नबी ने किया था हम उस में बे क़ुसूर हैं)हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि तौरेत में रजज्म के मुतअल्लिक़ क्या है यहूदियों ने कहा हम ज़ानियों को फ़ज़ीहत और रूसवा करते हैं और कोड़े मारते हैं(यानी तोरेत में रज्म का हुक्म नहीं है)अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया तुम झूटे हो तोरेत में बिला शुबह रज्म है तोरेत लाओ यहूदी तौरेत लाये और खोल कर एक शख़्स पढ़ने लगा उस ने आयते रज्म पर हाथ रखकर मा क़ब्ल व मा बअ्द (उस से पहले व बाद)को पढ़ना शुरूअ् किया(आयते रज्म को छुपालिया और उस को नहीं पढ़ा)अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने फ़रमाया अपना हाथ उठा उस ने हाथ उठाया तो आयते रज्म उसके नीचे चमक रही थी हुज़ूर ने ज़ानी व ज़ानिया के मुतअल्लिक़ हुक्म फ़रमाया वह दोनों रज्म किये गये और यहूदियों से दरयाफ़्त फ़रमाया कि जब तुम्हारे यहाँ रज्म मौजूद है तो क्यों तुम ने उसे छोड़दिया है यहूदियों ने कहा वजह यह है कि हमारे यहाँ जब कोई शरीफ़ व मालदार ज़िना करता तो उसे छोड़दिया करते थे और कोई ग़रीब ऐसा करता तो उसे रज्म करते फिर हम ने मशवरा किया कि कोई ऐसी सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए जो अमीर व ग़रीब सब पर जारी की जाये लिहाज़ा हम ने यह सज़ा तजवीज़ की कि उस का मुँह काला करें और गधे पर उल्टा सवार करके शहर में तशहीर करें।

अब हम चाहते हैं कि ज़िना की मज़म्मत व क़बाहत में जो अहादीस वारिद हुईं उन में से बाज़ ज़िक्र करें।

हदीस न.11 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व नसाई अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़िना करने वाला जिस वक़्त ज़िना करता है मोमिन नहीं रहता और चोर जिस वक़्त चोरी करता है मोमिन नहीं रहता और शराबी जिस वक़्त शराब पीता है मोमिन नहीं रहता और नसाई की रिवायत में यह भी है कि जब उन अफ़्आल को करता है तो इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से निकाल देता है फिर अगर तौबा करे तो अल्लाह तआला उस की तौबा क़बूल फ़रमाता है हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया कि उस शख़्स से नूरे ईमान जुदा हो जाता है।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व बैहकी व हाकिम उन्हीं से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब मर्द ज़िना करता है तो उस से ईमान निकलकर सर पर मिस्ल साइबान के हो जाता है जब उस फ़ेअ्ल से जुदा होता है तो उस की तरफ़ ईमान लौट आता है।

हदीस न.13 :– इमाम अहमद अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जिस क़ौम में ज़िना ज़ाहिर होगा वह क़हत में गिरफ़्तार होगी और जिस क़ौम में रिशवत का ज़ुहूर होगा वह रोअ्ब में गिरफ़्तार होगी।

हदीस न.14 :– सहीह बुख़ारी की एक तवील हदीस सुमरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि रात मैंने देखा कि दो शख़्स मेरे पास आये और मुझे ज़मीने मुक़द्दस की तरफ़ ले गये (इस हदीस में चन्द मुशाहिदात बयान फ़रमाये उन में एक यह बात भी है)एक सूराख़ के पास पहुँचे जो तन्नूर की तरह ऊपर तंग है और नीचे कुशादा उस में आग जल रही है और उस आग में कुछ मर्द और औरतें बरहना हैं जब आग का शोअ्ला बलन्द होता है तो वह लोग ऊपर आ जाते हैं और जब शोअ्ले कम हो जाते हैं तो शोअ्ले के साथ अन्दर चले जाते हैं(यह कौन लोग हैं इन के मुतअल्लिक़ बयान फ़रमायाहै)यह ज़ानी मर्द और औरतें हैं।

हदीस न.15 :– हाकिम इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस बस्ती में ज़िना और सूद ज़ाहिर हो जाये तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लिया।

हदीस न.16 :– अबू दाऊद व नसाई व इब्ने हब्बान अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जो औरत किसी क़ौम में उस को दाख़िल कर दे जो उस क़ौम से न हो (यानी ज़िना कराया और उस से औलाद हुई)तो उसे अल्लाह की रहमत का हिस्सा नहीं और उसे जन्नत में दाख़िल न फ़रमायेगा।

हदीस न.17 :– मुस्लिम व नसाई अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन शख़्सों से अल्लाह तआला न कलाम फ़रमायेगा और न उन्हें पाक करेगा और न उन की तरफ़ नज़रे रहमत फ़रमायेगा और उन के लिए दर्द नाक अज़ाब होगा 1.बूढ़ा ज़िना करने वाला 2.और झूट बोलने वाला बादशाह 3.और फ़क़ीर मुतकब्बिर।

हदीस न.18 :– बज़्ज़ार बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़ानी पर लअ्नत करती हैं और ज़ानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को ईज़ा देगी।

ह ल करे और एक रिवायत में है कि हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने दोनों को जला दिया और अबूबक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उन पर दीवार ढादी।

हदीस न.28 :– तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने हब्बान इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला उस मर्द की तरफ़ नजरे रहमत नहीं फरमायेगा जो मर्द के साथ जिमाअ् करे या औरत के पीछे के मकाम में जिमाअ् करे।

हदीस न.29 :– अबूयअ्ला उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया हया करो कि अल्लाह तआला हक़ बात बयान करने से बाज़ न रहेगा और औरतों के पीछे के मक़ाम में जिमाअ् न करो।

हदीस न. 30 इमाम अहमद व अबूदाऊद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं जो शख़्स औरत के पीछे के मकाम में जिमाअ् करे वह मलऊन है।

अहकामे फ़िक़्हिया

हद एक किस्म की सज़ा है जिस की मिक़दार शरीअ़त की जानिब से मुक़र्रर है कि उस में कमी बेशी नहीं हो सकती इस से मक़सूद लोगों को ऐसे काम से बाज़ रखना है जिस की यह सज़ा है और जिस पर हद क़ाइम की गई वह जब तक तौबा न करे महज़ हद क़ाइम करने से पाक न होगा।

मसअ्ला : – जब हाकिम के पास ऐसा मुक़द्दमा पहुँच जाये और सुबूत गुज़र जाये तो सिफ़ारिश जाइज़ नहीं और अग़र कोई सिफ़ारिश करे भी तो हाकिम को छोड़ना जाइज़ नहीं और अगर हाकिम के पास पेश होने से पहले तौबा कर ले हद साक़ित हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हद्द क़ाइम करना बादशाहे इस्लाम या उसके नाइब का काम है यानी बाप अपने बेटे पर या आक़ा अपने ग़ुलाम पर नहीं क़ाइम कर सकता और शर्त यह है कि जिस पर क़ाइम हो उस की अक़्ल दुरुस्त हो और बदन सलामत हो लिहाज़ा पागल और नशा वाले और मरीज़ और ज़ईफ़ुलख़लक़त पर क़ाइम न करेंगे बल्कि पागल और नशा वाला जब होश में आये और बीमार जब तन्दुरुस्त हो जाये उस वक़्त हद्द क़ाइम करेंगे (आलमगीरी)हद्द की चन्द सूरतें हैं उन में से एक हद्दे ज़िना है वह ज़िना जिस में हद्द वाजिब होती है यह है कि मर्द का औरत मुश्तहात के आगे के मक़ाम में बतौर हराम बक़द्र हशफ़ा दुख़ूल करना और वह औरत न उस की ज़ौजा हो न बाँदी न उन दोनों का शुबह हो न शुबह–ए– इश्तिबाह हो और वह वती करने वाला मुकल्लफ़ हो और गूँगा न हो और मजबूर न किया गया हो (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– हशफ़ा से कम दुख़ूल में हद्द वाजिब नहीं और जिस का हशफ़ा कटा हो तो मिक़दार हशफ़ा के दुख़ूल से हद्द वाजिब होगी मजनून व नाबालिग़ ने वती की तो हद्द वाजिब नहीं अगर्चे नाबालिग़ समझ दार हो यूँहीं अगर गूँगा हो या मजबूर किया गया हो या इतनी छोटी लड़की के साथ किया जो मुश्तहात न हो (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – जिस औरत से बग़ैर गवाहों के निकाह किया या लौन्डी से बग़ैर मौला की इजाज़त के निकाह किया या ग़ुलाम ने बग़ैर इज़्ने मौला निकाह किया और उन सूरतों में वती हुई तो हद्द नहीं यूँहीं किसी ने अपने लड़के की बाँदी या ग़ुलाम की बाँदी से जिमाअ् किया तो हद्द नहीं कि उन सब में शुबह–ए–निकाह मिल्क है और जिस औरत को तीन तलाक़ें दीं इद्दत के अन्दर उस से वती की या लड़के ने बाप की बाँदी से वती की अगर उस का यह गुमान था कि वती हलाल है तो हद्द नहीं वरना है (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :— हाकिम के नज़दीक ज़िना उस वक़्त साबित होगा जब चार मर्द एक मज्लिस में लफ़्ज़ ज़िना के साथ शहादत अदा करें यानी यह कहें कि उस ने ज़िना किया है अगर वती या जिमाअ़ का लफ़्ज़ कहेंगे तो ज़िना साबित न होगा (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :— अगर चारों गवाह यके बाद दीगरे आकर मज्लिसे क़ज़ा में बैठे और एक एक ने उठ उठ कर क़ाज़ी के सामने शहादत दी तो गवाही कबूल करली जायेगी और अगर दारुलक़ुज़ात के बाहर सब मुजतमअ़ (इकट्ठा)थे और वहाँ से एक एक ने आकर गवाही दी तो गवाही मक़बूल न होगी और उन गवाहों पर तोहमत की हद्द लगाई जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला : — दो गवाहों ने यह गवाही दी कि उस ने ज़िना किया है और दो यह कहते हैं कि उस ने ज़िना का इक़रार किया तो न उस पर हद्द है न गवाहों पर और अगर तीन ने शहादत दी कि ज़िना किया है और एक ने यह कि उस ने ज़िना का इक़रार किया है तो उन तीनों पर हद्द क़ाइम की जायेगी (बहर)

मसअला :— अगर चार औ़रतों ने शहादत दी तो न उस पर हद्द है न उन पर (आ़लमगीरी)

मसअला :— जब गवाह गवाही दे लें तो क़ाज़ी उन से दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना किस को कहते हैं जब गवाह उस को बतालेंगे और यह कहें कि हम ने देखा कि उस के साथ वती की जैसे सुर्मा दानी में सलाई होती है तो उन से दरयाफ़्त करेगा कि किस तरह ज़िना किया यानी इकराह व मजबूरी में तो न हुआ जब यह भी बतालेंगे तो पूछेगा कि कब किया कि ज़माना दराज़ गुज़र कर तमादी (इतना लम्बा वक़्त ,गुज़र जाये कि दअ़्वे का हक़ न रहे)तो न हुई फिर पूछेगा किस औ़रत के साथ किया कि मुमकिन है वह औ़रत ऐसी हो जिस से वती पर हद्द नहीं फिर पूछेगा कि कहाँ ज़िना किया कि शायद दारुलहर्ब में हुआ हो तो हद्द न होगी जब गवाह इन सब सवालों का जवाब दे लेंगे तो अब अगर उन गवाहों का आ़दिल होना क़ाज़ी को मालूम है तो ख़ैर वरना उन की अ़दावत की तफ़तीश करेगा यानी पोशीदा व अ़लानिया उस को दरयाफ़्त करेगा पोशीदा यूँ कि उन के नाम और पूरे पते लिख कर वहाँ के लोगों से दरयाफ़्त करेगा अगर वहाँ के मोअ़्तबर लोग इस अम्र को लिख दें कि आ़दिल हैं उसकी गवाही क़ाबिले कबूल है उसके बाद जिस ने ऐसा लिखा है क़ाज़ी उसे बुलाकर गवाह के सामने दरयाफ़्त करेगा क्या जिस शख़्स की निस्बत तुम ने ऐसा लिखा या बयान किया है वह यही है जब वह तस्दीक़ करेगा तो अब गवाह की अ़दालत साबित होगई अब उस के बाद उस शख़्स से जिस की निस्बत ज़िना की शहादत गुज़री क़ाज़ी यह दरयाफ़्त करेगा तू मुह़सन है या नहीं (एह़सान के मअ़्ना यहाँ पर यह हैं कि आज़ाद, आ़क़िल, बालिग़, हो जिस ने निकाह़ सह़ीह़ के साथ वत़ी की हो) अगर वह अपने मुह़सन होने का इक़रार करे या उस ने तो इन्कार किया मगर गवाहों से उस का मुह़सन होना साबित हुआ तो एह़सान के मअ़्ना दरयाफ़्त करेंगे यानी अगर खुद उस ने मुह़सन होने का इक़रार किया है तो उस से एह़सान के मअ़्ना पूछेंगे और गवाहों से एह़सान साबित हुआ तो गवाहों से दरयाफ़्त करेंगे अगर उस के सह़ीह़ मअ़्ना बतादिये तो रज्म का हुक्म दिया जायेगा और अगर उस ने कहा मैं मुह़सन नहीं हूँ और अगर गवाहों से भी उस का एह़सान साबित न हुआ तो सौ दुर्रे मारने का क़ाज़ी हुक्म देगा (आ़लमगीरी वगैरा)

मसअला : — गवाहों से क़ाज़ी ने जब ज़िना की हक़ीक़त दरयाफ़्त की तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ने जो बयान किया है अब उस से ज़्यादा बयान न करेंगे या बाज़ ने ह़क़ीक़त बयान की और बाज़ ने नहीं तो उन दोनों सूरतों में हद्द नहीं न उस पर न गवाहों पर यूंहीं जब उन से पुछा किस

औरत से ज़िना किया तो कहने लगे हम उसे नहीं पहचानते या पहले तो यह कहा कि हम नहीं पहचानते बाद में कहा कि फ़ुलाँ औरत के साथ जब भी हद्द नहीं (बहर)

मसअला :– दूसरा तरीक़ा उस के सुबूत का इक़रार कि क़ाज़ी के सामने चार बार चार मज्लिसों में होश की हालत में साफ़ और सरीह लफ़्ज़ में ज़िना का इक़रार करे और तीन मरतबा तक हर बार क़ाज़ी उस के इक़रार को रद कर दे जब चौथी बार उस ने इक़रार किया अब वही पाँच सवाल क़ाज़ी उस से भी करेगा यानी ज़िना किस को कहते हैं और किस के साथ किया और कब किया और कहाँ किया और किस तरह किया अगर सब सवालों का जवाब ठीक तौर पर देदे तो हद्द क़ाइम करेंगे और अगर क़ाज़ी के सिवा किसी और के सामने इक़रार किया या नशा की हालत में किया या जिस औरत के साथ बताता है वह औरत इन्कार करती है या औरत जिस मर्द को बताती है वह मर्द इन्कार करता है या वह औरत गूँगी या मर्द गूँगा है या वह औरत कहती है मेरा उस के साथ निकाह हुआ यानी जिस वक़्त ज़िना करना बताता है उस वक़्त में उस की ज़ौजा थी या मर्द का अज़्वे तनासुल बिलकुल कटा है या औरत का सूराख़ बन्द है ग़र्ज़ जिस के साथ ज़िना का इक़रार है वह मुन्किर है या ख़ुद इक़रार करने वाले में सलाहियत न हो या जिस के साथ बताता है उस से ज़िना में हद्द न हो तो उन सब सूरतों में हद्द नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला :– ज़िना के बाद अगर उन दोनों का बाहम निकाह हुआ तो यह निकाह हद्द को दफ़अ़ करेगा यूहीं अगर औरत कनीज़ थी और ज़िना के बाद उसे ख़रीद लिया तो उस से हद्द जाती न रहेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर एक ही मज्लिस में चार बार इक़रार किया तो यह एक इक़रार क़रार दिया जायेगा और अगर चार दिनों में या चार महीनों में चार इक़रार हुए तो हद्द है जब कि और शराइत भी पाये जायें (आलमगीरी)

मसअला :– बेहतर यह है कि क़ाज़ी उसे यह तलक़ीन करे कि शायद तूने बोसा लिया होगा या छुआ होगा या शुबह के साथ वती की होगी या तूने उस से निकाह किया होगा (आलमगीरी)

मसअला :– इक़रार करने वाले से जब पूछा गया कि तूने किस औरत से ज़िना किया है तो उस ने कहा मैं पहचानता नहीं या जिस औरत का नाम लेता है वह उस वक़्त यहाँ मौजूद नहीं कि उस से दरयाफ़्त किया जाये तो ऐसे इक़रार पर भी हद्द क़ाइम करेंगे (बहर)

मसअला :– क़ाज़ी को अगर ज़ाती इल्म है कि उस ने ज़िना किया है तो उस की बिना पर हद्द नहीं क़ाइम कर सकता जब तक चार मर्दों की गवाहियाँ न गुज़रें या ज़ानी चार बार इक़रार न करे और अगर कहीं दूसरी जगह उस ने इक़रार किया और उस इक़रार की शहादत क़ाज़ी के पास गुज़री तो उस की बिना पर हद्द नहीं (बहर)

मसअला :– जब इक़रार कर लेगा तो क़ाज़ी दरयाफ़्त करेगा कि वह मुहसन है या नहीं अगर वह मुहसन होने का भी इक़रार करे तो एहसान के मअ़ना पुछें अगर बयान कर दे तो रज्म है और अगर मुहसन होने से इन्कार किया और गवाहों से उस का मुहसन होना साबित है जब भी रज्म है वरना दुर्रे मारना (आलमगीरी)

मसअला : – इक़रार कर चुकने के बाद अब इन्कार करता है हद्द क़ाइम करने से पहले या दरमियाने हद्द में या इसना–ए–हद्द में भागने लगा या कहता है कि मैंने इक़रार ही न किया था तो उसे छोड़देंगे हद्द क़ाइम न करेंगे और अगर शहादत से ज़िना साबित हुआ हो तो रुजूअ़ या इन्कार या भागने से हद्द मोकूफ़ न करेंगे और अगर अपने मुहसन होने का इक़रार किया था फिर उस से

रुजूअ् कर गया तो रज्म न करेंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों से ज़िना साबित हुआ और हद्द क़ाइम की जा रही थी इसना–ए–हद्द में भाग गया तो उसे दौड़ कर पकड़ें अगर फ़ौरन मिल जाये तो बक़ाया हद्द क़ाइम करें और चन्द रोज़ के बाद मिला तो हद्द साक़ित है (आलमगीरी)

मसअ्ला : – रज्म की सूरत यह है कि उसे मैदान में लेजाकर इस क़द्र पत्थर मारें कि मर जाये और रज्म के लिए लोग नमाज़ की तरह सफ़ें बान्धकर खड़े हों जब एक सफ़ मार चुके तो यह हट जायें अब और लोग मारें अगर रज्म में हर शख़्स यह क़स्द करे कि ऐसा मारूँ कि मरजाये तो इस में भी हरज नहीं हाँ अगर यह उस का ज़ी रहम महरम है तो ऐसा क़स्द करने की इजाज़त नहीं और अगर ऐसे शख़्स को जिस पर रज्म का हुक्म हो चुका है किसी ने क़त्ल कर डाला या उस की आँख फोड़दी तो उस पर न क़िसास है न दियत मगर सज़ा देंगे कि उस ने क्यों पेश क़दमी की हाँ अगर हुक्मे रज्म से पहले ऐसा किया तो क़िसास या दियत वाजिब होगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर ज़िना गवाहों से साबित हुआ है तो रज्म में यह शर्त है कि पहले गवाह मारें अगर गवाह रज्म करने से किसी वजह से मजबूर हैं मसलन सख़्त बीमार हैं या उन के हाथ न हों तो उन के सामने क़ाज़ी पहले पत्थर मारे और अगर गवाह मारने से इन्कार करें या वह सब कहीं चले गये या मर गये या उन में से एक ने इन्कार किया या चला गया या मरगया या गवाही के बाद उन के हाथ किसी वजह से काटे गये तो उन सब सूरतों में रज्म साक़ित हो गया(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सब गवाहों में या उन में से एक में कोई ऐसी बात पैदा होगई जिस की वजह से वह अब इस क़ाबिल नहीं कि गवाही कबूल की जाये मसलन फ़ासिक़ हो गया या अन्धा या गूँगा हो गया या उस पर तोहमते ज़िना की हद्द मारी गई अगर्चे यह ऐब हुक्मे रज्म के बाद पाये गये तो रज्म साक़ित हो जायेगा यूँही अगर ज़ानी ग़ैर मुहसन हो तो कोड़े मारना भी साक़ित है और गवाह मर गया या ग़ाइब हो गया तो दुर्रे मारने की हद्द साक़ित न होगी (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों के बाद बादशाह पत्थर मारेगा फिर और लोग और अगर ज़िना का सुबूत ज़ानी के इक़रार से हुआ हो तो पहले बादशाह शुरूअ् करे उस के बाद और लोग (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर क़ाज़ी आ़दिल फ़क़ीह ने रज्म का हुक्म दिया है तो उस की ज़रूरत नहीं कि जो लोग हुक्म देने के वक़्त मौजूद थे वही रज्म करें बल्कि अगर्चे उन के सामने शहादत न गुज़री हो रज्म कर सकते हैं और अगर क़ाज़ी उस सिफ़त का न हो तो जब तक शहादत सामने न गुज़री हो या फ़ैसला की तफ़तीश कर के मुवाफ़िक़ शरअ् न पा ले उस वक़्त तक रज्म जाइज़ नहीं (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस को रज्म किया गया उसे ग़ुस्ल व कफ़न देना और उस की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है (तन्वीर)

मसअ्ला :– अगर वह शख़्स जिस का ज़िना साबित हुआ मुहसन न हो तो उसे दुर्रे मारे जायें अगर आज़ाद है तो सौ दुर्रे और ग़ुलाम या बान्दी है तो पचास और दुर्रा उस क़िसम का हो जिस के किनारे पर गिरह न हो न उस का किनारा सख़्त हो अगर ऐसा हो तो उस को कूट कर मुलायम करलें और मुतवस्सित तौर पर मारें न आहिस्ता न बहुत ज़ोर से न दुर्रे को सर से ऊँचा उठा कर मारे न बदन पर पड़ने के बाद उसे खींचे बल्कि ऊपर को उठा ले और बदन पर एक ही जगह न मारे बल्कि मुख़्तलिफ़ जगहों पर मगर चेहरा और सर और शर्मगाह पर न मारे(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दुर्रा मारने के वक़्त मर्द के कपड़े उतार लिऐ जायें मगर तहबन्द या पाजामा न उतारें कि सत्र ज़रूर है और औरत के कपड़े न उतारे जायें हाँ पोस्तीन या रूई भरा हुआ कपड़ा पहने हो तो उसे उतरवालें मगर जबकि उस के नीचे कोई दूसरा कपड़ा न हो तो उसे भी न उतरवायें और मर्द को खड़ा कर के और औरत को बैठा कर दुर्रे मारें ज़मीन पर लिटा कर न मारें और अगर मर्द खड़ा न हो तो उसे सुतून से बान्ध कर या पकड़ कर कोड़े मारें और औरत के लिए अगर गढ्ढा खोदा जाये तो जाइज़ है यानी जबकि ज़िना गवाहों से साबित हुआ हो और मर्द के लिए न खोदें (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर एक दिन पचास कोड़े मारे दूसरे दिन फिर पचास मारे तो काफ़ी नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ऐसा नहीं हो सकता कि कोड़े भी मारें और रज्म भी करें और यह भी नहीं कि कोड़े मार कर कुछ दिनों के लिए शहर बदर कर दें हाँ अगर हाकिम के नज़्दीक शहर बदर करने में कोई मसलिहत हो तो कर सकता है मगर यह ह़द के अन्दर दाख़िल नहीं बल्कि इमाम की जानिब से एक अलाहिदा सज़ा है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : – ज़ानी अगर मरीज़ है तो रज्म कर देंगे मगर कोड़े न मारेंगे जब तक अच्छा न हो जाये हाँ अगर ऐसा बीमार हो कि अच्छा होने की उमीद न हो तो बीमारी की ह़ालत में कोड़े मारें मगर बहुत आहिस्ता या कोई ऐसी लकड़ी जिस में सौ शाख़ें हों उस से मारें कि सब शाखें उस के बदन पर पड़ें (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला : – औरत को ह़मल हो तो जब तक बच्चा पैदा न हो ले ह़द क़ाइम न करें और बच्चा पैदा होने के बाद अगर रज्म करना है तो फ़ौरन करदें हाँ बच्चा की तर्बीयत करने वाला कोई न हो तो दो बरस बच्चा की उम्र होने के बाद रज्म करें और अगर कोड़े मारने का हुक्म हो तो निफ़ास के बाद मारे जायें औरत को ह़द का हुक्म हुआ उस ने अपना ह़ामिला होना बयान किया तो औरतें उस का मुआएना करें अगर यह कहदें कि ह़मल है तो दो बरस तक क़ैद में रखी जाये अगर उस दरमियान में बच्चा पैदा हो गया तो वही करें जो ऊपर मज़कूर हुआ और बच्चा पैदा न हो तो अब ह़द क़ाइम करदें (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुह़सन होने की सात शर्तें हैं 1.आज़ाद होना 2.आक़िल होना 3.बालिग़ होना 4.मुसलमान होना 5.निकाहे सह़ीह होना 6.निकाहे सह़ीह के साथ वती होना, 7.मियाँ बीवी दोनों का वक़्त वती में सिफ़ाते मज़कूर के साथ मुत्तसिफ़ होना,(जिमा के वक़्त ऊपर बयान हुई छः ख़ूबियों का पाया जाना) लिहाज़ा बान्दी से निकाह़ किया है या आज़ाद औरत ने ग़ुलाम से निकाह़ किया तो मुह़सिन व मुह़सिना नहीं हाँ अगर उस के आज़ाद होने के बाद वती वाक़ेअ् हुई तो अब मुह़सिन हो गये।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मर्द के ज़िना पर चार गवाह गुज़रे और वह कहता है कि मैं मुह़सन नहीं हालाँकि उस की औरत के उस के निकाह़ में बच्चा पैदा हो चुका है तो रज्म किया जायेगा और बीवी है मगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो जब तक गवाहों से मुह़सन होना साबित न होले रज्म न करेंगे (बह्र)

मसअला :– मुर्तद होने से एह़सान जाता रहता है फिर उस के बाद इस्लाम लाया तो जब तक दुख़ूल न हो मुह़सन न होगा और पागल और बोहरा होने से भी एह़सान जाता रहता है मगर उन दोनों में अच्छे होने के बाद ,एह़सान लौट आयेगा अगर्चे इफ़ाक़ा की ह़ालत में वती न की हो(आलमगीरी)

मसअला :– मुहसन होने का सुबूत दो मर्द या एक मर्द दो औरत की गवाही से हो जायेगा(आलमगीरी)

मसअला :– मुहसन रहने के लिए निकाह का बाकी रहना ज़रूर नहीं लिहाजा निकाह के बाद वती कर के तलाक़ देदी तो मुहसन ही है अगर्चे उम्र भर मुजर्रद रहे (दुर्रे मुख़्तार)

कहाँ हद्द वाजिब है और कहाँ नहीं

तिर्मिज़ी उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ तक हो सके मुसलमानों से हुदूद दफ़अ् करो (यानी अगर हुदूद के सुबूत में कोई शुबह हो तो काइम न करो अगर कोई राह निकल सकती हो तो उसे छोड़ दो)इमाम मुआफ़ करने में ख़ता करे यह उस से बेहतर है कि सज़ा देने में गलती करे नीज़ तिर्मिज़ी वाइल इब्ने हजर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक औरत से जबरन ज़िना किया गया हुजूर ने उस औरत पर हद्द नहीं लगाई और उस मर्द पर हद्द क़ाइम की जिस ने उस के साथ किया था।

मसअला :– यह हम ऊपर बयान कर आये कि शुबह से हद्द साकित हो जाती है वती हराम की निस्बत यह कहता है कि मैंने उसे हलाल गुमान किया था तो हद्द साकित हो जायेगी और अगर उस ने ऐसा ज़ाहिर न किया तो हद्द काइम की जायेगी और उस का एअ्तिबार सिर्फ उस शख़्स की निस्बत किया जा सकता है जिस को ऐसा शुबह हो सकता है और जिस को नहीं हो सकता वह अगर दअ्वा करे तो मसमूअ् न होगा और उस में गुमान का पाया जाना ज़रूर है फक़त वहम काफ़ी नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– इकराह का दअ्वा किया तो महज़ दअ्वा से हद्द साकित न होगी जब तक गवाहों से यह साबित न करे कि इकराह पाया गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिस औरत से वती की गई उस में मिल्क का शुबह हो तो हद्द काइम न होगी अगर्चे उस को हराम होने का गुमान हो जैसे 1.अपनी औलाद की बान्दी 2.जिस औरत को अल्फ़ाज़े किनाया से तलाक़ दी और वह इद्दत में हो अगर्चे तीन तलाक़ की नियत की हो 3.बाइअ् का बेची हुई लौन्डी से वती करना जब कि मुश्तरी ने लौन्डी पर क़ब्ज़ा न किया हो बल्कि बैअ् अगर फ़ासिद हो तो क़ब्ज़ा के बाद भी 4.शौहर ने निकाह में लौन्डी को महर मुक़र्रर किया और अभी वह लौन्डी औरत को न दी थी कि उस लौन्डी से वती की 5.लौन्डी में चन्द शख़्स शरीक हैं उन में से किसी ने उस से वती की 6.अपने मकातिब की कनीज़ से वती की 7.गुलाम माज़ून जो खुद और उस का तमाम माल दैन में मुस्तग़रक है उस की लौन्डी से वती की 8.ग़नीमत में जो औरतें हासिल हुईं। तक़सीम से पहले उन में से किसी से वती की 9.बाइअ् का उस लौन्डी से वती करना जिस में मुश्तरी को ख़ियार था 10,या अपनी लौन्डी से इस्तिबरा से क़ब्ल वती की 11.या उस लौन्डी से वती की जो उस की रज़ाई बहन है 12.या उस की बहन उस के तसर्रुफ़ में है 13.या अपनी उस लौन्डी से वती की जो मजूसिया है 14.या अपनी ज़ौजा से वती की जो मुरतद्दा हो गई है या और किसी वजह से हराम हो गई मसलन उस के बेटे से उस का तअल्लुक़ हो गया या उस की माँ या बेटी से उस ने जिमाअ् किया (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शुबह जब मुहिल में हो तो हद्द नहीं है अगर्चे वह जानता है कि यह वती हराम है बल्कि अगर्चे उस को हराम बताता हो (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– शुबह–ए–फ़ेअ्ल उस को शुबह–ए–इश्तिबाह कहते हैं कि मुहिल तो मुश्तबह नहीं मगर उस ने उस वती को हलाल गुमान कर लिया तो जब ऐसा दअ्वा करेगा तो दोनों में किसी पर हद्द काइम न होगी अगर्चे दूसरे को इश्तिबाह न हो 1.मसलन माँ बाप की लौन्डी से वती की 2.या औ़रत को सरीह लफ़्ज़ों में तीन त़लाकें दीं और ज़माना–ए–इद्दत में उस से वती की ख़्वाह एक लफ़्ज़ से तीन त़लाकें दीं या तीन लफ़्ज़ों से एक मज्लिस में या मुतअ़द्दिद मज्लिसों में 3.या अपनी औ़रत की बान्दी 4.या मौला की बान्दी से वती की 5.या मुरतहिन ने उस लौन्डी से वती की जो उस के पास गिरवीं है 6.या दसूरे की लौन्डी इस लिए आ़रियतन लाया था कि उस को गिरवी रखेगा और उस से वती की 7.या औ़रत को माल के बदले में त़लाक़ दी या माल के एवज़ खुलअ़ किया उस से इद्दत में वती की 8.या उम्मे वलद को आज़ाद कर दिया और ज़माना–ए–इद्दत में उस से वती की इन सब में हद्द नहीं जब कि दअ्वा करे कि मेरे गुमान में वती हलाल थी और अगर इस क़िस्म की वती हुई और वह कहता है कि मैं ह़राम जानता था और दूसरा मौजूद नहीं कि उस का गुमान मालूम हो सके तो जो मौजूद है उस पर हद्द काइम की जायेगी (दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– भाई या बहन या चचा की लौन्डी या ख़िदमत के लिए किसी की लौन्डी आ़रियतन लाया था या नौकर रखकर लाया था या उस के पास अमानतन थी उस से वती की तो हद्द है अगर्चे हलाल होने का दअ्वा करता हो (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– निकाह के बाद पहली शब में जो औ़रत रुख़्सत कर के उस के यहाँ लाई गई और औ़रतों ने बयान किया कि यह तेरी बीवी है उस ने वती की बाद को मालूम हुआ कि बीवी न थी तो हद्द नहीं (दुर्रे मुख़्तार)यानी जब कि पहले से यह उस औ़रत को न पहचानता हो जिस के साथ निकाह हुआ है और अगर पहचानता है और दूसरी औ़रत उस के पास लाई गई तो उन औ़रतों का क़ौल क़िस तरह एअ्तिबार करेगा यूँहीं अगर औ़रतें न कहें मगर सुसराल वालों ने जिस औ़रत को उस के यहाँ भेज दिया है उस में बेशक यही होगा कि उसी के साथ निकाह हुआ है जब कि पेश्तर से देखा न हो और बाज़ वाक़ेआ़ ऐसे हुए भी हैं कि एक घर में दो बरातें आयीं और रुख़्सत के वक़्त दोनों बहनें बदल गयीं उस की उस के यहाँ उस की उस के यहाँ आ गई लिहाज़ा यह इश्तिबाह ज़रूर[1] मोअ्तबर होगा वल्लाहु तआ़ला अअ्लमु।

मसअ्ला :– शुबह अ़क़्द यानी जिस औ़रत से निकाह नहीं हो सकता उस से निकाह कर के वती की मसलन दूसरे की औ़रत से निकाह किया या दूसरे की औ़रत अभी इद्दत में थी उस से निकाह किया तो अगर्चे यह निकाह निकाह नहीं मगर हद्द साकित हो गई मगर उसे सज़ा दी जायेगी यूँहीं अगर उस औ़रत के साथ निकाह तो हो सकता है मगर जिस त़रह निकाह किया वह सहीह न हो

(1) ثم رأيت في رد المحتار نقل عن الخانية انه لا حد عليه وان كان ظاهر الدر ينبئ عن وجوب الحد وهذا بعيد جدا الان الحدود تندفع بالشبهة هذا الشبهة قوى فكيف لا تعتبر ثم نقل المسئله عن الكافي انه لم يقيد المسئلة باخبار امرأة انها امرأته ١٢ منه حفظه ربه

सलन बग़ैर गवाहों के निकाह किया कि यह निकाह सहीह नहीं मगर ऐसे निकाह के बाद वती की तो हद्द साकित होगई (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अन्धेरी रात में अपने बिस्तर पर किसी औरत को पाया और उसे ज़ौजा गुमान कर के वती की हालाँकि यह कोई दूसरी औरत थी तो हद्द नहीं यूँहीं अगर वह शख़्स अन्धा है और अपने बिस्तर पर दूसरी को पाया और ज़ौजा गुमान करके वती की अगर्चे दिन का वक़्त है तो हद्द नहीं (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– आक़िल बालिग़ ने पागल औरत से वती की या इतनी छोटी लड़की से वती की जिस के मिस्ल से जिमाअ् किया जाता है या औरत सो रही थी उस से वती की तो सिर्फ़ मर्द पर हद्द क़ाइम होगी। औरत पर नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला : – मर्द ने चौपाया से वती की या औरत ने बन्दर से कराई तो दोनों को सज़ा देंगे और उस जानवर को ज़िबह कर के जलादें उस से नफ़अ् उठाना मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इग़लाम यानी पीछे के मक़ाम में वती की तो उस की सज़ा यह है कि उस के ऊपर दीवार गिरा दें या ऊँची जगह से उसे औन्धा कर के गिरायें और उस पर पत्थर बरसायें या उसे क़ैद में रखें यहाँ तक कि मरजाये या तौबा करे या चन्द बार ऐसा किया हो तो बादशाहे इस्लाम उसे क़त्ल कर डाले अलग़र्ज़ यह फ़ेअ्ल निहायत ख़बीस है बल्कि ज़िना से भी बद तर है इसी वजह से उस में हद्द नहीं कि बाज़ों के नज़्दीक हद्द क़ाइम करने से उस गुनाह से पाक हो जाता है और यह इतना बुरा है कि जब तक तौबा–ए–ख़ालिसा न हो उस में पाकी न होगी और इग़लाम को हलाल जानने वाला काफ़िर है यही मज़हबे जुम्हूर है (दुर्रे मुख़्तार, बहर वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– किसी की लौन्डी ग़सब कर ली और उस से वती की फिर उस की क़ीमत का तावान दिया तो हद्द नहीं और अगर ज़िना के बाद ग़सब की और तावान दिया तो हद्द है यूँहीं अगर ज़िना के बाद औरत से निकाह कर लिया तो हद्द साकित न होगी (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

ज़िना की गवाही देकर रुजूअ् (फिर जाना) करना।

मसअ्ला :– जो अम्र मोजिबे हद्द है वह बहुत पहले पाया गया और गवाही अब देता है तो अगर यह ताख़ीर किसी उज़्र के सबब है मसलन बीमार था या वहाँ से कचहरी दूर थी या उस को ख़ौफ़ था या रास्ता अन्देशा नाक था तो यह ताख़ीर मुज़िर नहीं यानी गवाही क़बूल कर ली जायेगी और अगर बिला ज़रूरत ताख़ीर की तो गवाही मक़बूल न होगी मगर हद्दे क़ज़फ़ में अगर्चे बिला उज़्र ताख़ीर हो गवाही मक़बूल है और चोरी की गवाही दी और तमादी (इतनी मुद्दत का गुजर जाना कि दअ्वा दाइर करने का हक़ न रहे)हो चुकी है तो हद्द नहीं मगर चोर से तावान दिलवायेंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर मुजरिम खुद इक़रार करे तो अगर्चे तमादी (इतनी मुद्दत का गुजर जाना कि दअ्वा दाइर करने का हक़ न रहे "अमीन")हो गई तो हद्द क़ाइम होगी शराब पीने का इक़रार करे और तमादी हो तो हद्द नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शराब पीने के बाद इतना ज़माना गुज़रा कि मुँह से बू उड़ गई तो तमादी (इतनी मुद्दत का गुज़र जाना कि दअ्वा दाइर करने का हक़ न रहे)हो गई और उस के अ़लावा औरों में तमादी जब होगी कि एक महीना का ज़माना गुज़र जाये (तन्वीर)

मसअला :– तमादी आरिज़ (इतनी मुद्दत का गुज़र जाना कि दअ्वा दाइर करने का हक़ न रहे)होने के बाद चार गवाहों ने ज़िना की शहादत दी तो न ज़ानी पर हद है न गवाहों पर (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– गवाही दी कि उस ने फ़ुलाँ औरत के साथ ज़िना किया है और वह औरत कहीं चली गई है तो मर्द पर हद्द काइम करेंगे यूँहीं अगर ज़ानी खुद इक़रार करता है और यह कहता है कि मुझे मालूम नहीं वह कौन औरत थी तो हद्द क़ाइम की जायेगी और अगर गवाहों ने कहा मालूम नहीं वह कौन औरत थी तो नहीं और अगर गवाहों ने बयान किया कि उस ने चोरी की मगर जिस की चोरी की वह ग़ाइब है तो हद्द नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चार गवाहों ने शहादत दी कि फ़ुलाँ औरत के साथ उस ने ज़िना किया है मगर दो ने एक शहर का नाम लिया कि फ़ुलाँ शहर में और दो ने दूसरे शहर का नाम लिया या दो कहते हैं कि उस ने जबरन ज़िना किया है और दो कहते हैं कि औरत राज़ी थी या दो ने कहा कि फ़ुलाँ मकान में और दो ने दूसरा मकान बताया या दो ने कहा मकान के नीचे वाले दर्जा में ज़िना किया और दो कहते हैं बाला ख़ाना पर या दो ने कहा जुमआ के दिन ज़िना किया और दो हफ़्ते का दिन बताते हैं या दो ने सुबह का वक़्त बताया और दो ने शाम का या दो एक औरत को कहते हैं और दो दूसरी औरत के साथ ज़िना होना बयान करते हैं या चारों एक शहर का नाम लेते हैं और चार दूसरे शहर में ज़िना होना कहते हैं जो दिन तारीख़ वक़्त और चारों ने बयान किया वही दूसरे चार भी बयान करते हैं तो इन सब सूरतों में हद्द नहीं न उन पर न गवाहों पर (आलमगीरी)

मसअला :– मर्द व औरत के कपड़ों में गवाहों ने इख़्तिलाफ़ किया कोई कहता है फ़ुलाँ कपड़ा पहने हुए था और कोई दूसरे कपड़े का नाम लेता है या कपड़ों के रंग में इख़्तिलाफ़ किया या औरत को कोई दुब्ली बताता है कोई मोटी या कोई लम्बी कहता है और कोई ठिंगनी तो उस इख़्तिलाफ़ का एअ्तिबार नहीं यानी हद्द काइम होगी (आलमगीरी)

मसअला :– चार गवाहों ने शहादत दी कि उस ने फ़ुलाँ दिन, तारीख़, वक़्त, में फ़ुलाँ शहर में फ़ुलाँ औरत से ज़िना किया और चार कहते हैं कि उसी दिन, तारीख़ वक़्त, में उस ने फ़ुलाँ शख़्स को (दूसरे शहर का नाम ले कर)फ़ुलाँ शहर में क़त्ल किया तो न ज़िना की हद्द क़ाइम होगी न क़िसास यह उस वक़्त है कि दोनों शहादतें एक साथ गुज़रें और अगर एक शहादत गुज़री और हाकिम ने उस के मुताबिक़ हुक्म कर दिया अब दूसरी गुज़री तो दूसरी बातिल है (आलमगीरी)

मसअला :– चार गवाहों ने ज़िना की शहादत दी थी और उन में एक शख़्स ग़ुलाम या अन्धा या नाबालिग़ या मजनून है या उस पर तोहमते ज़िना की हद्द क़ाइम हुई है या काफ़िर है तो उस शख़्स पर हद्द नहीं मगर गवाहों पर तोहमते ज़िना की हद्द क़ाइम होगी और अगर उन की शहादत की बिना पर हद्द क़ाइम की गई बाद को मालूम हुआ कि उन में कोई ग़ुलाम या महदूद फ़िलक़ज़फ़ वग़ैरा है जब भी गवाहों पर हद्द क़ाइम की जायेगी और उस शख़्स पर जो कोड़े मारने से चोट आई बल्कि मर भी गया उस का कुछ मुआविज़ा नहीं और अगर रज्म किया बाद को मालूम हुआ कि गवाहों में कोई शख़्स नाक़ाबिले शहादत था तो बैतुलमाल से दियत देंगे (दुर्रे मुख़्तार बहर)

मसअला :– रज्म के बाद एक गवाह ने रुजूअ् की तो सिर्फ़ उसी पर हद्दे क़ज़फ़ जारी करेंगे और उसे चौथाई दियत देनी होगी और रज्म से पहले रुजूअ् की तो सब पर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम होगी और

अगर पाँच गवाह थे और रज्म के बाद एक ने रुजूअ् की तो उस पर कुछ नहीं और उन चार बाकियों में एक ने और रुजूअ् की तो उन दोनों पर हद्दे क़ज़फ़ है और चौथाई दियत दोनों मिलकर दें अगर फिर एक ने रुजूअ् की तो उस अकेले पर पूरी चौथाई दियत है और अगर सब रुजूअ् कर जायें तो दियत के पाँच हिस्से करे हर एक एक हिस्सा दे (बहर)

मसअ्ला :– जिस शख़्स ने गवाहों का तज़किया किया वह अगर रुजूअ् कर जाये यानी कहे मैं क़स्दन झूट बोला था वाक़ेअ् में गवाह क़ाबिले शहादत न थे तो मरजूम (जो रज्म किया गया) की दियत उसे देनी पड़ेगी और अगर वह अपने क़ौल पर अड़ा है यानी कहता है कि गवाह क़ाबिले शहादत हैं मगर वाक़ेअ् में क़ाबिले शहादत नहीं तो बैतुलमाल से दियत दीजायेगी और गवाहों पर न दियत है न हद्दे क़ज़फ़ (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों का तज़किया हुआ और रज्म कर दिया गया बाद को मालूम हुआ कि क़ाबिले शहादत न थे तो बैतुल माल से दियत दीजाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों ने बयान किया कि हम ने क़स्दन उस तरफ़ नज़र की थी तो उस की वजह से फ़ासिक़ न होंगे और गवाही मक़बूल है कि अगर्चे दूसरे की शर्मगाह की तरफ़ देखना हराम है मगर बज़रूरत जाइज़ है लिहाज़ा ब–ग़र्ज़े अदा–ए–शहादत जाइज़ है जैसे दाई और ख़तना करने वाले और अमल देने वाले और तबीब को बवक़्ते ज़रूरत इजाज़त है और अगर गवाहों ने बयान किया कि हम ने मज़ा लेने के लिए नज़र की थी तो फ़ासिक़ हो गये और गवाही क़ाबिले क़बूल नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मर्द अपने मुहसन होने से इन्कार करे तो दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की शहादत से एहसान साबित होगा या उस के बच्चा पैदा हो चुका है जब भी मुहसन है और अगर ख़लवत हो चुकी है और मर्द कहता है कि मैंने ज़ौजा से वती की है मगर औरत इन्कार करती है तो मर्द मुहसन है और औरत नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

शराब पीने की हद्द का बयान।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ۝ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۝

तर्जमा :– " ऐ ईमान वालो शराब और जुआ और बुत और तीरों से फ़ाल निकालना यह सब नापाकी हैं शैतान के कामों से हैं उन से बचो ताकि फ़लाह (कामयाबी) पाओ शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए की वजह से तुम्हारे अन्दर अदावत और बुग़्ज़ डाल दे और तुम को अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे तो क्या तुम हो बाज़ आने वाले और इताअ़त करो अल्लाह की और रसूल की इताअ़त करो और परहेज़ करो और अगर तुम एअ्राज़ करोगे तो जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ़ साफ़ तौर पहुँचा देना है"

शराब पीना हराम है और उस की वजह से बहुत से गुनाह पैदा होते हैं लिहाजा अगर उस को मआसी और बेहयाईयों की अस्ल कहा जाये तो बजा है अहादीस में उस के पीने पर निहायत सख़्त वईदें आई हैं चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती है।

हदीस न.1 :– तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में नशा लाये वह थोड़ी भी हराम है।

हदीस न.2 :– अबूदाऊद उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने मुसकिर और मुफ़तिर(यानी अअ्ज़ा को सुस्त करने वाली हवास को कुन्द करने वाली मसलन अफ़यून) से मनअ् फ़रमाया।

हदीस न.3 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई व बैहकी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हर नशा वाली चीज़ ख़म्र है।(यानी ख़म्र के हुक्म में है)और हर नशा वाली चीज हराम है और जो शख़्स दुनिया में शराब पिये और उस की मुदावमत करता हुआ मरे और तौबा न करे वह आख़िरत की शराब नहीं पियेगा।

हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया हर नशा वाली चीज़ हराम है बेशक अल्लाह तआला ने अहद किया है कि जो शख़्स नशा पियेगा उसे तीनतलुख़िबाल से पिलायेगा लोगों न अर्ज़ की तीनतुल ख़िबाल क्या चीज़ है फ़रमाया कि जहन्नमियों का पसीना या उन का असारा (निचोड़)

हदीस न.5 :– सहीह मुस्लिम में है कि तारिक इब्ने सुवैद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने शराब के मुतअल्लिक सवाल किया हुज़ूर ने मनअ् फ़रमाया उन्होंने अर्ज़ की हम तो उसे दवा के लिए बनाते हैं फ़रमाया यह दवा नहीं है यह तो ख़ुद बीमारी है।

हदीस न. 6:– तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर और नसाई व इब्ने माजा व दारमी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स शराब पियेगा उस की चालीस रोज़ की नमाज़ कबूल न होगी फिर अगर तौबा करे तो अल्लाह उस की तौबा कबूल फ़रमायेगा फिर अगर पिये तो चालीस रोज़ की नमाज़ कबूल न होगी। उस के बाद तौबा करे तो कबूल है फिर अगर पिये तो चालीस रोज़ की नमाज़ कबूल न होगी उस के बाद तौबा करे तो अल्लाह कबूल फ़रमायेगा फिर अगर चौथी मरतबा पिये तो चालीस रोज़ की नमाज़ कबूल न होगी अब अगर तौबा करे तो अल्लाह उस की तौबा कबूल नहीं फ़रमायेगा और नहरे ख़िबाल से उसे पिलायेगा।

हदीस न.7 :– अबू दाऊद ने वैलम हुमैरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम सर्द मुल्क के रहने वाले हैं और सख़्त सख़्त काम करते हैं और हम गेहूँ की शराब बनाते हैं जिस की वजह से हमें काम करने की कुव्वत हासिल होती है और सर्दी का असर नहीं होता इरशाद फ़रमाया क्या उस में नशा होता है अर्ज़ की हाँ फ़रमाया तो उस से परहेज़ करो मैंने अर्ज़ की लोग उसे नहीं छोड़ेंगे फ़रमाया अगर न छोड़ें तो उन से किताल करो।

हदीस न.8 :– दारमी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला और जुआ खेलने वाला, और एहसान जताने वाला

और शराब की मुदावमत करने वाला जन्नत में दाख़िल न होगा।

हदीस न.9 :— इमाम अहमद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाता है क़सम है मेरी इज़्ज़त की मेरा जो बन्दा शराब की एक घूँट भी पियेगा मैं उस को उतनी ही पीप पिलाऊँगा और जो बन्दा मेरे ख़ौफ़ से उसे छोड़ेगा मैं उस को हौज़े क़ुदस से पिलाऊँगा।

हदीस न.10 :— इमाम अहमद व नसाई व बज़ार व हाकिम इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फ़रमाया तीन शख़्सों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी शराब की मुदावमत करने वाला और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला और दय्यूस जो अपने अहल में बे हयाई की बात देखे और मनअ् न करे।

हदीस न.11 :— इमाम अहमद व अबू यअ्ला व इब्ने हब्बान व हाकिम ने अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया तीन शख़्स जन्नत में दाख़िल न होंगे शराब की मुदावमत करने वाला और क़ातिअ् रहम और जादू की तस्दीक़ करने वाला।

हदीस न.12 :— इमाम अहमद ने इब्ने अब्बास से और इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया शराब की मुदावमत करने वाला मरेगा तो ख़ुदा से ऐसे मिलेगा जैसा बुत परस्त।

हदीस न.13 :— तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब के बारे में दस शख़्सों पर लअ्नत की 1.बनाने वाला 2.और बनवाने वाला 3.और पीने वाला 4.और उठाने वाला 5.और जिस के पास उठा कर लाई गई 6.और पिलाने वाला 7.और बेचने वाला 8.और उस के दाम खाने वाला 9.और ख़रीद ने वाला 10.और जिस के लिए ख़रीदी गई।

हदीस न.14 :— तबरानी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान लाता है वह शराब न पीये और जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान लाता है वह ऐसे दस्तर ख़्वान पर न बैठे जिस पर शराब पी जाती है।

हदीस न.15 :— हाकिम ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया शराब से बचो कि वह हर बुराई की कुंजी है।

हदीस न.16 :— इब्ने माजा व बैहक़ी अबूदाऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मुझे मेरे ख़लील सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वसियत फ़रमाई कि ख़ुदा के साथ शिर्क न करना अगर्चे टुकड़े कर दिए जाओ अगर्चे जला दिए जाओ और नमाज़ फ़र्ज़ को क़स्दन तर्क न करना कि जो शख़्स उसे क़स्दन छोड़े उस से ज़िम्मा बरी है और शराब न पीना कि वह हर बुराई की कुन्जी है।

हदीस न.17 :— इब्ने हब्बान व बहैक़ी हज़रत उसमान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं उम्मुलख़बाइस(शराब)से बचो कि गुज़िश्ता ज़माने में एक शख़्स आबिद था और लोगों से अलग रहता था एक औरत उस पर फ़रेफ़ता हो गई उस ने उस के पास एक ख़ादिमा को भेजा कि गवाही के लिए उसे बुला कर ला वह बुलाकर लाई जब मकान के दरवाज़ों में दाख़िल होता गया ख़ादिमा बन्द करती गई जब अन्दर के मकान में पहुँचा देखा कि एक खुबसूरत औरत बैठी है और

उस के पास एक लड़का है और एक बर्तन में शराब है उस औरत ने कहा मैंने तुझे गवाही के लिए नहीं बुलाया है बल्कि इस लिए बुलाया है कि या इस लड़के को क़त्ल कर या मुझ से ज़िना कर या शराब का एक प्याला पी अगर तू इन बातों से इन्कार करता है तो मैं शोर करूँगी और तुझे रुसवा कर दूँगी जब उस ने देखा कि मुझे नाचार कुछ करना ही पड़ेगा कहा एक प्याला शराब का मुझे पिलादे जब एक प्याला पी चुका तो कहने लगा और दे जब ख़ूब पी चुका तो ज़िना भी किया और लड़के को क़त्ल भी किया लिहाज़ा शराब से बचो ख़ुदा की क़सम ईमान और शराब की मुदावमत मर्द के सीने में जमअ् नहीं होते क़रीब है कि उन में एक दूसरे को निकाल दे।

हदीस न.18 :– इब्ने मौला व इब्ने हब्बान अबू मालिक अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मेरी उम्मत में कुछ लोग शराब पियेंगे और उस का नाम बदलकर कुछ और रखेंगे और उन के सरों पर बाजे बजाये जायेंगे और गाने वालियाँ गायेंगी यह लोग ज़मीन में धंसा दिये जायेंगे और उन में के कुछ लोग बन्दर और सुअर बना दिये जायेंगे।

हदीस न.19 :– तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने मुआ़विया रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शराब पिये उसे कोड़े मारो और अगर चौथी मरतबा फिर पिये तो उसे क़त्ल कर डालो और यह हदीस जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से भी मरवी है वह कहते हैं कि चौथी बार हुज़ूर की ख़िदमत में शराब ख़ोर लाया गया उसे कोड़े मारे और क़त्ल न किया यानी क़त्ल करना मन्सूख़ है।

हदीस न.20 :– बुख़ारी व मुस्लिम अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने शराब के मुतअ़ल्लिक़ शाख़ों और जूतियों से मारने का हुक्म दिया।

हदीस न.21 :– सहीह बुख़ारी में साइब इब्ने यज़ीद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि हुज़ूर के ज़माना में और हज़रत अबू बक्र के ज़माना–ए–ख़िलाफ़त में और हज़रते उ़मर के इब्तिदाई ज़माना–ए–ख़िलाफ़त में शराबी लाया जाता हम अपने हाथों और जूतों और चादरों से उसे मारते फिर हज़रते उ़मर ने चालीस कोड़े का हुक्म दिया फिर जब लोगों में सरकशी हो गई तो अस्सी कोड़े का हुक्म दिया।

हदीस न.22 :– इमाम मालिक ने सौर इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला ने हद्दे ख़म्र के मुतअ़ल्लिक़ सहाबा से मशवरा किया हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया कि मेरी राय यह है कि उसे अस्सी कोड़े मारे जायें क्योंकि जब पियेगा नशा होगा और जब नशा होगा बेहूदा बकेगा और जब बेहूदा बकेगा इफ़तरा करेगा लिहाज़ा हज़रते उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अस्सी कोड़ों का हुक्म दिया।

अहकामे फ़िक़्हिया

मसअला :– मुसलमान, आ़किल, बालिग़, नातिक़, ग़ैर मुज़तर, बिला इकराहे शरई ख़म्र का एक क़तरा भी पीये तो उस पर हद्द क़ाइम की जायेगी जब कि उसे उस का हराम होना मालूम हो काफ़िर मजनून या नाबालिग़ या गूँगे ने पी तो हद्द नहीं यूँहीं अगर प्यास से मरा जाता था और

पानी न था कि पीकर जान बचाता और इतनी पी कि जान बच जाये तो हद नहीं और अगर ज़रूरत से ज़्यादा पी तो हद है यूँहीं अगर किसी ने शराब पीने पर मजबूर किया यानी इकराहे शरई पाया गया तो हद नहीं शराब की हुरमत को जानता हो उस की दो सूरतें हैं एक यह कि वाक़ेअ़ में उसे मा़लूम हो कि यह हराम है दूसरे यह कि दारुलइस्लाम में रहता हो तो अगर्चे न जानता हो हुक्म यही दिया जायेगा कि उसे मालूम है क्योंकि दारुलइस्लाम में जहल उ़ज़्र नहीं लिहाज़ा अगर कोई हर्बी दारुलहर्ब से आकर मुशर्रफ़ बइस्लाम हुआ और शराब पी और कहता है मुझे मा़लूम न था कि यह हराम है तो हद नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— शराब पी और कहता है मैंने दूध या शरबत उसे तसव्वुर किया था या कहता है कि मुझे मा़लूम न था कि यह शराब है तो हद है और अगर कहता है मैंने उसे नबीज़ समझा था तो हद नहीं (बहर)

मसअ्ला :— अंगूर का कच्चा पानी जब खुद जोश खाने लगे और उस में झाग पैदा हो जाये उसे खम्र कहते हैं उस के साथ पानी मिला दिया हो और पानी कम हो जब भी ख़ालिस के हुक्म में है कि एक क़तरा पीने पर भी हद क़ाइम होगी और पानी ज़्यादा है तो जब तक नशा न हो हद नहीं और अगर अँगूर का पानी पका लिया गया तो जब तक उसके पीने से नशा न हो हद नहीं और अगर खम्र का अ़र्क़ खींचा तो उस अ़र्क़ का भी वही हुक्म है कि एक क़तरा पर भी हद है(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— खम्र के अ़लावा और शराबें पीने से हद उस वक़्त है कि नशा आजाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : — शराब पीकर हरम में दाख़िल हो तो हद है मगर जबकि हरम में पनाह ली तो हद नहीं और हरम में पी तो हद है दारुलहरब में पीने से भी हद नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— नशा की हालत में हद क़ाइम न करें बल्कि नशा जाते रहने के बाद क़ाइम करें और नशा की हालत में क़ाइम कर दी तो नशा जाने के बाद फिर इआ़दा करें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : — शराब ख़ोर पकड़ा गया और उस के मुँह में अभी तक बू मौजूद है अगर्चे इफ़ाक़ा हो गया हो या नशे की हालत में लाया गया और गवाहों से शराब पीना साबित हो गया तो हद है और अगर जिस वक़्त उन्होंने पकड़ा था उस वक़्त नशा था और बू थी मगर अ़दालत दूर है वहाँ तक लाते लाते नशा और बू जाती रही तो हद है जब कि गवाह बयान करें कि हम ने जब पकड़ा था उस वक़्त नशा था और बू थी (आलमगीरी)

मसअ्ला :— नशा वाला अगर होश आने के बाद शराब पीने का खुद इक़रार करे और हुनूज़ बू मौजूद है तो हद है और बू जाती रहने के बाद इक़रार किया तो हद नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :— नशा यह है कि बात चीत साफ़ न कर सके और कलाम का अकसर हिस्सा हज़यान हो अगर्चे कुछ बातें ठीक भी हों (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— शराब पीने का सुबूत फ़कत मुँह में शराब की सी बद बू आने बल्कि कै में शराब निकलने से भी न होगा यानी फ़कत इतनी बात से कि बू पाई गई या शराब की कै की हद क़ाइम न करेंगे कि हो सकता है हालते इज़्तिरार या इकराह में पी हो मगर बू या नशा की सूरत में तअ्ज़ीर करेंगे जब कि सुबूत न हो और उस का सुबूत दो मर्दों की गवाही से होगा और एक मर्द और दो औ़रतों ने शहादत दी तो हद क़ाइम करने के लिए यह सुबूत न हुआ (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— क़ाज़ी के सामने जब गवाहों ने किसी शख़्स के शराब पीने की शहादत दी तो क़ाज़ी

उन से चन्द सवाल करेगा ख़म्र किस को कहते हैं? उस ने किस तरह पी अपनी ख़्वाहिश से या इकराह की हालत में? कब पी? और कहाँ पी? क्योंकि तमादी की सूरत में या दारुलहरब में पीने से हद नहीं जब गवाह इन उमूर के जवाब दे लें तो वह शख़्स जिस के ऊपर यह शहादत गुज़री रोक लिया जाये और गवाहों की अदालत के मुतअल्लिक़ सवाल करे अगर उन का आदिल होना साबित होजाये तो हद का हुक्म दिया जाये गवाहों का बज़ाहिर आदिल होना काफ़ी नहीं जब तक उस की तहक़ीक़ न हो ले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों ने जब बयान किया कि उस ने शराब पी और किसी ने मजबूर न किया था तो उस का यह कहना कि मुझे मजबूर किया गया सुना न जायेगा (बहर)

मसअ्ला :– गवाहों में अगर बाहम इख़्तिलाफ़ हुआ एक सुब्ह का वक़्त बताता है दूसरा शाम का या एक ने कहा शराब पी दूसरा कहता है शराब की क़ै की या एक पीने की गवाही देता है और दूसरा उस की कि मेरे सामने इक़रार किया है तो सुबूत न हुआ और हद क़ाइम न होगी(दुर्रे मुख़्तार)मगर इन सब सूरतों में सज़ा देंगे।

मसअ्ला :– अगर ख़ुद इक़रार करता हो तो एक बार इक़रार काफ़ी है हद क़ाइम करदेंगे जब कि इक़रार होश में करता हो और नशा में इक़रार किया तो काफ़ी नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी फ़ासिक़ के घर में शराब पाई गई या चन्द शख़्स एकटठे हैं और वहाँ शराब पीने बैठा करते हैं अगर्चे उन्हें पीते हुए किसी ने नहीं देखा तो उन पर हद नहीं मगर सब को सज़ा दीजाये। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – उस की हद में अस्सी कोड़े मारे जायेंगे और ग़ुलाम को चालीस और बदन के मुतफ़र्रिक़ हिस्सों में मारेंगे जिस तरह हद्दे ज़िना में बयान हुआ (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – नशा की हालत में तमाम वह अहकाम जारी होंगे जो होश में होते हैं मसलन अपनी ज़ौजा को तलाक़ देदी तो तलाक़ होगई या अपना कोई माल बेचडाला तो बैअ् हो गई सिर्फ़ चन्द बातों में उस के अहकाम अलाहिदा हैं 1.अगर कोई कलिमा–ए–कुफ़्र बका तो उसे मुर्तद का हुक्म न देंगे यानी उस की औरत बाइन न होगी रहा यह कि इन्दल्लाह भी काफ़िर होगा या नहीं अगर क़स्दन कुफ़्र बका है तो इन्दल्लाह काफ़िर है वरना नहीं 2.जो हुदूद ख़ालिस हक़्क़ुल्लाह हैं उन का इक़रार किया तो इक़रार सहीह नहीं इसी वजह से अगर शराब पीने का नशा की हालत में इक़रार किया तो हद नहीं 3.अपनी शहादत पर दूसरे को गवाह नहीं बना सकता 4.अपने छोटे बच्चा का महर मिस्ल से ज़्यादा पर निकाह नहीं कर सकता 5.अपनी नाबालिग़ा लड़की का महर मिस्ल से कम पर निकाह नहीं कर सकता 6.किसी ने होश के वक़्त उसे वकील किया था कि यह मेरा सामान बेच दे और नशा में बेचा तो बैअ् न हुई 7.किसी ने होश में वकील किया था कि तू मेरी औरत को तलाक़ देदे और नशा में उस की औरत को तलाक़ दी तो तलाक़ न हुई(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– भंग और अफ़यून पीने से नशा हो तो हद क़ाइम न करेंगे मगर सज़ा दी जाये और उन से नशा की हालत में तलाक़ दी तो हो जायेगी जब कि नशा के लिए इस्तिमाल की हो और अगर इलाज के तौर पर इस्तिमाल की हो तो नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हद मारी जा रही थी भाग गया फिर पकड़ कर लाया गया तो तमादी आगई है तो

छोड़देंगे वरना बक़ाया पूरी करें और अगर दो बारा फिर पी और हद्द क़ाइम करने के बाद है तो दूसरी मरतबा फिर हद्द क़ाइम करें और अगर पहले बिलकुल नहीं मारी गई या कुछ कोड़े मारे थे कुछ बाक़ी थे तो अब दूसरी बार के लिए हद्द मारें पहली उसी में मुतादाख़िल हो गई(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुह०)

हद्दे क़ज़फ़ का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا

तर्जमा :– "और जो लोग मुसलमान मर्द और औरतों को नाकर्दा बातों से ईज़ा देते हैं उन्होंने बुहतान और खुला हुआ गुनाह उठाया"

और फ़रमाता है

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا٥ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ٥ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ٥

तर्जमा :– "और जो लोग पारसा औरतों को तोहमत लगाते हैं फिर चार गवाह न लायें उन को अस्सी कोड़े मारो और उन की गवाही कभी क़बूल न करो वह और लोग फ़ासिक़ हैं मगर वह कि उस के बाद तौबा करें और अपनी हालत दुरुस्त कर लें तो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपने ममलूक पर ज़िना की तोहमत लगाये क़ियामत के दिन उस पर हद्द लगाई जायेगी मगर जब कि वाक़ेअ़ में वह गुलाम वैसा ही है जैसा उस ने कहा अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ इकरमा से रिवायत करते हैं वह कहते हैं एक औरत ने अपनी बान्दी को ज़ानिया कहा अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा ने फ़रमाया तूने ज़िना करते देखा है उस ने कहा नहीं फ़रमाया क़सम है उसकी जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है क़ियामत के दिन उस की वजह से लोहे के अस्सी कोड़े तुझे मारे जायेंगे।

मसअ्ला :– किसी को ज़िना की तोहमत लगाने को क़ज़फ़ कहते हैं और यह कबीरा गुनाह है यूँहीं लवातत की तोहमत भी कबीरा गुनाह है मगर लवातत की तोहमत लगाई तो हद्द नहीं बल्कि तअ्ज़ीर है लवातत और ज़िना की तोहमत लगाने वाले पर हद्द है हद्दे क़ज़फ़ आज़ाद पर अस्सी कोड़े हैं और गुलाम पर चालीस (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़िना के अ़लावा और किसी गुनाह की तोहमत को क़ज़फ़ न कहेंगे न उस पर हद्द है अल्बत्ता बाज़ सूरतों में तअ्ज़ीर है जिस का बयान इन्शाअल्लाह तआ़ला आयेगा (बहर)

मसअ्ला :– क़ज़फ़ का सुबूत दो मर्दों की गवाही से होगा या उस तोहमत लगाने वाले के इक़रार से और इस जगह औरतों की गवाही या शहादत अ़लश्शहादत काफ़ी नहीं बल्कि एक क़ाज़ी ने अगर दूसरे क़ाज़ी के पास लिख भेजा कि मेरे नज़दीक क़ज़फ़ का सुबूत हो चुका है और किताबुल क़ाज़ी के शराइत भी पाये जायें जब भी यह दूसरा क़ाज़ी हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम नहीं कर सकता यूँही अगर क़ाज़िफ़ ने क़ज़फ़ से इन्कार किया और गवाहों से सुबुत न हुआ तो उस से हलफ़ न लेंगे और अगर उस पर हल्फ़ रखा गया और उस ने क़सम खाने से इन्कार कर दिया तो

हद क़ाइम न करेंगे और अगर गवाहों में बाहम इख़्तिलाफ़ हुआ एक गवाह क़ज़फ़ का कुछ वक़्त बताता है और दूसरा गवाह दूसरा वक़्त कहता है तो यह इख़्तिलाफ़ मोअ्तबर नहीं यानी हद जारी करेंगे और अगर एक ने क़ज़फ़ की शहादत दी और दूसरे ने इक़रार की या एक कहता है मसलन फ़ारिसी ज़बान मेंतोहमत लगाई और दूसरा यह बयान करता है कि उर्दू में तो हद नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— जब इस क़िस्म का दअ्वा क़ाज़ी के यहाँ हुआ और गवाह अभी नहीं लाया है तो तीन दिन तक क़ाज़िफ़ को महबूस (क़ैद) रखेंगे और उस शख़्स से गवाहों का मुतालबा होगा अगर तीन दिन के अन्दर गवाह लाया फ़बिहा वरना उसे रिहा करदेंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— तोहमत लगाने वाले पर हद वाजिब होने के लिए चन्द शर्तें हैं जिस पर तोहमत लगाई वह मुसलमान आ़क़िल, बालिग़, आज़ाद, पारसा हो और तोहमत लगाने वाले का न वह लड़का हो न पोता और न गूँगा हो, न ख़स्सी, न उस का अ़ज़्व तनासुल जड़ से कटा हो, न उस ने निकाह फ़ासिद के साथ वती की, और अगर औ़रत को तोहमत लगाई तो वह ऐसी न हो जिस से वती न की जा सके, और वक़्ते हद तक वह शख़्स मुह्सन हो लिहाज़ा मआज़ल्लाह क़ज़फ़ के बाद मुरतद हो गया या मजनून या बोहरा हो गया या वती हराम की या गूँगा हो गया तो हद नहीं।(आलमगीरी)

मसअला : — जिस औ़रत को उस ने तीन तलाक़ें या तलाक़े बाइन दी और ज़माना—ए—इद्दत में उस से वती की या किसी लौन्डी से वती की फिर उस के ख़रीदने या उस से निकाह करने का दअ्वा किया या मुश्तरक लौन्डी थी उस से वती की या किसी औ़रत से जबरन ज़िना किया या ग़लती से ज़ौजा के बदले दूसरी औ़रत उस के यहाँ रुख़सत कर दी गई और उस ने उस से वती की या ज़माना—ए—कुफ़्र में ज़िना किया था फिर मुसलमान हुआ या हालते जुनून में ज़िना किया या जो बान्दी उस पर हमेशा के लिए हराम थी उस से वती की या जो बान्दी उस के बाप की मोतूहा (जिस से वती की हो)थी उसे उस ने ख़रीदा और वती की या उस की माँ से उस ने ख़ुद वती की थी अब इस लड़की को ख़रीदा और वती की इन सब सूरतों में अगर किसी ने उस शख़्स पर ज़िना की तोहमत लगाई तो उस पर हद नहीं (आलमगीरी)

मसअला :— हुर्रा उस के निकाह में है उस के होते हुए बान्दी से निकाह किया या ऐसी दो औ़रतों को निकाह में जमअ् किया जिन का जमअ् करना हराम था दो बहनें या फूफी भतीजी और वती की या उस के निकाह में चार औ़रतें मौजूद हैं और पाँचवीं से निकाह कर के जिमाअ् किया या किसी औ़रत से निकाह कर के वती की बाद को मालूम हुआ कि यह औ़रत मुसाहिरत की वजह से उस पर हराम थी फिर किसी ने ज़िना की तोहमत लगाई तो लगाने वाले पर हद नहीं (आलमगीरी)

मसअला :— किसी औ़रत से बग़ैर गवाहों के निकाह किया या शौहर वाली औ़रत से जान बूझ कर निकाह किया या जान बूझ कर इद्दत के अन्दर या उस औ़रत से निकाह किया जिस से निकाह हराम है और उन सब सूरतों में वती भी की तो तोहमत लगाने वाले पर हद नहीं (आलमगीरी)

मसअला :— जिस औ़रत पर हद्दे ज़िना क़ाइम हो चुकी है उस को किसी ने तोहमत लगाई या ऐसी औ़रत पर तोहमत लगाई जिस में ज़िना की अ़लामत मौजूद है मसलन मियाँ बीवी में क़ाज़ी ने लिआ़न कराया और बच्चा का नसब बाप से मुन्क़तअ् कर के औ़रत की तरफ़ मन्सूब कर दिया या औ़रत के बच्चा है जिस का बाप मालूम नहीं तो उन सब सूरतों में तोहमत लगाने वाले पर हद नहीं

और अगर लिआन बग़ैर बच्चा के हुआ या बच्चा मौजूद था मगर उस का नसब बाप से नहीं काटा या नसब भी काट दिया मगर बाद में शौहर ने अपना झूटा होना बयान किया और बच्चा बाप की तरफ़ मन्सूब कर दिया गया तो उन सूरतों में औरत पर तोहमत लगाने से हद है (आलमगीरी)

मसअला :– जिस औरत को उस ने शहवत के साथ छुआ या शर्मगाह की तरफ़ शहवत के साथ नज़र की अब उस की माँ या बेटी को ख़रीद कर या निकाह कर के वती की या जिस औरत को उस के बाप या बेटे ने उसी तरह छुआ या नज़र की थी उस को उस ने ख़रीद कर या निकाह कर के वती की और किसी ने ज़िना की तोहमत लगाई तो उस पर हद है (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी औरत से हैज़ में जिमाअ् किया या औरत से ज़िहार किया और बग़ैर कफ़्फ़ारा दिए जिमाअ् किया या औरत रोज़ा दार थी और शौहर को मालूम भी था और जिमाअ् किया तो इन सूरतें में तोहमत लगाने वाले पर हद है (आलमगीरी)

मसअला :– ज़िना की तोहमत लगाई और हद क़ाइम होने से पहले उस शख़्स ने ज़िना किया जिस पर तोहमत लगाई या किसी ऐसी औरत से वती की जिस से वती हराम थी या मआज़ल्लाह मुरतद हो गया अगर्चे फिर मुसलमान हो गया तो इन सब सूरतों में हद साक़ित हो गई (बहर)

मसअला :– हद्दे क़ज़फ़ उस वक़्त क़ाइम होगी जब सरीह लफ़्ज़ ज़िना से तोहमत लगाई मसलन तू ज़ानी है, या तूने ज़िना किया, तू ज़िना कार है, और अगर सरीह लफ़्ज़ न हो मसलन यह कि तूने वती हराम की, या तूने हराम तौर पर जिमाअ् किया, तो हद नहीं और अगर यह कहा कि मुझे ख़बर मिली है कि तू ज़ानी है या मुझे फ़ुलाँ ने अपनी शहादत पर गवाह बनाया है कि तू ज़ानी है या कहा तू फ़ुलाँ के पास जाकर उस से कह कि तू ज़ानी है और क़ासिद ने यूँहीं जाकर कह दिया तो हद नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं या उस के बाप का नाम ले कर कहा कि तू फ़ुलाँ का बेटा नहीं हांलाँकि उस की माँ पाक दामन औरत है अगर्चे यह शख़्स जिस को कहा गया कैसा ही हो तो हद है जब कि यह अल्फ़ाज़ ग़ुस्सा में कहे हों और अगर रज़ा मन्दी में कहे तो हद नहीं क्योंकि उसके यह मअ्ना बन सकते हैं कि तू अपने बाप से मुशाबा नहीं मगर पहली सूरत में शर्त यह है कि जिस पर तोहमत लगाई वह हद का तालिब हुआ अगर्चे तोहमत लगाने के वक़्त वहाँ मौजूद न था और अगर कहा कि तू अपने बाप माँ का नहीं या तू अपनी माँ का नहीं तो हद नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर दादा या, चचा या मामूँ या मुरब्बी का नाम लेकर कहा कि तू उस का बेटा है तो हद नहीं क्योंकि उन लोगों को भी मजाज़न बाप कह दिया करते हैं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – किसी शख़्स को उस की क़ौम के सिवा दूसरी क़ौम की तरफ़ निस्बत करना या कहना कि तू उस क़ौम का नहीं है सबबे हद नहीं फिर अगर किसी ज़लील क़ौम की तरफ़ निस्बत किया तो मुस्तहक़े तअ्ज़ीर है जब कि हालते ग़ुस्सा में कहा हो कि यह गाली है और गाली में सज़ा है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)अगर किसी शख़्स ने बहादुरी का काम किया उस पर कहा कि यह पठान है तो उस में कुछ नहीं कि यह न तोहमत है न गाली।

मसअला :– किसी अफ़ीफ़ा औरत को रन्डी या कस्बी कहा तो यह क़ज़फ़ है और हद का मुस्तहक़ है कि यह लफ़्ज़ उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने ज़िना को पेशा कर लिया है।

मसअ्ला :– वलदुज़्ज़िना या ज़िना का बच्चा कहा या औ़रत को ज़ानी कहा तो हद है और अगर किसी को हराम ज़ादा कहा तो हद नहीं क्योंकि उस के यह मअ्ना हैं कि वती–ए–हराम से पैदा हुआ और वती हराम के लिए ज़िना होना ज़रूर नहीं इस लिए कि हैज़ में वती हराम है और जब अपनी औ़रत से है तो ज़िना नहीं (दुर्रे मुख़्तार) और हराम ज़ादा में हद न होने की यह वजह भी है कि उ़र्फ़ में बाज़ लोग शरीर के लिए यह लफ़्ज़ इस्तिमाल करते हैं यूँहीं हरामी या हैज़ी बच्चा या वलदुलहराम कहने पर भी हद नहीं।

मसअ्ला :– औ़रत को अगर जानवर, बैल, घोडे, गधे, से फ़ेअ्ल कराने की गाली दी तो उस में सज़ा दी जायेगी।

मसअ्ला :– जिस को तोहमत लगाई वह अगर मुतालबा करे तो हद क़ाइम होगी वरना नहीं यानी उस की ज़िन्दगी में दूसरे को मुतालबा का हक़ नहीं अगर्चे वह मौजूद न हो कहीं चला गया हो या तोहमत के बाद मरगया बल्कि मुतालबा के बाद चन्द कोड़े मारने के बाद इन्तिक़ाल हुआ तो बाक़ी साक़ित है हाँ अगर उस का इन्तिक़ाल हो गया और उस के वुरसा में वह शख़्स मुतालबा करे जिस के नसब पर उस तोहमत की वजह से हर्फ़ आता है तो उस के मुतालबा पर भी हद क़ाइम कर दी जायेगी मसलन उस के दादा या दादी या बाप या माँ या बेटा या बेटी पर तोहमत लगाई और जिसे तोहमत लगाई मर चुका है तो उस को मुतालबा का हक़ है वारिस से मुराद वही नहीं जिसे तरका पहुँचता है बल्कि महजूब या महरूम भी मुतालबा कर सकता है मसलन मय्यत का बेटा अगर मुतालबा न करे तो पोता मुतालबा कर सकता है अगर्चे महजूब है या उस वारिस ने अपनी मोरिस को मार डाला है या गुलाम या काफ़िर है तो उन को मुतालबा का इस्तिह़क़ाक़ है अगर्चे महरूम हैं यूँहीं नवासा और नवासी को भी मुतालबा का हक़ है (दुर्रे मुख़्तार आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– क़रीबी रिश्तेदार ने मुतालबा न किया या मुआ़फ़ कर दिया तो दूर के रिश्ते वाले का हक़ साक़ित न होगा बल्कि यह मुतालबा कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी के बाप और माँ दोनों पर तोहमत लगाई और दोनों मरचुके हैं तो उस के मुतालबा पर हद क़ाइम होगी मगर एक ही हद होगी दो नहीं यूँहीं अगर वह दोनों ज़िन्दा हैं जब भी दोनों के मुतालबा पर एक ही हद होगी कि जब चन्द हद्दें जमअ् हों तो एक ही क़ाइम की जायेगी(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – किसी पर एक ने तोहमत लगाई और हद क़ाइम हुई फिर दूसरे ने तोहमत लगाई तो दूसरे पर भी हद क़ाइम करेंगे (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– अगर चन्द हद्दें मुख़्तलिफ़ क़िस्म की जमअ् हों मसलन उस ने तोहमत भी लगाई है और शराब भी पी और चोरी भी की और ज़िना भी किया तो सब हद्दें क़ाइम कीजायेंगी मगर एक साथ सब क़ाइम न करें कि उस में हलाक हो जाने का ख़ौफ़ है बल्कि एक क़ाइम करने के बाद इतने दिनों उसे क़ैद में रखें कि अच्छा हो जाये फिर दूसरी क़ाइम करें और सब से पहले हद्दे क़ज़फ़ जारी करें उस के बाद इमाम को इख़्तियार है कि, पहले ज़िना की हद क़ाइम करें या चोरी की बिना पर हाथ पहले काटें यानी उन दोनों में तक़दीम व ताख़ीर का इख़्तियार है फिर सब के बाद शराब पीने की हद मारें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर किसी ने किसी की आँख भी फोड़ी है और वह चारों चीज़ें भी की हैं तो पहले

आँख फोड़ने की सज़ा दी जाये यानी उस की भी आँख फोड़ दी जाये फिर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम की जाये उस के बाद रज्म कर दिया जाये अगर मुहसन हो और बाक़ी हद्दें साकित और मुहसन न हो तो उसी तरह अमल करें और अगर एक ही क़िस्म की चन्द हद्दें हों मसलन चन्द शख़्सों पर तोहमत लगाई या एक शख़्स पर चन्द बार तो एक हद्द है हाँ अगर पूरी हद्द क़ाइम करने के बाद फिर दूसरे शख़्स पर तोहमत लगाई तो अब दोबारा हद्द क़ाइम होगी और अगर उसी पर दोबारा तोहमत हो तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बाप ने बेटे पर ज़िना की तोहमत लगाई या मौला ने ग़ुलाम पर तो लड़के या ग़ुलाम को मुतालबा का हक़ नहीं यूँहीं माँ या दादा दादी ने तोहमत लगाई यानी अपनी अस्ल से मुतालबा नहीं कर सकता यूँहीं अगर मरी ज़ौजा पर तोहमत लगाई तो बेटा मुतालबा नहीं कर सकता हाँ अगर उस औरत का दूसरा ख़ाविन्द से लड़का है तो यह लड़का या औरत का बाप है तो यह मुतालबा कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तोहमत लगाने वाले ने पहले इक़रार किया कि हाँ तोहमत लगाई है फिर अपने इक़रार से रुजूअ् कर गया यानी अब इन्कार करता है तो अब रुजूअ् मोअ्तबर नहीं यानी मुतालबा हो तो हद्द क़ाइम करेंगे यूँहीं अगर बाहम सुलह कर लें और कुछ मुआविज़ा लेकर मुआफ़ कर दें या बिला मुआविज़ा मुआफ़ कर दे तो हद्द मुआफ़ न होगी यानी अगर फिर मुतालबा करे तो कर सकता है और मुतालबा पर हद्द क़ाइम होगी (फ़त्हुल क़दीर वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे से कहा तू ज़ानी है उसने जवाब में कहा कि नहीं बल्कि तू है तो दोनों पर हद्द है कि हर एक ने दूसरे पर तोहमत लगाई और एक ने दूसरे को ख़बीस कहा दूसरे ने कहा नहीं बल्कि तू है तो किसी पर सज़ा नहीं कि उस में दोनों बराबर होगये और तोहमत में चूँकि हक़्क़ुल्लाह ग़ालिब है लिहाज़ा हद्द साक़ित न होगी कि वह अपने हक़ को साक़ित कर सकते हैं हक़्क़ुल्लाह को साक़ित करना उन के इख़्तियार में नही(बहर वग़ैरा)

मसअ्ला :– शौहर ने औरत को ज़ानिया कहा औरत ने जवाब में कहा कि नहीं बल्कि तू औरत पर हद्द है मर्द पर नहीं और लिआन भी न होगा कि हद्दे क़ज़फ़ के बाद औरत लिआन के क़ाबिल न रही और अगर औरत ने जबाब में कहा कि मैंने तेरे साथ जिना किया है तो हद्द व लिआन कुछ नहीं कि उस कलाम के दो एहतिमाल हैं एक यह कि निकाह के पहले तेरे साथ ज़िना किया दूसरा यह कि निकाह के बाद तेरे साथ हम बिस्तिरी हुई। और उस को ज़िना से तअ्बीर किया तो जब कलाम मोहतमिल (दो मअ्ना में शक हो कि कौन सा मुराद है) है तो हद्द साक़ित, हाँ अगर जवाब में औरत ने तस्रीह कर दी कि निकाह से पहले मैंने तेरे साथ ज़िना किया तो औरत पर हद्द है और अगर अजनबी औरत से मर्द ने यह बात कही और उस औरत ने यही जवाब दिया तो औरत पर हद्द है कि वह ज़िना का इक़रार करती है और मर्द पर कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़िना की तोहमत लगाई और चार गवाह ज़िना के पेश कर दिए या मक़्ज़ूफ़ ने ज़िना का चार बार इक़रार कर लिया तो जिस पर तोहमत लगाई है उस पर ज़िना की हद्द क़ाइम की जायेगी और तोहमत लगाने वाला बरी है और अगर फ़िलहाल गवाह लाने से आजिज़ है और मुहलत माँगता है कि वक़्त दिया जाये तो शहर से गवाह तलाश कर लाऊँ तो उसे कचहरी के वक़्त

तक मुहलत दी जायेगी और खुद उसे जाने न देंगे बल्कि कहा जायेगा कि किसी को भेजकर गवाहों को बुला ले अगर चार फ़ासिक़ गवाह पेश कर दिए तो सब से हद साक़ित है न क़ाज़िफ़ पर हद है न मक़ज़ूफ़ पर न गवाहों पर (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ने दअ्वा किया कि मुझ पर फ़ुलाँ ने ज़िना की तोहमत लगाई और सुबूत में दो गवाह पेश किए मगर गवाहों के मुख़्तलिफ़ बयान हुए एक कहता है फ़ुलाँ जगह तोहमत लगाई दूसरा दूसरी जगह का नाम लेता है तो हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम करेंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला : – हद्दे क़ज़फ़ में सिवा पोस्तीन और रूई भरे हुए कपड़े के कुछ न उतारें (बह्र)

मसअ्ला : – जिस शख़्स पर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम की गई उस की गवाही किसी मुआमला में मक़बूल नहीं हाँ इबादात में कबूल करलेंगे यूँहीं अगर काफ़िर पर हद्दे क़ज़फ़ जारी हुई तो काफ़िरों के ख़िलाफ़ भी उस की गवाही मक़बूल नहीं हाँ अगर इस्लाम लाये तो उस की गवाही मक़बूल है अगर कुफ़्र के ज़माना में तोहमत लगाई और मुसलमान होने के बाद हद क़ाइम हुई तो उस की गवाही भी कभी किसी मुआमला में मक़बूल नहीं यूँहीं गुलाम पर हद्दे क़ज़फ़ जारी हुई फिर आज़ाद हो गया तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर किसी पर हद क़ाइम की जारही थी और दरमियान में भाग गया तो अगर बाद में बाक़ी हद पूरी कर ली गई तो अब मक़बूल नहीं और पूरी नहीं की गई तो मक़बूल है हद क़ाइम होने के बाद अपनी सच्चाई पर चार गवाह पेश किए जिन्होंने ज़िना की शहादत दी तो अब इस तोहमत लगाने वाले की गवाही आइन्दा मक़बूल होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला : – बेहतर यह है कि जिस पर तोहमत लगाई गई मुतालबा न करे और अगर दअ्वा कर दिया तो क़ाज़ी के लिए मुस्तहब यह है कि जब तक सुबूत न पेश हो मुद्दई को दर गुज़र करने की तरफ़ तवज्जह दिलाये (आलमगीरी)

तअ्ज़ीर का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَ لَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۝

तर्जमा :– "ऐ ईमान वालो न मर्द मर्द से मसख़रापन करें अजब नहीं वह उन हँसने वालों से बेहतर हों और नऔरतें औरतों से दूर नहीं कि वह उन से बेहतर हों और आपस में तअ्ना न दो और बुरे लक़बों से न पुकारो कि ईमान के बाद फ़ासिक़ कहलाना बुरा नाम है और जो तौबा न करे वही ज़ालिम है"

तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब एक शख़्स दूसरे को यहूदी कह कर पुकारे तो उसे बीस कोड़े मारो और मुख़न्नस कहकर पुकारे तो बीस मारो और अगर कोई अपने मुहारिम से (वह जिन से निकाह हराम है) ज़िना करे तो उसे क़त्ल कर डालो बैहक़ी ने रिवायत की कि हज़रते अमीरुलमोमिनीन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि अगर एक शख़्स दूसरे

को कहे ऐ काफ़िर, ऐ ख़बीस, ऐ फ़ासिक़, ऐ गधे तो उस में कोई हद्द मुक़र्रर नहीं हाकिम को इख़्तियार है जो मुनासिब समझे सज़ा दे बैहक़ी नोअ़मान इब्ने बशीर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स ग़ैर हद्द को हद्द तक पहुँचादे(यानी वह सज़ा दे जो हद्द में है)वह हद से गुज़रने वालों में है।

मसअ्ला :– किसी गुनाह पर बग़र्ज़ तादीब जो सज़ा दी जाती है उस को तअ़्ज़ीर कहते हैं शरअ़ ने उस के लिए कोई मिक़दार मुअ़य्यन नहीं की है बल्कि उस को क़ाज़ी की र'ए पर छोड़ा है जैसा मोक़अ़ हो उस के मुताबिक़ अमल करे तअ़्ज़ीर का इख़्तियार सिर्फ़ बादशाहे इस्लाम ही को नहीं बल्कि शौहर बीवी, को आक़ा ग़ुलाम को, माँ बाप अपनी औलाद को, उस्ताज़ शागिर्द को, तअ़्ज़ीर कर सकता है(रद्दुल मुहतार वग़ैरा)इस ज़माना में कि हिन्दुस्तान में इस्लामी हकूमत नहीं और लोग बे धड़क बिला ख़ौफ़ व ख़तर मआ़सी करते और उन पर इसरार करते हैं और कोई मनअ़ करे तो बाज़ नहीं आते अगर मुसलमान मुत्तफ़िक़ होकर ऐसी सज़ाऐं तजवीज़ करें जिन से इब्रत हो और यह बेबाकी और जुरअ्त का सिलसिला बन्द हो जाये तो निहायत मुनासिब व अनसब होगा। बाज़ क़ौमों में बाज़ मआ़सी पर ऐसी सज़ाए दी जाती हैं मसलन हुक़्क़ा पानी उस का बन्द कर देते हैं और न उस के यहाँ खाते न अपने यहाँ उस को खिलाते हैं जब तक तौबा न कर ले और उस की वजह से उन लोगों में ऐसी बातें कम पाई जाती हैं जिन पर उन के यहाँ सज़ा हुआ करती है मगर काश वह तमाम मआ़सी के इनसिदाद रोकथाम में ऐसी ही कोशिश करते और अपने पंचायती क़ानून को छोड़ कर शरअ़ मुतह्हर के मुवाफ़िक़ फ़ैसला देते और अहकाम सुनाते तो बहुत बेहतर होता नीज़ दूसरी क़ौमें भी अगर उन लोगों से सबक़ हासिल करें और यह भी अपने अपने मुवाफ़िक़ इक़्तिदार में ऐसा ही करें तो बहुत मुमकिन है कि मुसलमानों की हालत दुरुस्त हो जाये बल्कि एक ही क्या अगर अपने दीगर मुआ़मलात व मुनाज़आ़त में भी शरअ़ मुतह्हर का दामन पकड़ें और रोज़ मर्रा की तबाह कुन मुक़द्दमा बाज़ियों से दस्त बरदारी करें तो दीनी फ़ाइदे के अ़लावा उन की दुनियावी हालत भी संभल जाये और बड़े फ़वाइद हासिल करें मुक़द्दमा बाज़ी के मसारिफ़ से ज़ेर बार भी न हों और उस सिलसिले के दराज़ होने से बुग़्ज़ व अ़दावत जो दिलों में घर कर जाती है उस से भी महफ़ूज़ रहें।

मसअ्ला :– गुनाहों की मुख़्तलिफ़ हालतें हैं कोई बड़ा कोई छोटा और आदमी भी मुख़्तलिफ़ क़िस्म के हैं कोई हयादार बा इज़्ज़त और ग़ैरत वाला होता है बाज़ बेबाक दिलैर होते हैं लिहाज़ा क़ाज़ी जिस मौक़े पर जो तअ़्ज़ीर मुनासिब समझे वह अ़मल में लाये कि थोड़े से जब काम निकले तो ज़्यादा की क्या हाजत (रद्दुल मुहतार, बहर)

मसअ्ला :– सादात व उ़लमा अगर वजाहत व इज़्ज़त वाले हों कि कबीरा तो कबीरा सग़ीरा भी नादिरन या बतौर लग़्ज़िश उन से सादिर हो तो उन की तअ़्ज़ीर अदना दर्जा की होगी कि क़ाज़ी उन से अगर इतना ही कह दे कि आप ने ऐसा किया ऐसों के लिए इतना कहदेना ही बाज़ आने के लिए काफ़ी है और अगर यह लोग इस सिफ़त पर न हों बल्कि उन के अतवार ख़राब हो गये हों मसलन किसी को इस क़द्र मारा कि ख़ूना ख़ून हो गया या चन्द बार जुर्म का इरतिकाब किया या

शराब ख़ोरी के जलसा में बैठता है या लवातत में मुबतला है तो अब जुर्म के लाइक़ सज़ा दी जायेगी ऐसी सूरतों में दुर्रे लगाये जायें या क़ैद किया जाये उन उलमा व सादात के बाद दूसरा मरतबा ज़मीनदार व ताजिरों और मालदारों का है कि उन पर दअ़्वा किया जायेगा और दरबारे क़ाज़ी में तलब किए जायेंगे फिर क़ाज़ी उन्हें तम्बीह करेगा कि क्या तुम ने ऐसा किया है ऐसा न करो तीसरा दर्जा मुतवस्सित लोगों का है यानी बाज़ारी लोग कि ऐसे लोगों के लिए क़ैद है चौथा दर्जा ज़लीलों और कमीनों का है कि उन्हें मारा भी जाये मगर जुर्म जब इस क़ाबिल हो जब ही यह सज़ा है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तअ्ज़ीर की बाज़ सूरतें यह हैं कि क़ैद करना, कोड़े मारना, गोशमाली करना, डाँटना तुर्शरूई से उस की तरफ़ ग़ुस्सा की नज़र करना(ज़ैलई)

मसअ्ला :– अगर तअ्ज़ीर ज़र्ब से हो तो कम तीन अज़ कम कोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उंतालीस कोड़े लगाए जायें उस से ज़्यादा की इजाज़त नहीं यानी क़ाज़ी की राए में अगर दस, कोड़ों की ज़रूरत मालूम हो तो दस, बीस की हो तो बीस, तीस की हो तो तीस लगाये यानी जितने की ज़रूरत महसूस करता हो उस से कमी न करे हाँ अगर चालीस या ज़्यादा की ज़रूरत मालूम होती है तो उंतालीस से ज़्यादा न मारे बाक़ी के बदले दूसरी सज़ा करे मसलन क़ैद करदे कम अज़ कम तीन कोड़े यह बाज़ मुतून का क़ौल है और इमाम इब्ने हुमाम वग़ैरा फ़रमाते हैं कि अगर एक कोड़ा मारने से काम चले तो तीन की कुछ हाजत नहीं और यही क़रीने क़यास भी है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर चन्द कोड़े मारे जायें तो बदन पर एक ही जगह मारे और बहुत से मारने हों तो मुतफ़र्रिक़ जगह मारे जायें कि अज़्व बेकार न हो जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तअ्ज़ीर बिलमाल यानी जुर्माना लेना जाइज़ नहीं अगर देखे कि बग़ैर लिए बाज़ न आयेगा तो वुसूल कर ले फिर जब उस काम से तौबा कर ले वापस देदे (बहर वग़ैरा)पन्चायत में भी बाज़ क़ौमें बाज़ जगह जुरमाना लेती हैं उन्हें उस से बाज़ आना चाहिए।

मसअ्ला :– जिस मुसलमान ने शराब बेची उस को सज़ा दी जाये यूँहीं गवय्या और नाचने वाले और मुख़न्नस और नोहा करने वाली भी मुस्तहक़े तअ्ज़ीर है मुक़ीम बिला उज़्रे शरई रमज़ान का रोज़ा न रखे तो मुस्तहक़े तअ्ज़ीर है और यह अन्देशा हो कि अब भी नहीं रखेगा तो क़ैद किया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कोई शख़्स किसी की औरत या छोटी लड़की को भगा लेगया और उस का किसी से निकाह कर दिया तो उस पर तअ्ज़ीर है इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहि फ़रमाते हैं कि क़ैद किया जाये यहाँ तक कि मरजाये या उसे वापस करे (आलमगीरी)

मसअ्ला : – एक शख़्स ने किसी मर्द को अजनबी औरत के साथ ख़ल्वत में देखा अगर्चे फ़ेअ्ल क़बीह में मुबतला न देखा तो चाहिए कि शोर करे या मारपीट करने से भाग जाये तो यही करे और अगर इन बातों का उस पर असर न पड़े तो अगर क़त्ल कर सके तो क़त्ल कर डाले और औरत उस के साथ राज़ी है तो औरत को भी मारडाले यानी उस के मारडालने पर क़िसास नहीं यूंहीं अगर औरत को किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ा और किसी तरह उसे नहीं छोड़ता और आबरु जाने का गुमान है तो औरत से अगर हो सके उसे मारडाले (बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चोर को चोरी करते देखा और चिल्लाने या शोर करने या मारपीट करने पर भी बाज़ नहीं आता तो क़त्ल करने का इख़्तियार है यही हुक्म डाकू और अश्शार और हर ज़ालिम और कबीरा गुनाह करने वाले का है और जिस घर में नाच रंग शराब ख़ोरी की मज्लिस हो उस का मुहासिरा कर के घर में घुस पड़ें और ख़ुम तोड़ डालें और उन्हें निकाल बाहर करदें और मकान ढादें (दुर्रे मुख़्तार,बहर)

मसअ्ला :– यह अहकाम जो बयान किए गये उन पर उस वक़्त अमल कर सकता है जब उन गुनाहों में मुबतला देखे और बाद गुनाह कर लेने के अब उसे सज़ा देने का इख़्तियार नहीं बल्कि बादशाहे इस्लाम चाहे तो क़त्ल कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार) क़त्ल वग़ैरा के मुतअ़ल्लिक़ जो कुछ बयान हुआ यह इस्लामी अहकाम हैं जो इस्लामी हुकूमत में हो सकते हैं मगर अब कि हिन्दुस्तान में इस्लामी सलतनत बाक़ी नहीं अगर किसी को क़त्ल करे तो ख़ुद क़त्ल किया जाये लिहाज़ा हालते मौजूदा में उन पर कैसे अमल हो सके उस वक़्त जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह है कि ऐसे लोगों से मुक़ातअ़ा किया जाये और उन से मेल जोल नशिस्त व बरख़ास्त वग़ैरा तर्क करें।

मसअ्ला :– अगर जुर्म ऐसा है जिस में हद्द वाजिब होती है मगर किसी वजह से साक़ित हो गई तो सख़्त दरजा की तअ़्ज़ीर होगी मसलन दूसरे की लौन्डी को ज़ानिया कहा तो यह सूरत हद्दे क़ज़फ़ की थी मगर चूँकि मुहसना नहीं है लिहाज़ा सख़्त क़िस्म की तअ़्ज़ीर होगी और अगर उस में हद्द वाजिब नहीं मसलन किसी को ख़बीस कहा तो उस में तअ़्ज़ीर की मिक़दार राए क़ाज़ी पर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्सों ने बाहम मारपीट की तो दोनों मुस्तहक़े तअ़्ज़ीर हैं और पहले उसे सज़ा देंगे जिस ने इब्तिदा की (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चौपाया के साथ बुरा काम किया या मुसलमान को थप्पड़ मारा या बाज़ार में उस के सर से पगड़ी उतारली तो मुस्तहक़े तअ़्ज़ीर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तअ़्ज़ीर के दुर्रे सख़्ती से मारे जायें और ज़िना की हद्द में उस से नरम और शराब की हद्द में और नरम और क़ज़फ़ में सब से नरम (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स किसी मुसमान को फ़ेअ़्ल या क़ौल से ईज़ा पहुँचाए अगर्चे आँख या हाथ के इशारे से वह मुस्तहक़े तअ़्ज़ीर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी मुसलमान को फ़ासिक़ फ़ाजिर, ख़बीस, लूती, सूद ख़ोर, शराब ख़ोर,ख़ाइन, दय्यूस, मुख़न्नस, भड़वा, चोर हरामज़ादा, वलदुलहराम, पलीद, सफ़ला, कमीन, जुवारी कहने पर तअ़्ज़ीर की जाये य़ानी जब कि वह शख़्स ऐसा न हो जैसा उस ने कहा और अगर वाक़ेअ़् में यह उ़यूब उस में पाये जाते हैं और किसी ने कहा तो तअ़्ज़ीर नहीं कि उस ने ख़ुद अपने को ऐबी बना रखा है उस के कहने से उसे क्या ऐब लगा (बहर वग़ैरा)

मसअ्ला :– किसी मुसलमान को फ़ासिक़ कहा और क़ाज़ी के यहाँ जब दअ़्वा हुआ उस ने जवाब दिया कि मैंने उसे फ़ासिक़ कहा है क्योंकि यह फ़ासिक़ है तो उस का फ़ासिक़ होना गवाहों से साबित करना होगा और क़ाज़ी उस से दरयाफ़्त करे कि उस में फ़िस्क़ की क्या बात है अगर किसी ख़ास बात का सुबूत दे और गवाहों ने भी गवाही में उस ख़ास फ़िस्क़ को बयान किया तो तअ़्ज़ीर है और अगर ख़ास फ़िस्क़ न बयान करें सिर्फ़ यह कहें कि फ़ासिक़ है तो क़ौल मोअ़्तबर

नहीं और अगर गवाहों ने बयान किया कि यह फ़राइज़ को तर्क करता है तो काज़ी उस शख़्स से फ़राइज़े इस्लाम दरयाफ़्त करेगा अगर न बता सका तो फ़ासिक़ है यानी वह फ़राइज़ जिन का सीखना उस पर फ़र्ज़ था और सीखा नहीं तो फ़ासिक़ होने के लिए यही बस है और अगर ऐसे मुसलमान को फ़ासिक़ कहा जो अलानिया फ़िस्क़ करता है मसलन नाजाइज़ नौकरी करता है या अलानिया सूद लेता है वग़ैरा वग़ैरा तो कहने वाले पर कुछ इल्ज़ाम नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– किसी मुसलमान को काफ़िर कहा तो तअ्ज़ीर है रहा यह कि क़ाइल ख़ुद काफ़िर होगा या नहीं उस में दो सूरतें हैं अगर उसे मुसलमान जानता है तो काफ़िर न हुआ और अगर उसे काफ़िर एअ्तिक़ाद करता है तो ख़ुद काफ़िर है कि मुसलमान को काफ़िर जानना दीने इस्लाम को कुफ़्र जानना है और दीने इस्लाम को कुफ़् जानना कुफ़् है हाँ अगर उस शख़्स में कोई ऐसी बात पाई जाती है जिस की बिना पर तकफ़ीर हो सके और उस ने उसे काफ़िर कहा और काफ़िर जाना तो काफ़िर न होगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)यह उस सूरत में है कि वह वजह जिस की बिना पर उस ने काफ़िर कहा ज़न्नी हो यानी तावील हो सके तो वह मुसलमान ही कहा जायेगा मगर जिस ने उसे काफ़िर कहा वह भी काफ़िर न हुआ और अगर उस में क़तई कुफ़् पाया जाता है जो किसी तरह तावील की गुन्जाइश नहीं रखता तो वह मुसलमान ही नहीं और बेशक वह काफ़िर है और उस को काफ़िर कहना मुसलमान को काफ़िर कहना नहीं बल्कि काफ़िर को काफ़िर कहना है बल्कि ऐसे को मुसलमान जानना या उस के कुफ़् में शक करना भी कुफ़्र है।

मसअला :– किसी शख़्स पर हाकिम के यहाँ दअ्वा किया कि उस ने चोरी की या उस ने कुफ़् किया और सुबूत न दे सका तो मुस्तहक़े तअ्ज़ीर(सज़ा के लाइक़) नहीं यानी जबकि उस का मक़सूद गाली देना तौहीन करना न हो (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– राफ़िज़ी,बदमज़हब, मुनाफ़िक़, ज़िन्दीक़, यहूदी, नसरानी नसरानी बच्चा, काफ़िर बच्चा कहने पर भी तअ्ज़ीर है (दुर्रे मुख़्तार बहर)यानी जब कि सुन्नी को राफ़ज़ी या बद मज़हब या बिदअती कहा और राफ़ज़ी को कहा तो कुछ नहीं कि उस को तो राफ़िज़ी कहेंगे ही यूँहीं सुन्नी को वहाबी या ख़ारिजी कहना भी मोजिबे तअ्ज़ीर है।

मसअला :– हरामी क़ा लफ़्ज़ भी बहुत सख़्त गाली है और हरामज़ादा के मअ्ना में है उस का भी हुक्म तअ्ज़ीर होना चाहिए किसी को बे ईमान कहा तो तअ्ज़ीर होगी अगर्चे उर्फ़े आम में यह लफ़्ज़ काफ़िर के मअ्ना में नहीं बल्कि ख़ाइन के मअ्ना में है और लफ़्ज़ ख़ाइन में तअ्ज़ीर है।

मसअला :– सुअर, कुत्ता, गधा, बकरा, बैल, बन्दर, उल्लू, कहने पर भी तअ्ज़ीर है जब कि ऐसे अल्फ़ाज़ उलमा व सादात या अच्छे लोगों की शान में इस्तिअ्माल किए(हिदाया वग़ैरा)यह चन्द अल्फ़ाज़ जिन के कहने पर तअ्ज़ीर होती है बयान कर दिए बाक़ी हिन्दुस्तान में ख़ुसूसन अवाम में आज कल बकसरत निहायत करीह व फ़ह्श(बुरे गन्दे)अल्फ़ाज़ गाली में बोले जाते या बाज़ बेबाक मज़ाक़ और दिल लगी में कहा करते हैं ऐसे अल्फ़ाज़ बिल क़स्द नहीं लिखे और उन का हुक्म ज़ाहिर है कि इज़्ज़त दार को कहे जिस की उन अल्फ़ाज़ से हतके हुरमत, (इज़्ज़त में कमी) होती

है तो तअ्ज़ीर है या उन अल्फ़ाज़ से हर शख़्स की बे आबरूई है जब भी तअ्ज़ीर है।

मसअ्ला :— जिस को गाली दी या और कोई ऐसा लफ़्ज़ कहा जिस में तअ्ज़ीर है उस ने मुआफ़ कर दिया तो तअ्ज़ीर साकित हो जायेगी और उस की शान में चन्द अल्फ़ाज़ कहे तो हर एक पर तअ्ज़ीर है यह न होगा कि एक तअ्ज़ीर सब के क़ाइम मक़ाम हो यूँहीं अगर चन्द शख़्सों की निस्बत कहा मसलन तुम सब फ़ासिक़ हो तो हर एक शख़्स की तरफ़ से अलग अलग तअ्ज़ीर होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— जिस को गाली दी अगर वह सुबूत न पेश कर सका तो गाली देने वाले से हल्फ़ लेंगे अगर क़सम खाने से इन्कार करे तो तअ्ज़ीर होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— जहाँ तअ्ज़ीर में किसी बन्दे का हक़ मुतअ़ल्लिक़ न हो मसलन एक शख़्स फ़ासिक़ों के मजमअ् में बैठता है या उस ने किसी औ़रत का बोसा लिया और किसी देखने वाले ने क़ाज़ी के पास उसकी इत्तिलाअ् की तो यह शख़्स अगर्चे बज़ाहिर मुद्दई की सूरत में है मगर गवाह बन सकता है लिहाज़ा अगर उस के साथ एक और शख़्स शहादत दे तो तअ्ज़ीर का हुक्म होगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— शौहर अपनी औ़रत को इन उमूर पर मार सकता है औ़रत 1.अगर बावुजूद क़ुदरत बनाव सिंगार न करे यानी जो ज़ीनत शरअ़न जाइज़ है उस के न करने पर मार सकता है और अगर शौहर मर्दाना लिबास पहनने को या गोदना गोदाने को कहता है और नहीं करती तो मारने का हक़ नहीं यूँहीं अगर औ़रत बीमार है या एहराम बाँधे हुए है या जिस क़िस्म की ज़ीनत को कहता है वह उस के पास नहीं है तो नहीं मार सकता 2.ग़ुस्ले जनाबत नहीं करती 3.बग़ैर इजाज़त घर से चली गई जिस मौक़े पर उसे इजाज़त लेने की ज़रूरत थी 4.अपने पास बुलाया और नहीं आई जब कि हैज़ व निफ़ास से पाक थी और फ़र्ज़ रोज़ा भी रखे हुए न थी 5.छोटे ना समझ बच्चे के मारने पर 6.शौहर को गाली दी गधा वग़ैरा कहा या 7.उस के कपड़े फाड़ दिए 8.ग़ैर महरम के सामने चेहरा खोल दिया अजनबी मर्द से कलाम किया शौहर से बात की या झगड़ा किया उस ग़र्ज़ से कि 9.अजनबी शख़्स उस की आवाज़ सुने या 10.शौहर की कोई चीज़ बग़ैर इजाज़त किसी को दे दी और वह ऐसी चीज़ हो कि आ़दतन बग़ैर इजाज़त औ़रतें ऐसी चीज़ न दिया करती हों और अगर ऐसी चीज़ दी जिस के देने पर आ़दत जारी है तो नहीं मार सकता (बहर)

मसअ्ला :— औ़रत अगर नमाज़ नहीं पढ़ती है तो अकसर फ़ुक़्हा के नज़्दीक शौहर का मारने को इख़्तियार है और माँ बाप अगर नमाज़ न पढ़ें या और कोई मअ़सियत करें तो औलाद को चाहिए कि उन्हें समझाये अगर मान लें फ़बिहा वरना सुकूत करे और उन के लिए दुआ़ व इस्तिग़फ़ार करे और किसी की माँ अगर कहीं शादी वग़ैरा में जाना चाहती है तो औलाद को मनअ् करने का हक़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— छोटे बच्चे को भी तअ्ज़ीर कर सकते हैं और उस को सज़ा उस का बाप या दादा या उन का वसी या मुअ़ल्लिम देगा और माँ को भी सज़ा देने का इख़्तियार है क़ुर्आन पढ़ने और अदब हासिल करने और इल्म सीखने के लिए बच्चे को उस के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जो उस की परवरिश में है उसे भी उन बातों पर मार सकता है जिन पर अपने लड़कों को मारता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— औ़रत को इतना नहीं मार सकता कि हड्डी टूट जाये या खाल फट जाये या नीला दाग़

पड़ जाये और अगर इतना मारा और औरत ने दअ्वा कर दिया और गवाहों से साबित कर दिया तो शौहर पर उस मारने की तअ्ज़ीर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने उस ग़र्ज़ से कुफ़्र किया कि शौहर से जुदाई हो जाये तो उसे सज़ा दी जाये और इस्लाम लाने और उसी शौहर से निकाह करने पर मजबूर की जाये दूसरे से निकाह नहीं कर सकती (दुर्रे मुख़्तार)

चोरी की हद्द का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥
فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

तर्जमा :– "चुराने वाला मर्द और चुराने वाली औरत उन दोनों के हाथ काट दो यह सज़ा है उन के फेअ्ल की अल्लाह की तरफ़ से सरज़निश है और अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला है और अगर ज़ुल्म के बाद तौबा करें और अपनी हालत दुरुस्त करलें तो बेशक अल्लाह उन की तौबा कबूल करेगा बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"।

हदीस न.1 :– इमाम बुख़ारी व मुस्लिम अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया चोर पर अल्लाह की लअ्नत बैज़ा (ख़ुद) चुराता है जिस पर उस का हाथ काटा जाता है और रस्सी चुराता है उस पर हाथ काटा जाता है।

हदीस न.2 :– अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा फ़ुज़ाला इब्ने उ़बैद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया उस का हाथ काटा गया फिर हुज़ूर ने हुक्म फ़रमाया वह कटा हुआ हाथ उस की गर्दन में लटका दिया जाये।

हदीस न.3 :– इब्ने माजा सफ़वान बिन उमय्या से और दारमी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि सफ़वान बिन उमय्या मदीना में आये और अपनी चादर का तकिया लगाकर मस्जिद में सो गये चोर आया और उन की चादर ले भागा उन्होंने उसे पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर लाये हुज़ूर ने हाथ काटने का हुक्म फ़रमाया सफ़वान ने अर्ज़ की मेरा यह मतलब न था यह चादर उस पर सदक़ा है इरशाद फ़रमाया मेरे पास हाज़िर करने से पहले तुम ने ऐसा क्यों न किया।

हदीस न .4 :– इमाम मालिक ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि एक शख़्स अपने ग़ुलाम को हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर लाया और कहा उस का हाथ काटिए कि उस ने मेरी बीवी का आईना चुराया है अमीरुलमोमिनीन ने फ़रमाया उस का हाथ नहीं काटा जायेगा कि यह तुम्हारा ख़ादिम है जिस ने तुम्हारा माल लिया है

हदीस न.5 :– तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा दारमी जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ख़ाइन और लूटने वाले और उचक लेजाने वाले के हाथ नहीं काटे जायेंगे।

हदीस न.6 :– इमाम मालिक व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व नसाई व इब्ने माजा व दारमी राफ़ेअ् इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फल और गामे के चुराने में हाथ काटना नहीं यानी जब कि पेड़ में लगे हों और कोई चुराये।

हदीस न.7 :– इमाम मालिक ने रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया दरख़्तों पर जो फल लगे हों उन में क़तअ् नहीं और न उन बकरियों के चुराने में जो पहाड़ पर हों हाँ जब मकान में आ जायें और फल ख़िरमन में जमअ् कर लिए जायें और सिपर की क़ीमत को पहुँचे तो क़तअ् है।

हदीस न.8 :– अब्दुल्लाह इब्ने उमर व दीगर सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिपर की क़ीमत में हाथ काटने का हुक्म दिया सिपर की क़ीमत में रिवायत बहुत मुख़्तलिफ़ हैं बाज़ में तीन दिरहम बाज़ में रुबअ् दीनार(चौथाई दीनार) बाज़ में दस दिरहम, हमारे इमाम आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने एहतियातन दस दिरहम वाली रिवायत पर अमल फ़रमाया।

अहकामे फ़िक़्हिया

चोरी यह है कि दूसरे का माल छुपा कर नाहक़ ले लिया जाये और उस की सज़ा हाथ काटना है मगर हाथ काटने के लिए चन्द शर्तें हैं 1.चुराने आने वाला मुकल्लफ़ हो यानी बच्चा या मजनून न हो अब ख़्वाह वह मर्द हो या औरत आज़ाद हो या गुलाम मुसलमान हो या काफ़िर और अगर चोरी करते वक़्त मजनून न था फिर मजनून हो गया तो हाथ न काटा जाये गूँगा न हो 3.अँखियारा हो और अगर गूँगा है तो हाथ काटना नहीं कि हो सकता है अपना माल समझ कर लिया हो यूँहीं अंधे का हाथ न काटा जाये कि शायद उस ने अपना माल जान कर लिया 4.दस दिरहम चुराये या उस क़ीमत का सोना या और कोई चीज़ चुराये उस से कम में हाथ नहीं काटा जायेगा और 5.दस दिरहम की क़ीमत चुराने के वक़्त भी हो और हाथ काटने के वक़्त भी 6.और इतनी क़ीमत उस जगह हो जहाँ हाथ काटा जायेगा लिहाज़ा अगर चुराने के वक़्त वह चीज़ दस दिरहम क़ीमत की थी मगर हाथ काटने के वक़्त उस से कम की हो गई या जहाँ चुराया है वहाँ तो अब भी दस दिरहम क़ीमत की है मगर जहाँ हाथ काटा जायेगा वहाँ कम की है तो हाथ न काटा जाये हाँ अगर किसी ऐब की वजह से क़ीमत कम हो गई या उस में से कुछ ज़ाइअ् (ख़त्म)हो गई कि दस दिरहम की न रही तो दोनों सूरतों में हाथ काटे जायेंगे और चुराने में ख़ुद उस शय का चुराना मक़सूद हो लिहाज़ा अगर अचकन वग़ैरा कोई कपड़ा चुराया और कपड़े की क़ीमत दस दिरहम से कम है मगर उस में दीनार निकला तो जिस को बिलक़स्द चुराया वह दस दिरहम का नहीं लिहाज़ा हाथ नहीं काटा जायेगा हाँ अगर वह कपड़ा उन दिरहमों के लिए ज़रफ़ हो तो क़तअ् है मक़सूद कपड़ा चुराना नहीं बल्कि उस शय का चुराना है या कपड़ा चुराया और जानता था कि उस में रुपये भी हैं तो दोनों को क़स्दन चुराना क़रार दिया जायेगा अगर्चे कहता हो कि मेरा मक़सूद सिर्फ़ कपड़ा चुराना था यूहीं अगर रुपये की थैली चुराई तो अगर्चे कहे मुझे मालूम न था कि उस में रुपये हैं और न मैंने रुपये के क़स्द से चुराई बल्कि मेरा मक़सूद सिर्फ़ थैली का चुराना था तो हाथ काटा

जायेगा और उस के क़ौल का एअ्तिबार न किया जायेगा 8.उस माल को इस तरह ले गया हो कि उस का निकालना ज़ाहिर हो लिहाज़ा अगर मकान के अन्दर जहाँ से लिया वहाँ अशरफ़ी निगल ली तो क़तअ् नहीं बल्कि तावान लाज़िम है 9.ख़ुफ़यतन लिया हो यानी अगर दिन में चोरी की तो मकान में जाना और वहाँ से माल लेना दोनों छुप कर हों और अगर गया छुप कर मगर माल का लेना अलानिया हो जैसा डाकू करते हैं तो उस में हाथ काटना नहीं मग़रिब व इशा के दरमियान का वक़्त दिन के हुक्म में है अगर रात में चोरी की और जाना ख़ुफ़यतन हो अगर्चे माल लेना अलानिया या लड़ झगड़ कर हो हाथ काटा जाये 10.जिस के यहाँ से चोरी की उस का क़ब्ज़ा सहीह हो ख़्वाह वह माल का मालिक हो या अमीन और अगर चोर के यहाँ से चुरा लिया तो क़तअ् नहीं यानी जब कि पहले चोर का हाथ काटा जा चुका हो वरना उस का काटा जाये 11.ऐसी चीज़ चुराई हो जो जल्द ख़राब हो जाती है जैसे गोश्त और 12.तरकारीयाँ वह चोरी दारुलहर्ब में न हो 13.माल महफ़ूज़ हो और हिफ़ाज़त की दो सूरतें हैं एक यह कि वह माल ऐसी जगह हो जो हिफ़ाज़त के लिए बनाई गई हो जैसे मकान दुकान, ख़ीमा, ख़ज़ाना सन्दूक़, दूसरी यह कि वह जगह ऐसी नहीं मगर वहाँ कोई निगेहबान मुक़र्रर हो जैसे मस्जिद, रास्ता, मैदान, 14.बक़द्र दस दिरहम के एक बार मकान से बाहर ले गया हो और अगर चन्द बार ले गया कि सब का मजमुआ़ दस दिरम या ज़्यादा है मगर हर बार दस से कम कम ले गया तो क़तअ् नहीं कि यह एक सरका(चोरी)नहीं बल्कि चन्द हैं अब अगर दस दिरम एक बार ले गया और वह सब एक ही शख़्स के हों या कई शख़्सों के मसलन एक मकान में चन्द शख़्स रहते हैं और कुछ कुछ हर एक का चुराया या जिन का मजमूआ़ (टोटल)दस दिरम या ज़्यादा है अगर्चे हर एक का उस से कम है दोनों सूरतों में क़तअ् है 15.शुबह या तावील की गुन्जाइश न हो लिहाज़ा अगर बाप का माल चुराया क़ुर्आन मजीद की चोरी की, तो क़तअ् नहीं कि पहले में शुबह है और दूसरी में यह तावील है कि पढ़ने के लिए लिया है(दुर्रे मुख़्तार, बहर, आलमगीरी ,वग़ैरहा.)

मसअ्ला :– चन्द शख़्सों ने मिलकर चोरी की अगर हर एक को बक़द्र दस दिरम के हिस्सा मिला तो सब के हाथ काटे जायें ख़्वाह सब ने माल लिया हो या बाज़ों ने लिया और बाज़ निगेहबानी करते रहे। (आलमगीरी, बहर)

मसअ्ला :– चोरी के सुबूत के दो तरीक़े हैं एक यह कि चोर ख़ुद इक़रार करे और उस में चन्द बार की हाजत नहीं सिर्फ़ एक बार काफ़ी है दूसरा यह कि दो मर्द गवाही दें और अगर एक मर्द और दो औरतों ने गवाही दी तो क़तअ् नहीं मगर माल का तावान दिलाया जाये और गवाहों ने यह गवाही दी कि हमारे सामने इक़रार किया है तो यह गवाही क़ाबिले एअ्तिबार नहीं गवाह का आज़ाद होना शर्त नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ाज़ी गवाहों से चन्द बातों का सवाल करे किस तरह चोरी की और कहाँ की और कितने की की और किस की चीज़ चुराई जब गवाह इन उमूर का जवाब दें और हाथ काटने के तमाम शराइत पाये जायें तो क़तअ् का हुक्म है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पहले इक़रार किया फिर इक़रार से फिर गया या चन्द शख़्सों ने चोरी का इक़रार

किया था उन में से एक अपने इक़रार से फिर गया या गवाहों ने उसकी शहादत दी कि हमारे सामने इक़रार किया है और चोर इन्कार करता है कहता है मैंने इक़रार नहीं किया है या कुछ जवाब नहीं देता तो इन सब सूरतों में क़तअ् नहीं मगर इक़रार से रुजूअ् की तो तावान लाज़िम है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इक़रार कर के भाग गया तो क़तअ् नहीं कि भागना बमन्ज़िला रुजूअ् के है हाँ तावान लाज़िम है और गवाहों से साबित हो तो क़तअ् है अगर्चे भाग जाये अगर्चे हुक्म सुनाने से पहले भागा हो अल्बत्ता बहुत दिनों में गिरफ़्तार हुआ तो तमादी आरिज़ (दअ्वा दाइर करने का वक़्त निकल गया) हो गई मगर तावान लाज़िम है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुद्दई गवाह न पेश कर सका चोर पर हल्फ़ रखा उस ने हल्फ़ लेने से इन्कार किया तो तावान दिया जाये मगर क़तअ् नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चोर को मारपीट कर इक़रार कराना जाइज़ है कि यह सूरत न हो तो गवाहों से चोरी का सुबूत बहुत मुश्किल है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हाथ काटने का क़ाज़ी ने हुक्म देदिया अब वह मुद्दई कहता है कि यह माल उसी का है या मैंने उस के पास अमानत रखा था या कहता है कि गवाहों ने झूटी गवाही दी या उस ने ग़लत इक़रार किया तो अब हाथ नहीं काटा जा सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों के बयान में इख़्तिलाफ़ हुआ एक कहता कि फ़ुलाँ क़िस्म का कपड़ा था दूसरा कहता है फ़ुलाँ क़िस्म का था तो क़तअ् नहीं (बहर)इक़रार व शहादत के जुज़ईयात कसीर(बहुत)हैं चुँकि यहाँ हुदूद जारी नहीं है लिहाज़ा बयान करने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– हाथ काटने के वक़्त मुद्दई और गवाहों का हाज़िर होना ज़रूर नहीं बल्कि अगर ग़ाइब हों या मरगये हों जब भी हाथ काट दिया जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

किन चीज़ों में हाथ काटा जायेगा और किस में नहीं

मसअ्ला :– साखो, आब्नूस, अगर की लकड़ी, सन्दल, नेज़ा, मुश्क, ज़अ्फ़रान अमबर और हर क़िस्म के तेल ज़मर्रद, याकूत, जबरजद, मोती, और हर क़िस्म के जवाहिर लकड़ी की हर क़िस्म की क़ीमती चीजें जैसे कुर्सी, मेज़, तख़्त, दरवाज़ा, जो अभी नसब न किया गया हो लकड़ी के बर्तन यूँहीं ताँबे, पीतल, लोहे चमड़े, वग़ैरा के बर्तन छुरी, चाकू, कैंची, और हर क़िस्म के ग़ल्ले गेहूँ, जौ, चावल, और सत्तू, आटा, शकर, घी, सिरका,शहद, खजूर, छुआरे, मुनक्के, रुई, ऊन, कतान,पहनने के कपड़े बिछौना, और हर क़िस्म के उमदा और नफ़ीस माल में हाथ काटा जायेगा।

मसअ्ला :– हक़ीर चीज़ें जो आदतन महफ़ूज़ न रखी जाती हों और बाएअ्तिबार अस्ल के मुबाह हों और अभी उन में कोई ऐसी सनअत(कारीगरी)भी न हुई हो जिस की वजह से क़ीमती हो जायें उन में हाथ नहीं काटा जायेगा जैसे मामूली लकड़ी, घास, निरकल,मछली, परिन्द,गेरू, चूना, कोइले, नमक, मिट्टी के बरतन, पक्की ईंटें, यूँहीं शीशा, अगर्चे क़ीमती हो कि जल्द टूट जाता है और टूटने पर क़ीमती नहीं रहता यूँहीं वह चीज़ें जो जल्द ख़राब हो जाती हैं जैसे दूध, गोश्त, तरबूज़, ख़रबुज़ा ककड़ी, खीरा, साग, तरकारियाँ, और तैयार खाने जैसे रोटी, बल्कि क़हत के ज़माना में ग़ल्ला गेहूँ चावल जौ वग़ैरा भी और तर मेवे जैसे अंगूर सेब नाशपाती बिही, अनार, **और ख़ुश्क** मेवे में हाथ

काटा जायेगा जैसे अख़रोट बादाम जब कि महफ़ूज़ हों अगर दरख़्त पर से फल तोड़े या खेत काट लेगया तो क़तअ् नहीं अगर्चे दरख़्त मकान के अन्दर हो या खेत की हिफ़ाज़त होती हो और फल तोड़कर या खेत काट कर हिफ़ाज़त में रखा अब चुरायेगा तो क़तआ़ है(हाथ काटना)

मसअ्ला :– शराब चुराई तो क़तअ् नहीं हाँ अगर शराब क़ीमती बर्तन में थी कि उस बर्तन की क़ीमत दस दिरम है और सिर्फ़ शराब नहीं बल्कि बर्तन चुराना भी मक़सूद था मसलन बज़ाहिर देखने से यह मालूम होता है कि यह बर्तन बेश क़ीमत है तो क़तअ् है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– लहव व लअ़िब (खेल तमाशे)की चीज़ें जैसे ढोल तबला सारंगी वग़ैरा हर किस्म के बाजे अगर्चे तबले जंग चुराया हाथ नहीं काटा जायेगा यूहीं सोने चाँदी की सलीब (फाँसी का निशान ईसाईयों की अक़ीदत की अ़लामत) या बुत और शतरंज नर्द चुराने में क़तअ् (हाथ काटना)नहीं और रुपये अशरफ़ी पर तसवीर हो जैसे आज कल हिन्दुस्तान के रुपये अशरफ़ियाँ तो क़तअ् है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– घास और निरकल की बेश क़ीमत चटाईयाँ कि सन्अ़त (बनावट)की वजह से बेश क़ीमत हो गईं जैसे आज कल बम्बई, कलकत्ता से आया करती हैं उन में क़तअ् है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मकान का बैरुनी दरवाज़ा और मस्जिद का दरवाज़ा बल्कि मस्जिद के दीगर असबाब झाड़ फ़ानूस, हान्डियाँ, कुम्कुमे, घड़ी, जा नमाज़ वग़ैरा और नमाज़ियों के जूते चुराने में क़तअ् नहीं मगर जो इस क़िस्म की चोरी करता हो उसे पूरी सज़ा दी जाये और क़ैद करें यहाँ तक कि सच्ची तौबा कर ले बल्कि हर ऐसे चोर को जिस में किसी शुबह की बिना पर क़तअ् न हो तअ्ज़ीर की जाये (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हाथी दाँत या उस की बनी हुई चीज़ चुराने में क़तअ् नहीं अगर्चे सनअ़त की वजह से बेश क़ीमत क़रार पाती हो और ऊँट की हड्डी की बेश क़ीमत चीज़ बनी हो तो क़तअ् है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– शेर, चीता, वग़ैरा, दरिन्दा को ज़िबह कर के उन की खाल को बिछौना या जानमाज़ बना लिया है तो क़तअ् है वरना नहीं और बाज़ शिकरा, कुत्ता, चीता, वग़ैरा जानवरों को चुराया तो क़तअ् नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसहफ़ शरीफ़ चुराया तो क़तअ् नहीं अगर्चे सोने चाँदी का उन पर काम हो यूँही तफ़सीर व हदीस व फ़िक़्ह व नह्व व लुग़त व अशआ़र की किताबों में भी क़तअ् नही (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हिसाब की बेहयाँ (हिसाब के खाते)अगर बेकार हो चुकी हैं और वह काग़ज़ात दस दिरम की क़ीमत के हैं तो क़तअ् है वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– आज़ाद बच्चे को चुराया अगर्चे ज़ेवर पहने हुए है हाथ नहीं काटा जायेगा यूँहीं अगर बड़े गुलाम को जो अपने को बता सकता है चुराया तो क़तअ् नहीं अगर्चे सोने या बेहोशी या जुनून की हालत में उसे चुराया हो और अगर ना समझ गुलाम को चुराया तो क़तअ् है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक शख़्श के दूसरे पर दस दिरम आते थे क़र्ज़ख़्वाह ने क़र्ज़दार के यहाँ से रुपये या अशरफ़ियाँ चुरा लीं तो क़तअ् नहीं और अगर असबाब चुराया और कहता है कि मैंने अपने रुपये के मुआविज़ा में लिया या बतौर रहन अपने पास रखने के लिए लाया तो क़तअ् नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अमानत में ख़ियानत की या माल लूट लिया या उचक लिया तो क़तअ् नहीं यूंहीं क़ब्र से कफ़न चुराने में क़तअ् नहीं अगर्चे क़ब्र मुक़फ़्फ़ल मकान में हो बल्कि जिस मकान में क़ब्र है उस

मे से अगर अलावा कफ़न के कोई और कपड़ा वग़ैरा चुराया जब भी क़तअ् नहीं बल्कि जिस घर में मय्यत हो वहाँ से कोई चीज चुराई तो क़तअ् नहीं हाँ अगर उस फ़ेअ्ल का आदी हो तो बतौर सियासत हाथ काट देंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला – जी रहम महरम के यहाँ से चुराया तो क़तअ् नहीं अगर्चे वह माल किसी और का हो और जी रहम महरम का माल दूसरे के यहाँ था वहाँ से चुराया तो क़तअ् है शौहर ने औरत के यहाँ से या औरत ने शौहर के यहाँ से या ग़ुलाम ने अपने मौला या मौला की ज़ौजा के यहाँ से या औरत के ग़ुलाम ने उस के शौहर के यहाँ चोरी की तो क़तअ् नहीं यूँही ताजिरों की दुकानों से चुराने में भी नहीं है जब कि ऐसे वक़्त चोरी की कि उस वक़्त लोगों को वहाँ जाने की इजाजत है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मकान जब महफ़ूज है तो अब उस की जरूरत नहीं कि वहाँ कोई मुहाफ़िज मुकर्रर हो और मकान महफ़ूज़ न हो तो मुहाफ़िज के बग़ैर हिफ़ाजत नहीं मसलन मस्जिद से किसी की कोई चीज़ चुराई तो क़तअ् नहीं मगर जब कि उस का मालिक वहाँ मौजूद हो अगर्चे सो रहा हो यानी मालिक ऐसी जगह हो कि माल को वहाँ से देख सके यूँही मैदान या रास्ता में अगर माल है और मुहाफ़िज़ वहाँ पास में है तो क़तअ् है वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो जगह एक शय की हिफ़ाज़त के लिए है वह दूसरी चीज़ की हिफ़ाजत के लिए भी करार पायेगी मसलन अस्तबल से अगर रुपये चोरी गये तो क़तअ् है अगर्चे अस्तबल रुपये की हिफ़ाज़त की जगह नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर चन्द बार किसी ने चोरी की तो बादशाहे इस्लाम उसे सियासतन क़त्ल कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

हाथ काटने का बयान

मसअ्ला :– चोर का दहिना हाथ गट्टे से काट कर खौलते तेल में दाग़ देंगे और अगर मौसम सख़्त गर्मी या सख़्त सर्दी का हो तो अभी न काटें बल्कि उसे क़ैद में रखें गर्मी या सर्दी की शिद्दत जाने पर काटें तेल की क़ीमत और काटने वाले और दाग़ने वाले की उजरत और तेल खोलाने के मसारिफ़ सब चोर के ज़िम्मे हैं और उस के बाद अगर फिर चोरी करे तो अब बायाँ पाँव गट्टे से काट देंगे उस के बाद फिर अगर चोरी करे तो अब नहीं काटेंगे बल्कि बतौर तअ्ज़ीर मारेंगे और क़ैद में रखेंगे यहाँ तक कि तौबा कर ले यानी उस के बशरा से यह ज़ाहिर होने लगे कि सच्चे दिल से तौबा की और नेकी के आसार नुमायाँ हों (दुर्रे मुख़्तार, वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर दहिना हाथ उस का शिल हो गया है या उन में का अँगूठा या उंगलियाँ कटी हों जब भी काट देंगे और अगर बायाँ हाथ शिल हो या उस का अँगूठा या दो अँगुलियाँ कटी हों तो अब दहना नहीं काटेंगे यूँही अगर दहिना पाँव बेकार हो या कटा हो तो बायाँ पाँव नहीं काटेंगे बल्कि क़ैद करेंगे (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – हाथ काटने की शर्त यह है कि जिस का माल चोरी हो गया है वह अपने माल का मुतालबा करे ख़्वाह गवाहों से चोरी का सुबूत हो या चोर ने ख़ुद इक़रार किया हो और यह भी शर्त है कि जब गवाह गवाही दें उस वक़्त वह हाज़िर हो और जिस वक़्त हाथ काटा जाये उस वक़्त भी

मौजूद हों लिहाज़ा अगर चोरी का इक़रार करता है और कहता है कि मैंने फुलाँ शख़्स जो ग़ाइब है उस की चोरी की है या कहता है कि यह रुपये मैंने चुराये हैं मगर मालूम नहीं किस के हैं या मैं यह नहीं बताऊँगा कि किस के हैं तो क़तअ़ नहीं और पहली सूरत में जब कि ग़ाइब हाज़िर होकर मुतालबा करे तो उस वक़्त क़तअ़ करेंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिस शख़्स का माल पर क़ब्ज़ा है वह मुतालबा कर सकता है जैसे अमीन व ग़ासिब व मुरतहिन व मुतवल्ली और बाप और वसी (वसियत करने वाला)और सूद ख़ोर ने सूदी माल क़ब्ज़ा कर लिया है और सूद देने वाला जिस ने सूद के रुपये अदा कर दिये और यह रुपये चोरी गये तो उस के मुतालबा पर क़तअ़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – वह चीज़ जिस के चुराने पर हाथ काटा गया है अगर चोर के पास मौजूद है तो मालिक को वापस दिलायेंगे और जाती रही तो तावान नहीं अगर्चे उस ने ख़ुद ज़ाइअ़ कर दी हो और अगर बेचडाली या हिबा कर दी और ख़रीदार या मौहूब लहू (जिस को हिबा की गई) ने ज़ाइअ़ कर दी तो यह तावान दें और ख़रीदार चोर से समन(क़ीमत)वापस ले और अगर हाथ काटा न गया हो तो चोर से ज़िमान लेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – कपड़ा चुराया और फाड़ कर दो टुकड़े कर दिये अगर उन टूकड़ों की क़ीमत दस दिरम है तो क़तअ़ है और अगर टुकड़े करने की वजह से क़ीमत घट कर आधी हो गई तो पूरी क़ीमत का ज़िमान लाज़िम है और क़तअ़ नहीं।

राहज़नी का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

اِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِیْنَ یُحَارِبُوْنَ اللّٰہَ وَ رَسُوْلَہٗ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ یُّقَتَّلُوْٓا اَوْ یُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیْہِمْ وَ اَرْجُلُہُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِکَ لَہُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَہُمْ فِی الْاٰخِرَۃِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَیْہِمْ ج فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝

तर्जमा :– "जो लोग अल्लाह व रसूल से लड़ते हें और ज़मीन में फ़साद करने की कोशिश करते हैं उन की सज़ा यही है कि क़त्ल कर डाले जायें या उन्हें सूली दी जाये या उन के हाथ पाँव मुक़ाबिल के काट दिए जायें या जिलावतन कर दिए जायें यह उन के लिए दुनिया में रुसवाई है और आख़िरत में उन के लिए बड़ा अ़ज़ाब है मगर वह तुम्हारे क़ाबू पाने से क़ब्ल तौबा करलें तो जान लो कि अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"

अबूदाऊद उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया जो मर्द मुसलमान इस अम्र की शहादत दे कि अल्लाह एक है और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं उस का ख़ून हलाल नहीं मगर तीन वजह से मुहसन होकर ज़िना करे तो वह रज्म किया जायेगा अगर जो शख़्स अल्लाह व रसूल(यानी मुसलमानों)से लड़ने को निकला तो वह क़त्ल किया जायेगा या उसे सूली दी जायेगी या जिलावतन कर दिया जायेगा और जो शख़्स किसी को क़त्ल करेगा तो उन के बदले में क़त्ल किया जायेगा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़माना

में क़बीला–ए–उकुल व उरैना के कुछ लोगों ने ऐसा ही किया था हुज़ूर ने उन के हाथ पाँव कटवा कर संगिस्तान में डलवादिया वहीं तड़प तड़प कर मरगये।

मसअला :– राहज़नी जिस के लिए शरीअत की जानिब से सज़ा मुक़र्रर है उस में चन्द शर्तें हैं (1)उन में इतनी ताक़त हो कि राह गीर उन का मुक़ाबिला न करसकें अब चाहे हथियार के साथ डाका डाला या लाठी ले कर या पत्थर वग़ैरा से (2)बैरूने शहर राहज़नी की हो या शहर में रात के वक़्त हथियार से डाका डाला (3) वलदुलइस्लाम में हो (4) चोरी के सब शराइत पायेजायें (5) तौबा करने और माल वापस करने से पहले बादशाहे इस्लाम ने उस को गिरफ़्तार कर लिया हो (आलमगीरी)

मसअला : – डाका पड़ा मगर जान व माल तल्फ़ न हुआ और डाकू गिरफ़तार हो गया तो तअज़ीरन उसे ज़द व कोब करने के बाद क़ैद करें यहाँ तक कि तौबा कर ले और उस की हालत क़ाबिले इत्मिनान हो जाये अब छोड़दें और फ़क़त ज़बानी तौबा काफ़ी नहीं जब तक हालत दुरुस्त न हो न छोड़ें और अगर हालत दुरुस्त न हो तो क़ैद में रखें यहाँ तक कि मरजाये और अगर माल ले लिया हो तो उन का दाहिना हाथ और बायाँ पैर काटें। यूँहीं अगर चन्द शख़्स हों और माल इतना है कि हर एक के हिस्से में दस दिरहम या उस की क़ीमत की चीज़ आये तो सब के एक एक हाथ और एक एक पाँव काट दिये जायें और अगर डाकूओं ने मुसलमान या ज़िम्मी को क़त्ल किया और माल न लिया हो तो क़त्ल किए जायें और अगर माल भी लिया और क़त्ल भी किया हो तो बादशाहे इस्लाम को इख़्तियार है कि 1. हाथ पाँव काट कर क़त्ल कर डाले या 2. सूली देदे या 3. हाथ पाँव काट कर क़त्ल करे फिर उस की लाश को सूली पर चढ़ा दे 4. या सिर्फ़ क़त्ल कर दे 5. या क़त्ल कर के सूली पर चढ़ा दे या 6. फ़क़त सूली दे दे यह छः तरीक़े हैं जो चाहे करे और अगर सिर्फ़ सूली देना चाहे तो उसे ज़िन्दा सूली पर चढ़ा कर पेट में नेज़ा भोंक दें फिर जब मर जाये तो मरने के बाद तीन दिन तक उस का लाशा सूली पर रहने दें फिर छोड़ दें कि उस के बुरसा दफ़न कर दें और यह हम पहले बयान कर चुके हैं कि डाकू की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाये (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– डाकूओं के पास अगर वह माल मौजूद है तो बहर हाल वापस दिया जाये और नहीं है और हाथ पाँव काट दिए गये या क़त्ल कर दिए गये तो अब तावान नहीं यूँही जो उन्होंने राहगीरों को ज़ख़्मी किया या मार डाला है उसका भी कुछ मुआविज़ा नहीं दिलाया जायेगा।(दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअला :– डाकूओं में से सिर्फ़ एक ने क़त्ल किया या माल लिया या डराया या सब कुछ किया तो उस सूरत में जो सज़ा होगी वह सिर्फ़ उसी एक की न होगी बल्कि सब को पूरी सज़ादी जाये (आलमगीरी)

मसअला :– डाकूओं ने क़त्ल न किया मगर माल लिया और ज़ख़्मी किया तो हाथ पाँव काटे जायें और ज़ख़्म का मुआविज़ा कुछ नहीं और अगर फ़क़त ज़ख़्मी किया मगर न माल लिया न क़त्ल किया या क़त्ल किया और मगर गिरफ़्तारी से पहले तौबा करली और माल वापस देदिया या उन में कोई ग़ैर मुकल्लफ़ या (गूँगा)हो या किसी राहगीर का क़रीबी रिश्ता दार हो तो उन सूरतों में हद नहीं और वली मक़तूल और क़त्ल न किया हो तो ख़ुद वह शख़्स जिसे ज़ख़्मी किया या जिस का माल लिया क़िसास या दियत या तावान ले सकता है या मुआफ़ कर दे(दुर्रे मुख़्तार)

किताबुस्सैर

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

तर्जमा :– "उन लोगों को जिहाद की इजाज़त दी गई जिन से लोग लड़ते हैं इस वजह से कि उन पर ज़ुल्म किया गया और बेशक अल्लाह उन की मदद करने पर क़ादिर है वह जिन को ना हक़ उन के घरों से निकाला गया महज इस वजह से कि कहते थे हमारा रब अल्लाह है और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से दफ़अ् न किया करता तो ख़ानकाहें और मदरसे और इबादत ख़ाने और मस्जिदें ढादी ज़ातीं जिन में अल्लाह के नाम की कसरत से याद होती है और ज़रूर अल्लाह उस की मदद करेगा जो उस के दीन की मदद करता है बेशक अल्ला क़वी(ताक़त वाला)ग़ालिब हैं"।

और फ़रमाता है

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

तर्जमा :– "और अल्लाह की राह में उन से लड़ो जो तुम से लड़ते हैं और ज़्यादती न करो बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता और ऐसों को जहाँ पाओ मारो और जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला तुम भी निकाल दो और फ़ितना क़त्ल से ज़्यादा सख़्त है और उन से मस्जिदे हराम के पास न लड़ो जब तक वह तुम से वहाँ न लड़ें अगर वह तुम से लड़े तो उन्हें क़त्ल करो। काफ़िरों की यही सज़ा है और अगर वह बाज़ आजायें तो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है और उन से लड़ो यहाँ तक कि फ़ितना न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाये और अगर वह बाज़ आ जायें तो ज़्यादती नहीं मगर ज़ालिमों पर"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह की राह में सुबह को जाना या शाम को जाना दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब से बेहतर उस की ज़िन्दगी है जो अल्लाह की राह में अपने घोड़े की बाग पकड़े हुए है जब कोई ख़ौफ़नाक आवाज़ सुनता है या ख़ौफ़ में उसे कोई बुलाता है तो उड़ कर पहुँच जाता है (यानी निहायत जल्द)क़त्ल व मौत को उन की जगहों में तलाश करता है (यानी मरने की जगह से डरता नहीं है)या उस की ज़िन्दगी बेहतर है जो चन्द बकरियाँ लेकर पहाड़ की चोटी पर या किसी वादी में रहता है वहाँ नमाज़ पढ़ता है और ज़कात देता है और मरते दम तक अपने रब की इबादत करता है।

हदीस न.3 :– अबूदाऊद व नसाई व दारमी अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुश्रिकीन से जिहाद करो अपने माल और जान और ज़बान से यानी दीने हक़ की इशाअत में हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ।

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व फ़ुज़ाला इब्ने उ़बैद से और दारमी उक़्बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मरता है उस के अमल पर मुहर लगादी जाती है यानी ख़त्म हो जाते हैं मगर वह जो सरहद पर घोड़ा बाँधे हुए है अगर मरजाये तो उसका अमल क़ियामत तक बढ़ाया जाता है और फ़ितना–ए–क़ब्र से महफ़ूज़ रहता है।

हदीस न.5 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में सहल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह की राह में एक दिन सरहद पर घोड़ा बाँधना दुनिया व मा फ़ीहा (जो दुनिया में है)से बेहतर है।

हदीस न.6व7 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं एक दिन और रात अल्लाह की राह में सरहद पर घोड़ा बाँधना एक महीने के रोज़े और क़ियाम से बेहतर है और मरजाये तो जो अमल करता था जारी रहेगा और उस का रिज़्क़ बराबर जारी रहेगा और फ़ितना–ए–क़ब्र से महफ़ूज़ रहेगा तिर्मिज़ी व नसाई की रिवायत उ़समान रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुज़ूर ने फ़रमाया एक दिन सरहद पर घोड़ा बाँधना दूसरी जगह के हज़ार दिनों से बेहतर है।

मसअ्ला : – मुसलमानों पर ज़रूर है कि काफ़िरों को दीने इस्लाम की तरफ़ बुलायें अगर दीने हक़ को क़बूल करलें ज़हे नसीब हदीस में फ़रमाया अगर तेरी वजह से अल्लाह तआ़ला एक शख़्स को हिदायत फ़रमादे तो यह उस से बेहतर है जिस पर आफ़ताब ने तुलूअ् किया यानी जहाँ से जहाँ तक आफ़ताब तलूअ् करता है यह सब तुम्हें मिलजाये उस से बेहतर यह कि तुम्हारी वजह से किसी को हिदायत हो जाये और अगर काफ़िरों ने दीने हक़ को क़बूल न किया तो बादशाहे इस्लाम उन पर जुज़या मुक़र्रर कर दे कि वह अदा करते रहें और ऐसे काफ़िर को ज़िम्मी कहते हैं और जो उस से भी इन्कार करें तो जिहाद का हुक्म है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला : – मुजाहिद सिर्फ़ वही नहीं जो क़िताल करे बल्कि वह भी है जो उस राह में अपना माल सर्फ़ करे या नेक मशवरे से शिरकत दे या ख़ुद शरीक हो कर मुसलमान की तअ्दाद बढ़ाये या ज़ख़्मों का इलाज करे या खाने, पीने का इन्तिज़ाम करे और उसी के तवाबेअ् से रिबात है यानी बिलादे इस्लामिया (इस्लामीशहरों) की हिफ़ाज़त की ग़र्ज़ से सरहद पर घोड़ा बाँधना यानी वहाँ मुक़ीम रहना और उस का बहुत बड़ा सवाब है कि उस की नमाज़ पाँच सौ नमाज़ की बराबर है और उस का एक दिरहम ख़र्च करना सात सौ दिरम से बढ़कर है और मरजायेगा तो रोज़मर्रा रिबात का सवाब उस के नामाए अअ्माल में दर्ज होगा और रिज़्क़ बदस्तूर मिलता रहेगा और फ़ितनाए क़ब्र से महफ़ूज़ रहेगा और क़ियामत के दिन शहीद उठाया जायेगा और फ़ज़अे अकबर(सब से बड़ी परेशानी)से मामून रहेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिहाद इबतिदअन फ़र्ज़े किफ़ाया है कि एक जमाअ़त ने कर लिया तो सब

बरीयुज़्ज़िम्मा हैं और सब ने छोड़ दिया है तो सब गुनाहगार हैं और अगर कुफ़्फ़ार किसी शहर पर हुजूम करें तो वहाँ वाले मुक़ाबिला करें और उन में इतनी ताक़त न हो तो वहाँ से क़रीब वाले मुसलमान इआनत करें और उन की ताक़त से भी बाहर हो तो जो उन से क़रीब हैं वह भी शरीक हो जायें व अला हाज़ल क़ियास (इसी तरह समझ लें) (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चों और औरतों पर और ग़ुलाम पर फ़र्ज़ नहीं यूँहीं बालिग़ के माँ बाप इजाज़त न दें तो न जाये यूँहीं अन्धे और अपाहिज और लंगड़े और जिस के हाथ कटे हों उन पर फ़र्ज़ नहीं और मदयून (क़र्ज़दार)के पास माल हो तो दैन (क़र्ज़)अदा करे और जायें वरना बग़ैर क़र्ज़ख़्वाह बल्कि बग़ैर कफ़ील की इजाज़त के नहीं जा सकता और अगर दैन मीआदी हो और जानता है कि मीआद पूरी होने से पहले वापस आजायेगा तो जाना जाइज़ है और शहर में जो सब से बड़ा आलिम हो वह भी न जाये यूँहीं अगर उस के पास लोगों की अमानतें हैं और वह लोग मौजूद नहीं हैं तो किसी दूसरे शख़्स से कह दे कि जिन की अमानत है देदेना तो अब जा सकता है।(बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कुफ़्फ़ार हुजूम कर आयें तो उस वक़्त फ़र्ज़े ऐन है यहाँ तक कि औरत और ग़ुलाम पर भी फ़र्ज़ है और उस की कुछ ज़रूरत नहीं कि औरत अपने शौहर से ग़ुलाम अपने मौला से इजाज़त ले बल्कि इजाज़त न देने की सूरत में भी जायें और शौहर व मौला पर मनअ़ करने का गुनाह हुआ यूँहीं माँ बाप से भी इजाज़त लेने की और मदयून (क़र्ज़दार) को दाइन (क़र्ज़ ख़्वाह)से इजाज़त की हाजत नहीं बल्कि मरीज़ भी जाये हाँ पुराना मरीज़ कि जाने पर क़ादिर न हो उसे मुआफ़ी है (बहर)

मसअला :– जिहाद वाजिब होने के लिए शर्त यह है कि असलाह(हथियार)और लड़ने पर क़ुदरत हो और खाने पीने के सामान और सवारी का मालिक हो नीज़ उस का ग़ालिब गुमान हो कि मुसलमानों की शौकत बढ़ेगी और अगर उस की उम्मीद न हो तो जाइज़ नहीं कि अपने को हलाकत में डालना है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बैतुलमाल में माल मौजूद हो तो लोगों पर सामाने जिहाद घोड़े और असलाह के लिए माल मुक़र्रर करना मकरूह तहरीमी है और बैतुलमाल में माल न हो तो हर्ज नहीं और अगर कोई शख़्स बतीबे ख़ातिर(अपनी मर्ज़ी से) कुछ देना चाहता है असलन मकरूह नहीं बल्कि बेहतर है ख़्वाह बैतुलमाल में हो या न हो और जिस के पास माल हो मगर ख़ुद न जा सकता हो तो माल देकर किसी और को भेजदे मगर ग़ाज़ी से यह न कहे कि माल ले और मेरी तरफ़ से जिहाद कर कि यह तो नौकरी और मज़दूरी हो गई और यूँ कहा तो ग़ाज़ी को लेना भी जाइज़ नहीं(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)

मसअला :– जिन लोगों को दअ़्वते इस्लाम नहीं पहुँची है उन्हें पहले दअ़्वते इस्लाम दी जाये बग़ैर दअ़्वत उन से लड़ना जाइज़ नहीं और इस ज़माने में हर जगह दअ़्वत पहुँच चुकी है ऐसी हालत में दअ़्वत ज़रूरी नहीं मगर फिर भी अगर ज़रर का अन्देशा न हो तो दअ़्वते हक़ कर देना मुस्तहब है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कुफ़्फ़ार से जब मुक़ाबला की नोबत आये तो उन के घरों को आग लगा देना और अमवाल और दरख़्तों और खेतों को जला देना और तबाह करदेना सब कुछ जाइज़ है यानी जब

यह मालूम हो कि ऐसा न करेंगे तो फ़त्ह करने में बहुत मशक़्क़त उठानी पड़ेगी और अगर फ़त्ह का ग़ालिब गुमान हो तो अमवाल वग़ैरह तल्फ़(माल वग़ैरा बर्बाद न करें) न करें कि अन्क़रीब मुसलमानों को मिलेंगे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :- बन्दूक़ तोप और बम के गोले मारना सब कुछ जाइज है।

मसअ्ला :- अगर काफ़िरों ने चन्द मुसलमानों को अपने आगे कर लिया कि गोली वग़ैरा उन पर पड़े हम उन के पीछे महफ़ूज़ रहेंगे जब भी हमें बाज़ रहना जाइज़ नहीं गोली चलायें और क़स्द काफ़िरों के मारने का करें अगर कोई मुसलमानों की गोली से मरजाये जब भी कफ़्फ़ारा वग़ैरा लाज़िम नहीं जब कि गोली चलाने वाले ने काफ़िर पर गोली चलाने का इरादा किया हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :- किसी शहर को बादशाहे इस्लाम ने फ़त्ह किया और उस शहर में कोई मुसलमान या ज़िम्मी है तो अहले शहर को क़त्ल करना जाइज़ नहीं हाँ अगर अहले शहर में से कोई निकल गया तो अब बाक़ियों को क़त्ल करना जाइज़ है कि हो सकता है कि वह जाने वाला मुसलमान या ज़िम्मी हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :- जो चीज़ें वाजिबुत्तअ्ज़ीम हैं उन को जिहाद में ले कर जाना जाइज़ नहीं जैसे क़ुर्आन मजीद कुतुबे फ़िक़ह व हदीस शरीफ़ कि बेहुरमती का अन्देशा है यूँहीं औरतों को भी न लेजाना चाहिए अगर्चे इलाज व ख़िद्मत की ग़र्ज़ से हो हाँ अगर लश्कर बड़ा हो कि ख़ौफ़ न हो तो औरतों को ले जाने में हर्ज नहीं और उस सूरत में बुढ़ियों और बाँदियों को ले जाना औला है और अगर मुसलमान काफ़िरों के मुल्क में आ मान ले कर गया है तो क़ुर्आन मजीद लेजाने में हर्ज नहीं(दुर्रे मुख़्तारबहर)

मसअ्ला :- अ़हद तोड़ना मसलन यह मुआ़हिदा किया कि इतने दिनों तक जंग न होगी फिर उसी ज़माना-ए- अ़हद में जंग की यह नाजाइज़ है और अगर मुआ़हिदा न हो और बग़ैर इत्तिलाअ् किए जंग शुरूअ् कर दी तो हर्ज नहीं (मजमउन्नहर)

मसअ्ला :- मुसला यानी नाक कान या हाथ पाँव काटना या मुँह काला करदेना मनअ् है यानी फ़त्ह होने के बाद मुसला की इजाज़त नहीं और इसनाए जंग में अगर ऐसा हो मसलन तलवार मारी और नाक कट गई या कान कट गये या आँख फोड़दी या हाथ पाँव काट दिये तो हर्ज नहीं (फ़त्ह)

मसअ्ला :- औरत और बच्चा और पागल और बहुत बूढ़े और अन्धे और लुन्जे और अपाहिज और राहिब और पुजारी जो लोगों से मिलते जुलते न हों या जिस का दाहिना हाथ कटा हो या ख़ुश्क हो गया हो उन सब को क़त्ल करना मनअ् है यानी जब कि लड़ाई में किसी की मदद न देते हों और अगर उनमें से कोई ख़ुद लड़ता हो या अपने माल या मशवरा से मदद पहुँचाता हो या बादशाह हो तो उसे क़त्ल कर देंगे और अगर मजनून को कभी जुनून रहता है और कभी होश तो उसे भी क़त्ल कर दें और बच्चा और मजनून को इसनाए जंग में क़त्ल करेंगे जब कि लड़ते हों और बाक़ियों को क़ैद करने के बाद भी क़त्ल करदेंगे और जिन्हें क़त्ल करना मनअ् है उन्हें यहाँ न छोड़ेंगे बल्कि क़ैद कर के दारुलइस्लाम में लायेंगे (दुर्रे मुख़्तार, मजमउल अनहर)

मसअ्ला :- काफ़िरों के सर काट कर लायें या उन की क़बरें खोद डालें उस में हर्ज नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :- अपने बाप दादा को अपने हाथ से क़त्ल करना नाजाइज़ है मगर उसे छोड़ें भी नहीं उस से लड़ने में मशग़ूल रहे कि कोई और शख़्स आकर उसे मारडाले हाँ अगर बाप, दादा ख़ुद

उस के क़त्ल के दरपे हो और उसे बग़ैर क़त्ल किए चारा न हो तो मार डाले और दीगर रिश्ता दारों के क़त्ल में कोई हर्ज नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर सुलह मुसलमान के हक़ में बेहतर हो तो सुलह करना जाइज़ है और अगर कुछ माल लेकर या देकर सुलह की जाये और सुलह के बाद अगर मसलिहत सुलह तोड़ने में हो तो तोड़ दें मगर यह ज़रूर है कि पहले उन्हें इस की इत्तिलाअ् के बाद फ़ौरन जंग शुरूअ् न करें बल्कि इतनी मुहलत दें कि काफ़िर बादशाह अपने तमाम ममालिक में उस ख़बर को पहुँचा सके यह उस सूरत में है कि सुलह में कोई मीआद न हो और (अगर मीआद हो तो) मीआद पूरी होने पर इत्तिलाअ् की कुछ हाजत नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सुलह के बाद अगर किसी काफ़िर ने लड़ना शुरूअ् किया और यह उनके बादशाह की इजाज़त से न हो बल्कि शख़्से ख़ास या कोई जमाअ़त बग़ैर इजाज़ते बादशाह बर सरे पैकार है तो सिर्फ़ उन्हें क़त्ल किया जाये उनके हक़ में सुलह न रही बाक़ियों के हक़ में बाक़ी है(मजमउल अनहर)

मसअ्ला :– काफ़िरों के हाथ हथियार और घोड़े और ग़ुलाम और लोहा वग़ैरा जिस से हथियार बनते हैं बेचना हराम है अगर्चे सुलह के ज़माने में हो यूँहीं ताजिरों पर हराम है कि यह चीज़ें उन के मुल्क में तिजारत के लिए लेजायें बल्कि अगर मुसलमानों को हाजत हो तो ग़ल्ला और कपड़ा भी उन के हाथ न बेचा जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसलमान आज़ाद मर्द या औरत ने काफ़िरों में किसी एक को या जमाअ़त या एक शहर के रहने वालों को पनाह देदी तो अमान सहीह है अब क़त्ल जाइज़ नहीं अगर्चे अमान देने वाला फ़ासिक़ या अन्धा या बहुत बूढ़ा हो और बच्चा या ग़ुलाम की अमान सहीह होने के लिए शर्त यह है कि उन्हें क़िताल की इजाज़त मिल चुकी हो वरना सहीह नहीं अमान सहीह होने के लिए शर्त यह है कि कुफ़्फ़ार ने लफ़्ज़ अमान सुना हो अगर्चे किसी ज़बान में हो अगर्चे उस लफ़्ज़ के मअ्ना वह न समझते हों और अगर इतनी दूर पर हो कि सुन न सकें तो अमान सहीह नहीं(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– अमान में ज़रर (नुक़्सान) का अन्देशा हो तो बादशाहे इस्लाम उस को तोड़दे मगर तोड़ने की इत्तिलाअ् करदे और अमान देने वाला अगर जानता था कि उस हालत में अमान देना मनअ् था और फिर देदी तो उसे सज़ा दी जांये (मजमउल अनहर)

मसअ्ला : – ज़िम्मी और ताजिर और क़ैदी और मजनून और जो शख़्स दारुल हर्ब में मुसलमान हो और अभी हिजरत न की हो और वह बच्चा और ग़ुलाम जिन्हें क़िताल की इजाज़त न हो यह लोग अमान नहीं दे सकते (दुर्रे मुख़्तार)

ग़नीमत का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○

तर्जमा :– 'नफ़्ल के बारे में तुम से सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो नफ़्ल अल्लाह व रसूल के लिए हैं अल्लाह से डरो और आपस में सुलह करो और अल्लाह व रसूल की इताअ़त करो अगर तुम ईमान रखते हो'

और फ़रमाता है

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِی الْقُرْبٰی وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ

तर्जमा :– और जान लो कि जो कुछ तुम ने ग़नीमत हासिल की है उस में से पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह व रसूल के लिए है और क़राबत वाले और यतीमों और मुसाफ़िर के लिए।

हदीस़ न.1 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाह तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्ला स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हम से पहले किसी के लिए ग़नीमत हलाल नहीं हुई अल्लाह तआला ने हमारे ज़ोअफ़ व इज्ज़ (कमज़ोरी व लाचारी) देख कर उसे हमारे लिए हलाल कर दिया।

हदीस न.2 : – सुनन तिर्मिज़ी ने मुझे तमाम अम्बिया से अफ़ज़ल किया फ़रमाया मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल किया और हमारे लिए ग़नीमत हलाल की।

हदीस न.3 :– सहीहैन में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं एक नबी(यूशअ् इब्ने नून अलैहिस्सल्लाम)ग़ज़वा (मज़हबी जंग)के लिए तशरीफ़ ले गये और अपनी क़ौम से फ़रमाया कि ऐसा शख़्स मेरे साथ न चले जिस ने निकाह किया है और अभी ज़फ़ाफ़ (सुहागरात में मियाँ बीवी मिलन) नहीं किया है और करना चाहता है और न वह शख़्स जिस ने मकान बनाया है और उस की छतें अभी तैयार नहीं हुई हैं और न वह शख़्स जिस ने गाभन जानवर ख़रीदे हैं और बच्चा जनने का मुन्तज़िर है(यानी जिन के दिल किसी काम में मशग़ूल हों वह न चलें सिर्फ़ वह लोग चलें जिन को उधर का ख़याल न हो) जब अपने लश्कर को ले कर क़रया(बैतुलमुक़द्दस)के क़रीब पहुँचे वक़्ते अ़स्र आगया(वह जुमआ का दिन था और अब हफ़्ता की रात आने वाली है जिस में क़िताल बनी इसराईल पर हराम था)उन्होंने आफ़ताब को मुख़ातब करके फ़रमाया तू मामूर है और मैं मामूर हूँ ऐ अल्लाह आफ़ताब को रोक दे आफ़ताब रुक गया और अल्लाह ने फ़त्ह दी अब ग़नीमतें जमअ् की गईं उसे खाने के लिए आग आई मगर उस ने नहीं खाया (यानी पहले ज़माना में हुक्म यह था कि ग़नीमत जमअ् की जाये फिर आसमान से आग उतरती और सब को जलादेती अगर ऐसा न होता तो यह समझा जाता कि किसी ने कोई ख़ियानत की है और यहाँ भी यही हुआ)नबी ने फ़रमाया कि तुम ने ख़ियानत की है लिहाज़ा हर क़बीला में से एक शख़्स बैअत करे बैअत हुई एक शख़्स का हाथ उन के हाथ से चिपक गया फ़रमाया तुम्हारे क़बीला में किसी ने ख़ियानत की है उस के बाद वह लोग सोने का एक सर लाये जो गाय के सर बराबर था इस को उस ग़नीमत में शामिल कर दिया फिर हस्बे दस्तूर आग आई और खागई हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि हम से क़ब्ल किसी के लिए ग़नीमत हलाल नहीं थी अल्लाह ने ज़ोअफ़ इज्ज़ (कमज़ोरी व लाचारी)की वजह से उसे हलाल कर दिया।

हदीस न.4 :– अबूदाऊद ने अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं हम हब्शा से वापस हुए उस वक़्त पहुँचे कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अभी ख़ैबर को फ़तह किया था हुज़ूर ने हमारे लिए हिस्सा मुक़र्रर फ़रमाया और हमें भी अ़ता फ़रमाया जो लोग फ़तहे ख़ैबर में मौजूद न थे उन में हमारे सिवा किसी को हिस्सा न दिया सिर्फ़ हमारी कश्ती वाले जितने थे हज़रते जअ़फ़र और उन के रुफ़क़ा (साथी,दोस्त)उन्हीं को हिस्सा दिया।

हदीस न.5 :– सहीह मुस्लिम में यज़ीद इब्ने हुरमुज़ से मरवी कि नजदए हरूरी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास लिखकर दरयाफ़्त किया कि ग़ुलाम व औरत ग़नीमत में हाज़िर हों तो आया उन को हिस्सा मिलेगा यज़ीद से फ़रमाया कि लिखदो कि उन के लिए सहम(हिस्सा)नहीं है मगर कुछ दे दिया जाये।

हदीस न.6 :– सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर लश्कर में से कुछ लोगों को लड़ने के लिए कहीं भेजते तो उन्हें अलावा हिस्सा के कुछ नफ़ल (इनआम) अता फ़रमाते।

हदीस न.7 :– नीज़ सहीहैन में उन्हीं से मरवी कहते हैं हुज़ूर ने हमें हिस्सा के अलावा ख़ुम्स(पाँचवाँ हिस्सा) में से नफ़्ल दिया था मुझे एक बड़ा ऊँट मिला था।

हदीस न.8 :– इब्ने माजा व तिर्मिज़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तलवार ज़ुलफ़िक़ार बद्र के दिन नफ़्ल में मिली थी।

हदीस न.9 : – इमाम बुख़ारी ख़ौला अन्सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कुछ लोग अल्लाह के माल में नाहक़ घुस पड़ते हैं उन के लिए क़ियामत के दिन आग है।

हदीस न. 10 :– अबूदाऊद ब रिवायत अम्र इब्ने शोएब अन अबीहे अन जद्देही रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक शुत्र (ऊंट)के पास तशरीफ़ लाये उस के कोहान से एक बाल लेकर फ़रमाया ऐ लोगों इस ग़नीमत में से मेरे लिए कुछ नहीं है (बाल की तरफ़ इशारा कर के)और यह भी नहीं सिवा ख़ुम्स के(कि यह मैं लूँगा)वह भी तुम्हारे ही ऊपर रद हो जायेगा लिहाज़ा सुई और तागा जो कुछ तुम ने लिया है हाज़िर करो एक शख़्स अपने हाथ में बालों का गुच्छा ले कर खड़ा हुआ और अर्ज़ की मैंने पालान दुरुस्त करने के लिए यह बाल लिए थे हुज़ूर ने फ़रमाया उस में मेरा और बनी अब्दुल मुत्तलिब का जो कुछ हिस्सा है वह तुम्हें दिया उस शख़्स ने कहा जब इस का मुआमला इतना बड़ा है तो मुझे ज़रूरत नहीं यह कहकर वापस कर दिया।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी ने अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने क़ब्ल तक़सीमे ग़नीमत को ख़रीदने से मनअ् फ़रमाया।

मसाइले फ़िक़्हिया

ग़नीमत उस को कहते हैं जो लड़ाई में काफ़िरों से बतौर क़हर व ग़ल्बा के लिया जाये **और** लड़ाई के बाद जो उन से लिया जाये जैसे ख़िराज और जुज़या उस को फ़ीह कहते हैं ग़नीमत में ख़ुम्स (पाँचवाँ हिस्सा)निकाल कर बाक़ी चार हिस्से मुजाहिदीन पर तक़सीम कर दिये जायें और फ़ेई कुल बैतुलमाल में रखा जाये (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– दारुल हर्ब में किसी शहर के लोग ख़ुद बख़ुद मुसलमान होगये वहाँ मुसलमानों का तसल्लुत न हुआ था तो सिर्फ़ उन पर उश्र मुक़र्रर होगा यानी जो ज़राअत पैदा हो उस का दसवाँ हिस्सा बैतुलमाल को अदा करदें और अगर ख़ुद बख़ुद ज़िम्मा में दाख़िल हुए तो उन की ज़मीनों पर ख़िराज मुक़र्रर होगा और उन पर जुज़या **और** अगर ग़ालिब आने के बाद मुसलमान हुए तो बादशाह को इख़्तियार है उन पर एहसान करे और ज़मीनों की पैदावार का उश्र ले या ख़िराज

मुकर्रर करे या उन को और उन के अमवाल को ख़ुम्स लेने के बाद मुजाहिदीन पर तकसीम कर दे फत्ह करने के बाद अगर वह मुसलमान न हुए तो इख़्तियार है अगर चाहे उन्हें लौन्डी, गुलाम बनाये और ख़ुम्स के बाद उन्हे और उन के अमवाल मुजाहिदीन पर तकसीम कर दे और ज़मीनों पर जुज़्या मुकर्रर कर दे और अगर चाहे तो मर्दों को कत्ल कर डाले और औरतों बच्चों और अमवाल को बाद ख़ुम्स तकसीम कर दे और अगर चाहे तो सब को छोडदे और उन पर जुजया और ज़मीनों पर ख़िराज मुकर्रर कर दे और चाहे तो उन्हें वहाँ से निकाल दे और दूसरों को वहाँ बसाये और चाहे तो उन को छोड़ दे और जमीन उन्हें वापस दे और औरतों बच्चों और दीगर अमवाल को तकसीम कर दे मगर उस सूरत में बकद्र ज़राअत उन्हें कुछ माल भी देदे वरना मकरूह है और चाहे तो सिर्फ अमवाल तक़सीम करदे और उन्हें और औरतों, बच्चों और जमीनों को छोड़ दे मगर थोडा माल बकद्र ज़राअत देदे वरना मकरूह है और अगर तमाम अमवाल और जमीनें तकसीम कर दीं और उन को छोड़ दिया तो यह नाजाइज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर किसी शहर को बतौर सुलह फतह किया हो तो जिन शराइत पर सुलह हुई उन पर बाकी रखे उन के ख़िलाफ करने की न उन्हें इजाजत है न बाद वालों को और वहाँ की ज़मीन उन्ही लोगों की मिल्क रहेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दारुल हर्ब के जानवर कब्जा में किए और उन को दारुलइस्लाम तक नहीं ला सकता तो ज़िबह कर के जलाडाले यूँहीं और सामान जिन को नहीं ला सकता है जलादे और बर्तनों को तोड़ डाले रोग़न वग़ैरा बहादे और हथियार लोहे की चीज़ें जो जलने के काबिल नहीं उन्हें पोशीदा जगह दफन करदे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दारुलहर्ब मे बग़ैर जरूरत ग़नीमत तक़सीम न करें और अगर बार बरदारी(बोझढोने वाले) के जानवर न हों तो थोड़ी थोडी मुजाहिदीन के हवाला कर दी जाये कि दारुलइस्लाम में आकर वापस दें और यहाँ तक़सीम की जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– माले ग़नीमत को दारुलहर्ब में मुजाहिदीन अपनी ज़रूरत में क़ब्ल तक़सीम सर्फ कर सकते हैं मसलन जानवरो का चारा अपने खाने की चीज़ें खाना पकाने के लिए ईंधन घी, तेल, शकर मेवे ख़ुश्क व तर, और तेल लगाने की जरूरत हो तो खाने का तेल लगा सकता है और ख़ुश्बूदार तेल, मसलन रोग़न गुल वग़ैरा उस वक्त इस्तिअ्माल कर सकता है जब किसी मर्ज़ में उन के इस्तिअ्माल की हाजत हो और गोश्त खाने के जानवर ज़िबह कर सकते हैं मगर चमड़ा माले ग़नीमत में वापस करें और मुजाहिदीन अपनी बान्दी गुलाम और औरतों, बच्चों, को भी माले ग़नीमत से खिला सकते हैं और जो शख़्स तिजारत के लिए गया है लड़ने के लिए नहीं गया वह और मुजाहिदीन के नौकर माले ग़नीमत को सर्फ नहीं कर सकते हाँ पका हुआ खाना यह भी खा सकते हैं और पहले से अशया अपने पास रख लेना कि ज़रूरत के वक़्त सर्फ करेंगे जाइज़ है यूँहीं जो चीज काम के लिए ली थी और बच गई उसे बेचना भी नाजाइज़ है और बेचडाली तो दाम वापस करे (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– माले ग़नीमत को बेचना जाइज़ नहीं और बेचा तो चीज वापस ली जाये और वह चीज न हो तो कीमत माले ग़नीमत में दाख़िल करे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दारुलहर्ब से निकलने के बाद अब तसर्रुफ (ख़र्च करने का इख़्तेयार)जाइज नहीं है

अगर सब मुजाहिदीन की रज़ा से हो तो हर्ज नहीं और जो चीचें दारुलहर्ब में ली थीं उन में से कुछ बचा है और अब दारुलइस्लाम में आ गया तो बक़िया वापस कर दे और वापसी से पहले ग़नीमत तक़सीम हो चुकी तो फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ कर दे और ख़ुद फ़क़ीर हो तो अपने काम में लाये और अगर दारुलइस्लाम में पहुँचने के बाद बक़िया को सर्फ़ कर डाला है तो क़ीमत वापस करे और ग़नीमत तक़सीम हो चुकी है तो क़ीमत तसद्दुक़ (सदक़ा कर देना) कर दे और ख़ुद फ़क़ीर हो तो कुछ हाजत नहीं (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– माले ग़नीमत में क़ब्ले तक़सीम ख़ियानत करना मनअ् है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स दारुलहर्ब में मुसलमान हो गया वह ख़ुद और उस के छोटे बच्चे और जो कुछ उस के पास माल व मताअ् है सब महफ़ूज़ हैं यह जब कि इस्लाम लाना गिरफ़्तार करने से पहले हो और उस के बाद कि सिपाहियों ने उसे गिरफ़्तार किया अगर मुसलमान हुआ तो वह ग़ुलाम है और अगर होने से पहले उस के बच्चे और अमवाल पर क़ब्ज़ा हो गया और वह गिरफ़्तारी से पहले मुसलमान हो गया तो सिर्फ़ वह आज़ाद है और अगर हर्बी अमन लेकर दारुलइस्लाम में आया था और यहाँ मुसलमान हो गया फिर मुसलमान उस के शहर पर ग़ालिब आये तो बाल बच्चे और अमवाल सब फ़ेई हैं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो शख़्स दारुलहर्ब में मुसलमान हुआ और उस ने पेशतर से कुछ माल किसीमुसलमान या ज़िम्मी के पास अमानत रख दिया था तो यह माल भी उस को मिलेगा और हर्बी के पास था तो फ़ेई है और अगर दारुल हर्ब में मुसलमान होकर दारुल इस्लाम में चला आया फिर मुसलमानों का उस शहर पर तसल्लुत हुआ तो उस के छोटे बच्चे महफ़ूज़ रहेंगे और जो अमवाल मुसलमान या ज़िम्मी के पास रखे हैं वह भी उसी के हैं बाक़ी सब फ़ेई हैं (दुर्रे मुख़्तार फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– जो शख़्स दारुलहर्ब में मुसलमान हुआ तो उसकी बालिग़ औलाद और ज़ौजा और ज़ौजा के पेट में जो बच्चा है वह और जाइदाद ग़ैर मनक़ूला और उस के बाँदी ग़ुलाम लड़ने वाले और उस बाँदी के पेट में जो बच्चा है वह यह सब ग़नीमत हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो हर्बी दारुलइस्लाम में बग़ैर अमान लिये आगया और उसे किसी ने पकड़ लिया तो वह और उस के साथ जो कुछ माल है सब फ़े है (दुर्रे मुख़्तार)

ग़नीमत की तक़सीम

मसअ्ला :– ग़नीमत के पाँच हिस्से किए जायें एक हिस्सा निकालकर बाक़ी चार हिस्से मुजाहिदीन पर तक़सीम कर दिए जायें और सवार ब निस्बत पैदल के दूना पायेगा यानी एक उस का हिस्सा और एक घोड़े का और घोड़ा अरबी हो या और क़िस्म का सब का एक हुक्म है सरदार, लश्कर और सिपाही दोनों बराबर हैं यानी जितना सिपाही को मिलेगा उतना ही सरदार को भी मिलेगा ऊँट और गधे और ख़च्चर किसी के पास हों तो उन की वजह से कुछ ज़्यादा न मिलेगा यानी उसे भी पैदल वाले के बराबर मिलेगा और अगर किसी के पास चन्द घोड़े हों जब भी उतना ही मिलेगा जितना एक घोड़े के लिए मिलता था (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सवार दो चन्द ग़नीमत का उस वक़्त मुस्तहक़ होगा जब दारुलइस्लाम से जुदा होने के वक़्त उस के पास घोड़ा हो लिहाज़ा जो शख़्स दारुलहर्ब में बग़ैर घोड़े के आया और वहाँ घोड़ा ख़रीद लिया तो पैदल का हिस्सा पायेगा और अगर घोड़ा था मगर वहाँ पहुँचकर मर गया तो सवार

का हिस्सा पायेगा और सवार के दो चन्द हिस्से पाने के लिए यह भी शर्त है कि उस का घोड़ा मरीज़ न हो और बड़ा हो यानी लड़ाई के काबिल हो और अगर घोड़ा बीमार था और ग़नीमत से कब्ल अच्छा हो गया तो सवार का हिस्सा पायेगा वरना नहीं और बछरा था और ग़नीमत के कब्ल जवान हो गया तो नहीं और अगर घोड़ा लेकर चला मगर सरहद पर पहुँचने से पहले किसी ने ग़सब कर लिया या कोई दूसरा शख़्स उस पर सवारी लेने लगा या घोड़ा भाग गया और यह शख़्स दारुल हर्ब में पैदल दाख़िल हुआ तो अगर इस सूरत में लड़ाई से पहले उसे वह घोड़ा मिल गया तो सवार का हिस्सा पायेगा वरना पैदल का और अगर लड़ाई से पहले जंग के वक़्त घोड़ा बेचडाला तो पैदल का हिस्सा पायेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सवार के लिए यह ज़रूरी नहीं कि घोड़ा उस की मिल्क हो बल्कि किराया या आरियत से लिया हो बल्कि अगर ग़सब कर के ले गया जब भी सवार का हिस्सा पायेगा और ग़सब का गुनाह उस पर है और अगर दो शख़्सों की शिरकत में घोड़ा है तो उन में कोई सवार का हिस्सा नहीं पायेगा मगर जब कि दाख़िल होने से पहले एक ने दूसरे से उस का हिस्सा किराये पर ले लिया। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– गुलाम और बच्चा और औरत और मजनून के लिए हिस्सा नहीं खुम्स निकालने से पहले पूरी ग़नीमत में से उन्हें। कुछ दे दिया जाये जो हिस्से के बराबर न हो मगर उस वक़्त कि उन्होंने किताल किया हो या औरत ने मुजाहिदीन का काम किया हो मसलन खाना पकाना बीमारों और ज़ख़्मियों की तीमार दारी करना उन को पानी पिलाना वग़ैरा (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :– ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा जो निकाला गया है उस के तीन हिस्से किए जायें एक हिस्सा यतीमों के लिए और एक मिस्कीनों और एक मुसाफ़िरों के लिए और अगर यह तीनों हिस्से एक ही किस्म मसलन यतामा या मसाकीन पर सर्फ़ कर दिये जब भी जाइज़ है और मुजाहिदीन को हाजत हो तो उन पर सर्फ़ करना भी जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब के यतामा और मसाकीन और मुसाफ़िर अगर फ़कीर हों तो यह लोग ब निस्बत दूसरों के खुम्स के ज़्यादा हकदार हैं क्यों कि और फुक़रा तो ज़कात भी ले सकते हैं और यह नहीं ले सकते और यह लोग ग़नी हों तो खुम्स में उन का कुछ हक़ नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो फ़ौज या जो शख़्स लड़ने के इरादे से दारुलहर्ब में पहुँचा और जिस वक़्त पहुँचा लड़ाई ख़त्म हो चुकी है तो यह भी ग़नीमत में हिस्से दार है यूँहीं जो शख़्स गया मगर बीमारी वग़ैरा से लड़ाई में शरीक न हो सका ग़नीमत पायेगा और अगर कोई तिजारत के लिए गया है तो जब तक लड़ने में शरीक न हो ग़नीमत का मुस्तहिक़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : – जो शख़्स दारुलहर्ब में मरगया और ग़नीमत न अभी तकसीम हुई है न दारुलइस्लाम में लाई गई है न बादशाह ने ग़नीमत को बेचा है तो उस का हिस्सा नहीं यानी उस का हिस्सा उस के वारिसों को नहीं दिया जायेगा और अगर तकसीम हो चुकी है या दारुलइस्लाम में लाई जा चुकी है बादशाह ने बेचडाली है तो उन का हिस्सा वारिसों को मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तकसीम के बाद एक शख़्स ने दअ़वा किया कि मैं जंग में भी शरीक था और गवाहों से इस अम्र को साबित भी कर दिया तो तकसीम बातिल न की जाये बल्कि उस शख़्स को उस के हिस्से की कद्र बैतुलमाल से दिया जाये (आलमगीरी)

मसअला :– ग़नीमत में किताबें मिलीं और मालूम नहीं कि उन में क्या लिखा है तो न तक़सीम करें न काफ़िरों के हाथ बेचें बल्कि मोज़अ़ एहतियात (एहतियात की जगह) में दफ़न कर दें कि काफ़िरों को न मिल सकें और अगर बादशाहे इस्लाम मुसलमान के हाथ बेचना चाहे तो ऐसे मुसलमान के हाथ न बेचे जो काफ़िरों के हाथ बेचडाले और क़ाबिले एअ़तिमाद शख़्स है कि काफ़िरों के हाथ न बेचेगा तो उस के हाथ बेच सकते हैं अगर सोने या चाँदी के हार मिले जिन में सलीब या तसवीरें बनी हैं तो तक़सीम से पहले उन्हें तोड़डाले और ऐसे मुसलमान के हाथ न बेचे जो काफ़िरों के हाथ बेच डालेगा और अगर रुपये अशरफ़ियों में तसवीरें हैं तो बग़ैर तोड़े तक़सीम व बैअ़ कर सकते हैं (आलमगीरी)

मसअला :– शिकारी कुत्ते और बाज़ और शिकरे ग़नीमत में मिले यह भी तक़सीम किए जायें और तक़सीम से क़ब्ल उन से शिकार मकरूह है (आलमगीरी)

मसअला :– जो जमाअ़त बादशाह से इजाज़त ले कर दारुलहर्ब में गई या बा कुव्वत जमाअ़त बग़ैर इजाज़त गई और शबख़ून मार कर वहाँ से माल लाई तो यह ग़नीमत है ख़ुम्स ले कर बाक़ी तक़सीम होगा और अगर यह दोनों बातें न हों न इजाज़त ली न बा कुव्वत जमाअ़त है तो जो कुछ हासिल किया सब उन्हीं का है ख़ुम्स न लिया जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कुछ लोग इजाज़त से गये थे और कुछ बग़ैर इजाज़त और यह लोग बाकुव्वत भी न थे तो इजाज़त वाले जो कुछ माल पायेंगे उस में से ख़ुम्स लेकर बाक़ी उन पर तक़सीम हो जायेगा और दूसरे फ़रीक़ ने जो कुछ हासिल किया है उन में न ख़ुम्स है न तक़सीम बल्कि जिस ने जितना पाया वह उसी का है उस का साथ वाला भी उस में शरीक नहीं और अगर इजाज़त वाले और बे इजाज़त दोनों मिल गये और उन के इज्तिमाअ़ से कुव्वत पैदा होगई तो अब ख़ुम्स लेकर ग़नीमत की मिस्ल तक़सीम होगी यानी एक ने भी जो कुछ पाया है वह सब पर तक़सीम हो जायेगा(आलमगीरी)

मसअला :– ग़नीमत की तक़सीम हुई और थोड़ी सी चीज़ बाक़ी रह गई जो क़ाबिले तक़सीम नहीं कि लश्कर बड़ा है और चीज़ थोड़ी तो बादशाह को इख़्तियार है कि फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ कर दे या बैतुलमाल में जमअ़ कर दे कि ज़रूरत के वक़्त काम आये (आलमगीरी)

मसअला :– इजाज़त लेकर एक जमाअ़त दारुलहर्ब को गई और उस से बादशाह ने कह दिया जो कुछ पाओगे तुम्हारा है उस में ख़ुम्स नहीं लूँगा तो अगर वह जमाअ़त बा कुव्वत है तो उस का यह कहना जाइज़ नहीं यानी ख़ुम्स लिया जायेगा और बाकुव्वत न हो तो कहना जाइज़ है और ख़ुम्स नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बादशाह या सिपहसालार अगर लड़ाई के पहले या जंग के वक़्त कुछ सिपाहियों से यह कह दे कि तुम जो कुछ पाओगे वह तुम्हारा है या यूँहीं कि तुम में जो जिस काफ़िर को क़त्ल करे उस का सामान उस के लिए है तो यह जाइज़ बल्कि बेहतर है कि उस की वजह से उन सिपाहियों को तरग़ीब होगी और उस को नफ़्ल कहते हैं और उस में न ख़ुम्स है न तक़सीम बल्कि वह सब उसी पाने वाले का है अगर यह लफ़्ज़ कहे थे कि जो जिस काफ़िर को क़त्ल करेगा उस मक़तूल का सामान वह ले और ख़ुद बादशाह या सिपाहसालार ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो यह सामान ले सकता है और यह कहना भी जाइज़ है कि यह सौ रुपये लो और फ़ुलाँ काफ़िर को मार डालो या यूँकि अगर तुम ने फ़ुलाँ काफ़िर को मारडाला तो तुम्हें हज़ार रुपये दूँगा लड़ाई ख़त्म होने और ग़नीमत जमअ़ करने के बाद नफ़्ल देना जाइज़ नहीं हाँ अगर मुनासिब समझे तो ख़ुम्स में

से दे सकता है आलमगीरी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिन लोगों को नफ़्ल(इनआ़म) देना कहा है उन्होंने नहीं सुना औरों ने सुन लिया जब भी उस इनआ़म के मुस्तहक़ हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दारुलहर्ब में लश्कर है उस में से कुछ लोग कहीं भेजे गये और उन से यह कह दिया कि जो कुछ तुम पाओगे वह सब तुम्हारा है तो जाइज़ है दारुलइस्लाम से यह कह कर भेजा तो नाजाइज़ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ऐसे को क़त्ल किया जिस का क़त्ल जाइज़ न था मसलन बच्चा या मजनून या औ़रत को तो मुस्तहक़े इन्आ़म नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नफ़्ल का यह मतलब है कि दूसरे लोग उस में शरीक न होंगे न यह कि यह शख़्स अभी से मालिक हो गया बल्कि मालिक उस वक़्त होगा जब दारुल इस्लाम में लाये लिहाज़ा लौन्डी मिली तो जब तक दारुल इस्लाम में लाने के बाद इस्तिबरा न करे वती नहीं कर सकता न उसे फ़रोख़्त कर सकता है। (आम्मए कुतुब)

इस्तीला–ए–कुफ़्फ़ार का बयान

मसअ्ला :– दारुल हर्ब में एक काफ़िर ने दूसरे काफ़िर को क़ैद कर लिया यानी जंग में पकड़ लिया वह उस का मालिक हो गया लिहाज़ा अगर हम उन से ख़रीद लें या उन क़ैद करने वालों पर मुसलमानों ने चढ़ाई की और उस काफ़िर को उन से ले लिया तो मुसलमान मालिक हो गये यही हुक्म अमवाल का भी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर हर्बी काफ़िर ज़िम्मी को दारुलइस्लाम से पकड़ ले गये तो उस के मालिक न होंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हर्बी काफ़िर अगर मुसलमान के अमवाल पर क़ब्ज़ा कर के दारुलहर्ब में ले गये तो मालिक हो जायेंगे मगर जब तक दारुलहर्ब को पहुँच न जायें मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि उन का पीछा करें और उन से छीन लें फिर जब कि दारुलहर्ब में ले जाने के बाद अगर वह हर्बी जिन के पास वह अमवाल हैं मुसलमान हो गये तो अब बिलकुल उन की मिल्क साबित हो गई कि अब उन से नहीं लेंगे और अगर मुसलमान उन हरबियों पर दारुलहर्ब में पहुँचने से क़ब्ल ग़ालिब आ गये तो जिस की चीज़ है उसे देदेंगे और कुछ मुआ़विज़ा न लेंगे और दारुलहर्ब में पहुँचने के बाद ग़ल्बा हुआ और ग़नीमत तक़सीम होने से पहले मालिक ने आकर कहा कि यह चीज़ मेरी है तो उसे बिलामुआ़विज़ा देदेंगे और ग़नीमत तक़सीम होने के बाद कहा तो अब क़ीमत से देंगे और जिस दिन ग़नीमत में वह चीज़ मिली उस दिन जो क़ीमत थी वह ली जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– काफ़िर अमान लेकर दारुलइस्लाम में आया और किसी मुसलमान की चीज़ चुरा कर दारुल हर्ब में ले गया और वहाँ से कोई मुसलमान वह चीज़ ख़रीद कर लाया तो वह चीज़ मालिक को मुफ़्त दिलादी जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मुसलमान ग़ुलाम भाग कर दारुलहर्ब को चला गया और हरबियों ने उसे पकड़ लिया तो मालिक न होंगे लिहाज़ा अगर मुसलमानों का ग़ल्बा हुआ और वह ग़ुलाम ग़नीमत में मिला तो मालिक को बिला मुआ़विज़ा दिया जाये अगर्चे ग़नीमत हो चुकी हो हाँ तक़सीम के बाद अगर

दिलाया गया तो जिस के हिस्से में गुलाम पड़ा था उसे बैतुलमाल से कीमत दें। (फ़त्ह)

मसअला :– मुसलमान गुलाम भाग कर गया और उस के साथ घोड़ा और माल व अस्बाब भी था और सब पर काफ़िरों ने कब्ज़ा कर लिया फिर उस से सब चीजें और गुलाम कोई शख़्स ख़रीद लाया तो गुलाम बिला मुआविज़ा मालिक को दिलाया जाये और बाक़ी चीजें बक़ीमत और अगर गुलाम मुरतद हो कर दारुलहर्ब को भाग गया तो हरबी पकड़ने के बाद मालिक हो गये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो काफ़िर अमान ले कर दारुलइस्लाम में आया उस के हाथ मुसलमान गुलाम न बेचा जाये और बेच दिया तो वापस लेना वाजिब है और अगर वापस भी न लिया यहाँ तक कि गुलाम को लेकर दारुलहर्ब को चला गया तो अब वह आज़ाद है यानी वह गुलाम अगर वहाँ से भाग कर आया या मुसलमानों का ग़ल्बा हुआ और उस गुलाम को वहाँ से हासिल किया तो न किसी को दिया जाये न ग़नीमत की तरह तकसीम हो बल्कि वह आज़ाद है यूंहीं अगर हर्बी गुलाम मुसलमान हो गया और वहाँ से भाग कर दारुल इस्लाम में आ गया या हमारा लश्कर दारुल हर्ब में था उस लश्कर में आ गया या उस को किसी मुसलमान या ज़िम्मी या हर्बी ने दारुलहर्ब में ख़रीद लिया या उस के मालिक ने बेचना चाहा या मुसलमानों का उन पर ग़ल्बा हुआ बहर हाल आज़ाद हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मुस्तामिन का बयान

मुस्तामिन वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में अमान ले कर गया दूसरे मुल्क से मुराद वह मुल्क है जिस में ग़ैर कौम की सल्तनत हो यानी हरबी दारुलइस्लाम में या मुसलमान दारुलकुफ़्र में अमान ले कर गया तो मुस्तामिन है।

मसअला :– दारुलहरब में मुसलमान अमान ले कर गया तो वहाँ वालों की जान व माल से तआरुज़ करना उस पर हराम है कि जब अमान ली तो उस का पूरा करना वाजिब है यूँहीं उन काफ़िरों की औरतें भी उस पर हराम हैं और अगर मुसलमान कैद हो कर गया है तो काफ़िरों की जान व माल उस पर हराम नहीं अगर्चे काफ़िरों ने खुद ही उसे छोड़ दिया हो यानी यह अगर वहाँ से कोई चीज़ ले आया या किसी को मारडाला तो गुनाहगार नहीं कि उस ने उन के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया है जिस का ख़िलाफ़ करना जाइज़ न हो (जौहरा दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुसलमान अमान ले कर गया और वहाँ से कोई चीज़ ले कर दारुल इस्लाम में चला गया तो उस शय का अब मालिक हो गया मगर यह मिल्क हराम व ख़बीस है कि उस को ऐसा करना जाइज़ न था लिहाज़ा हुक्म है कि फ़ुकरा पर सदका कर दे और अगर सदका न किया और उस शय को बेचडाला तो बैअ् सहीह है और अगर उस ने वहाँ निकाह किया था और औरत को जबरन लाया तो दारुल इस्लाम में पहुँचकर निकाह जाता रहा और औरत कनीज़ हो गई (जौहरा दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – मुसलमान अमान ले कर दारुल हरब को गया और वहाँ के बादशाह ने बद अहदी की मसलन उस का माल ले लिया या कैद कर लिया या दूसरे ने इस किस्म का कोई मुआमला किया और बादशाह को उस का इल्म हुआ और तदारुक न किया (न रोका) तो अब उन के जान व माल से तअर्रुज़ (छेड़ छाड़)करे तो गुनाहगार नहीं कि बद अहदी उन की जानिब से है उस की जानिब से नहीं और उस सूरत में जो माल वग़ैरा वहाँ से लायेगा हलाल है (शरह मुल्तका)

मसअला :– मुसलमान ने दारुल हरब में काफ़िर हरबी की रज़ा मन्दी से कोई माल हासिल किया

तो उस में कोई हरज नहीं मसलन एक रुपया दो रूपये के बदले में बेचा यूँही अगर उस को कर्ज़ दिया और यह ठहरा लिया कि महीना भर में सौ के सवा सौ लूँगा यह जाइज है कि काफ़िर हरबी का माल जिस तरह मिले ले सकता है मगर मुआहिदा के खिलाफ़ करना हराम है(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसलमान दारुल हरब में अमान ले कर गया है उस ने किसी हरबी को कर्ज़ दिया या कोई चीज़ उस के हाथ उधार बेची या हरबी ने उस मुसलमान को कर्ज़ दिया या उस के हाथ कोई चीज़ उधार बेची या एक ने दूसरे की कोई चीज़ ग़सब की फिर यह दोनों दारुलइस्लाम में आये तो काज़ी शरह उन में बाहम कोई फ़ैसला न करेगा हाँ अब यहाँ आने के बाद अगर इस किस्म की बात होगी तो फ़ैसला किया जायेगा यूँहीं अगर दो हरबी अमान ले कर आये और दारुलहरब में उन के दरमियान इस किस्म का मुआहिदा हुआ था तो उन में भी फ़ैसला न किया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसलमान ताजिर को यह इजाज़त नहीं कि लौन्डी गुलाम बेचने के लिए दारुल हर्ब जाये हाँ अगर ख़िदमत के लिए जाना चाहता हो तो इजाज़त है(आलमगीरी)

मसअ्ला : – हरबी अमान लेकर दारुल इस्लाम में आया तो पूरे साल भर यहाँ रहने न देंगे और उस से कह दिया जायेगा कि अगर तू यहाँ साल भर रहेगा तो जुज़्या मुकर्रर होगा अब अगर साल भर रहेगा तो जुज़्या लिया जायेगा और वह ज़िम्मी हो जायेगा और अब दारुलहरब जाने न देंगे अगर्चे तिजारत या किसी और काम के लिए जाना चाहता हो और चला गया तो बदस्तूर हरबी हो गया उस का ख़ून मुबाह है (जौहरा)

मसअ्ला :– साल से कम जितनी चाहे बादशाहे इस्लाम उसके लिए मुद्दत मुकर्रर कर दे और यह कह दे कि अगर तू इस मुद्दत से ज़्यादा ठहरा तो तुझ से जुज़्या लिया जायेगा और उस वक़्त वह ज़िम्मी हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हरबी अमान ले कर आया और यहाँ ख़िराजी या उशरी ज़मीन ख़रीदी और ख़िराज उस पर मुकर्रर हो गया तो अब ज़िम्मी हो गया और जिस वक़्त ख़िराज मुकर्रर हुआ उसी वक़्त साले आइन्दा का जुज़्या भी वुसूल किया जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किताबिया औरत अमान लेकर दारुलइस्लाम में आई और उस से किसी मुसलमान या ज़िम्मी ने निकाह कर लिया तो अब ज़िम्मिया हो गई अब दारुल हरब को नहीं जा सकती यूँहीं अगर मियाँ बीवी दोनों आये और शौहर यहाँ मुसलमान हो गया तो औरत अब नहीं जा सकती और अगर मर्द हरबी ने किसी ज़िम्मी औरत से निकाह किया तो उस की वजह से ज़िम्मी न हुआ हो सकता है कि तलाक़ देकर चला जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हरबी ने अपने ग़ुलाम को तिजारत के लिए दारुल इस्लाम में भेजा ग़ुलाम यहाँ आकर मुसलमान हो गया तो ग़ुलाम बेचडाला जायेगा और उस का समन (कीमत)हरबी के लिए महफ़ूज़ रखा जायेगा यह नहीं हो सकता कि ग़ुलाम वापस दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुस्तामिन जब दारुल हरब को चला गया तो अब फिर हरबी हो गया और अगर उस ने किसी मुसलमान या ज़िम्मी के पास माल रखा था या उन पर उस का दैन था और उस काफ़िर को किसी ने क़ैद कर लिया या उस मुल्क को मुसलमान ने फ़तह कर लिया और उस को मारडाला तो दैन साकित हो गया और वह अमानत फ़ी है और अगर बग़ैर ग़ल्बा वह मारा गया या मर गया तो दैन और अमानत उस के वारिसों के लिए है (मुलतका)

मसअला :– हरबी या मुरतद या वह शख़्स जिस पर क़िसास लाज़िम आया भाग कर हरम शरीफ़ में चला जाये तो वहाँ क़त्ल न करेंगे बल्कि उसे वहाँ खाना पीना कुछ न दें कि निकलने पर मजबूर हो और वहाँ से निकलने के बाद क़त्ल कर डालें और अगर हरम में किसी ने ख़ून किया तो उसे वहीं क़त्ल कर सकते हैं उस की ज़रूरत नहीं कि निकले तो क़त्ल करें (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो जगह दारुल हरब है अब वह दारुलइस्लाम उस वक़्त होगी कि मुसलमान के क़ब्ज़े में आजाये और वहाँ अहकामे इस्लाम जारी हो जायें और दारुलइस्लाम उस वक़्त दारुलहरब होगा जबकि यह तीन बातें पाई जायें (1)कुफ़्र के अहकाम जारी हो जायें और इस्लामी अहकाम बिलकुल रोक दिए जायें और अगर इस्लाम के अहकाम भी जारी हैं और कुफ़्र के भी तो दारुल हरब न हुआ। (2)दारुल हरब से मुत्तसिल हो कि उस के और हरब के दरमियान में कोई इस्लामी शहर न हो। (3) उस में कोई मुसलमान या ज़िम्मी अमान अव्वल बर बाक़ी न हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)इस से मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान बेहम्दिही तआला अब तक दारुल इस्लाम है बअ़ज़ों ने ख़्वाह मख़्वाह उसे दारुल हरब ख़्रियाल कर रखा है यहाँ के मुसलमान पर लाज़िम है कि बाहम रज़ा मन्दी से कोई क़ाज़ी मुक़र्रर करें कि कम अज़ कम इस्लामी मुआमलात जिन के लिए मुसलमान हाकिम होना शर्त है उस से फ़ैसला करायें और यह मुसलमान की बद नसीबी है कि बावुजूद उस के कि अंग्रेज़ उन्हें इस से नहीं रोकते फिर अहकामे शरईया के इजरा की बिलकुल परवाह नहीं।

उ़श्र व ख़िराज का बयान

ज़मीने अ़रब और बसरा और ज़मीन जहाँ के लोग खुद बखुद मुसलमान हो गये और जो शहर क़हरन फ़तह किया गया और वहाँ की ज़मीन मुजाहिदीन पर तक़सीम कर दी गई यह सब उ़शरी हैं और भी उ़शरी होने की बाअ़ज़ सूरतें हैं जिन को हम किताबुज़्ज़कात में बयान कर आये और जो शहर बतौर सुलह फ़तह हो या जो लड़कर फ़तह किया गया मगर मुजाहिदीन पर तक़सीम न हुआ बल्कि वहाँ के लोग बरक़रार रखे गये या दूसरी जगह के काफ़िर वहाँ बसादिए गये यह सब ख़िराजी हैं बनजर ज़मीन को मुसलमान ने खेत किया अगर उस के आस पास की ज़मीन उ़शरी है तो यह भी उ़श्री और ख़िराजी हैं तो ख़िराजी।

मसअला : – ज़मीन वक़्फ़ कर दी तो अगर पहले उ़शरी थी तो अब भी उ़शरी है ख़िराजी थी तो अब भी ख़िराजी और अगर बैतुलमाल से ख़रीद कर वक़्फ़ की तो अब ख़िराज नहीं और उ़शरी थी तो उ़श्र है (रद्दुल मुहतार)उ़श्र व ख़िराज के मसाइल बक़द्र ज़रूरत किताबुज़्ज़कात में बयान कर दिये गये वहाँ से मालूम करें उन से ज़ाइद जुज़ईयात की हाजत नहीं मालूम होती लिहाज़ा उन्हीं पर इक्तिफ़ा करें। तम्बीह इस ज़माने के मुसलमानों ने उ़श्र व ख़िराज को उ़मूमन छोड़ रखा है बल्कि जहाँ तक मेरा ख़्रियाल है बहुतेरे वह मुसलमान हैं जिन के कान भी इन लफ़्ज़ों से आशना नहीं जानते ही नहीं कि खेत की पैदावार में भी शरअ़ ने कुछ दूसरों का हक़ रखा है हालाँकि क़ुर्आन मजीद में मौला तआला ने इरशाद फ़रमाया أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

तर्जमा :– "ख़र्च करो अपनी पाक कमाईयों से और उस से कि हम ने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला" अगर मुसलमान इन बातों से वाक़िफ़ हो जायें तो अब भी बहुतेरे खुदा के बन्दे वह हैं जो इत्तिबाए शरीअ़त की कोशिश करते हैं जिस तरह ज़कात देते हैं उन्हें भी अदा करेंगे वल्लाहु हुवल्मूफ़िक़।

जुज़या का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

तर्जमा :– "अल्लाह ने काफ़िरों से जो कुछ अपने रसूल को दिलाया उस पर न तुम ने घोड़े दौड़ाये न ऊँट व लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है मुसल्लत फ़रमादेता है और अल्लाह हर शय पर क़ादिर है जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को बस्तियों वालों से दिलाया वह अल्लाह व रसूल के लिए है और क़राबत वाले और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफ़िर के लिए(यह इस लिए बयान किया गया कि)तुम में के मालदार लोग लेने देने न लगें और जो कुछ रसूल तुम को दें उसे ले लो और जिस चीज़ से मनअ् करें उस से बाज़ रहो और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह सख़्त अज़ाब वाला है"

हदीस न.1 :– अबूदाऊद व मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उन को यमन (का हाकिम बना कर)भेजा तो यह फ़रमाया कि हर बालिग़ से एक दीनार वुसूल करें या उस क़ीमत का मुआफ़री यह एक कपड़ा है जो यमन में होता है।

हदीस न.2 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक ज़मीन में दो क़िब्ले दुरुस्त नहीं और मुसलमान पर जुज़या नहीं।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी ने उक़्बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम काफ़िरों के मुल्क में जाते हैं वह न हमारी मेहमानी करते हैं न हमारे हुकूक़ अदा करते हैं और हम ख़ुद जबरन लेना अच्छा नहीं समझते (और उस की वजह से हम को बहुत ज़रर होता है)इरशाद फ़रमाया कि अगर तुम्हारे हुकूक़ ख़ुशी से न दें तो जबरन वुसूल करो।

हदीस न.4 :– इमाम मालिक असलम से रावी कि अमीरुलमोमिनीन फ़ारुके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने यह जुज़या मुकर्रर किया सोने वालों पर चार दीनार और चाँदी वालों पर चालीस दिरहम और उस के अलावा मुसलमानों की ख़ुराक और तीन दिन की मेहमानी उन के ज़िम्मे थी।

मसाइले फ़िक़्हिया

सलतनते इस्लामिया की जानिब से ज़िम्मी कुफ़्फ़ार पर जो मुकर्रर किया जाता है उसे जुज़या कहते हैं जुज़या की दो क़िस्में हैं एक वह कि उन से किसी मिक़दार मुअय्यन पर सुलह हुई कि सालाना वह हमें इतना देंगे उस में कमी बेशी कुछ नहीं हो सकती न शरअ् ने इस की कोई ख़ास

मिक़दार मुक़र्रर की बल्कि जितने पर सुलह हो जाये वह है दूसरी यह कि मुल्क को फ़तह किया और काफ़िरों के इमलाक बदस्तूर छोड़दिये गये उन पर सलतनत की जानिब से हसबे हाल कुछ मुक़र्रर किया जायेगा उस में उन की ख़ुशी या नाख़ुशी का एअ़तिबार नहीं उस की मिक़दार यह है कि मालदारों पर अड़तालीस दिरहम सालाना हर महीने में चार दिरहम मुतवस्सित शख़्स पर चौबीस दिरहम सालाना हर महीने में दो दिरहम। फ़क़ीर कमाने वाले पर बारह दिरहम सालाना हर माह में एक दिरहम अब इख़्तियार है कि शुरूअ़ साल में साल भर का लेलें या माह बमाह वुसूल करें दूसरी सूरत में आसानी है मालदार और फ़क़ीर और मुतवस्सित किस को कहते हैं यह वहाँ के उ़र्फ़ और बादशाह की राए पर है और एक क़ौल यह भी है कि जो शख़्स नादार (गरीब)हो या दो सौ दिरहम से कम का मालिक हो फ़क़ीर है और दो सौ से दस हज़ार से कम तक का मालिक हो तो मुतवस्सित है और दस हज़ार या ज़्यादा का मालिक हो तो मालदार है(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़क़ीर कमाने वाले से मुराद वह है कि कमाने पर क़ादिर हो यानी अअ्ज़ा सालिम हों निस्फ़ साल या अकसर में बीमार न रहता हो ऐसा भी न हो कि उसे कोई काम करना आता न हो न इतना बेवक़ूफ़ हो कि कुछ काम न कर सके (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– साल के अकसर हिस्सा में मालदार रहा और छः महीने में फ़क़ीर तो मुतवस्सित इब्तिदाए साल में जब मुक़र्रर किया जायेगा उस वक़्त की हालत देखकर मुक़र्रर करेंगे और अगर उस वक़्त कोई उ़ज़्र हो तो उस का लिहाज़ किया जायेगा फिर अगर वह उ़ज़्र इसनाए साल में जाता रहा और साल का अकसर हिस्सा बाक़ी है तो मुक़र्रर करदेंगे (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुरतद से जुज़या न लिया जाये इस्लाम लाये फ़बिहा वरना क़त्ल कर दियाजाये(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बच्चा और औ़रत और ग़ुलाम व मकातिब व मुदब्बर, पागल, बोहरे, लुन्झे, बेदस्त व पा, अपाहिज, फ़ालिज की बीमारी वाले, बूढ़े, आ़जिज़, अन्धे, फ़क़ीर, नाकारा, पुजारी जो लोगों से मिलता जुलता नहीं और काम पर क़ादिर न हो उस सब से जुज़या नहीं लिया जायेगा अगर्चे अपाहिज वग़ैरा मालदार हों। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो कुछ कमाता है सब सर्फ़ हो जाता है बचता नहीं तो उस से जुज़या न लेंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला :– शुरूअ़ साल में जुज़या मुक़र्रर करने से पहले बालिग़ हो गया तो उस पर भी जुज़या मुक़र्रर किया जायेगा और अगर उस वक़्त नाबालिग़ था मुक़र्रर हो जाने के बाद बालिग़ हुआ तो नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– इसनाए साल में साले तमाम के बाद मुसलमान हो गया तो जुज़या नहीं लिया जायेगा अगर्चे कई बरस का उस के ज़िम्मे बाक़ी हो और अगर दो बरस का पेशगी ले लिया हो तो साले आइन्दा का जो लिया है वापस करें और अगर जुज़या न लिया और दूसरा साल शुरूअ़ हो गया तो साले गुज़िश्ता का साक़ित हो गया यूँहीं मरजाने अन्धे होने अपाहिज हो जाने, फ़क़ीर हो जाने, लुन्जे हो जाने से कि काम पर क़ादिर न हों जुज़या साक़ित हो जाता है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नौकर या गुलाम या किसी और के हाथ जुज़या भेज नहीं सकता बल्कि ख़ुद ले कर हाज़िर हो और खड़ा हो कर अदब के साथ पेश करे यानी दोनों हाथ में रखकर जैसे नज़रें दिया

करते हैं और लेने वाला उसे के हाथ से वह रक़म उठाले यह नहीं होगा कि यह ख़ुद उस के हाथ में देदे जैसे फ़क़ीर को दिया करते हैं(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– जुज़या व ख़िराज मुसालेह आम्मए मुसलिमीन में सर्फ़ किए जायें मसलन सरहद पर जो फ़ौज रहती है उस पर ख़र्च हों और पुल और मस्जिद व हौज़ व सरा बनाने में ख़र्च हों और मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िन पर ख़र्च करें और उलमा व तलबा और क़ाज़ियों और उन के मातहत काम करने वालों को दें और मुजाहिदीन और उन सब के बाल बच्चों के खाने के लिए दें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दारुलइस्लाम होने के बाद ज़िम्मी अब नये गिरजे और बुत ख़ाने और आतिशकदा नहीं बना सकते और पहले के जो हैं वह बाक़ी रखे जायेंगे अगर लड़कर शहर को फ़तह किया है तो वह रहने के मकान होंगे और सुलह के साथ फ़तह हुआ तो बदस्तूर इबादत ख़ाने रहेंगे अगर उन के इबादत ख़ाने मुन्हदिम हो गये और फिर बनाना चाहें तो जैसे थे वैसे ही उसी जगह बना सकते हैं न बढ़ा सकते हैं न दूसरी जगह उन के बदले में बना सकते न पहले से ज़्यादा मुस्तहकम बना सकते मसलन पहले कच्चा था तो अब भी कच्चा ही बना सकेंगे ईंट का था तो पत्थर का नहीं बना सकते बादशाहे इस्लाम या मुसलमानों ने मुन्हदिम कर दिया है तो उसे दोबारा नहीं बना सकते और ख़ुद मुन्हदिम किया हो तो बना सकते हैं और पेश्तर से अब कुछ ज़्यादा कर दिया हो तो ढादेंगे (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़िम्मी काफ़िर मुसलमानों से वज़अ् क़तअ् लिबास वग़ैरा हर बात में मुमताज़ रखा जायेगा जिस क़िस्म का लिबास मुसलमान का होगा वह ज़िम्मी न पहने उस की ज़मीन भी और तरह की होगी हथियार बनाने की उसे इजाज़त नहीं बल्कि उसे हथियार रखने भी न देंगे ज़िन्नार वग़ैरा जो उस की अलामत की चीज़े हैं उन्हें ज़ाहिर रखे कि मुसलमान को धोका न हो अमामा न बाँधे रेशम की ज़न्नार न बाँधे लिबासे फ़ाख़िरा जो उलमा वग़ैरा अहले शरफ़ के साथ मख़सूस है न पहने मुसलमान खड़ा हो तो वह उस वक़्त न बैठे उन की औरतें भी मुसलमान औरतों की तरह कपड़े वग़ैरा न पहने ज़िम्मियों के मकानों पर भी कोई अलामत ऐसी हो जिस से पहचाने जायें कि कहीं साइल दरवाजों पर खड़ा हो कर मग़फ़िरत की दुआ न दे ग़र्ज़ उस की हर बात मुसलमानों से जुदा हो (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– अब चूँकि हिन्दुस्तान में इस्लामी सलतनत नहीं लिहाज़ा मुसलमानों को यह इख़्तियार न रहा कि कुफ़्फ़ार को किसी वज़अ् वग़ैरा का पाबन्द करें अल्बत्ता मुसलमानों के इख़्तियार में यह ज़रूर है कि ख़ुद उन की वज़अ् इख़्तियार न करें मगर बहुत अफ़सोस होता है कि जबकि किसी मुसलमान को काफ़िरों की सूरत में देखा जाता है लिबास व वज़अ् क़तअ् में कुफ़्फ़ार से इम्तियाज़ नहीं रखते बल्कि बाज़ मरतबा ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ है कि नाम दरयाफ़्त करने के बाद मालूम हुआ कि यह मुसलमान हैं मसुलमानों का एक ख़ास इम्तियाज़ दाढ़ी रखना था उस को आज कल लोगों ने बिल्कुल फ़ुज़ूल समझ रखा है नसारा की तक़लीद में दाढ़ी का सफ़ाया सर पर बालों का गुफ़्फ़ा मूँछें बड़ी बड़ी या बीच में ज़रा सी जो देखे से मसनूई मालूम होती हैं अगर रखें तो नसारा की सी कम करें तो नसारा की तरह **इस्लामी** बात सब ना पसन्द कपड़े जूते हों तो नसरानियों के से खाना

खायें तो उन की तरह और अब कुछ दिनों से जो नसारा की तरफ़ से मुन्हरिफ़ हुए तो घर लौट कर न आये बल्कि मुश्रिकों हिन्दूओं की तक़लीद इख़्तियार की टोपी हिन्दू के नाम की हिन्दू जो कहें उस पर दिल व जान से हाज़िर अगर्चे इस्लाम के अहकाम पसे पुश्त (पीठ पीछे)हों अगर वह कहें और जब वह कहे रोज़ा रखने को तय्यार मगर रमज़ान में पान खाकर निकलना न शर्म न आ़र वह कहे तो दिन भर बाज़ार बन्द ख़रीद व फ़रोख़्त हराम, और ख़ुदा फ़रमाता है कि जब जुमआ की अज़ान हो तो ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ो उस की त़रफ़ अस्लन इल्तिफ़ात (तवज्जह)नहीं ग़र्ज़ मुसलमानों की जो अबतर (बहुत बुरी) हालत है उस का कहाँ तक रोना रोया जाये यह हालत न होती तो यह दिन क्यों देखने पड़ते और उन की क़ुव्वते मुन्फ़इ़ला इतनी क़वी है और क़ुव्वत फ़ाइला ज़ाइल हो चुकी तो अब क्या उमीद हो सकती है कि यह मुसलमान कभी तरक़्क़ी का ज़ीना तै करेंगे ग़ुलाम बनकर अब भी हैं और जब भी रहेंगे। (वलअयाज़ु बिल्लाहि तआला)

मसअ्ला :– नस़रानी ने मुसलमान से गिरजे का रास्ता पूछा या हिन्दू ने मन्दिर का तो न बताये कि गुनाह पर इआ़नत करना है अगर किसी मुसलमान का बाप या माँ काफ़िर है और कहे कि मुझे बुतख़ाना पहुँचा दे तो न लेजाये और अगर वहाँ से आना चाहते हैं तो ला सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– काफ़िर को सलाम न करे मगर बज़रूरत और वह आता हो तो उस के लिए रास्ता वसीअ् न करे बल्कि उस के लिए तंग रास्ता छोड़े (आलमगीरी)

मसअ्ला :– काफ़िर शंख या नाक़ूस बजाना चाहें तो मुसलमान न बजाने दें अगर्चे अपने घरों में बजायें यूँहीं अगर अपने मअ्बूदों के जुलूस वग़ैरा निकालें तो रोकदें और कुफ़्र व शिर्क की बात अ़लानिया बकने से भी रोके जायें यहाँ तक कि यहूद व नस़ारा अगर यह गढ़ी हुई तोरात व इन्जील बलन्द आवाज़ से पढ़ें और उस में कोई कुफ़्र की बात हो तो रोक दिए जायें और बाज़ारों में पढ़ना चाहें तो मुतलक़न रोके जायें अगर्चे कुफ़्र न बकें (आ़लमगीरी)जब तोरात व इन्जील के लिए यह अहकाम हैं तो रामायण, वेद, वग़ैरहा ख़ुराफ़ाते हुनूद कि मजमुआ़–ए–शिर्क हैं उन के लिए अशद हुक्म होगा मगर यह अहकाम तो इस्लामी थे जो सलतनत के साथ मुतअ़ल्लिक़ थे और जब सलतनत न रही तो ज़ाहिर है कि रोकने की भी त़ाक़त न रही मगर अब मुसलमान इतना तो कर सकते हैं कि ऐसी जगहों से दूर भागें न यह कि ईसाईयों और उन के लैक्चरों और जलसों में शरीक हों और वहाँ अपनी आँखों से अहकामे इस्लाम की बेहुरमती देखें और कानों से ख़ुदा व रसूल की शान में गुस्ताख़ियाँ सुनें और जाना न छोड़ें मगर न इल्म रखते हैं कि जवाब दें न हया रखते हैं कि बाज़ आयें।

मसअ्ला :– शहर में शराब लाने से मनअ् किया जायेगा अगर कोई मुसलमान शराब लाया और गिरफ़्तार हुआ और उ़ज़्र यह करता है कि मेरी नहीं किसी और की है और नाम भी नहीं बताता कि किस की है या कहता है सिरका बनाने के लिए लाया हूँ तो अगर वह शख़्स दीनदार है छोड़देंगे वरना शराब बहादेंगे और उसे सज़ा देंगे और क़ैद करदेंगे जब तक कि तौबा न करे और अगर काफ़िर लाया हो और गिरफ़्तार हुआ और यह न जानता हो कि लाना नहीं चाहिए तो उसे शहर से निकालदें और कह दिया जाये कि अगर फिर लाया तो सज़ा दी जायेगी(आलमगीरी)

मुरतद का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝

तर्जमा :– "तुम में से जो कोई अपने दीन से मुरतद हो जाये और कुफ़ की हालत में मरे उस के तमामअअ़्माल दुनिया और आख़िरत में राएगाँ हैं और वह लोग जहन्नमी हैं उस में हमेशा रहेंगे

और फ़रमाता है

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۔

तर्जमा :– "ऐ ईमान वालो तुम में से जो कोई अपने दीन से मुरतद हो जाये तो अ़न्क़रीब अल्लाह एक ऐसी क़ौम लायेगा जो अल्लाह को महबूब होगी और वह अल्लाह को महबूब रखेगी मुसलमान के सामने ज़लील और काफ़िरों पर सख़्त होगी वह लोग अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरेंगे यह अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहता है देता है और अल्लाह वुसअ़त वाला है"

और फ़रमाता है

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ

तर्जमा :– "तुम फ़रमादो क्या अल्लाह और उस की आयतों और उस के रसूल के साथ तुम मसख़रापन करते थे बहाने न बनाओ तुम ईमान लाने के बाद काफ़िर हो गये"

हदीस न.1 :– इमाम बुख़ारी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बन्दा कभी अल्लाह तआ़ला की ख़ुश्नूदी की बात कहता है और उस की तरफ़ तवज्जोह भी नहीं करता (यानी अपने नज़दीक एक मामूली बात कहता है)अल्लाह तआ़ला उस की वजह से उस के बहुत दरजे बलन्द करता है और कभी अल्लाह की नाराज़ी की बात करता है और उस का ख़याल भी नहीं करता उस की वजह से जहन्नम में गिरता है और एक रिवायत में है कि मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान में जो फ़ासिला है उस से भी फ़ासिला पर जहन्नम में गिरता है।

हदीस न.2 व 3 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत की शहादत देता है उस का ख़ून हलाल नहीं मगर तीन वजह से वह किसी को क़त्ल करे और सय्यब ज़ानी और दीन से निकल जाने वाला जो जमाअ़ते मुस्लिमीन को छोड़देता है और तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा ने इसी की मिस्ल हज़रत उ़समान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

हदीस न.4 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में इकरमा से मरवी कहते हैं कि हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िदमत में चन्द ज़िन्दीक पेश किए गये उन्होंने उन को जलादिया जब यह ख़बर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा को पहुँची तो यह फ़रमाया कि मैं होता तो नहीं जलाता क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस से मनअ़ किया फरमाया कि अल्लाह के अज़ाब के साथ तुम अज़ाब मत दो और मैं उन्हें क़त्ल करता इस लिए कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया है जो शख़्स अपने दीन को बदल दे उसे क़त्ल कर डालो।

मसअला :– कुफ़्र व शिर्क से बदतर कोई गुनाह नहीं और वह भी इरतिदाद कि यह कुफ़्रे असली से भी बएअ्तिबार अहकाम सख़्त तर है जैसा कि उस के अहकाम से मालूम होगा मुसलमान को चाहिए कि उस से पनाह माँगता रहे कि शैतान हर वक़्त ईमान की घात में है और हदीस में फ़रमाया कि शैतान इनसान के बदन में ख़ून की तरह तैरता है आदमी को कभी अपने ऊपर या अपनी ताअ़त (फ़रमाँबरदारी)व अअ्माल पर भरोसा न चाहिए हर वक़्त ख़ुदा पर एअ्तिमाद करे और उसी से बक़ाए ईमान की दुआ़ चाहे कि उसी के हाथ में क़ल्ब है और क़ल्ब को क़ल्ब इसी वजह से कहते हैं कि लोट पोट होता रहता है ईमान पर साबित रहना उसी की तौफ़ीक़ से है जिस के दस्ते कुदरत में क़ल्ब है और हदीस में फ़रमाया कि शिर्क से बचो कि वह चींटी की चाल से ज़्यादा मख़फ़ी है और उस से बचने की हदीस में एक दुआ़ इरशाद फ़रमाई उसे हर रोज़ तीन मरतबा पढ़ लिया करो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शिर्क से महफ़ूज़ रहोगे वह दुआ़ यह है।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

मुरतद वह शख़्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमा–ए–कुफ़्र बके जिस में तावीले सहीह की गुनजाइश न हो यूँहीं बाज़ अफ़आल भी ऐसे हैं जिन से काफ़िर हो जाता है मसलन बुत को सजदा करना मुसहफ़ शरीफ़ को नजासत की जगह फेंकदेना।

मसअला :– जो बतौर तमस्ख़ुर और ठट्ठे के कुफ़्र करेगा वह भी मुरतद है अगर्चे कहता है ऐसा एअ्तिक़ाद नहीं रखता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी कलाम में चन्द मअ़्ना बनते हैं बाज़ कुफ़्र की तरफ़ लाते हैं बाज़ इस्लाम की तरफ़ तो उस शख़्स की तकफ़ीर नहीं की जायेगी हाँ अगर मालूम हो कि काइल ने मअ़्ना–ए–कुफ़्र का इरादा किया मसलन वह ख़ुद कहता है कि मेरी मुराद यही है तो कलाम का मोहतमिल (शक वाला)होना नफ़अ़् न देगा यहाँ से मालूम हुआ कि कलिमा के कुफ़्र होने से काइल का काफ़िर होना ज़रूरी नहीं (रद्दुल मुहतार वग़ैरा) आज कल बाज़ लोगों ने यह ख़याल कर लिया है कि किसी शख़्स में एक बात भी इस्लाम की हो तो उसे काफ़िर न कहेंगे यह बिलकुल ग़लत है क्या यहूद व नसारा में इस्लाम की कोई बात नहीं पाई जाती हाँलाकि क़ुरआन अज़ीम में उन्हें काफ़िर फ़रमाया गया बल्कि बात यह है कि उलमा ने फ़रमाया यह था कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसी बात कही जिस के बाज़ मअ़्ना इस्लाम के मुताबिक़ हैं तो काफ़िर न कहेंगे उस को उन लोगों ने यह बनालिया एक यह वबा भी फैली हुई है कहते हैं "हम तो काफ़िर को भी काफ़िर न कहेंगे कि हमें क्या मालूम कि उस का ख़ातिमा कुफ़्र पर होगा" यह भी ग़लत है क़ुरआन अज़ीम ने काफ़िर को काफ़िर

(قل يايها الكافرون)और काफ़िर कहने का हुक्म दिया और अगर ऐसा है तो मुसलमान को भी मुसलामन न कहो तुम्हें क्या मालूम कि इस्लाम पर मरेगा ख़ातिमा का हाल तो ख़ुदा जाने मगर शरीअत ने काफ़िर व मुस्लिम में इम्तियाज़ रखा है अगर काफ़िर को काफ़िर न जाना जाये तो क्या उस के साथ वही मुआमलात करोगे जो मुस्लिम के साथ होते हैं हालाँकि बहुत से उमूर ऐसे है जिन में कुफ़्फ़ार के अहकाम मुसलामनों से बिल्कुल जुदा हैं मसलन उन के जनाज़ा की नमाज़ न पढ़ना उन के लिए इस्तिग़फ़्फ़ार न करना उन को मुसलमानों की तरह दफ़न न करना, उन को अपनी लड़कियाँ न देना, उन पर जिहाद करना, उन से जुज़या लेना, इस से इन्कार करें तो क़त्ल करना वग़ैरा। बाज़ जाहिल यह कहते हैं कि हम किसी को काफ़िर नहीं कहते आलिम लोग जानें वह काफ़िर कहें मगर क्या यह लोग नहीं जानते कि अ़वाम के तो वही अ़क़ाइद होंगे जो क़ुर्आन व हदीस वग़ैरहुमा से उ़लमा ने उन्हें बताये या अ़वाम के लिए कोई शरीअ़त जुदागाना है जब ऐसा नहीं तो फिर आ़लिमे दीन के बताये पर क्यों नहीं चलते नीज़ यह कि ज़रूरियात का इन्कार कोई ऐसा अम्र नहीं जो उ़लमा ही जानें अ़वाम जो उ़लमा की सोहबत से मुशर्रहोते रहते हैं वह भी उन से बे ख़बर नहीं होते फिर ऐसे मुआमले में पहलू तिही और एअ़राज़ के क्या मअ़ना।

मसअ्ला :– कहना कुछ चाहता था और ज़बान से कुफ़्र की बात निकल गई तो काफ़िर न हुआ यानी जब कि उस अम्र से इज़हारे नफ़रत करे सुनने वालों को भी मालूम हो जाये कि ग़लती से यह लफ़्ज़ निकला है और अगर बात की पच की तो अब काफ़िर हो गया कि कुफ़्र की ताईद करता है।

मसअ्ला :– कुफ़री बात का दिल में ख़याल पैदा हुआ और ज़बान से बोलना बुरा जानता है तो यह कुफ़्र नहीं बल्कि ख़ास ईमान की अ़लामत है कि दिल में ईमान न होता तो उसे बुरा क्यों जानता।

मसअ्ला :– मुरतद होने की चन्द शर्तें हैं **1.अ़क़्ल** नासमझ बच्चा और पागल से ऐसी बात निकली तो हुक्मे कुफ़्र नहीं **2.होश** अगर नशा में बका तो काफ़िर न हुआ **3.इख़्तियार** मजबूरी और इकराह की सूरत में हुक्मे कुफ़्र नहीं मजबूरी के यह मअ़ना हैं कि जान जाने या अ़ज़्व कटने या ज़र्बे शदीद (सख़्त मार) का सहीह अन्देशा हो इस सूरत में सिर्फ़ ज़बान से उस कलिमा के कहने की इजाज़त है बशर्त कि दिल में वही इत्मिनाने ईमानीहो إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

मसअ्ला :– जो शख़्स मआज़ल्लाह मुरतद हो गया तो मुस्तहब है कि हाकिमे इस्लाम उस पर इस्लाम पेश करे और अगर वह कुछ शुबह बयान करे तो उस का जवाब दे और अगर मोहलत माँगे तो तीन दिन क़ैद में रखे और हर रोज़ इस्लाम की तलक़ीन करे यूँहीं अगर उस ने मोहलत न माँगी मगर उम्मीद है कि इस्लाम कबूल करेगा जब भी तीन दिन क़ैद में रखा जाये फिर अगर मुसलमान हो जाये फ़बिहा वरनाँ क़त्ल कर दिया जाये बग़ैर इस्लाम पेश किए उसे क़त्ल कर डालना मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार)मुरतद को क़ैद करना और इस्लाम न कबूल करने पर क़त्ल कर डालना बादशाहे इस्लाम का काम है और उस से मक़सूद यह है कि ऐसा शख़्स अगर ज़िन्दा रहा और उस से तआर्रूज़ न किया गया तो मुल्क में तरह तरह के फ़साद पैदा होंगे और फ़ितना का सिलसिला रोज़ बरोज़ तरक़्क़ी पज़ीर होगा जिस की वजह से अमन आम्मा में ख़लल पड़ेगा लिहाज़ा ऐसे शख़्स को ख़त्म कर देना ही मुक़तज़ाए हिकमत था अब चूँकि हुकूमते इस्लाम हिन्दुस्तान में बाक़ी नहीं कोई रोक थाम करने वाला बाक़ी न रहा हर शख़्स जो चाहता है बकता है और आये दिन मुसलमानों में फ़साद पैदा होता है नये नये मज़हब पैदा होते रहते हैं एक ख़ान्दान बल्कि बाज़ जगह एक घर में

कई मज़हब हैं और बात बात पर झगड़े लड़ाई हैं उन तमाम ख़राबियों का बाइस यही नया मज़हब है ऐसी सूरत में सब से बेहतर तरकीब वह है जो ऐसे वक़्त के लिए कुर्आन व हदीस में इरशाद हुई अगर मुसलमान उस पर अमल करें तमाम फ़िस्सों से नजात पायें दुनिया व आख़िरत की भलाई हाथ आये वह यह है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल मेल जोल छोड़दें सलाम कलाम तर्क करदें उन के पास उठना बैठना उन के साथ खाना पीना उन के यहाँ शादी ब्याह करना ग़र्ज़ हर किस्म के तअल्लुक़ात उन से कतअ् कर दें गोया समझें कि वह अब रहा ही नहीं वल्लाहुलमूफ़िक़।

मसअला :– किसी दीने बातिल को इख़्तियार किया मसलन यहूदी या नसरानी हो गया ऐसा शख़्स मुसलमान उस वक़्त होगा कि उस दीने बातिल से बेज़ारी व नफ़रत ज़ाहिर करे और दीने इस्लाम क़बूल करे और अगर जरूरियाते दीन में से किसी बात का इन्कार किया हो तो जब तक उस का इक़रार न करे जिस से इन्कार किया है महज़ कलिमा शहादत पढ़ने पर उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा कि कलिमा शहादत का उस ने बज़ाहिर इन्कार न किया था मसलन नमाज़ या रोज़ा की फ़रज़ियत से इन्कार करे या शराब और सुअर की हुरमत न माने तो उस के इस्लाम के लिए यह शर्त है कि जब तक ख़ास इस अम्र का इक़रार न करे उस का इस्लाम क़बूल नहीं या अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जनाब में गुस्ताख़ी करने से काफ़िर हुआ तो जब तक उस से तौबा न करे मुसलमान नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत या नाबालिग़ समझदार बच्चा मुरतद हो जाये तो क़त्ल न करेंगे बल्कि क़ैद करेंगे यहाँ तक कि तौबा करे और मुसलमान हो जाये (आलमगीरी)

मसअला :– मुरतद अगर इरतिदाद से तौबा करे तो उस की तौबा मक़बूल है मगर बाज़ मुरतद्दीन मसलन किसी नबी की शान में गुस्ताख़ानी करने वाला कि उस की तौबा मक़बूल नहीं। तौबा क़बूल करने से मुराद यह है कि तौबा करने के बाद बादशाहे इस्लाम उसे क़त्ल न करेगा।

मसअला :– मुरतद अगर अपने इरतिदाद से इन्कार करे तो यह इन्कार बमन्ज़िला तौबा है अगर्चे गवाहाने आदिल से इसका इरतिदाद साबित हो यानी उस सूरत में यह क़रार दिया जायेगा कि इरतिदाद तो किया गया मगर अब तौबा करली लिहाज़ा क़त्ल न किया जायेगा और इरतिदाद के बाक़ी अहकाम जारी होंगे मसलन उस की औरत निकाह से निकल जायेगी जो कुछ अअ्माल किए थे सब अकारत हो जायेंगे हज की इस्तिताअ़त रखता है तो अब फिर हज फ़र्ज़ है कि पहला हज जो कर चुका था बेकार होगया (दुर्रे मुख़्तार, बहरुर्राइक़)

मसअला :– अगर उस क़ौल से इन्कार नहीं करता मगर ला यानी तक़रीरों से उन अम्र को सहीह बताता है जैसा ज़माना–ए–हाल के मुरतद्दीन का शेवा है तो यह न इन्कार है न तौबा मसलन क़ादियानी कि नुबुव्वत का दअ्वा करता है और ख़ातिमुन्नबीईन के ग़लत मअ्ना बयान कर के अपनी नुबुव्वत को बरक़रार रखना चाहता है या हज़रत सय्यदिना मसीह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सना की शाने पाक में सख़्त सख़्त हमले करता है फिर हीले गढ़ता है या बाज़ अमाइदे वहाबिया (वहाबियों के लीडर)कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शाने रफ़ीअ् में कलिमाते दुश्नाम (गाली के अल्फ़ाज़)इस्तिअ्माल करते और तावीले ग़ैर मक़बूल कर के अपने ऊपर से कुफ़्र उठाना चाहते हैं ऐसी बातों से कुफ़्र नहीं हट सकता कुफ़्र उठाने का जो निहायत आसान तरीक़ा है काश

उसे बरतते तो उन ज़हमतों में न पड़ते और अज़ाबे आख़िरत से भी इन्शाअल्लाह रिहाई की सूरत निकलती वह सिर्फ़ तौबा है कि कुफ़ व शिर्क सब को मिटा देती है मगर उस में वह अपनी ज़िल्लत समझते हैं हालाँकि यह ख़ुदा को महबूब उन के महबूबों को पसन्द अल्लाह वालों के नज़दीक इस में इज़्ज़त।

मसअला :– ज़माना–ए–इस्लाम में कुछ इबादत क़ज़ा हो गईं और अदा करने से पहले मुरतद हो गया फिर मुसलमान हुआ तो उन इबादत की क़ज़ा करे और जो अदा कर चुका था अगर्चे इर्तिदाद से बातिल हो गईं मगर उस की क़ज़ा नहीं अल्बत्ता अगर साहिबे इस्तिताआत हो तो हज दोबारा फ़र्ज़ होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कुफ़्रे क़तई हो तो औरत निकाह से निकल जायेगी फिर इस्लाम लाने के बाद अगर औरत राज़ी हो तो दोबारा इस से निकाह हो सकता है वरना जहाँ पसन्द करे निकाह कर सकती है उस का कोई हक़ नहीं कि औरत को दूसरे के साथ निकाह करने से रोक दे और अगर इस्लाम लाने के बाद औरत को बदस्तूर रख लिया दोबारा निकाह न किया तो कुर्बत ज़िना होगी और बच्चे वलदुज़्ज़िना और अगर कुफ़्र क़तई न हो यानी बाज़ उलमा काफ़िर बताते हों और बाज़ नहीं यानी फुक़हा के नज़दीक काफ़िर हो और मुतकल्लिमीन के नज़दीक नहीं तो इस सूरत में भी तजदीदे इस्लाम व तजदीदे निकाह का हुक्म दिया जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत को ख़बर मिली कि उस का शौहर मुरतद हो गया तो इद्दत गुज़ार कर निकाह कर सकती है ख़बर देने वाले दो मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें बल्कि एक आदिल की ख़बर काफ़ी है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत मुरतद होगई फिर इस्लाम लाई तो शौहरे अव्वल से निकाह करने पर मजबूर की जायेगी यह नहीं हो सकता है कि दूसरे से निकाह करे इसी पर फ़तवा है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुरतद का निकाह बिलइत्तिफ़ाक़ बातिल है वह किसी औरत से निकाह नहीं कर सकता न मुस्लिमा से न काफ़िरा से न मुरतद्दा से न हुर्रा से न कनीज़ से (आलमगीरी)

मसअला :– मुरतद किसी मुआमला में गवाही नहीं दे सकता और किसी का वारिस नहीं हो सकता और ज़माना–ए–इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस में मुरतद का कोई वारिस नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुरतद का ज़बीहा (जानवर ज़िबह किया हुआ)मुर्दार है अगर्चे बिस्मिल्लाह कह कर ज़िबह करे यूँही कुत्ते या बाज़ या तीर से जो शिकार किया है वह भी मुर्दार है अगर्चे छोड़ने के वक़्त बिस्मिल्लाह कहली हो (आलमगीरी)

मसअला :– इरतिदाद से मिल्क जाती रहती है यानी जो कुछ उस के इमलाक व अमवाल थे सब उस की मिल्क से ख़ारिज हो गये मगर जब कि फिर इस्लाम लाये और कुफ़्र से तौबा करे तो बदस्तूर मालिक हो जायेगा अगर कुफ़्र ही पर मर गया या दारुलहर्ब को चला गया तो ज़माना–ए–इस्लाम के जो कुछ अमवाल हैं उन से अव्वलन उन दुयून (क़र्ज़ों) को अदा करेंगे जो ज़माना–ए–इस्लाम में उस के ज़िम्मे थे उस से जो बचे वह मुसलमान वुरसा को मिलेगा और ज़माना–ए–इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस से ज़माना–ए–इरतिदाद के दुयून (क़र्ज़ों) अदा करेंगे उस के बाद जो बचे वह फ़ए है (हिदाया वग़ैरहा)

मसअला :– औरत को तलाक़ दी थी वह भी इद्दत ही में थी कि शौहर मुरतद हो कर दारुलहर्ब को चला गया या हालते इरतिदाद में क़त्ल किया गया तो वह औरत वारिस होगी (तबईन)

मसअला :– मुरतद दारुल हर्ब को चला गया या क़ाज़ी ने लिहाक़ यानी दारुलहर्ब में चले जाने का हुक्म दिया तो उस के मुदब्बर और उम्मे वलद आज़ाद होगये और जितने दुयूने मीआदी थे उन की मीआद पूरी हो गई यानी अगर्चे अभी मीआद पूरी होने में कुछ ज़माना बाक़ी हो मगर उस वक़्त वह दैन वाजिबुलअदा हो गये और ज़माना–ए–इस्लाम में जो कुछ वसियत की थी यह सब बातिल है (फ़तहुलक़दीर)

मसअला :– मुरतद हिबा क़बूल कर सकता है कनीज़ को उम्मे वलद कर सकता है यानी उस की लौन्डी को हमल था और ज़माना–ए– इरतिदाद में बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चा के नसब का दअ्वा कर सकता है कह सकता है कि यह मेरा बच्चा है लिहाज़ा यह बच्चा उस का वारिस होगा और उस की माँ उम्मेवलद हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअला : – मुरतद दारुलहर्ब को चला गया फिर मुसलमान होकर वापस आया तो अगर क़ाज़ी ने अभी तक दारुलहर्ब जाने का हुक्म नहीं दिया था तो तमाम अमवाल उस को मिलेंगे और अगर क़ाज़ी हुक्म देचुका था तो जो कुछ वुरसा के पास मौजूद है वह मिलेगा और वुरसा जो कुछ ख़र्च कर चुके या बैअ् वग़ैरा कर के इन्तिक़ाले मिल्क कर चुका उस में से कुछ नहीं मिलेगा(आलमगीरी)

तम्बीह :– ज़माना हाल में जो लोग बावुजूद इद्दआएइस्लाम (मुसलमान होने का दअ्वा करने के साथ) कलिमाते कुफ़्र बकते हैं या कुफ़री अक़ाइद रखते हैं उन के अक़वाल व अफ़आल का बयान हिस्सा अव्वल में गुज़रा यहाँ चन्द दीगर कलिमाते कुफ़्र जो लोगों से सादिर होते हैं बयान किए जाते हैं ताकि उन का भी इल्म हासिल हो और ऐसी बातों से तौबा की जाये और इस्लामी हूदद की मुहाफ़िज़त की जाये।

मसअला :– जिस शख़्स को अपने ईमान में शक हो यानी कहता है कि मुझे अपने मोमिन होने का यक़ीन नहीं या कहता है मालूम नहीं मैं मोमिन हूँ या काफ़िर वह काफ़िर है हाँ अगर उस का मतलब यह हो कि मालूम नहीं मेरा ख़ातिमा ईमान पर होगा या नहीं काफ़िर नहीं जो शख़्स ईमान व कुफ़्र को एक समझे यानी कहता है कि सब ठीक है खुदा को सब पसन्द है वह काफ़िर है यूँहीं जो शख़्स ईमान पर राज़ी नहीं या कुफ़्र पर राज़ी है वह भी काफ़िर है (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स गुनाह करता है लोगों ने उसे मनअ् किया तो कहने लगा इस्लाम का काम उसी तरह करना चाहिए यानी जो गुनाह व मअ्सियत को इस्लाम कहता है वह काफ़िर है यूंही किसी ने दूसरे से कहा मैं मुसलमान हूँ उस ने जवाब में कहा तुझ पर भी लअ्नत और तेरे इस्लाम पर भी लअ्नत ऐसा कहने वाला काफ़िर है (आलमगीरी)

मसअला :– अगर यह कहा खुदा मुझे उस काम के लिए हुक्म दे जब भी न करता तो काफ़िर है यूँही एक ने दूसरे से कहा मैं और तुम खुदा के हुक्म के मुवाफ़िक़ काम करें दूसरे ने कहा मैं खुदा का हुक्म नहीं जानता या कहा यहाँ किसी का हुक्म नहीं चलता (आलमगीरी)

मसअला : – कोई शख़्स बीमार नहीं होता या बहुत बूढ़ा है मरता नहीं उस के लिए यह कहना कि उसे अल्लाह मियाँ भूल गये हैं या किसी ज़बान दराज़ आदमी से यह कहना कि खुदा तुम्हारी ज़बान का मुक़ाबिला कर ही नहीं सकता मैं किस तरह करूँ यह कुफ़्र है (खुलासतुल फ़तावा) यूँहीं एक ने दूसरे से कहा अपनी औरत तो क़ाबू में नहीं उस ने कहा औरतों पर खुदा को तो कुदरत है ही नहीं मुझ को कहाँ से होगी।

मसअला :– खुदा के लिए मकान साबित करना कुफ़्र है कि वह मकान से पाक है यह कहना कि

ऊपर ख़ुदा है नीचे तुम यह कलिमा-ए-कुफ़्र है (ख़ानिया)

मसअला :- किसी से कहा गुनाह न कर वरना ख़ुदा तुझे जहन्नम में डालेगा उस ने कहा मैं जहन्नम से नहीं डरता या कहा ख़ुदा के अज़ाब की कुछ परवाह नहीं या एक ने दूसरे से कहा तू ख़ुदा से नहीं डरता उस ने ग़ुस्सा में कहा नहीं या कहा ख़ुदा इस के सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख़ में डालदे या कहा ख़ुदा से डर उस ने कहा ख़ुदा कहाँ है यह सब कुफ़्र के कलिमात हैं (आलमगीरी)

मसअला :- किसी से कहा इन्शाअल्लाह तुम उस काम को करोगे उस ने कहा मैं बग़ैर इन्शाअल्लाह करूँगा या एक ने दूसरे पर ज़ुल्म किया मज़लूम ने कहा ख़ुदा ने यही मुक़द्दर किया था ज़ालिम ने कहा मैं बग़ैर अल्लाह के मुक़द्दर किए करता हूँ यह कुफ़्र है(आलमगीरी)

मसअला :- किसी मिस्कीन ने अपनी मोहताजी को देखकर यह कहा ऐ ख़ुदा फ़लाँ भी तेरा बन्दा है उस को तूने कितनी नेअ़मतें दे रखी हैं और मैं भी तेरा बन्दा हूँ मुझे किस क़द्र रंज व तकलीफ़ देता है आख़िर यह क्या इन्साफ़ है ऐसा कहना कुफ़्र है (आलमगीरी)हदीस में ऐसे ही के लिए फ़रमाया كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا मोहताजी कुफ़्र के करीब है कि जब मोहताजी के सबब ऐसे ना मुनासिब कलिमात सादिर हों जो कुफ़्र हैं तो गोया ख़ुद मोहताजी करीब बकुफ़्र है।

मसअला :- अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के नाम की तस़्ग़ीर करना कुफ़्र है जैसे किसी का नाम अ़ब्दुल्लाह या अ़ब्दुल ख़ालिक़ या अ़ब्दुर्रहमान हो उसे पुकारने में आख़िर में अलिफ़ वग़ैरा ऐसे हुरूफ़ मिलादें जिस से तस़्ग़ीर समझी जाती है (बहरूर्राइक़)

मसअला :- एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा है उस का लड़का बाप को तलाश कर रहा था किसी ने कहा चुप रह तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है यह कहना कुफ़्र नहीं क्योंकि उस के मअ़ना यह है कि ख़ुदा की याद कर रहा है (आलमगीरी)और बाज़ जाहिल यह कहते हैं कि ला इलाह पढ़ता है यह बहुत क़बीह है कि यह नफ़ी महज़ है जिस का मतलब यह हुआ कि कोई ख़ुदा नहीं और यह मअ़ना कुफ़्र हैं।

मसअला :- अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करना उन की जनाब में गुस्ताख़ी करना या उन को फ़वाहिश, व बेहयाई की तरफ़ मन्सूब करना कुफ़्र है मसलन मआ़ज़ल्लाह यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को ज़िना की तरफ़ निस्बत करना।

मसअला :- जो शख़्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को आख़िरी नबी न जाने या हुज़ूर की किसी चीज़ की तौहीन करे या अ़ैब लगाये आपके मुए मुबारक को तहक़ीर से याद करे आप के लिबास मुबारक को गन्दा और मैला बताये हुज़ूर के नाख़ून बड़े बड़े कहे यह सब कुफ़्र है बल्कि अगर किसी के उस कहने पर कि हुज़ूर को कद्दू पसन्द था कोई यह कहे मुझे पसन्द नहीं तो बाज़ उ़लमा के नज़दीक काफ़िर है और हक़ीक़त यह है कि अगर इस हैसियत से उसे नापसन्द है कि हुज़ूर को पसन्द था तो काफ़िर है यूँहीं किसी ने यह कहा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम खाना तनावुल फ़रमाने के बाद तीन बार अंगुश्तहाए (उँगलियाँ)मुबारक चाट लिया करते थे उस पर किसी ने कहा यह अदब के ख़िलाफ़ है या किसी सुन्नत की तहक़ीर करे मसलन दाढ़ी बढ़ाना मूँछें कम करना अ़मामा बाँधना या शिमला लटकाना उन की इहानत (तौहीन)कुफ़्र है जब कि सुन्नत की तौहीन मक़सूद हो।

मसअला :- अब जो अपने को कहे मैं पैग़म्बर हूँ और उसका मतलब यह बताए कि मैं पैग़ाम पहुँचाता हूँ वह काफ़िर है यानी यह तावील मसमूअ़ नहीं कि उ़र्फ़ में यह लफ़्ज़ रसूल व नबी के मअ़ना में है (आलमगीरी)

मसअला :– हजराते शैख़ैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की शाने पाक में सब्ब व शितम (गाली)करना तबर्रा कहना या हजरत सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की सोहबत या इमामत व खिलाफत से इन्कार करना कुफ्र है (आलमगीरी वगैरा)हजरत उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा की शाने पाक में कजफ जैसी नापाक तोहमत लगाना यकीनन कतअन कुफ्र है।

मसअला :– दुश्मन व मबगूज को देखकर यह कहना मलकुलमौत आगये या कहा उसे वैसा ही दुश्मन जानता हूँ जैसा मलकुल मौत को उस में अगर मलकुलमौत को बुरा कहना है तो कुफ्र है और मौत की नापसन्दीदगी की बिना पर है तो कुफ्र नहीं यूँही जिबरईल या मीकाईल या किसी फ़रिश्ता को जो शख़्स ऐब लगाये या तौहीन करे काफिर है।

मसअला :– कुर्आन की किसी आयत को ऐब लगाना या उस की तौहीन करना या उस के साथ मसख़रा पन करना कुफ्र है मसलन दाढ़ी मुन्डाने से मनअ् करने पर अकसर दाढ़ी मुन्डे कह देते हैं كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ जिस का यह मतलब बयान करते हैं कि कल्ला साफ़ करो यह कुर्आन मजीद की तहरीफ़ व तबदील भी है और उस के साथ मज़ाक़ और दिल लगी भी और यह दोनों बातें कुफ्र उसी तरह अकसर बातों में कुर्आन मजीद की आयतें बे मौक़ा पढ़ दिया करते हैं और मकसूद हँसी करना होता है जैसे किसी को नमाज़े जमाअत के लिए बुलाया वह कहने लगा मैं जमाअत से नहीं बल्कि तनहा पढ़ूँगा क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى

मसअला :– मज़ामीर के साथ कुर्आन पढ़ना कुफ्र है गिरामों फोन में कुर्आन सुनना मनअ् है अगर्चे यह बाजा नहीं बल्कि रिकार्ड में जिस क़िस्म की आवाज़ भरी होती है वही उस से निकलती है अगर बाजे की आवाज़ भरी जाये तो बाजे को आवाज़ सुनने में आयेगी और नहीं तो नहीं मगर गिरामोफ़ोन उमूमन लहव लअिब की मजालिस में बजाया जाता है और ऐसी जगह कुर्आन मजीद पढ़ना सख़्त ममनूअ् है।

मसअला :–किसी से नमाज़ पढ़ने को कहा उस ने जवाब दिया नमाज़ पढ़ता तो हूँ मगर उस का कुछ नतीजा नहीं, या कहा तुम ने नमाज़ पढ़ी क्या फाइदा हुआ, या कहा नमाज़ पढ़ के क्या करूँ, किस के लिए पढ़ूँ, माँ बाप तो मरगये या कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया, या कहा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर हैं ग़र्ज़ उसी किस्म की बात करना जिस से फर्ज़ियत का इन्कार समझा जाता हो या नमाज़ की तहक़ीर होती हो यह सब कुफ्र हैं।

मसअला :– कोई शख़्स सिर्फ रमज़ान में नमाज़ पढ़ता है बाद में नहीं पढ़ता और कहता यह है कि यही बहुत है या जितनी पढ़ी यही ज़्यादा है क्योंकि रमज़ान में एक नमाज़ सत्तर नमाज़ के बराबर है ऐसा कहना कुफ्र है इस लिए कि उस से नमाज़ की फ़रज़ियत का इन्कार मालूम होता है।

मसअला :– अज़ान की आवाज़ सुन कर यह कहना क्या शोर मचा रखा है अगर यह कौल बर वजह इन्कार हो कुफ्र (आलमगीरी)

मसअला :– रोज़ाए रमज़ान नहीं रखता और कहता यह है कि रोज़ा वह रखे जिसे खाना न मिले या कहता है जब ख़ुदा ने खाने को दिया है तो भूके क्यों मरें या इसी क़िस्म की और बातें जिन से रोज़ा की हतक व तहक़ीर(तौहीन)हो कहना कुफ्र है।

मसअला :– इल्मे दीन और उलमा की तौहीन बे सबब यानी महज़ इस वजह से कि आलिमे इल्मे दीन है कुफ्र है यूँही आलिमे दीन की नकल करना मसलन किसी को मिम्बर वगैरा किसी ऊँची जगह पर बैठायें और उस से मसाइल बतौर इस्तिहज़ा(हँसी मज़ाक के तौर पर)दरयाफ़्त करें फिर उसे तकिया वगैरा से मारें और मज़ाक बनाये यह कुफ्र है (आलमगीरी)

मसअला :– यूँहीं शरअ् की तौहीन करना मसलन कहे मैं शरअ् वरअ् नहीं जानता या आलिमेदीन मोहतात

का फतवा पेश किया गया उस ने कहा फतवा नहीं मानता या फतवा को ज़मीन पर पटक दिया।

मसअ्ला – किसी शख़्स को शरीअत का हुक्म बताया कि उस मुआमला में यह हुक्म है उस ने कहा हम शरीअत पर अमल नही करेंगे हम तो रस्म की पाबन्दी करेंगे ऐसा कहना बाज़ मशाइख़ के नज़्दीक कुफ्र है (आलमगीरी)

मसअ्ला – शराब पीते वक्त या जिना करते वक्त या जुआ खेलते वक्त या चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है दो शख़्स झगड़ रहे थे एक ने कहा ला हवला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि दूसरे ने कहा ला हव्ला का क्या काम है या ला हव्ला को मैं क्या करूँ या ला हव्ल रोटी की जगह काम न देगा यूँहीं सुबहानल्लाह और लाइलाह इल्लल्लाह के मुतअल्लिक उसी किस्म के अल्फाज कहना कुफ्र है (आलमगीरी)

मसअ्ला – बीमारी में घबराकर कहने लगा तुझे इख्तियार है चाहे काफिर मार या मुसलमान मार यह कुफ्र है यूँहीं मसाइब (मुसीबतों) में मुब्तला हो कर कहने लगा तूने मेरा माल लिया और औलाद ले ली और यह लिया वह लिया अब क्या करेगा और क्या बाकी है जो तूने न किया इस तरह बकना कुफ्र है।

मसअ्ला – मुसलमान को कलिमाते कुफ्र की तअ्लीम व तलकीन करना कुफ्र है अगर्चे खेल और मज़ाक़ में ऐसा करे यूँहीं किसी की औरत को कुफ्र की तअ्लीम की और यह कहा तू काफिर हो जा ताकि शौहर से पीछा छूटे तो औरत कुफ्र करे या न करे यह कहने वाला काफिर हो गया (खानिया)

मसअ्ला – होली और दीवाली पूजना कुफ्र है कि यह इबादते ग़ैरुल्लाह है कुफ्फार के मेलों त्योहारों में शरीक हो कर उन के मेले और जुलूसे मज़हबी की शान व शौकत पढ़ाना कुफ्र है जैसे राम लीला और जन्म अष्टमी और राम नवमी वग़ैरा के मेलों में शरीक होना यूँहीं उन के त्योहारों के दिन महज इस वजह से चीजें खरीदना कि कुफ्फार का त्योहार है यह भी कुफ्र है जैसे दीवाली में खिलौने और मिठाईयाँ खरीदी जाती हैं कि आज ख़रीदना दीवाली मनाने के सिवा कुछ नहीं यूँहीं कोई चीज़ ख़रीद कर उस रोज़ मुश्रिकीन के पास हदिया करना जब कि मक़सूद उस दिन की तअ्ज़ीम हो तो कुफ्र है (बहरुर्राइक)मुसलमानों पर अपने दीन व मज़हब का तहफ्फुज़ लाज़िम है दीनी हमीयत और दीनी ग़ैरत से काम लेना चाहिए काफ़िरों के कुफरी कामों से अलग रहें मगर अफसोस कि मुश्रिकीन तो मुसलमानो से इज्तिनाब करें और मुसलमान हैं कि उन से इख़्तिलात रखते हैं उस में सरासर मुसलमानों का नुकसान है इस्लाम ख़ुदा की बड़ी नेअ्मत है उस की कद्र करो और जिस बात में ईमान का नुकसान है उस से दूर भागो वरना शैतान गुमराह कर देगा और यह दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी फिर कफे अफसोस मलने के सिवा कुछ हाथ न आयेगा ऐ अल्लाह तू हमें सिरांते मुस्तकीम पर क़ाइम रख और अपनी नाराज़ी के कामों से बचा और जिस बात में तू राज़ी है उस की तौफ़ीक़ दे तू हर दुश्वारी को दूर करने वाला है और हर सख़्ती को आसान करने वाला है।

व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिव व अला आलिही व असहाबिही अजमईन वलहमदु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन:

फ़क़ीर अबुलउला मुहम्मद अमजद अ़ली आज़मी उफ़िय अन्हु 12 माह मुबारक रमजानुल खैर हिजरी 1348

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

हिजरी 1431

मोबाइल न. 9219132423